

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावरण भवन, बिल्डिंग-18, नया संजय अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

ई-मेल : esac2022@raj.gov.in

विषय— राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 11/01/2022 को संघन 443वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

—03—

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 443वीं बैठक दिनांक 11/01/2022 को डॉ. बी.पी. मोन्टाने, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अध्यक्षता में संघन हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया—

1. डॉ. सीलेक कुमार जखन, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
 2. श्री एन.के. चन्दाकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
 3. श्री विनाय सिंह पुत्र, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
 4. डॉ. मोहनमद लक्ष्मी कान, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
 5. डॉ. मनोज कुमार सोमकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
 6. श्री डी. राहुल वैश्य, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
- समिति द्वारा दृष्टेन्द्र ने सन्निहित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गया—

दृष्टेन्द्र आवंटन क्रमांक-1: 443वीं एवं 444वीं बैठक क्रमांक: दिनांक 28/12/2022 एवं 29/12/2022 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन के संबंध में।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 443वीं एवं 444वीं बैठक क्रमांक: दिनांक 28/12/2022 एवं 29/12/2022 को संघन हुई थी। समिति को अवगत कराया गया कि बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार किया जा रहा है, जिसे समिति के समक्ष सौंप प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त विषयों से समिति सहमत हुई।

दृष्टेन्द्र आवंटन क्रमांक-2: शीम/मुख्य खनिजों एवं औद्योगिक परिवर्तन संबंधी प्रकरणों के प्रस्तुतीकरण पर्याप्त पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर/अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।

1. वेदांत सोल्फरैन्स ड्राईम पट्टीन खारी (जे.- शीमटी संशोधन विभागी), ग्राम-सोल्फरैन्स, तहसील-पट्टन, जिला-दुर्ग (सचिवालय का नसी क्रमांक 1838)

ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एचआईए / सीसी / एमआईएन / 72173/2022, दिनांक 11/02/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।



परिचयना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कथिती होने से ज्ञान दिनांक 22/02/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट किया गया। परिचयना प्रस्तावक द्वारा प्रेषित कथित जानकारी दिनांक 28/03/2022 को प्राप्त हुई।

खदान का विवरण - यह प्रस्तावित नया खदान (पीन खनिज) खदान है। खदान नाम-सोमवनेण्डी, जलसील-घाटन, जिला-दुर्ग जिल्ला खण्डा क्रमांक 363, 364/2, 365/2, 367/2, 367/3, 368, 369, 370, 371, 372, एवं 373, कुल क्षेत्रफल-1.85 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित परखनन क्षमता-48,135 टन प्रतिवर्ष है।

सदामुख्य परिचयना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., जलसीलगढ़ के ज्ञान दिनांक 29/08/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 413वीं बैठक दिनांक 29/08/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परिचयना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा सखनन सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परिचयना प्रस्तावक द्वारा कथित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर अपना कार्यवाही की जाएगी।

सदामुख्य एस.ई.ए.सी., जलसीलगढ़ के ज्ञान दिनांक 04/08/2022 के परिचय से परिचयना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/प्रस्तावक दिनांक 08/08/2022 2022 को प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 421वीं बैठक दिनांक 24/08/2022:

समिति द्वारा कथिती, प्रस्तुत जानकारी का अखनन एवं परीक्षण कर सखनन सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परिचयना प्रस्तावक को पूर्व में जारी गई कथित जानकारी एवं समस्त सुलभत जानकारी / प्रस्तावक सहित प्रस्तुतीकरण दिने जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

सदामुख्य परिचयना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., जलसीलगढ़ के पत्र दिनांक 09/01/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ग) समिति की 443वीं बैठक दिनांक 11/01/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु की निम्न कथिती, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा कथिती, प्रस्तुत जानकारी का अखनन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण- इस खदान की पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. ज्ञान संघासत का अन्यायित प्रमाण पत्र - परखनन के संबंध में ज्ञान संघासत सोमवनेण्डी का दिनांक 13/02/2021 का अन्यायित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि सखनन की स्थापना हेतु ज्ञान संघासत का अन्यायित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
3. परखनन योजना - कथिती पत्र कि प्रेषित कथिती कथिती पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो कथिती अधिकारी, जिला-दुर्ग के ज्ञान क्रमांक 1288/कथिती, अनु-01/2021 दुर्ग, दिनांक 29/11/2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खंदाय - कार्यलय ब्लॉक/रिजि.सा.का. (खनिज सा.का.) जिला-दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/1827/खनि.सि.02/खनिज./2022 दुर्ग, दिनांक 20/01/2022 के अनुसार आवंटित खदान से 500 मीटर की सीमा अतिरिक्त 24 छावनी, रोजकल 28.822 रेकॉर्ड है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यलय ब्लॉक/रिजि.सा.का. (खनिज सा.का.) जिला-दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/1827/खनि.सि.02/खनिज./2022 दुर्ग, दिनांक 20/01/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मराठा, बांध, एरीकट एवं जल आपूर्ति प्रयोग अदि अतिरिक्त क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. एल.ओ.आई, संबंधी विवरण - एल.ओ.आई, कार्यलय ब्लॉक/रिजि.सा.का. (खनिज सा.का.) जिला-दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/1008/खनिज./उ.प./2021 दुर्ग, दिनांक 01/10/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी प्रतिलिपि 1 एवं हेतु पैर की। संरचनाएं संरचनाएं, भूमिहीन तथा खनिकर्त, मजदूरों के अलावा जल संचयन के पु. ज्ञापन क्रमांक 9648/खनि. 02/उ.प.-अनुविधा./म.क्र.95./2017(2) - का संपूर्ण दिनांक 28/10/2022 द्वारा एल.ओ.आई की किराया वृद्धि करण पर जारी किया गया है, जिसके अनुसार "प्रतीकालय गीत खनिज नियम, 2015 में जारी संबंधित अधिसूचना दिनांक 28.08.2020 (प्रकाशन दिनांक 30.08.2020) के नियम 42 के उप-नियम (3) परन्तु के तहत संघटक की प्रदान अधिकार का प्रयोग करते हुए प्रकरण में पर्याप्त सुरक्षा प्राप्त करने एवं संरचनाएं अखनिकर्ता सुरक्षा अर्थक जारी करने हेतु अतिरिक्त आवश्यक प्रदान किया जाता है।" होना बताया गया है।
7. यू-स्वामि - खदान क्रमांक 307/2 का यू-संबंधी परस्परगत प्रस्तुत नहीं किया गया है। हेतु सभी परस्पर अर्थक के नाम पर है।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2018 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र - कार्यलय वनसा.का.विभाग दुर्ग प्रमाण, जिला-दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/तक.अ.वि./2020/10081 दुर्ग, दिनांक 24/12/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवंटित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 50 कि.मी की दूरी पर है।
10. महासदून संरचनाओं की दूरी - निकटतम अखादी एम-वीएलएडी 500 मीटर, स्थूल जल-वीएलएडी 500 मीटर एवं अखलास सेलुड 3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 38 कि.मी. एवं राजमार्ग 500 मीटर दूर है। नाल 2 कि.मी. तालव 508 मीटर दूर है।
11. पारिस्थितिकीय/जैववैविध्यता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अखलास, केन्द्रीय प्रमुख निबंधन क्षेत्र द्वारा घोषित डिस्ट्रीक्ट वीएलएडी एमिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैववैविध्यता क्षेत्र स्थित नहीं होने अतिरिक्त स्थित है।
12. खनन खंदा एवं खनन का विवरण - डिस्ट्रीक्टिकल रिजर्व 8,87,475 टन, साइनेबल रिजर्व 3,79,475 टन एवं निकटतम रिजर्व 3,38,827 टन है। सीमा की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (खनन के लिए अतिरिक्त क्षेत्र) का क्षेत्रफल

8,970 वर्गमीटर है। औद्योगिक वास्तु संघी सर्वोन्मुखित विधि से प्रखनन किया जाएगा। प्रखनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 20 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 4,238 घनमीटर है। बीच की ऊपरी 1.5 मीटर एवं नीचाई 1.5 मीटर है। खदान की क्षमति 12 वर्ष है। लीज क्षेत्र में अकार स्थिति किया जाना प्रस्तावित है, जिसका क्षेत्रफल 800 वर्गमीटर है। लीज ईला से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल स्थापित किया जाएगा। खदान में पानी प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का निष्कासन किया जाएगा। सर्वोच्च प्रस्तावित प्रखनन का विवरण निम्नानुसार है—

वर्ष	प्रस्तावित प्रखनन (टन)
प्रथम	40,125
द्वितीय	39,750
तृतीय	34,500
चतुर्थ	31,500
पंचम	31,000

13. जल आपूर्ति — परिवहन हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति स्वयं एवं अनुभूति संबंधी जानकारी/प्रस्तावित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
14. वृक्षारोपण कार्य — लीज क्षेत्र की सीमा में पानी और 7.5 मीटर की पट्टी में 1,000 वन वृक्षारोपण किया जाएगा।
15. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में प्रखनन — लीज क्षेत्र के पानी और 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में प्रखनन कार्य नहीं किया गया है।
16. समिति के बहान में यह उच्च आया कि प्रस्तुत माईनिंग प्लान के सेक्टर-4 (Reserve) अनुसार लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर सेप्टी जोन में अकार का क्षेत्रफल 800 वर्गमीटर बताया गया है। तथा ही अकार क्षेत्रफल की 7.5 मीटर सेप्टी जोन में सम्मिलित करने हेतु रिजर्व की गणना की गई है, जबकि 7.5 मीटर सेप्टी जोन को छोड़ते हुए रिजर्व की गणना किया जाना था। प्रस्तुत माईनिंग प्लान के सेक्टर-9 (Land used pattern) अनुसार अकार का क्षेत्रफल निकल बताया गया है। अतः उपरोक्त के संबंध में समिति का मत है कि 7.5 मीटर सेप्टी जोन को छोड़ते हुए रिजर्व की गणना परिवहन प्रस्तावक से संबंधित अनुमोदित माईनिंग प्लान संसाधन जाना आवश्यक है।
17. भारतीय एन.जी.टी., डिमिशन बैंक, नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय राष्ट्रीय विरुद्ध भारत सरकार, राष्ट्रीय, इन और अन्यव्यु परिवर्तन संसाधन, नई दिल्ली एवं अन्य (अधिकतम एडिशन नं. 188 जून 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है—
 - a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
 - b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha, EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्पत्ति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. कार्यालय बलेश्वर (खनिज सख्त), जिला-दुर्ग के अलग अलग / 1827 / खनि. सि.02 / खनिज / 2002 दुर्ग, दिनांक 20/01/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 24 खदानों, क्षेत्रफल 58,852 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (घास-गोण्डलेण्ट्री) का क्षेत्र 1.85 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (घास-गोण्डलेण्ट्री) को मिलाकर कुल क्षेत्र 58,852 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की दूरी में स्वीकृत / संघसिद्ध खदानों का कुल क्षेत्रफल 8 हेक्टेयर से अधिक का समुदाय निर्मित होने से खदान यह खदान 'बी' श्रेणी की शायी नहीं।
2. समिति द्वारा निम्न दिनांक पर्याप्त संवेदनशील से प्रकरण 'बी' श्रेणी के होने से अलग भाग खदान, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी, 2018 में प्रकाशित नोटबुक एवं ऑन लाइन (ऑनलाइन) ऑन इंजॉइंट / इंजॉइंट सिस्टम ऑन प्रोसेस / एंटीसिपेटिव सिस्टमिक इन्फार्मेशन प्रोसेस अन्तर्गत इंजॉइंट नोटिफिकेशन, 2008 में वर्णित श्रेणी 1(1) का नोटबुक टीडोएन (ऑन क्लेनसाई सटिंग) ऑन वॉल नॉटिंग प्रोसेस हेतु निम्न अधिकांक टीडोएन के साथ जारी किये जाने की अनुमति की गई-
 - i. Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
 - ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
 - iii. Project proponent shall submit the top soil management plan & over burden plan & incorporate the details in the EIA report.
 - iv. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.
 - v. Project proponent shall submit the NOC from Gram Panchayat for establishment of crusher.
 - vi. Project proponent shall submit the details of pollution control arrangement in crusher.
 - vii. Project proponent shall submit a revised approved mining plan incorporating crusher in the calculation without affecting the 7.5 meter safety zone.
 - viii. Project proponent shall submit the land ownership detail of Khassra no 387G.
 - ix. Project proponent shall submit source of water requirement and its NOC for usage of water from competent authority.
 - x. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
 - xi. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
 - xii. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.

- xi. EIA study shall be done at minimum 05 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- xii. Project proponent shall submit the copy of panchama and photographs of every monitoring station.
- xiii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xiv. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02-08-2017.
- xv. Project proponent shall undertake plantation & incorporate in the EIA report.
- xvi. Project proponent shall submit the 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.
- xvii. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.
- xviii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रक्रियात्मक (एन.ई.आई.ए.ए.) प्रतीतिपत्र को उपर्युक्तानुसार सुधित किया जाए।

2. नैसर्गिक वनोप स्टीम क्वारी (डी.- वी नगीच घन्डाकन), धाम-बनवासपुर, उदरसील व जिला-बहासमुद (खनिजालय का नक्का क्रमांक 1828)

ऑनलाईन आवेदन - प्रयोजन नाम - एनआईए/ सीडी/एनआईएन/ 80843/2021, दिनांक 27/08/2021 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व में संश्लेषित नक्का परथर (पीच खनिज) खदान है। खदान धाम-बनवासपुर, उदरसील व जिला-बहासमुद स्थित खदान क्रमांक 200, कुल क्षेत्रफल-8.38 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उलखन क्षमता-2.328 टन (230 टनमीटर) प्रतिवर्ष है।

उपर्युक्तानुसार पर्यावरण प्रभाव आकलन को एन.ई.ए.ए. प्रतीतिपत्र को खोल दिनांक 08/02/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सुधित किया गया।

ईटीआर का विवरण -

(अ) समिति की 399वीं बैठक दिनांक 18/02/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परिशोधन प्रस्तावक को ई-मेल दिनांक 18/02/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः प्रतिशोधन समर्थ प्रदान करने हेतु अनुमोद किया गया है। समिति द्वारा परिशोधन प्रस्तावक को अनुमोद की मन्त्र किया गया।

समिति द्वारा उत्सव सम्वसम्पत्ति से निर्णय लिया गया था कि परिशोधन प्रस्तावक द्वारा पंजित जानकारी एवं अनुमोद पत्र प्राप्त होने पर जानकारी आदेवरी को जापनी।

सदामुख एलईएसी, उत्तीसगढ़ की जापन दिनांक 11/03/2022 को परिशोधन में परिशोधन प्रस्तावक द्वारा दिनांक 22/08/2022 को प्रस्तुतीकरण हेतु अनुमोद पत्र प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 421वीं बैठक दिनांक 24/08/2022:

समिति द्वारा मन्त्री, प्रस्तुत जानकारी का अपलोडन एवं परीक्षण कर उत्सव सम्वसम्पत्ति से निर्णय लिया गया था कि परिशोधन प्रस्तावक को पूर्व में जारी गई पंजित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / उत्सव सम्वसम्पत्ति प्रस्तुतीकरण दिवे जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

सदामुख एलईएसी, उत्तीसगढ़ की 421वीं बैठक दिनांक 24/08/2022 को परिशोधन में परिशोधन प्रस्तावक द्वारा दिनांक 18/10/2022 को प्रस्तुतीकरण हेतु पुनः अनुमोद पत्र प्रस्तुत किया गया है।

(क) समिति की 432वीं बैठक दिनांक 18/11/2022:

समिति द्वारा मन्त्री, प्रस्तुत जानकारी का अपलोडन एवं परीक्षण कर उत्सव सम्वसम्पत्ति से निर्णय लिया गया था कि परिशोधन प्रस्तावक को पूर्व में जारी गई पंजित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / उत्सव सम्वसम्पत्ति प्रस्तुतीकरण दिवे जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

सदामुख परिशोधन प्रस्तावक को एलईएसी, उत्तीसगढ़ को पत्र दिनांक 08/01/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 445वीं बैठक दिनांक 11/01/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी मन्त्री कन्ट्रोलर प्रोमप्टीट उपस्थित हुए। समिति द्वारा मन्त्री, प्रस्तुत जानकारी का अपलोडन एवं परीक्षण करने का निम्न निर्देश जारी गये—

1. पूर्व में जारी सर्वावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण—

1. पूर्व में जारी पत्र परधान उत्सव सम्वसम्पत्ति 2021, कुल बीजकल— 0.36 टन/टन, क्षमता—800 घनमीटर प्रतिदिन हेतु सर्वावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय परीक्षण सन्तुष्ट निर्देशित प्रविशकन, जिला—सदामुख द्वारा दिनांक 18/01/2021 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्षों अवधि दिनांक 18/01/2022 तक का थी।

परिशोधन प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, परीक्षण, वन और जलसामु परिशोधन सन्तुष्ट, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार—

"2A. Notwithstanding anything contained in this Notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this Notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 15/01/2022 तक वैध होगी।

- i. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी के पालन में ही गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भवना कचकर, कर्नाटक, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया दिल्ली अटल भवन से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन द्वारा कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- ii. निर्दिष्ट सर्वांगुल 100 मग कुलनेशन किया गया है।
- iii. कार्यलय कलेक्टर (खनिज सारक), जिला-महाराष्ट्र के आदेश क्रमांक 1142/क/खनि/स.अ./2021 महाराष्ट्र, दिनांक 14/09/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुमान विनाश वर्षों में किये गये उखनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उखनन (घनमीटर)
2017	निरक
2018	152
2019	88
2020	683
01/01/2021 से 30/09/2021	119
01/10/2021 से 31/03/2022	12

समिति का मत है कि दिनांक 01/04/2022 से किये गये उखनन की वार्षिक मात्र की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. धाम पंचायत का अनाधिक प्रमाण पत्र - उखनन के संबंध में धाम पंचायत बलसपुर का दिनांक 14/04/2022 का अनाधिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उखनन योजना - क्वारी प्लान एलान किम क्वारी क्लीअर प्लान किम इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिसूची, जिला-महाराष्ट्र के आदेश क्रमांक 1223/क/खनि/स.अ./2018 महाराष्ट्र, दिनांक 01/07/2018 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में शिखर खदान - कार्यलय कलेक्टर (खनिज सारक), जिला-महाराष्ट्र के आदेश क्रमांक 224/क/खनि/स.अ./2021 महाराष्ट्र, दिनांक 10/02/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 89 खदानें, क्षेत्रफल 40.24 हेक्टेयर है।

5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (समिन्न राजा), जिला-महासमुद्र के द्वारा क्रमांक 1328/क/समि/स.क./2021 महासमुद्र, दिनांक 06/08/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त स्थान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मठ, स्कुल, अस्पताल, पुल, बांध, राष्ट्रीय राजमार्ग, राजमार्ग एवं एनकेड आदि अधिभूत क्षेत्र विहित नहीं है।
6. भूमि एवं सीमा का विवरण - भूमि एवं सीमा की सर्वेक्षण कुमान कन्वेंशन के तहत करा है। सीमा क्षेत्र 10 वर्षी अर्थात् दिनांक 07/08/2004 से 06/08/2014 तक थी। संरचनाएं सीमा क्षेत्र में 20 वर्ष की, दिनांक 07/08/2014 से 06/08/2004 तक की अवधि पूर्ति की गई है।
7. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2018 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. वन विभाग का अनाधिकृत प्रमाण पत्र - कार्यालय उपमहासमुद्राधिकारी, सामान्य उपमंडल, जिला-महासमुद्र के द्वारा क्रमांक/समि/4581 महासमुद्र, दिनांक 22/11/2014 से जारी अनाधिकृत प्रमाण पत्र अनुसार अधिभूत क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 10 किमी. की दूरी पर है।
9. महासमुद्र संरचनाओं की दूरी - निकटतम आवादी घाट-बाबापुर 1 किमी. एवं स्कुल घाट-बाबापुर 1.25 किमी. एवं अस्पताल महासमुद्र 10.5 किमी. दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.8 किमी. एवं राजमार्ग 18.1 किमी. दूर है। नहरादी 200 मीटर, नाला 710 मीटर, नहर 730 मीटर एवं तालाब 1 किमी. दूर है।
10. पारिस्थितिकीय/जीववैविध्यता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किमी. की परिधि में अंतरराष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय राजमार्ग, उपमंडल, केन्द्रीय प्रमुख निरंकुश क्षेत्र द्वारा घोषित किरिगुजी मीनस्टुडेंस एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जीववैविध्यता क्षेत्र स्थित नहीं होने अधिवेदित किया है।
11. खनन संवदा एवं खनन का विवरण - अनुवेदित आवादी परत अनुसार जिपसोलीथिकल रिजर्व 88,580 टन (20,824 घनमीटर), माईनेबल रिजर्व 28,828 टन (9,822 घनमीटर) एवं टिकाकोबल रिजर्व 18,822 टन (7,448 घनमीटर) है। वर्तमान में जिपसोलीथिकल रिजर्व 64,280 टन (28,712 घनमीटर) एवं माईनेबल रिजर्व 22,880 टन (9,000 घनमीटर) क्षेत्र है। सीमा की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए अधिभूत क्षेत्र) का क्षेत्रफल 1,820 वर्गमीटर है। खनन कार्य केन्द्रीय विधि से प्रारम्भ किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 8 मीटर है। सीमा क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 3 मीटर है। वर्तमान में ऊपरी मिट्टी की अनुमानित मोटाई 738 घनमीटर क्षेत्र होती। क्षेत्र की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की घोषित आयु 10 वर्ष है। खनन कार्य का प्रारम्भ किया जाता है। डिजिटल एवं ब्लैकडिग नहीं किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण निरोधक हेतु जल का चिड़ाया गया जाता है। सर्वेक्षण प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	1,782.50	द्वितीय	2,381.25
द्वितीय	1,887.50	तृतीय	2,126.25

पूर्वीय	2,238.75	अधम	2,448.75
पश्चिमी	2,248.25	मध्यम	2,450
पश्चिम	2,325	पश्चिम	2,342.50

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3.21 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति घन पक्काट द्वारा टैंकर एवं बोर्डिंग के माध्यम से की जाती है। इस बाबत घन पक्काट का अनधिकृत प्रयोग एवं सेन्ट्रल वाटर बोर्ड अखीरिती की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
13. **प्लांटेशन कार्य** – जीज क्षेत्र की सीमा में सभी ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 180 नम प्लांटेशन किया जाएगा।
14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में प्लांटेशन** – जीज क्षेत्र के सभी ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 1,820 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से 387 वर्गमीटर क्षेत्र 5 मीटर की गहराई तक प्लांटिंग है, जिसका पल्लेख अनुसूचित खोले खान में किया गया है। प्रतिमीटर 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में प्लांटेशन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्त का पालन है। अतः परियोजना इलाका की विस्तृत नियमानुसार वैश्विक कार्रवाई किया जाना आवश्यक है।
15. **पर्यावरणीय है कि बाका बाका, प्लांटेशन, एवं एवं पल्लेख पर्यावरण संरक्षण, नई दिल्ली द्वारा नीचे नीचे सूचि में प्रोटेक्ट हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। शर्तें अनांक 11/11/2021 के अनुसार-**
- "The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."
- उक्त मानक शर्तों के अनुसार पर्यटन जीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े पट्टी क्षेत्र में प्लांटेशन किया जाना आवश्यक है।
16. **अनुसूचित क्षेत्रों के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि घाम-बजवापुर, पोखरी एवं मुंडेना, तहसील व जिला-महासमुंद क्षेत्र में 88 पत्थर खदानें, कुल क्षेत्रफल 58.43 हेक्टेयर अवस्थित है। घाम-पोखरी के साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्तर दिशा में घाम-बजवापुर एवं पोखरी क्षेत्र में 25 खदानें, क्षेत्रफल 40.80 हेक्टेयर तथा राष्ट्रीय राजमार्ग के दक्षिण दिशा में घाम-पोखरी एवं मुंडेना क्षेत्र में 25 खदानें, क्षेत्रफल 17.83 हेक्टेयर अवस्थित है। दोनों क्षेत्रों के साथ ही दूरी 800 मीटर है। चूंकि ई.आई.ए. पट्टी के दौरान दोनों क्षेत्रों का कवर जॉन एक-दूसरे में ओवर लैप हो रहा है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल 88 पत्थर खदानों को एक क्लस्टर मानते हुए काईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार करने हेतु अनुवीक्षित किया गया। जिसे खर्चित द्वारा मान्य किया गया।**
17. **प्रस्तुतिकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्लस्टर में अपने वाली अन्य खदानों के लिए बैकअप डाटा कलेक्शन का कार्य दिनांक 01/10/2021 से प्रारंभ किया गया। उक्त की संबंध में दिनांक 28/08/2021 को सूचना दी गई थी।**

18. भारतीय एन.डी.टी., दिल्ली में, विभिन्न क्षेत्र, नई दिल्ली द्वारा जारी राष्ट्रीय पर्यावरण विज्ञान मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (अपेक्षाएं एन.डी.टी. नं. 188 और 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में सुझाव रूप से निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है—

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA, as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विधान विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. कार्यलय ब्लॉक (प्रतिष्ठान ब्लॉक), जिला-राजसमूर के प्रमाण क्रमांक 224/क/सति/न.अ./2021 राजसमूर, दिनांक 10/02/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की सीमा अर्थात् 88 खदानें, क्षेत्रफल 40.24 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-राजसमूर) का क्षेत्र 0.28 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-राजसमूर) की गिरावट कुल क्षेत्र 40.5 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की दूरी में एकीकृत/संयोजित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का ब्लॉक निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी' श्रेणी की गयीगी।
2. माईन सीमा क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सुरक्षा जोन के कुछ भाग में किये गये उखानन के कारण इस क्षेत्र के उपरोक्त उपरोक्त (Immediate Measures) के संकेत में तथा सीमा क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उखान प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपरोक्त तथा सुसंगत अदि के लिए समुचित उपरोक्त को क्रियान्वित करने के लिए संयोजक, संयोजन-समय, भूमिगत तथा खनिकों, इत्यादी मध्य, नया राजसमूर अटल नगर, जिला - राजसमूर (अलीखण्ड) को लेख किया जाए।
3. अतिरिक्त 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अधिक उखानन किया जाना पड़े जाने पर पर्यावरण प्रभाव के विरुद्ध निम्नानुसार आवश्यक कार्रवाई किये जाने हेतु संयोजक, संयोजन-समय, भूमिगत तथा खनिकों को एवं पर्यावरण को हानि पहुँचाने हेतु अतीवश्यक पर्यावरण संरक्षण योजना, नया राजसमूर अटल नगर की निम्नानुसार कार्रवाई किये जाने हेतु लेख किया जाए।
4. पूर्व में जारी पर्यावरणीय नीति का प्रत्यक्ष अतिरिक्त के संकेत में एकीकृत क्षेत्रीय कार्यलय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया राजसमूर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।
5. समिति द्वारा विधान विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से प्रमाण 'बी' श्रेणी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2018 में प्रकाशित गैर-कार्यकारी टर्न ऑफ लिसेंस (टीओएल) और ईआईए / ईएमपी, रिपोर्ट और प्रोजेक्ट/एक्टिविटीज निस्कारण इन्फार्मेट क्लीयरेंस अफ्टर ईआईए, एन.डी.टी. 2008 में उचित श्रेणी (ए) का शील्डर्ड टीओएल (लेख सुमाईए एन.डी.टी. 2008 में उचित श्रेणी (ए) का शील्डर्ड टीओएल (लेख सुमाईए एन.डी.टी.) सीन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट हेतु निम्न अतिरिक्त टीओएल से तय जारी किये जाने की अनुमति की गई—

- i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
- ii. Project proponent shall submit compliance report of previous environmental clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Report.
- iii. Project proponent shall submit production detail from 01/04/2022 to till date from the mining department.
- iv. Project proponent shall submit top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.
- v. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.
- vi. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
- vii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
- viii. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.
- ix. Project proponent shall submit a study report regarding impact on Riverine Ecology of the study area including Mahanadi River.
- x. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- xi. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.
- xii. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.
- xiii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xiv. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.
- xv. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall submit the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.

- iv. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.
- vii. Project proponent shall undertake plantation & incorporate in the EIA report.
- viii. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 25 feet height and shall maintain 80% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.
- ix. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

राज्य नदीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रक्रियामा (एम.ई.आर.ए.ए.) प्रतीनागढ़ को तयानुसार सुधित किया जाए। राज् ही एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया राधपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

3. बेसल परीन स्टीन खारी (प्रो.- सी बालमुकुंद चन्दाकर, राम-बखसपुर, तहसील व जिला-बहालमुंद [संविधान का नदी क्रमांक 1829])

अनलाइन आवेदन - प्रस्ताव नम्बर - एचआईए/ सीडी/ एमआईएन/ 87448/2021, दिनांक 27/09/2021 द्वारा टी.ओ.अन. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्लॉट में संवर्धित कच्ची पथर (पीन खण्ड) खदान है। खदान राम-बखसपुर तहसील व जिला-बहालमुंद स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 311, कुल क्षेत्रफल-0.24 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित प्रखनन क्षमता-807.9 टन (303 मलमीटर) प्रतिवर्ष है।

तयानुसार परियोजना प्रस्तावक को एचआईएसी, प्रतीनागढ़ को खान दिनांक 08/02/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सुधित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 399वीं बैठक दिनांक 15/02/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक को ई-मेल दिनांक 15/02/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि उपरोक्त खानों से समिति के सन्ध बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः अधीनस्थ समझ प्रदान करने हेतु अनुत्तर किया गया है। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक से अनुत्तर को मान्य किया गया।

समिति द्वारा उपरोक्त कार्यवाही से निर्णय किया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा सधित जानकारी एवं अनुत्तर पत्र प्राप्त होने पर अनायी आवेदकों की जाएगी।

सदरानुसार एन.ई.ए.सी., उत्तराखण्ड के ज्ञान दिनांक 11/03/2022 के परिधि में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 22/08/2022 की प्रस्तुतीकरण हेतु अनुमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 421वीं बैठक दिनांक 24/08/2022:

समिति द्वारा गरी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर, तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में जारी गई सशुद्ध जानकारी एवं समस्त सुशुद्ध जानकारी / प्रस्तावक सशुद्ध प्रस्तुतीकरण दिखे जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

सदरानुसार एन.ई.ए.सी., उत्तराखण्ड की 421वीं बैठक दिनांक 24/08/2022 के परिधि में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 19/10/2022 की प्रस्तुतीकरण हेतु पुन अनुमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 432वीं बैठक दिनांक 18/11/2022:

समिति द्वारा गरी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर, तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में जारी गई सशुद्ध जानकारी एवं समस्त सुशुद्ध जानकारी / प्रस्तावक सशुद्ध प्रस्तुतीकरण दिखे जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

सदरानुसार परियोजना प्रस्तावक को एन.ई.ए.सी., उत्तराखण्ड के एन दिनांक 09/01/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 445वीं बैठक दिनांक 11/01/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु की गयेत सन्धान, अधिसूक्त प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा गरी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न विधि आई गई-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण-

1. पूर्व में कुल चार (चार) सन्धान संख्या संख्या संख्या संख्या 311, कुल संख्या-024 डेब्रीज, संख्या-303 पत्थरीय डेब्रीज हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण सन्धान निर्धारण अधिकरण, जिला-पहावलपुर द्वारा दिनांक 18/02/2017 की जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्षे जारी दिनांक 14/02/2022 तक वैध थी।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार-

"BA. Notwithstanding anything contained in this Notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this Notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 14/02/2023 तक वैध होगी।

7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2010 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र - प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा वन विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में अनुसंधान किया गया कि सीज क्षेत्र में जमी हुई अन्य खदान (खसरा क्रमांक 211 एवं 244) को वन विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र को ही आवेदित प्रकरण हेतु मान्य किया जाने हेतु अनुसंधान किया है, जिसके अनुसार कार्यालय बलभद्रराजगिरि, सामान्य सनभद्रस म्हासमुंद की छापन क्रमांक/मा.वि./संक्रिय/8123 म्हासमुंद, दिनांक 21/12/2015 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 8 कि.मी. की दूरी पर है। उक्त हेतु संपत्ति द्वारा सहमति व्यक्त की गई।
9. महासमुंद संरचनाओं की दूरी - निम्नलिखित आवादी घाट-बलभद्रपुर 880 मीटर एवं लखुल घाट-बलभद्रपुर 1.2 कि.मी. एवं आम्पताल महासमुंद 11 कि.मी. दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2,08 कि.मी. एवं राजमार्ग 18.15 कि.मी. दूर है। महासमुंदी 880 मीटर, म्हास 280 मीटर, म्हास 880 मीटर एवं राजमार्ग 730 मीटर दूर है।
10. पारिस्थितिकीय/जीववैविध्यता संबंधनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की दूरी में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, वन्यजीव प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्विटेडनरी पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संबंधनशील क्षेत्र या घोषित जीववैविध्यता क्षेत्र स्थित नहीं होने प्रमाणित किया है।
11. खदान संपदा एवं खदान का विवरण - आवेदित जारी प्लान अनुसार जिपसोलैजिकल रिजर्व 84,000 टन (21,800 मजरीटर), माईकाल रिजर्व 8,488 टन (2,782 मजरीटर) एवं निकडरेबल रिजर्व 7,082 टन (2,837 मजरीटर) है। वर्तमान में जिपसोलैजिकल रिजर्व 80,418 टन (20,168 मजरीटर) एवं माईकाल रिजर्व 8,871 टन (2,348 मजरीटर) शेष है। सीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीज घट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 1,448.7 मजरीटर है। खोल कास्ट मैन्युअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 8 मीटर है। सीज क्षेत्र के छोटी घट्टी का उत्खनन पूर्ण में किया जा चुका है। क्षेत्र की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संपत्ति आयु 10 वर्ष है। स्टोन कटर का उपयोग किया जाता है। ड्रिलिंग एवं ब्लॉकिंग नहीं किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का सिंचन किया जाता है। वर्षावर प्रस्तावित उत्खनन का नियंत्रण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	881.25	चतुर्थ	812.5
द्वितीय	885	पंचम	803.75
तृतीय	800	छठम	807.5
सातवें	803.75	सप्तम	845
आठवें	807.5	दशम	1,218.8

12. जल आपूर्ति - परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3 मजरीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति घाट पोम्पाहा द्वारा टैंकर एवं बोयलर से सम्भल से की

जाती है। इस बाबत ध्यान देना है कि इनका अन्तर्गत अन्तर्गत एक एवं संयुक्त वातावरण
की अन्तर्गत अन्तर्गत कर अन्तर्गत किया गया है।

13. नुशादीयन कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में खरी क्षेत्र 7.5 मीटर की पट्टी में
144 वर्ग नुशादीयन किया जाएगा।

14. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में रखना – लीज क्षेत्र की
खरी क्षेत्र 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में रखना कार्य नहीं किया गया है।

15. अन्तर्गत अन्तर्गत की सीमा परियोजना अन्तर्गत अन्तर्गत द्वारा बताया गया कि धान-बनसपुर,
खरी क्षेत्र एवं नुशादीयन, लीज क्षेत्र व लीज-बनसपुर क्षेत्र में 66 फुट खदानें, कुल
क्षेत्रफल 66.43 हेक्टेयर अवस्थित है। धान-खरी क्षेत्र की लंबाई से राष्ट्रीय राजधानी
नुशादीयन है, जिसकी राष्ट्रीय राजधानी की लंबाई लीज में धान-बनसपुर एवं
खरी क्षेत्र में 19 खदानें, क्षेत्रफल 40.80 हेक्टेयर तथा राष्ट्रीय राजधानी की
लंबाई लीज में धान-खरी क्षेत्र एवं नुशादीयन क्षेत्र में 28 खदानें, क्षेत्रफल 17.83
हेक्टेयर अवस्थित है। दोनों क्षेत्रों की लंबाई की दूरी 600 मीटर है। चूंकि ई.आई.ए.
पट्टी की सीमा दोनों क्षेत्रों का अन्तर्गत एक-दूसरे में अन्तर्गत क्षेत्र हो रहा है।
अन्तर्गत परियोजना अन्तर्गत अन्तर्गत द्वारा कुल 66 फुट खदानों को एक अन्तर्गत नामों
द्वारा अन्तर्गत ई.आई.ए. रिपोर्ट लीज करने हेतु अन्तर्गत किया गया। लीज अन्तर्गत
द्वारा लीज किया गया।

16. अन्तर्गत अन्तर्गत की सीमा परियोजना अन्तर्गत अन्तर्गत द्वारा बताया गया कि अन्तर्गत में
अन्तर्गत लीज अन्तर्गत खदानों की लीज अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत
01/10/2021 से अन्तर्गत किया गया। अन्तर्गत की लीज में दिनांक 28/09/2021
को सूचना दी गई थी।

17. राष्ट्रीय एन.सी.टी., डिप्लोमा क्षेत्र, नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय पर्यावरण विज्ञान
अन्तर्गत, पर्यावरण, वन और अन्तर्गत परियोजना अन्तर्गत, नई दिल्ली एवं अन्तर्गत
(अन्तर्गत अन्तर्गत नं. 188 ऑफ 2018 एवं अन्तर्गत) में दिनांक 13/09/2018
को अन्तर्गत अन्तर्गत में नुशादीयन का लीज अन्तर्गत अन्तर्गत किया गया है—

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas
from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by
SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not
provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made
applicable in the process of grant of prior environment clearance

अन्तर्गत द्वारा अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत
अन्तर्गत—

1. अन्तर्गत अन्तर्गत (अन्तर्गत अन्तर्गत), लीज-बनसपुर की अन्तर्गत अन्तर्गत
224/क/अन्तर्गत/अन्तर्गत/2021, बनसपुर, दिनांक 10/09/2022 अन्तर्गत
अन्तर्गत खदान से 600 मीटर की लंबाई अन्तर्गत 66 खदानें, क्षेत्रफल 40.80
हेक्टेयर है। अन्तर्गत खदान (धान-बनसपुर) का क्षेत्रफल 0.34 हेक्टेयर है। इस
अन्तर्गत अन्तर्गत खदान (धान-बनसपुर) की लंबाई कुल लंबाई 40.8 हेक्टेयर
है। खदान की लंबाई से 600 मीटर की लंबाई में अन्तर्गत/अन्तर्गत खदानों का
कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का अन्तर्गत अन्तर्गत होने की अन्तर्गत यह खदान
की लंबाई की लंबाई लंबाई।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिबन्धन के संघर्ष में दृष्टीवृत्त क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर की पत्र लेख किया जाय।
3. समिति द्वारा निम्न विनोद उपरोक्त कार्यवाही से प्रकल्प 'बी-1' कोटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अक्टूबर, 2016 में प्रकाशित स्टैम्पाई टर्म्स ऑफ रिजर्वेशन (टीओआर) नॉन ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट और प्रोसेक्शन/एस्टीमेटिंग निस्वयंसेवक कर्मियोंस अफ़ेयन ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2008 में वर्णित सेती 1(ए) का स्टैम्पाई टीओआर (लोक सुनवाई अधिन) नॉन कोल माइनिंग प्रोसेक्शन हेतु निम्न अधिरिखा टीओआर के साथ जारी किने जाने की अनुमति की गई:-
 - i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
 - ii. Project proponent shall submit compliance report of previous environmental clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.
 - iii. Project proponent shall submit production detail from 01/04/2022 to till date from the mining department.
 - iv. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
 - v. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
 - vi. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.
 - vii. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
 - viii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.
 - ix. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.
 - x. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
 - xi. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.
 - xii. Project proponent shall undertake plantation & incorporate in the EIA report.
 - xiii. Project proponent shall submit the 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant

cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

- iv. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.
- iv. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

राज्य सार्वजनिक पर्यावरण प्रस्ताव आकलन प्रधिकरण (एस.ई.आर.ए.) अलीसगढ को तदनुसार सूचित किया जाय। साथ ही एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पहाड़ बाघपुर अटल नगर को पत्र भेजा गया है।

4. नैसर्गिक पर्यावरण एटीएन स्वामी (श्री.- श्री. राजेश कुमार), राम-बख्तपुर, तहसील व जिला-बहावलपुर (सचिवालय का नसीब क्रमांक 1830)

ऑनलाईन आवेदन - प्रयोजन नंबर - एसआईए/ सीजी/ एम्बआईएन/ 87849/2021, दिनांक 27/09/2021 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह पुरी से संबंधित पहाड़ी खदान (गोला खनिज) खदान है। खदान राम-बख्तपुर, तहसील व जिला-बहावलपुर स्थित खदान क्रमांक 447, कुल क्षेत्रफल-0.5 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्पादन क्षमता-2,542.5 टन (1.017 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी, अलीसगढ को ज्ञापन दिनांक 09/02/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 39वीं बैठक दिनांक 15/02/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी समिति उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक को ई-मेल दिनांक 15/02/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि अवशिष्ट कार्यों से समिति को राफा बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। इस अवधि में प्रस्तावक को सूचना दी गयी है। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को अनुरोध की मान्य किया गया।

समिति द्वारा उपरोक्त कार्यवाही से निर्भाव किया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा उचित जानकारी एवं अनुरोध प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जायेगी।

तदनुसार एस.ई.ए.सी, अलीसगढ को ज्ञापन दिनांक 11/03/2022 को परियोजना प्रस्तावक द्वारा उचित जानकारी एवं अनुरोध प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जायेगी।

(न) समिति की 421वीं बैठक दिनांक 24/08/2022:

समिति द्वारा नली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर, सहायक सर्वेक्षणों से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में जारी गई परिचित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / वस्तुसंगत सहित प्रस्तुतीकरण दिवे जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

सदामुख्य एच.ई.ए.सी., जलसंग्रह की 421वीं बैठक दिनांक 24/08/2022 की परिधि में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 19/10/2022 को प्रस्तुतीकरण हेतु पुनः अपूर्ण एवं प्रस्तुत किया गया है।

(ख) समिति की 432वीं बैठक दिनांक 18/11/2022:

समिति द्वारा नली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर, सहायक सर्वेक्षणों से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में जारी गई परिचित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / वस्तुसंगत सहित प्रस्तुतीकरण दिवे जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

सदामुख्य परियोजना प्रस्तावक को एच.ई.ए.सी., जलसंग्रह की 432 वीं बैठक दिनांक 09/01/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ग) समिति की 445वीं बैठक दिनांक 11/01/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री योगेश कान्हाकर, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने का निर्णय किया गया है—

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण—

1. पूर्व में जारी पत्रा संख्या संख्या संख्या क्रमांक 487, मुल डीपल— 0.8 हेक्टर, क्षमता—1.217 घनमीटर प्रतिदिन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला सार्वजनिक पर्यावरण सहायता निर्देशन अधिकरण, जिला—महासमुद्र द्वारा दिनांक 18/01/2021 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्षे अवधि दिनांक 15/01/2026 तक वैध थी।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, गई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार—

"3A. Notwithstanding anything contained in this Notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this Notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना से अनुसृत पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 15/01/2023 तक वैध होगी।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यसूच, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, गया राज्य सरकार के

पूर्व में जारी सार्वजनिक सूचना का सफल प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

- अ. निर्धारित अनुसार 100 नम वृद्धारोपण किया गया है।
- ब. कार्यालय कलेक्टर (अभिलेख शाखा), जिला-महासमुद्र के द्वारा क्रमांक 1282/क/सति/न.अ./2021 महासमुद्र, दिनांक 28/08/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है—

वर्ष	उत्खनन (घनमीटर)
2017	99
2018	137
2019	185
2020	383

समिति का मत है कि दिनांक 01/01/2021 से किए गए उत्खनन की वार्षिक मात्रा की जानकारी अभिलेख विभाग से उपलब्ध कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र — उत्खनन की संख्या में ग्राम पंचायत बड़गाँव का दिनांक 01/12/2012 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया था, जो 10 वर्ष की अवधि हेतु जारी की गई थी। अब समिति का मत है कि उत्खनन की संख्या में ग्राम पंचायत का अद्यतन अनापत्ति प्रमाण पत्र (विद्यमान कार्यालयी विभाग एवं दिनांक सहित) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
3. उत्खनन क्षेत्रोंका — जारी प्रमाण पत्रोंमें किये गये उत्खनन प्रमाण पत्र इन्फार्मेशन गैनेरेशन प्रमाण प्रस्तुत किया गया है, जो जमी अधिकारी, जिला-महासमुद्र के द्वारा क्रमांक 800/क/सति/न.अ./2018 महासमुद्र, दिनांक 28/08/2018 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में विद्यत खदान — कार्यालय कलेक्टर (अभिलेख शाखा), जिला-महासमुद्र के द्वारा क्रमांक 224/क/सति/न.अ./2021 महासमुद्र, दिनांक 10/02/2022 अनुसार अधिसूचित खदान में 500 मीटर की मीटर अवस्थित 69 खदानों, क्षेत्रफल 40.10 हेक्टेयर है।
5. 200 मीटर की परिधि में विद्यत सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं — कार्यालय कलेक्टर (अभिलेख शाखा), जिला-महासमुद्र के द्वारा क्रमांक 1282/क/सति/न.अ./2021 महासमुद्र, दिनांक 28/08/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मस्जिद, अस्पताल, पुल, बांध, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं एनोवट आदि अधिसूचित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. सीज का विवरण — सीज की खोजका प्रस्तावना के नाम पर है। सीज की 10 वर्षी अवधि दिनांक 08/03/2014 से 08/03/2024 तक है। उपरोक्त सीज की 20 वर्षी की, दिनांक 08/03/2024 से 08/03/2044 तक की अवधि वृद्धि की गई है।
7. भू-सूचना — भूमि की खोज के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि माली का सहायता पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. डिस्ट्रीक्ट वर्क रिपोर्ट – वर्ष 2012 की डिस्ट्रीक्ट वर्क रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. वन विभाग का अनापत्तित प्रमाण पत्र – कार्यालय टनम-इलाहिकारी, सामान्य वनमंडल, जिला-महासमुंद्र के प्रमाण अर्थात्/प.वि./अपत्तित/4422 महासमुंद्र, दिनांक 21/12/2012 से जारी अनापत्तित प्रमाण पत्र अनुसार आवंटित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 12 कि.मी. की दूरी पर है।
10. महासमुंद्र बांधकामों की दूरी – निकटतम आवासीय ग्राम-बाधसपुर 640 मीटर एवं महुल ग्राम-बाधसपुर 880 मीटर एवं बाधसास महासमुंद्र 11 कि.मी. दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 34 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 16 कि.मी. दूर है। सिलोनी-बड़गांव मार्ग 80 मीटर, गहागरी 880 मीटर, गजरा 310 मीटर, गहरा 800 मीटर एवं तालाब 880 मीटर दूर है।
11. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 16 कि.मी. की दूरी में अंतरराष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, सेन्टीनल प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र द्वारा घोषित इण्टिग्रेटी पील्गुटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होने प्रमाणित किया है।
12. खान खनन एवं खान का विवरण – अनुमोदित आवासीय प्रमाण अनुसार डिपेंडेंसिबल रिजर्व 84,320 टन, नॉन-डिपेंडेंसिबल रिजर्व 32,780 टन एवं लिक्विड 24,882 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन से लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 1,800 वर्गमीटर है। खान डायमंड मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 10 मीटर है। लीज क्षेत्र में उपरी मिट्टी की मोटाई 2 मीटर है तथा कुल मात्रा 5,164 घनमीटर है। क्षेत्र की चौड़ाई 7.5 मीटर एवं मोटाई 1.5 मीटर है। खान की संभावित आयु 11 वर्ष है। खान खनन का उपयोग किया जाता है। डिपेंडेंसिबल एवं नॉन-डिपेंडेंसिबल लॉट किया जाता है। खान में खनन प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का निःसर्जन किया जाता है। सर्वोच्च प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	-	अष्टम	2,538.75
द्वितीय	-	नवम	2,642.8
तृतीय	2,212.5	अष्टम	2,548.25
चतुर्थ	2,318	दशम	2,680
पंचम	2,493.75	एकादश	2,687.8

13. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 2.78 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति सीमेंट से वाहन से की जाती है। इस मात्रा सेटल ट्रायमर पीटर अधीनस्थ की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
14. नुसारोपन कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 252 लकड़ नुसारोपन किया जाएगा।
15. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन – लीज क्षेत्र से चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 1,800 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से 285 वर्गमीटर क्षेत्र 8 मीटर की गहराई तक उत्खनित है, जिसका उत्खनन अनुमोदित लॉटि प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाया पर्यावरणीय लक्ष्य की पूर्ति का उत्साह

है। अतः परियोजना प्रस्तावक को विषय विषयानुसार कृत्रिम बरसाती किया जाना आवश्यक है।

16. पर्यावरणीय है कि मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नीचे उल्लेखित कोशिका हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। शर्तें क्रमांक 16/118 के अनुसार—

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्तों के अनुसार नईन सीज क्षेत्र को अंतर 7.5 मीटर चौड़े लेवेली ज़ोन में सुसज्जित किया जाना आवश्यक है।

17. पर्यावरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि धाम-बन्वसपुर, सोहानी एवं मुईना, राजौरा व जिला-बहावलपुर क्षेत्र में 66 फुट खदानें कुल क्षेत्रफल 58.43 हेक्टेयर अवस्थित हैं। धाम-सोहानी के नाम से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, जिसकी राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्तर दिशा में धाम-बन्वसपुर एवं सोहानी क्षेत्र में 70 खदानें, क्षेत्रफल 40.80 हेक्टेयर तथा राष्ट्रीय राजमार्ग के दक्षिण दिशा में धाम-सोहानी एवं मुईना क्षेत्र में 25 खदानें, क्षेत्रफल 17.63 हेक्टेयर अवस्थित हैं। दोनों क्षेत्रों के नाम की दूरी 500 मीटर है। बुकि ई.आई.ए. शर्तों के दौरान दोनों क्षेत्रों का कवर जॉन एक-दूसरे में ओवरलैप हो रहा है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल 66 फुट खदानों को एक क्लस्टर मानते हुए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार करने हेतु अनुबंध किया गया। जितने खनिज द्वारा मान्य किया गया।

18. पर्यावरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उत्तर में अपने वाली अन्य खदानों के लिए बैकलॉर्डिंग डाटा कलेक्शन का कार्य दिनांक 01/10/2021 से प्रारंभ किया गया। उक्त को संघ में दिनांक 28/09/2021 को सुलझा भी गई थी।

19. मानवीय एन.जी.टी. डिजिटल डेटा, नई दिल्ली द्वारा जारी मास्टेड विषय मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिएण्टल एन.जी.टी. नं. 188 ऑफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है—

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

खनिज द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्पत्ति में निम्नानुसार निर्णय किया गया—

1. उत्तरांचल इन्फ्रेस्ट्रक्चर (पब्लिक लिमिटेड), जिला-बहावलपुर के प्रारंभ क्रमांक 024/8/खनिज/न.अ. /2021 बहावलपुर, दिनांक 10/02/2022 अनुसार आवंटित खदान की 500 मीटर की सीमा अवस्थित 66 खदानें, क्षेत्रफल 40.1

हेक्टर है। अपेक्षित खदान (घान-बाजसपुर) का सतह 8.5 हेक्टर है। इस प्रकार अपेक्षित खदान (घान-बाजसपुर) की नितानत कुल सतह 43.8 हेक्टर है। खदान की सीमा से 200 मीटर की परिधि में लीक्यूट/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 8 हेक्टर से अधिक का अन्तर्गत निर्मित होने की कारण यह खदान 'बी' श्रेणी की मानी गयी।

2. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जेन की कुछ भाग में किये गये उखनन के कारण इस क्षेत्र के उपर्युक्त उपर्युक्त (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपर्युक्त यथा कूलरींगन आदि के किये समुचित उपर्युक्त को क्रियान्वित करने वाला संघालक, संघालनालय, भीमिडी तथा खनिकर्न, इलाखी मयन, नया रामपुर अटल नगर, जिला - रामपुर (प्रखीनसगढ़) को लेख किया जाइ।
3. प्रतिशुचित 7.5 मीटर चौडी सीमा बट्टी में अरुध उखनन किया जाना चरुे जाने पर परिशुधनक प्रसालक के विरुध नियन्त्रणुसार कियनिल कार्यवाही किये जाने हेतु संघालक, संघालनालय, भीमिडी तथा खनिकर्न को एन एन एन एन परिशुधन को बलि बट्टुवाने हेतु प्रखीनसगढ़ पर्युधन संसलन मंडल, नया रामपुर अटल नगर को नियन्त्रणुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाइ।
4. धुई में जारी पर्युधनलीय लीक्यूटि का प्रसलन प्रतिशुधन के संबंध में एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्युधन, वन एन एन एन एन परिशुधन मंडल, नया रामपुर अटल नगर को यह लेख किया जाइ।
5. समिति द्वारा विधाय विगत उपर्युक्त सर्वसम्मती से प्रसलन 'बी' श्रेणी का होने की कारण भारत सरकार, पर्युधन, वन और जलसमु परिशुधन संसलन द्वारा अरुध, 2018 में प्रसलित स्टैण्डर्ड टांक ऑफ रिजर्वेस (टीओआर) वीर ई.आई.ए. / ई.एम.पी. विगत वीर प्रोवेक्टन/ एक्टीविटीज रिजर्वेसिग इन्वायलमेंट क्लीअरेंस अरुध ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2008 में वरुित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सदिन) वीर वीर माईनिंग प्रोवेक्टन हेतु निम्न अतिरिधल टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुमति की गई-
 - i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
 - ii. Project proponent shall submit compliance report of previous environmental clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC, Raipur.
 - iii. Project proponent shall submit production detail from 01/01/2021 to till date from the mining department.
 - iv. Project proponent shall submit the latest NDC of Gram Panchayat for mining.
 - v. Project proponent shall submit top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.
 - vi. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.
 - vii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

- viii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
- ix. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.
- x. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- xi. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.
- xii. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.
- xiii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xiv. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.
- xv. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall submit the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.
- xvi. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & its plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.
- xvii. Project proponent shall undertake plantation & incorporate in the EIA report.
- xviii. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.
- xix. Project proponent shall submit OER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

राज्य स्तरीय समीक्षण समूह आवासन प्रसिक्कण (एस.ई.आई.ए.) छातीसपड के तदनुसार सुचित किया जाए। साथ ही एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, बाला बरबल, समीक्षण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया दयपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

६. वेल्स नलेन स्टीन क्वारी (सी.- सी बालमुकुंद बाबाबाबु), घाम-बरबलपुर, तहसील व जिला-महासमुद (सचिवालय का नली क्रमांक 1821)

ऑनलाईन आवेदन - प्रयोजन नम्बर - एसआईए / सीडी / एनआईएन / 87880 / 2021. दिनांक 27 / 08 / 2021 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्लॉट में संघटित कलेन स्टीन (मीन क्वाय) खदान है। खदान घाम-बरबलपुर, तहसील व जिला-महासमुद स्थित पट्टे ऑफ खसरा क्रमांक 177, कुल क्षेत्रफल-0.8 हेक्टर में है। खदान की अपेक्षित उत्पादन क्षमता-1,528 टन (832 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छातीसपड के ज्ञानन दिनांक 09 / 02 / 2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सुचित किया गया।

बीठकी का विवरण -

(अ) समिति की 389वीं बीठक दिनांक 15 / 02 / 2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु प्लॉट की प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक को ई-मेल दिनांक 15 / 02 / 2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपेक्षित कालों में समिति के समक्ष बीठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः अतिरिक्त समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा सचित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी सर्वसम्मति की जाएगी।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., छातीसपड के ज्ञानन दिनांक 11 / 03 / 2022 के परिच्छेद में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 22 / 08 / 2022 को प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 421वीं बीठक दिनांक 24 / 08 / 2022:

समिति द्वारा नली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर, तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में पट्टी गई सचित जानकारी एवं समस्त सूचनाएं जानकारी / दस्तावेज सचित प्रस्तुतीकरण दिवस होने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., छातीसपड की 421वीं बीठक दिनांक 24 / 08 / 2022 के परिच्छेद में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 19 / 10 / 2022 को प्रस्तुतीकरण हेतु पुनः अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

(ग) समिति की 432वीं बीठक दिनांक 08 / 11 / 2022:

समिति द्वारा नली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर, तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में पट्टी गई

सहित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / आवश्यक सही प्रस्तुतीकरण विवेक
जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाय।

सदनुसार परिशोधन प्रस्तावक को एच.ई.ए.सी., जलेश्वर को पत्र दिनांक
09/01/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(घ) समिति की 44वीं बैठक दिनांक 11/01/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अनेक चन्दाकर, अधिवृत्त अधिनियम उपस्थित हुए। समिति द्वारा
नयी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई—

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण—

- i. पूर्व में जारी पत्थर खदान खाना अर्थात् 177, कुल क्षेत्रफल— 0.8 हेक्टेयर,
अर्थात्-030 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय
पर्यावरण समयांत निर्धीन प्रधिकरण, जिला-महासमुद्र द्वारा दिनांक
18/01/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष
अर्थात् दिनांक 18/01/2022 तक वैध थी।

परिशोधन प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और
जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक
18/01/2021 अनुसार—

"1A. Notwithstanding anything contained in this Notification, the period
from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered
for the purpose of calculation of the period of validity of Prior
Environmental Clearances granted under the provisions of this
Notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and
subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control,
however, all activities undertaken during this period in respect of the
Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

संबंधित अधिसूचना से अनुमान पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक
से दिनांक 18/01/2022 तक वैध होगी।

- ii. परिशोधन प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के
पालन में की गई सर्वसही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत
है कि परिशोधन प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर को
पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन अधिविधन द्वारा कर प्रस्तुत किया
जाना आवश्यक है।
- iii. निर्दिष्ट सर्वानुमान 100 नग कुशलरूप किया गया है।
- iv. सर्वोच्च कोर्टर (अभिज साहू), जिला-महासमुद्र को द्वारा अर्थात्
1452/क/अभि/स.अ./2021 महासमुद्र, दिनांक 19/09/2022 द्वारा
जारी प्रदान यह अनुमान विगत वर्षों में किये गये उल्लंघन की जानकारी
किन्तुगत है—

वर्ष	उल्लंघन (घनमीटर)
2017	178
2018	414
2019	387
2020	238
01/01/2021 से 30/09/2021	297

समिति का यह है कि दिनांक 01/04/2022 से विद्युत् वार्ड उत्खनन की कार्यात्मक बाधा की जानकारी स्थानिक विभाग से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत किया जाये आवश्यक है।

2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बरवाकपुर का दिनांक 14/04/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन सीमा – जहाँ जल संचयन विद्युत् कमी कनेक्टर प्लान विद्युत् इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंतर्गत प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो जमिंदार/अधिकारी, जिला-बाराकपुर के द्वारा क्रमांक 1778/क/स.सि./म.ज./2018 बाराकपुर, दिनांक 02/09/2018 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान – कार्यालय कनेक्टर (स्थानिक बाधा), जिला-बाराकपुर के द्वारा क्रमांक 224/क/स.सि./म.ज./2021 बाराकपुर, दिनांक 10/02/2022 अनुसार अनुमोदित खदान से 500 मीटर की परिधि में स्थित 09 खदानें, संख्याएं 29.8 हेक्टेयर है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं – कार्यालय कनेक्टर (स्थानिक बाधा), जिला-बाराकपुर के द्वारा क्रमांक 1241/क/स.सि./म.ज./2021 बाराकपुर, दिनांक 23/08/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, स्कूल, अस्पताल, पुल, बाघ, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं एनएच आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. भूमि एवं सीमा का विवरण – यह सार्वजनिक भूमि है। सीमा की बाराकपुर संस्थापक के नाम पर है। सीमा की 5 वर्षों अर्थात् दिनांक 28/02/2011 से 24/02/2016 तक थी। संरचनाएं सीमा की 25 वर्षों की, दिनांक 25/02/2016 से 24/02/2041 तक की अवधि वृद्धि की गई है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – कार्यालय वनसंरक्षण/सहायक, सामान्य वनसंरक्षण, जिला-बाराकपुर के द्वारा क्रमांक/सा.सि./स्थानिक/4121 बाराकपुर, दिनांक 12/10/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार अनुमोदित क्षेत्र का भूमि की सीमा से 1 कि.मी. की दूरी पर है।
9. महासमुद्र संरचनाओं की दूरी – निकटतम अबादी जल-बाराकपुर 1.3 कि.मी. एवं स्कूल जल-बाराकपुर 1.5 कि.मी. एवं अस्पताल बाराकपुर 10.5 कि.मी. दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.8 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 16 कि.मी. दूर है। बाराकपुरी 120 मीटर, बारा 800 मीटर, नहर 870 मीटर एवं बासाव 1.3 कि.मी. दूर है।
10. पारिस्थितिकीय/जैववैविध्यता संवेदनशील क्षेत्र – परीक्षा/प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतरराष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, संरक्षित प्रकृतिक विरासत क्षेत्रों द्वारा घोषित किरिगती प्रोटेक्टेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैववैविध्यता क्षेत्र स्थित नहीं होने प्रतिबंधित किया है।

11. खदान संयंत्र एवं खदान का विवरण - अनुसूचित क्वारी प्लान अनुसार जिओलॉजिकल रिजर्व 1,37,520 टन (88,008 घनमीटर), माईनेबल रिजर्व 36,820 टन (24,848 घनमीटर) एवं रिहाइजेबल रिजर्व 27,488 टन (18,888 घनमीटर) है। खदान में जिओलॉजिकल रिजर्व 1,33,588 टन (83,434 घनमीटर) एवं माईनेबल रिजर्व 32,888 टन (21,874 घनमीटर) बच है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (खदान के लिए अतिरिक्त क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,741 वर्गमीटर है। खदान काल्ड वेन्चुरल विधि से खदानन किया जाता है। खदान की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 8 मीटर है। लीज क्षेत्र में क्वारी मिट्टी की मोटाई 3 मीटर है तथा कुल मात्रा 4,828 घनमीटर है। क्षेत्र की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संरक्षित आयु 20 वर्ष है। स्टोन बलर का उपयोग किया जाता है। ट्रिपिंग एवं ब्लॉकिंग नहीं किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का मिश्रण किया जाता है। वर्षावन प्रस्तावित खदान का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित खदानन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित खदानन (टन)
प्रथम	645	चौथे	1,605
द्वितीय	1,330	पांचवें	1,785
तृतीय	1,455	छठवें	2,065
सातवें	1,580	सातवें	2,345
आठवें	1,705	आठवें	2,625

12. जल आपूर्ति - परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3.85 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति जल संचयन द्वारा टैंकर एवं बोरोवेल के माध्यम से की जाती है। इस क्वारा जल संचयन का अन्तर्गत प्रस्ताव पत्र एवं सेन्ट्रल डायरेक्ट ऑफर अर्बीसीटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
13. वृक्षारोपण कार्य - लीज क्षेत्र की सीमा में क्वारी क्षेत्र 7.5 मीटर की पट्टी में 372 नम वृक्षारोपण किया जाएगा।
14. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में खदानन - लीज क्षेत्र की क्वारी क्षेत्र 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 3,741 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से कुछ भाग अन्तर्गत है। अतिरिक्त 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में खदानन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का प्रस्ताव है। जल परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध विचाराधीन वैधानिक उपरोधों को जल संचयन द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।
15. पर्यावरणीय है कि जल संचयन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन संरक्षण, नई दिल्ली द्वारा लीज क्वारी मिनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। शर्तें अन्तर्गत निम्नानुसार हैं:-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

जल संचयन शर्तों के अनुसार नई लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े क्षेत्रों में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

16. अनुवीक्षण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ग्राम-बलसपुर, थोड़ारी एवं मुडेना, तारदीय व जिला-महासमुद्र क्षेत्र में 68 पक्कर खदानें, कुल क्षेत्रफल 88.43 हेक्टेयर अवस्थित हैं। ग्राम-थोड़ारी के साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, जिसके राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्तर दिशा में ग्राम-बलसपुर एवं थोड़ारी क्षेत्र में 70 खदानें, क्षेत्रफल 80.80 हेक्टेयर तथा राष्ट्रीय राजमार्ग के दक्षिण दिशा में ग्राम-थोड़ारी एवं मुडेना क्षेत्र में 28 खदानें, क्षेत्रफल 17.83 हेक्टेयर अवस्थित हैं। दोनों क्षेत्रों के साथ ही दूरी 500 मीटर है। चूंकि ई.आई.ए. सटीक के दौरान दोनों क्षेत्रों का काम जॉन एर-द्वारा में जोड़कर जॉन ही रहा है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल 68 पक्कर खदानों को एक क्लस्टर मानते हुए आईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार करने हेतु अनुवीक्षण किया गया। रिपोर्ट सहीति द्वारा मान्य किया गया।

17. अनुवीक्षण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि बलसपुर में जाने वाली अन्य खदानों के लिए रेसलाईन डाटा क्लेयरिफिकेशन का सर्वे दिनांक 01/10/2021 में प्राप्त किया गया। डाटा के संख्या में दिनांक 28/09/2021 को सुचना दी गई थी।

18. सार्वजनिक एन.डी.टी., विनियम क्षेत्र, नई दिल्ली द्वारा सर्वेड सामंजस विस्तृत मानक संवर्धन, पर्यावरण, जन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (अनुवीक्षण एम्प्लोयर्स नं. 188 ऑफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को प्रेषित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है—

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster of an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्पति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. कार्पायल क्लेयरिफिकेशन (अनियत साइट), जिला-महासमुद्र की इलाका क्रमांक 224/क/असि/न.अ./2021 महासमुद्र, दिनांक 10/03/2022 अनुमान आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 68 खदानें, क्षेत्रफल 38.8 हेक्टेयर हैं। आवेदित खदान (ग्राम-बलसपुर) का स्वयं 0.8 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-बलसपुर) को क्लेयरिफिकेशन कुल स्वयं 40.8 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में सर्वेड/संघारित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने से कारण यह खदान 'बी' श्रेणी की मानी गयी।

2. नईन सीध क्षेत्र के साथ और 7.5 मीटर चौड़े रोपटी जॉन के कुछ भाग में किये गये कारखाना डी कार्टन इस क्षेत्र के उपकारी उपकारी (Remedial Measures) के संख्या में तथा सीध क्षेत्र के अंदर नईनियन क्लेयरिफिकेशन के इलाका उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपकारी तथा पूंजाकरण आदि के लिये समुचित उपकारी को निर्दिष्ट करने बाबत संघालक, संघालनालय, भीमिडी तथा सचिव, इंडास्ट्री मंत्र, तथा सचिव अटल मंत्र, जिला - रायपुर (अधीनस्थ) को लेख किया जाय।

3. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उचित प्रबंधन किया जाना एवं जाने का परियोजना प्रस्तावक के विस्तृत नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु संवर्धन, संवर्धनलय, भूमिहीन तथा खनिजों को एवं पर्यावरण को क्षति पहुँचाने हेतु उत्खननायुक्त पर्यावरण संरक्षण संकेत, नया रामपुर अटल नगर को नियमानुसार वैधानिक-कार्यवाही किये जाने हेतु संकेत किया जाए।
4. पूर्व में जारी पर्यावरणीय लीसेंसिग का पालन प्रतिवेदन के संकेत में एकीकृत क्षेत्रीय कार्यलय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रामपुर अटल नगर को पत्र संकेत किया जाए।
5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त कार्यवाही से प्रकल्प को। खेदेवरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड एम्स लोक रिजलिस (टीजेआर) और ई.आई.ए. / ई.एम.पी. रिपोर्ट को प्रोसेडर / एक्टिविटीज रिजलरिंग इन्वायरीमेंट एम्प्लोयमेंट एम्पल ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में समित कोणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीजेआर (लोक सुनवाई संहिता) नीम कोल न्यूनिंग प्रोसेडर हेतु निम्न उचितता टीजेआर के साथ जारी किये जाने की अनुमति की गई--

- i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
- ii. Project proponent shall submit compliance report of previous environmental clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.
- iii. Project proponent shall submit production detail from 01/04/2022 to till date from the mining department.
- iv. Project proponent shall submit top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.
- v. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.
- vi. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
- vii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
- viii. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.
- ix. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- x. Project proponent shall submit the copy of panorama and photographs of every monitoring station.
- xi. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

- iii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- iiii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.
- iv. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall submit the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.
- v. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.
- vi. Project proponent shall undertake plantation & incorporate in the EIA report.
- vii. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.
- viii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

सबसे अधिकतम पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रक्रिया (एआईआरए), पर्यावरण से सम्बन्धित सुनिश्चित किया जाए। साथ ही एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया दिल्ली भारत सरकार की पत्र भेजा गया है।

8. वेबसाईट स्टॉन (ग्रेनाइट स्टॉन) खानी (डॉ.- श्री अमित कुमार चन्दाकर), ग्राम-बलवानपुर, तहसील व जिला-वाहावापुर (राजस्थान का नएरी जिला 3333)

ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एमआईए/ सीजी/ एआईएन/ 87981/2021, दिनांक 27/08/2021 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण — यह पूर्व में संशोधित नया पथर (पीन खनिज) खदान है। खदान घान-बनसपुर, लखीमपुर म जिला-महासमुंद विभाग पार्स ऑफ खाना क्रमिक 288, कुल क्षेत्रफल—0.7 हेक्टेयर में है। खदान की आवंटित राशियन राक्या—1887.8 टन (825 मालीटर्) प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परिशोधना प्रस्तावक की एच.ई.ए.सी, लखीमपुर की प्रारण दिनांक 08/02/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बीडकी का विवरण —

(अ) समिति की 399वीं बैठक दिनांक 15/02/2022—

प्रस्तुतीकरण हेतु बीड की प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परिशोधना प्रस्तावक की ई-मेल दिनांक 18/02/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि आवंटित राक्या की समिति की समझ बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः प्रतिशोधना प्रस्तावक को अनुशेष किया गया है। समिति द्वारा परिशोधना प्रस्तावक की अनुशेष को मान्य किया गया।

समिति द्वारा तात्कालिक सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परिशोधना प्रस्तावक द्वारा उपलब्ध जानकारी एवं अनुशेष पर प्रारण होने पर आगामी आवंटित की जायेगी।

तदनुसार एच.ई.ए.सी, लखीमपुर की प्रारण दिनांक 11/03/2022 की परिशोधना परिशोधना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 22/08/2022 की प्रस्तुतीकरण हेतु अनुशेष पर प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 421वीं बैठक दिनांक 24/08/2022—

समिति द्वारा नली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर, तात्कालिक सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परिशोधना प्रस्तावक को पूर्व में जारी गई उपलब्ध जानकारी एवं समस्त सूचना जानकारी / वसतमेत सहित प्रस्तुतीकरण दिने जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार एच.ई.ए.सी, लखीमपुर की 421वीं बैठक दिनांक 24/08/2022 की परिशोधना परिशोधना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 19/10/2022 की प्रस्तुतीकरण हेतु पुनः अनुशेष पर प्रस्तुत किया गया है।

(ग) समिति की 432वीं बैठक दिनांक 16/11/2022—

समिति द्वारा नली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर, तात्कालिक सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परिशोधना प्रस्तावक को पूर्व में जारी गई उपलब्ध जानकारी एवं समस्त सूचना जानकारी / वसतमेत सहित प्रस्तुतीकरण दिने जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परिशोधना प्रस्तावक की एच.ई.ए.सी, लखीमपुर की 432वीं बैठक दिनांक 08/01/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 445वीं बैठक दिनांक 11/01/2023—

प्रस्तुतीकरण हेतु बीड की नली चन्द चन्दाकर, अतिरिक्त प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई—

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

- i. पूर्व में घुसा पत्थर खदान असात क्रमांक 168, कुल क्षेत्रफल - 0.7 हेक्टेयर, क्षमता - 675 घनमीटर प्रतिदिन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण संरक्षण निर्देशक प्रशासन, जिला-महासमुद्र द्वारा दिनांक 18/02/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष अर्थात् दिनांक 14/02/2022 तक वैध थी।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:-

"GA. Notwithstanding anything contained in this Notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this Notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना से अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 14/02/2022 तक वैध होगी।

- ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्योत्पन्न, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया दिल्ली असात क्रमांक 168 में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिरोधन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- iii. निर्दिष्ट शर्तानुसार 150 नए कुआरोंपन्न किया गया है।
- iv. कार्योत्पन्न बरसेवन (खनिज सार) जिला-महासमुद्र के द्वारा क्रमांक 1244/क/खनि/म.क./2021 महासमुद्र दिनांक 07/10/2022 द्वारा जारी असात पर अनुसूचित विधत वर्षों में किये गये उपखनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (टन)
2017	813
2018	754
2019	309
2020	401
01/01/2021 से 30/09/2021	223
01/10/2021 से 31/03/2022	204

समिति का मत है कि दिनांक 01/04/2022 से किये गये उपखनन की वार्षिक मात्र की जानकारी खनिज विभाग से उपनिर्दिष्ट संरक्षण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. घास पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उपखनन से संबंध में घास पंचायत बरसेवन का दिनांक 28/02/2017 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **सहस्रजन्य योजना** - इससे पहले एलन रिच ज्वारी क्लोजर प्लान रिच इन्फ्रास्ट्रक्चर कोरपोरेट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो एमि अतिरिक्त, जिला-महासमुद्र के डायन क्रमांक 22/क/सि/न.क./2018 महासमुद्र, दिनांक 13/10/2018 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में विद्यत खदान** - कार्यलय कारोक्टर (अग्निज शक्ति), जिला-महासमुद्र के डायन क्रमांक 224/क/सि/न.क./2021 महासमुद्र, दिनांक 10/02/2022 अनुसार आवेदित खदान में 500 मीटर के वीटर अवधिमा 60 खदानें, क्षेत्रफल 29.9 हेक्टर है।
5. **200 मीटर की परिधि में विद्यत सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** - कार्यलय कारोक्टर (अग्निज शक्ति), जिला-महासमुद्र के डायन क्रमांक 1330/क/सि/न.क./2021 महासमुद्र, दिनांक 08/09/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार इस खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, स्कूल, अस्पताल, पुल, बांध, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं एनोकर आदि अतिरिक्त क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. **भूमि एवं सीज का विवरण** - यह सार्वजनिक भूमि है। सीज की स्थिति सुभाष चन्द्रावरम के नाम पर है। सीज सीज 10 वर्ष अवधि दिनांक 08/08/1987 से 07/08/2007 तक थी। सत्यचक्र सीज सीज में 20 वर्ष की, दिनांक 08/08/2007 से 07/08/2007 तक की अवधि वृद्धि की गई है।
7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** - वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. **वन विभाग का अनाधिकृत प्रमाण पत्र** - प्रस्तुतीकरण के दौरान परिशोधना प्रस्तावक द्वारा वन विभाग द्वारा जारी अनाधिकृत प्रमाण पत्र के संघर्ष में अनुशेष किया गया कि सीज क्षेत्र में जारी हुई अन्य खदान (खाना क्रमांक 258) को वन विभाग द्वारा जारी अनाधिकृत प्रमाण पत्र को ही आवेदित प्रमाण हेतु मान्य किंचे जाने हेतु अनुशेष किया है, जिसके अनुसार कार्यलय वनसंरक्षणविद्यारी, सभन्ध वनसंरक्षण महासमुद्र के डायन क्रमांक /सा.सि./अग्निज/3766 महासमुद्र, दिनांक 28/12/2008 से जारी अनाधिकृत प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 11 कि.मी. की दूरी पर है। इस हेतु समिति द्वारा सार्वजनिक प्रस्ताव की गई।
9. **महासमुद्र संरचनाओं की दूरी** - निकटतम आबादी राम-बनसपुर 1.2 कि.मी. एवं स्कूल राम-बनसपुर 1.35 कि.मी. एवं अस्पताल महासमुद्र 12 कि.मी. दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3.1 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 16.5 कि.मी. दूर है। महानदी 580 मीटर, नाला 50 मीटर, नहर 400 मीटर एवं तालाब 800 मीटर दूर है।
10. **पारिस्थितिकीय/जैववैविध्यता संवेदनशील क्षेत्र** - परिशोधना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय खदान, अनाधिकृत, सेन्टीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित डिस्ट्रीक्ट वॉल्यूटेज एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैववैविध्यता क्षेत्र किता नहीं होना अतिरिक्त किया है।
11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** - अनुमोदित जारी प्रमाण अनुसार विद्योत्पत्तिकर निजार् 81,200 टन (38,480 घनमीटर), सईनेबल निजार् 38,718 टन (18,488 घनमीटर) एवं सिक्वैबल निजार् 28,038 टन (11,814 घनमीटर) है।

खदान में विद्यमान खनिज निक्षेप 88,437 टन (38,374 टनमीटर) एवं सड़नेवाले निक्षेप 25,852 टन (14,380 टनमीटर) बंध है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,749 वर्गमीटर है। खदान कास्ट मैग्नेटाइट विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 8 मीटर है। लीज क्षेत्र में खरी मिट्टी की मोटाई 2 मीटर है तथा कुल मात्रा 4,874 टनमीटर है। क्षेत्र की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 21 वर्ष है। सटीम कटर का उपयोग किया जाता है। ड्रिलिंग एवं स्टाबिंग नहीं किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का सिंक्रलन किया जाता है। वर्षावा प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है—

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	1,357.50	चौथम	1,770
द्वितीय	1,413.75	पांचम	1,882.5
तृतीय	1,567.50	छठम	1,991.25
सातवां	1,642.50	नवम	2,082.5
अष्टम	1,687.50	दशम	2,183.75

12. **जल आपूर्ति** – परिचोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 1.85 टनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोखाल के संचयन से की जाती है। इस मात्रा सेटुल घाटण्ड मीटर अवधि की अनुमति प्राप्त बन प्रस्तुत किया गया है।
13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में खरी और 7.5 मीटर की पट्टी में 270 नए वृक्षारोपण किया जाएगा।
14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – प्रस्तुतिकरण के दौरान परिचोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के खरी और 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 2,749 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से कुछ भाग उत्खनित है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। अतः परिचोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।
15. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नीम लैब सड़नेवा प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। शर्तें संलग्न 15.1.1 के अनुसार—

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्तों के अनुसार सड़नेवा लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

16. प्रस्तुतिकरण के दौरान परिचोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि दाम-बखसपुर, चौहारी एवं मुंडेवा, लखीम न जिला-महासमुंद क्षेत्र में 85 फुटल खदानें, कुल क्षेत्रफल 58.43 हेक्टेयर अवस्थित हैं। दाम-चौहारी के नज्द की राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, जिसकी राष्ट्रीय राजधानी की उत्तर दिशा में दाम-बखसपुर एवं

खोइली क्षेत्र में 70 खदानें, क्षेत्रफल 40.80 हेक्टर पर तथा राष्ट्रीय राजमार्ग के दक्षिण दिशा में राम-खोइली एवं मुईना क्षेत्र में 29 खदानें, क्षेत्रफल 17.83 हेक्टर पर अवस्थित हैं। दोनों क्षेत्रों के बीच की दूरी 880 मीटर है। चूंकि ईआईए, एनडी के दौरान दोनों क्षेत्रों का प्रकार जंगल एक-दूसरे में ओवरलैप हो रहा है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल 88 घनमीटर खदानों की एक कलक्टर नाली द्वारा पर्याप्त ईआईए रिपोर्ट तैयार करने हेतु अनुरोध किया गया। जिसे समिति द्वारा मान्य किया गया।

19. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि कलक्टर में आम वाली अन्य खदानों के लिए रेकॉर्डिंग डाटा कलेक्शन का कार्य दिनांक 01/10/2021 से प्रारंभ किया गया। उक्त के संबंध में दिनांक 28/09/2021 को सूचना दी गई थी।
20. प्रस्तुतीकरण के दौरान उल्लिखित परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि प्रोफाईटर श्री ललित कुमार बन्दाकर का आकस्मिक निधन कुछ दिनों पूर्व ही गया है। पूर्व ही ही खदान के संबंधित सामग्रीय एवं असाग्रीय कार्य को करने हेतु श्री ललित कुमार बन्दाकर द्वारा श्री नवीन बन्दाकर को अधिकृत किया गया था। इस संबंध में श्री ललित कुमार बन्दाकर को अधिकृत किया गया था। इस संबंध में श्री ललित कुमार बन्दाकर के निधन उपरोक्त उपरोक्त प्रस्ताविकाओं के नाम पर खदान के सीज का हस्तांतरण किया जाता है। अतः उचित कर्तव्य के द्वारा सीज हस्तांतरण करके ईआईए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किये जाने हेतु अनुरोध किया गया। जिसे समिति सहमत हुई।
21. मानवीय एवं जी.टी. डिप्लोमेट रीज, नई दिल्ली द्वारा सर्वेक्षक विष्णु मंगल कलक्टर, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (अभियोजन एडिजोस्टेशन नं. 188 ऑफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में कुछ रूप से विन्यासकार निर्दिष्ट किया गया है—

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार किया उपरोक्त सर्वसम्पत्ति से विन्यासकार निर्बंध किया गया—

1. कार्बोलाय कलेक्टर (खनिज खाना), जिला-बराकपुर के खाने अर्थात् 224/क/खनिज/मज/2021 मजराखुंड, दिनांक 13/02/2022 अनुसार आवंटित खदान में 500 मीटर के भीतर अवस्थित 89 खदानें, क्षेत्रफल 39.9 हेक्टर हैं। आवंटित खदान (खान-बराकपुर) का रकबा 0.7 हेक्टर है। इस प्रकार आवंटित खदान (खान-बराकपुर) की मिनरल कुल रकबा 40.6 हेक्टर है। खदान की सीमा की 500 मीटर की परिधि में स्थित/संघटित खदानों का कुल क्षेत्रफल 8 हेक्टर से अधिक का कलक्टर निर्मित होने से खान पर खदान 'जंगल क्षेत्र' केपी की गयी गयी।
2. माईन सीज क्षेत्र के सभी जंगल 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जॉन के कुछ भाग में किये गये उपखनन के कारण इस क्षेत्र के लघुवर्ती उपखनन (Small Scale Mines) से संबंध में तथा सीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्लियरेंसों के कारण उपखनन प्रदूषण

निर्धारण हेतु आवश्यक तथ्यां तथा दृष्टावली अदि के लिखे समुचित तथ्यां को प्रिस्तुत कराने बाबत संघालक, संघालपालक, बीमिडी तथा जमिदारी, इटावली मय, मया राधपुर अदल मगर, जिला - राधपुर (मालीगण्ड) को लेख किया जाए।

3. प्रविष्टिगत 1.5 मीटर चौडी सीमा चट्टी में अतिर उल्लखन किया जाना चाये जाने पर परियोजनाक प्रस्तावक को विरुद्ध निष्पत्तानुसार वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु संघालक, संघालपालक, बीमिडी तथा जमिदारी को एवं पर्यावरण को क्षति पहुचाने हेतु जलसिक्तनक पर्यावरण संरक्षण मंडल, मया राधपुर अदल मगर को निष्पत्तानुसार वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।
4. पूर्व में जारी पर्यावरणीय सर्वेक्षणी का प्रालन प्रविष्टिगत ले संकथ में दृष्टीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन संघालक, मयात सरकार, राधपुर को पत्र लेख किया जाए।
5. समिति द्वारा विधान विमर्त उपखंड सर्वेक्षणी ले प्रकल्प 'डी' खंडमरी का क्षेत्र को कालम मयात सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संघालक द्वारा अक्टूबर, 2015 में प्रकल्पित स्टैण्डर्ड टर्म अफ रिजर्वेशन (टीअरेअर) ऑफ ई.आई.ए. / ई.एम.पी. निरीट ऑफ प्रोजेक्ट्स / एक्टिविटीज निष्पत्तानुसार इन्फार्मेट क्लीअरेंस अन्धर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2008 में जमिदारी क्षेत्री 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीअरेअर (लोक गुणवत्ता संकित) नीन कोल साईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीअरेअर को लागू जारी किये जाने की अनुमति की गई—

- i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
- ii. Project proponent shall submit compliance report of previous environmental clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.
- iii. Project proponent shall submit production detail from 01/04/2022 to till date from the mining department.
- iv. Project proponent shall submit the copy of lease transfer from mining department.
- v. Project proponent shall submit top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.
- vi. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.
- vii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
- viii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
- ix. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.
- x. Project proponent shall submit an affidavit that no green trees will be cut without the permission of competent authority.

- xi. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- xii. Project proponent shall submit the copy of panorama and photographs of every monitoring station.
- xiii. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.
- xiv. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xv. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.
- xvi. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall submit the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.
- xvii. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.
- xviii. Project proponent shall undertake plantation & incorporate in the EIA report.
- xix. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 80% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.
- xx. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रविधिकरण (एस.ई.आइ.ए.ए.) प्रतीकण्ड को तदनुसार सुविधा दिया जाए। राज्य ही एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, नया राधपुर अटल नगर को पत्र भेजा गया है।

7. **वेल्स लार्ड्स कमीशन (वेल्स कमीशन) क्वार्टी (पी.- की दिव्यीय कुमार अग्रवाल),**
घाम-घोडारी, तहसील व जिला-महासमुद्र (सचिवालय का पत्ता क्रमांक
1833)

ऑनलाईन आवेदन - प्रत्येक नम्बर - एमईएसी / सीसी / एमआईएन /
डाएड/2021, दिनांक 28/08/2021 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संघर्षित युवा पत्थर (सीम खनिज) खदान है।
खदान घाम-घोडारी, तहसील व जिला-महासमुद्र विगत पॉर्ट ऑफ कॉमर्स क्रमांक 10,
कुल क्षेत्रफल-1.54 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित राजस्व सन्ध्या-2.218 टन
(284 चनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परिशोधना प्रस्तावक को एमईएसी, उत्तीरगढ़ के द्वारा दिनांक
08/02/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 399वीं बैठक दिनांक 15/02/2022

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी अतिरिक्त परामर्श नहीं हुए। परिशोधना प्रस्तावक को
ई-मेल दिनांक 15/02/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि अतिरिक्त कार्यों से
समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। आ-
अतिरिक्त समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा परिशोधना
प्रस्तावक को अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परिशोधना
प्रस्तावक द्वारा अधित जानकारी एवं अनुरोध पर बात होने पर आगामी कार्यवाही की
जायेगी।

तदनुसार एमईएसी, उत्तीरगढ़ के द्वारा दिनांक 11/03/2022 के परिशोधन में
परिशोधना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 22/08/2022 को प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध पर
प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 421वीं बैठक दिनांक 24/08/2022

समिति द्वारा नयी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर, तत्समय
सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परिशोधना प्रस्तावक को पूर्व में जारी गई
अधित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिने
जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार एमईएसी, उत्तीरगढ़ की 421वीं बैठक दिनांक 24/08/2022 के
परिशोधन में परिशोधना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 18/10/2022 को प्रस्तुतीकरण हेतु
पुनः अनुरोध पर प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 432वीं बैठक दिनांक 18/11/2022

समिति द्वारा नयी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर, तत्समय
सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परिशोधना प्रस्तावक को पूर्व में जारी गई
अधित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिने
जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परिशोधना प्रस्तावक को एमईएसी, उत्तीरगढ़ के पत्र दिनांक
08/01/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 445वीं बैठक दिनांक 11/01/2023:

प्रस्तुतिकरण हेतु की दिनेय प्रस्ताव अधिका, प्रीपराइटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा माली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने का निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

- i. पूर्व में पूर्व प्रस्ताव प्रदान करवा अर्थात 10, कुल क्षेत्रफल - 1.04 हेक्टर, अर्थात - 884 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण संसाधन निर्देशन इण्डिकल्प, जिला-महासमुद्र द्वारा दिनांक 15/02/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 3 वर्षों अर्थात् दिनांक 14/02/2020 तक वैध थी।

परिचोचना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:-

"BA. Notwithstanding anything contained in this Notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this Notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 14/02/2023 तक वैध होगी।

- ii. परिचोचना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों को पालन में की गई कार्रवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परिचोचना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, नया दिल्ली अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन द्वारा कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- iii. निर्दिष्ट सार्वानुसार 240 नग कुशलपूर्ण किया गया है।
- iv. कार्यालय इन्डिटर (अग्निज साजरा), जिला-महासमुद्र को प्रमाण अर्थात दिनांक 28/08/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार किला वर्ग में किंग नगरे उल्लेख की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (टन)
2017	375
2018	534
2019	668
2020	618

समिति का मत है कि दिनांक 01/01/2021 से किंग नग्रे उत्पादन की वार्षिक मात्रा की जानकारी अग्निज विभाग से प्राप्तित करवाकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्पादन के संबंध में ग्राम पंचायत पंचायती का दिनांक 07/03/2023 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **पर्यावरण योजना** - स्वारी प्लान एंडिंग विच स्वारी क्लोजिंग प्लान विच इन्फ्रान्स्ट्रक्चर सेक्टर में प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो जमि अधिकारी, जिला-महासमुद्र के ज्ञान क्रमांक 1834/क/खसि./म.स./2018 महासमुद्र दिनांक 12/08/2018 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** - कार्यलय कलेक्टर (खसिज रास्ता), जिला-महासमुद्र के ज्ञान क्रमांक 224/क/खसि./म.स./2021 महासमुद्र दिनांक 18/02/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर से नीचे आवेदित 88 खदानें, क्षेत्रफल 38.88 हेक्टेयर है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** - कार्यलय कलेक्टर (खसिज रास्ता), जिला-महासमुद्र के ज्ञान क्रमांक 1288/क/खसि./म.स./2021 महासमुद्र दिनांक 28/08/2021 द्वारा जारी ज्ञान पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे परिवर, मल्टी, स्कूल, अस्पताल, पुस्तकालय, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं एनकेड जैसी प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. **भूमि एवं लीज का विवरण** - यह सार्वजनिक भूमि है। लीज की विशेष कुम्हार अध्याय के पत्र पर है। लीज डीड 10 वर्ष अवधि दिनांक 22/07/1997 से 21/07/2007 तक की। सार्वजनिक लीज डीड से 20 वर्ष की, दिनांक 22/07/2007 से 21/07/2027 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।
7. **डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट** - वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** - प्रस्तुतकरण के दौरान परिसीमांक प्रस्तावक द्वारा वन विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में अनुरोध किया गया कि लीज क्षेत्र से जारी हुई अन्य खदान (वार्ड जीक खदान क्रमांक 10) को वन विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र को ही आवेदित प्रकल्प हेतु मान्य किया जाने हेतु अनुरोध किया है, जिससे अनुसार कार्यलय सहायक अधिकारी, सामान्य पन्नामहल महासमुद्र के ज्ञान क्रमांक/खसि./खसिज/3677 महासमुद्र दिनांक 04/11/2009 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 12 कि.मी. की दूरी पर है। उक्त हेतु सन्धि द्वारा सहमति प्राप्त की गई।
9. **महासमुद्र संरचनाओं की दूरी** - निकटतम आबादी घन-घोंसरी 800 मीटर एवं स्कूल घन-घोंसरी 1 कि.मी. एवं अस्पताल महासमुद्र 10 कि.मी. दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 135 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 14.5 कि.मी. दूर है। खानपी 250 मीटर, गावा 1.4 कि.मी., महल 840 मीटर एवं ताताव 1.55 कि.मी. दूर है।
10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** - परिसीमांक प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय राजमार्ग, अन्त्यालय, क्षेत्रीय प्रमुख निवास क्षेत्र द्वारा घोषित डिस्ट्रिक्ट पोस्टुटेज एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबंधित किया है।
11. **खनन क्षमता एवं खनन का विवरण** - अनुमोदित स्वारी प्लान अनुसार डिप्लोमेटिकल रिजर्व 17,828 घनमीटर, गार्डनेबल रिजर्व 10,102 घनमीटर एवं निकटतम रिजर्व 7,578 घनमीटर है। वर्तमान में डिप्लोमेटिकल रिजर्व 15,717



घनमीटर एवं माइनिंग रिजर्व 8,010 घनमीटर सेव है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 1,082 वर्गमीटर है। औपम कास्ट मैंग्रुवला विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 8.5 मीटर है। लीज क्षेत्र में अपनी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 1,088.8 घनमीटर है। क्षेत्र की चौड़ाई 1.5 मीटर एवं लंबाई 1.5 मीटर है। खदान की क्षमकित आयु 10 वर्ष है। घटील कटर का उपयोग किया जाता है। ट्रिनिंग एवं स्लॉटिंग नहीं किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का विकल्प किया जाता है। जलवायु प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है—

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)
प्रथम	825	षष्ठम	1,135.5
द्वितीय	890	सप्तम	1,135.5
तृतीय	1,023	अष्टम	1,283
चतुर्थ	755.5	नवम	1,213.5
पंचम	825.5	दशम	843

12. **जल आपूर्ति** - परिवर्जना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3.59 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बीरबल के मध्यम से की जाती है। इस बाबत सेट्टल काउन्सिल वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
13. **पूजाशोधन कार्य** - लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 288 मल पूजाशोधन किया जाएगा।
14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** - प्रस्तुतीकरण के दौरान परिवर्जना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 1,082 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से कुछ भाग उत्खनित था। उक्त उत्खनित भाग का परिवर्जना प्रस्तावक द्वारा पुनर्भरण कर पूजाशोधन कार्य किया गया है। साथ ही चौकीपालना प्रस्तुत किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना सर्वोत्तम स्वीकृति की शर्तों का उत्तराधान है। उक्त परिवर्जना प्रस्तावक के विरुद्ध निम्नानुसार कानूतिक कार्रवाई किया जाना आवश्यक है।
15. **वास्तविकता है कि** माना उपकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नैन कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। शर्तें क्रमांक 5.13.13 के अनुसार—

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्तों के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सुरक्षा क्षेत्र में पूजाशोधन किया जाना आवश्यक है।

16. प्रस्तुतीकरण के दौरान परिवर्जना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि धान-बनसपुर, खेड़नी एवं मुईना, पहाड़ील व जिला-बहालपुर क्षेत्र में 85 परसेट खदानों, कुल

क्षेत्रफल 58.43 हेक्टेयर अवस्थित है। घास-पौधारी के मध्य में राष्ट्रीय राजमार्ग मुख्यता है, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्तर दिशा में घास-बसबसपुर एवं पौधारी क्षेत्र में 70 खदानें, क्षेत्रफल 40-80 हेक्टेयर तथा राष्ट्रीय राजमार्ग के दक्षिण दिशा में घास-पौधारी एवं नुईया क्षेत्र में 25 खदानें, क्षेत्रफल 17.80 हेक्टेयर अवस्थित हैं। दोनों क्षेत्रों के मध्य की दूरी 880 मीटर है। चूंकि ई.आई.ए. कमी के दौरान दोनों क्षेत्रों का काल जल एक-दूसरे में जोड़कर क्षेत्र को रखा है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल 65 खदान खदानों को एक क्लस्टर मानते हुए एआईए ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार करने हेतु अनुमोदित किया गया। जिसे समिति द्वारा मान्य किया गया।

17. अनुमोदितकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्लस्टर में जाने वाली अन्य खदानों के लिए वेलासाईन डाटा कलेक्शन का कार्य दिनांक 01/10/2021 से प्रारंभ किया गया। जहां की संबंध में दिनांक 28/09/2021 को सूचना दी गई थी।

18. राष्ट्रीय एन.डी.टी., विनियमन बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा सर्वोच्च प्राथमिक विस्तार माना क्लस्टर, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (अंतरिमगत एन.डी.टी. नं. 188 जी.ओ. 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है:-

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha, falling under category B-2 as per with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha, EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वोच्चमति को निम्नानुसार निर्णय किया गया:-

1. सर्वोच्च क्लस्टर (अभिज क्षेत्र), जिला-महाराष्ट्र के अग्रिम क्रमांक 224/क/खलि/न.अ./2021 महाराष्ट्र, दिनांक 10/02/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की सीमा अवस्थित 89 खदानें, क्षेत्रफल 38.58 हेक्टेयर हैं। आवेदित खदान (घास-पौधारी) का रकबा 1.54 हेक्टेयर है। इस अग्रिम आवेदित खदान (घास-पौधारी) को मिलाकर कुल रकबा 40.8 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संश्लेषित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने को कारण यह खदान 'सी' क्षेत्रों की श्रेणी में आती है।

2. साईन सीज क्षेत्र की घास और 7.5 मीटर चौड़े सीमा क्षेत्र को कुछ मात्र में किये गये उल्लंघन को कारण इस क्षेत्र को उपचार्य उपचार्य (Remedial Measures) की संरक्ष में तथा सीज क्षेत्र के अंदर साईनिंग क्रियाकलापों को कारण उल्लंघन प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपचार्य यथा क्लस्टरिंग आदि के लिये समुचित उपचार्य को क्रियान्वित करने बाबत संघालक, संघालन्यालय, भूमिहीन तथा खनिकर्ण, इलाहाबादी क्वार्टर, महा राधपुर अटल नगर, जिला - राधपुर (उत्तरप्रदेश) को संकेत किया जाए।

3. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़े सीमा पट्टी में अधिक उल्लंघन किया जाना धरने जाने पर परियोजना प्रस्तावक को विस्तृत निष्पत्तानुसार वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु संघालक, संघालन्यालय, भूमिहीन तथा खनिकर्ण को एवं पर्यावरण को क्षति

पट्टामे हेतु जलसिंचनक सार्वजनिक संरक्षण संवर्धन, तथा रामपुर अटल नगर को निचयानुसार वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

4. पूर्व में जारी सार्वजनिक शीक्युटी का प्रारम्भ प्रतिक्रियन के संकेत में एकीकृत क्षेत्रीय कार्यलय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रामपुर को पत्र लेख किया जाए।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव 'बी' संशोधनी का होने को कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसू, 2015 में प्रकाशित सैम्पलई टर्न्स ऑफ़ नियमों (टीओआय) और ई.आई.ए. / ई.एम.पी. रिपोर्ट और प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायर्स इन्वायरन्मेंट क्लीयरेंस अन्धर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में उल्लिखित शर्तों 1(द) का सैम्पलई टीओआय (संकेत अनुसूची सहित) और बोन माइनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न उल्लिखित टीओआय से संबंध जारी किये जाने की अनुमति की गई—

- i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
- ii. Project proponent shall submit compliance report of previous environmental clearance from Integrated Regional Office, MoEF&OC Raipur.
- iii. Project proponent shall submit production detail from 01/01/2001 to till date from the mining department.
- iv. Project proponent shall submit the copy of lease transfer.
- v. Project proponent shall submit top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.
- vi. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.
- vii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
- viii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
- ix. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.
- x. Project proponent shall submit a study report regarding impact on Riverine Ecology of the study area including Mahanadi River.
- xi. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- xii. Project proponent shall submit the copy of panchama and photographs of every monitoring station.
- xiii. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

- xiv. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xv. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.
- xvi. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall submit the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.
- xvii. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.
- xviii. Project proponent shall undertake plantation & incorporate in the EIA report.
- xix. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 80% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.
- xx. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रक्रिया (एन.ई.आई.ए.ए.) प्रणालीगत रूप से राजमानुष सुनिश्चित किया जाए। साथ ही एसीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, तथा राज्य स्तर अटल कवर को पत्र भेजा किया जाए।

8. मेसर्स मोहनराम बरुधारी (बलदेवपुर लाईन स्टीन साईन), धाम-बलदेवपुर, उदुपीर-बीरभद्र, जिला-राजमहाराज (संविनायक का नस्ली क्रमांक 2015)

ऑनलाईन आवेदन - पूर्व में प्रयोजन नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एनआईएम/ 43864 / 2018, दिनांक 15/10/2018 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रयोजन नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एनआईएम/ 43864 / 2018, दिनांक 05/05/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए साईन ई. आई.ए. रिपोर्ट जस्टुट की गई है।

प्रस्ताव का विवरण — यह पूर्व में संघटित युवा पथक (यौवक समिति) खदान है। खदान नाम—बलदेवपुर, लहरीज—बीरगंज, जिला—राजनांदगांव सिंधत खसरा क्रमांक 888, 870, 878(घाटी) एवं 877, कुल क्षेत्रफल—1,288 हेक्टर में है। खदान की आवधिक उत्पादन क्षमता— 12,800 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एम.ई.ए.सी. फालीगंज के ज्ञान दिनांक 27/08/2020 द्वारा प्रस्ताव 'बी' कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जून, 2018 में प्रकाशित स्टीपडाई टर्न की शीक रिजर्व (टीसीआर) और ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट और प्रोजेक्ट/एस्टीमेटेड रिजर्वेशन इन्फ्लुएन्स स्टडीपीआर (श्रीक सुपडाई सटिव) कीन कोल राईनिंग प्रोजेक्ट हेतु जारी किया गया।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एम.ई.ए.सी. फालीगंज के ज्ञान दिनांक 08/08/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बीडकी का विवरण —

(अ) समिति की 422वीं बैठक दिनांक 07/08/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु फेई की प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 07/08/2022 द्वारा खदान की घरी है कि अनधिकृत खानों से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिवा जाना संभव नहीं है। आज दिनांक 08/08/2022 की आवधिक बैठक में समझ प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है, जिसे समिति द्वारा समझना होने के कारण अनाथ किया गया।

समिति द्वारा सहायक सचिवशि की निर्णय किया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में जारी गई सखित जानकारी एवं सखत सुसंगत जानकारी / वस्तुनिष्ठ सखित प्रस्तुतीकरण दिवे जाने हेतु निर्दिशत किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एम.ई.ए.सी. फालीगंज के ज्ञान दिनांक 08/01/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 445वीं बैठक दिनांक 11/01/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री भोडनान बख्खारी, डोपराईटन एवं पर्यावरण सहायक के रूप में मेसर्स पी एच एन सोल्युशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश की ओर से की हरीन जवाहरद्वीन उपस्थित हुए। समिति द्वारा नसी, प्रस्तुत जानकारी का अवलीकरण एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण—

- a. पूर्व में युवा पथक खदान खसरा क्रमांक 888, 870, 878(घाटी) एवं 877, कुल क्षेत्रफल — 1,288 हेक्टर, क्षमता — 12,800 टन प्रतिवर्ष हेतु जिला सखीय पर्यावरण सहायता निर्धारण प्रसिकरण, जिला—राजनांदगांव द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 08/08/2018 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 21/08/2020 तक की अवधि हेतु वैध थी।
- b. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की हरी के कारण में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रासपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का कारण प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

(Handwritten signature)

- क. कार्यवाही कार्यवाही (एनएन) विभाग-राजनांदगांव के ज्ञान क्रमांक / 313 / ए.ए.ए. / 2020 राजनांदगांव, दिनांक 04 / 02 / 2020 एवं ज्ञान क्रमांक / 1611 / ए.ए.ए. / 2022 राजनांदगांव, दिनांक 08 / 08 / 2022 द्वारा जारी प्रथम पर अनुसार विगत वर्षों में निम्ने नदे प्रत्यक्ष की जानकारी निम्नानुसार है-

वर्ष	उत्पादन (टन)	वर्ष	उत्पादन (टन)
2007-08	877	अप्रैल 2013-दिसंबर 2016	8,880
2008-09	4,511	जनवरी 2016-दिसंबर 2016	निरा
2009-10	4,168	अक्टूबर 2016-मार्च 2017	8,880
2010-11	4,168	2017-18	12,200
2011-12	3,110	2018-19	8,000
2012-13	2,680	अप्रैल 2019-दिसंबर 2019	6,100
2013-14	3,485	अप्रैल 2019-मार्च 2020	8,100
2014-15	7,755	अप्रैल 2020-मार्च 2021	4,500
		अप्रैल 2021-मार्च 2022	4,500

भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 28 / 03 / 2020 के अनुसार मिल परिशोधकों एवं कार्यवाहकों की जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की सेवा दिनांक 15 / 03 / 2020 से 30 / 04 / 2020 के मध्य समाप्त हो रही है। उनकी पर्यावरणीय स्वीकृति की सेवा दिनांक 30 / 08 / 2020 तक वृद्धि की गई है। तदनुसार जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की सेवा दिनांक 30 / 08 / 2020 तक थी। समिति द्वारा पाया गया कि परिशोधक प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति की सेवा दिनांक 30 / 08 / 2020 को समाप्त होने के बावजूद भी प्रत्यक्ष का कार्य किया गया है। अतः प्रत्यक्ष का प्रस्ताव होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ऑफिस नेशनल दिनांक 28 / 01 / 2022 के अनुसार "The interim order passed by the Madras High Court appears to be misconceived. However, this Court is not hearing an appeal from that interim order. The interim stay passed by the Madras High Court can have no application to operation of the Standard Operating Procedure to projects in territories beyond the territorial jurisdiction of Madras High Court. Moreover, final decision may have been taken in accordance with the Orders/Rules prevailing prior to 7th July, 2021" का उल्लेख है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ऑफिस नेशनल दिनांक 07 / 07 / 2022 के अनुसार प्रत्यक्ष के प्रस्तावों हेतु सीनरटरी ऑफ डीपार्ल्टमेंट (SOA) जारी की गई है, विवरण अनुसार-

- i. Such cases of violation shall be subject to appropriate
 - a) Damage Assessment
 - b) Remedial Plan and
 - c) Community Augmentation Plan by the Central level Sectoral Expert Appraisal Committee or State/Union/Territory level Expert Appraisal Committee, as the case may be.
- ii. The Competent Authority shall issue directions to the project proponent, under section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 on case to case basis mandating payment of such amount (as may be determined based on Polluters Pay principle) and undertaking activities



relating to Remedial Plan and Community Augmentation Plan (to restore environmental damage caused including its social aspects).

- ii. The project proponent will be required to submit a bank guarantee equivalent to the amount of Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan with Central / the State Pollution Control Board (depending on whether it is appraised at Ministry or by SEIAA). The quantification of such liability will be recommended by Expert Appraisal Committee and finalized by Regulatory Authority. The bank guarantee shall be deposited prior to the grant of environmental clearance and will be released after successful implementation of the Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan.
- iv. Penalty provisions for violation cases and applications: Where operation have commenced without EC: 1% of the total project cost incurred up to the date of filing of application along with EIA/EMP report PLUS 0.25% of the total turnover during the period of violation.

उपरोक्त बिन्दुओं से अपारण पर अनवरत/दयावश प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही समिति का यह भी मत है कि जुलाई 2020 से अपारण दिनांक तक बिन्दु नव उपखनन की कार्यादेश बाबा की मजदारी जानकारी उपलब्ध किया से प्रमाणित कार्यालय प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. काम संभावित का अनापत्ति प्रमाण पत्र – उपखनन के संबंध में काम संभावित कन्वेक्टर का दिनांक 29/11/2008 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उपखनन योजना – सीडिआइएड जलरी प्लान (खारी काम इन्वर्पर्टमेंट मैनेजमेंट प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त संघराज्य संसदसदस्य, भीमबरी तथा अधिवक्ता महा राजपुर जटल मन्त्र के द्वारा अ. 1270/खनि 02/स.पा. अनुसंधान/स.अ.04/2018(3) महा राजपुर, दिनांक 29/03/2022 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान- कार्यालय कन्वेक्टर (खनि बाबा), जिला-राजनांदगांव के द्वारा अनांक 1012/खनि.02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 08/09/2022 अनुसार अनापत्ति खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 13 खदानों, क्षेत्रफल 12.87 हेक्टेयर है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं – कार्यालय कन्वेक्टर (खनि बाबा), जिला-राजनांदगांव के द्वारा अनांक/2788/खनि. 02/2018 राजनांदगांव, दिनांक 04/11/2018 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार एका खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मठ, अस्पताल, स्कूल, पुस्तकालय, पानीकट, बांध एवं जल अनुसंधान अति प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।
6. खुनि एवं लीज का विवरण – खुनि एवं लीज की योजना बाबाबाबी के नाम पर है। लीज क्षेत्र 5 वर्षी अर्थात् दिनांक 07/05/2007 से 08/05/2012 तक थी। तत्पश्चात् प्रथम नवीनीकरण 5 वर्षी अर्थात् दिनांक 07/05/2012 से 08/05/2017 तक किया गया। तत्पश्चात् लीज क्षेत्र 20 वर्षी अर्थात् दिनांक 07/05/2017 से 08/05/2037 तक विस्तारित की गई है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2016 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. वन विमान का अनाथित प्रमाण पत्र — कार्पोरेट वन समूह अधिकारी, बीरगढ़ वनमण्डल बीरगढ़, जिला—राजनांदगांव को प्रमाण प्रमाण/मापि./3022 बीरगढ़, प्रमाण 28/12/2008 से जारी अनाथित प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 10 कि.मी. की दूरी पर है।
9. सड़कपूर्ण संरचनाओं की दूरी — निम्नलिखित आवासीय घाट-बालोचपुर 800 मीटर, सड़क घाट-बालोचपुर 1.3 कि.मी. एवं अलाहाबाद बीरगढ़ 7.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 21 कि.मी. एवं राजमार्ग 228 कि.मी. दूर स्थित है।
10. पारिस्थितिकीय/सौचिकीयता संबंधित क्षेत्र — परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय राजमार्ग, अलाहाबाद, केंद्रीय प्रमुख निवेशकों द्वारा घोषित कृषि/कृषि-पौलट्रीक एरिया, पारिस्थितिकीय संबंधित क्षेत्र का घोषित पारिस्थितिकीय क्षेत्र स्थित नहीं होने प्रतिबंधित किया है।
11. खनन संपदा एवं खनन का विवरण — विजयलोकियल रिजर्व 8,79,879 टन, माईनिकल रिजर्व 2,29,182 टन एवं रिजर्वेशनल रिजर्व 1,40,828 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,505 वर्गमीटर है। खनन साइट सभी मैकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 22 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर एवं कुल गांवा 8,400 घनमीटर की, जिसमें से 7,000 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को पूर्व से उत्खनित किया जा चुका है। वर्तमान में ऊपरी मिट्टी की अनुमानित मात्रा मात्रा 1,400 घनमीटर है। इस मिट्टी को 7.5 मीटर (सोपटी जोन) क्षेत्र में पीलावन कुशलतापूर्वक के लिए उपयोग किया जाएगा। क्षेत्र की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 12 वर्ष है। लीज क्षेत्र में अंतर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं है। लीज हेमर से डिजिटल एवं सैटेलाइट मानचित्रण किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का सिद्धकृत किया जाता है। सर्वेक्षण प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	12,500
द्वितीय	12,500
तृतीय	12,500
चतुर्थ	12,500
पंचम	12,500

12. जल आपूर्ति — परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति क्षेत्रगत के माध्यम से की जाती है। इस बावजूद सेंट्रल हाइड्रो पौडर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
13. कुशाघोषण कार्य — लीज क्षेत्र की सीमा में बायो और 7.5 मीटर की पट्टी में 721 नम कुशाघोषण किया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के भीतर पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के तहत निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है:-



विवरण		प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
खदान के बादगुड़ी में (721 वर्ग) प्लांटेशन हेतु	प्लांटेशन (30 प्रतिशत जीवन वन) हेतु रकित	54,798	5,472	5,472	5,472	5,472
	जीवित हेतु रकित	1,40,300	—	—	—	—
	चार हेतु रकित	5,400	540	540	540	540
	विनाई एवं रक्ष- संचाल हेतु रकित	2,98,000	2,18,000	2,18,000	2,18,000	2,18,000
कुल रकित = 13,54,444		4,68,368	2,22,012	2,22,012	2,22,012	2,22,012

14. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उल्लेखन — सीमा क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 4,508 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से पूर्व दिशा में 135 वर्गमीटर क्षेत्र 3 मीटर की गहराई तक, पश्चिम दिशा में 457.5 वर्गमीटर क्षेत्र 5 मीटर की गहराई तक, उत्तर दिशा में 522.5 वर्गमीटर क्षेत्र 5 मीटर की गहराई तक तथा दक्षिण दिशा में 502.5 वर्गमीटर क्षेत्र 5 मीटर की गहराई तक उल्लेखित है, जिसका उल्लेख अनुमोदित नॉन्डिस्ट्रिबुट क्वॉरी प्लान में किया गया है। अतः परिशोधन इलाका के विस्तृत नियमानुसार विचारित कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

15. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल नॉन्डिस्ट्रिबुट हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तों जारी की गई हैं। तर्ज क्रमांक 13333 के अनुसार—

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्तों के अनुसार नॉन्डिस्ट्रिबुट क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सीमा क्षेत्र में प्लांटेशन किया जाना आवश्यक है।

16. ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण :-

1. जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी — नॉन्डिस्ट्रिबुट कार्य अक्टूबर 2020 में दिसम्बर 2020 के बीच किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतराल 11 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 10 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 11 स्थानों पर छानि स्तर मापन, 10 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 5 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

2. नॉन्डिस्ट्रिबुट परिणामों के अनुसार पीएम, एअरबी, एनबी, का सामंजस लेवल—

Concentration level ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Maximum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CPCB Standard ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
PM _{2.5}	25.32	44.77	60

PM ₁₀	47.22	67.15	100
SO ₂	7.34	14.68	80
NO ₂	11.31	20.33	80

- iii. परियोजना स्थल की वास्तविक जल सतहों की सुनसूची- ईआईए की Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये लेवल अनुसार क्लोरिडिल, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स एवं अन्य रासायनिक तत्वों का मानक लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. परिवर्तित ध्वनि स्तर-

Equivalent Noise level	Noise level - dB (A)		GPCB Standard dB (A)
	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	
Day L _{eq}	47.86	54.87	75
Night L _{eq}	32.1	40.21	70

जो ऊपर क्षेत्र की निर्धारित मानक स्तर से कम है।

- v. पी.सी.यू की गणना- गती वाहनों / मशीनरयन डीपी वाहनों की सम्बन्धित कमी सुबे ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिससे अनुसार वर्तमान में 48 पी.सी.यू प्रतिघंटा एवं की/मी अनुसार (V/C ratio) 0.043 है। प्रस्तावित परियोजना उपरान्त 6 पी.सी.यू की वृद्धि होगी। तत्पश्चात् कुल 54 पी.सी.यू प्रतिघंटा एवं की/मी अनुसार (V/C ratio) 0.04 होगी। विस्तार के उपरान्त की डी-मॉटरिंग / डोकटर्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैपिटी क्षमता निर्धारित मानक (Excellent 0.0-0.2) से नीचे है।

vi. जी.एल.पी की गणना -

Contributed Concentration Levels Particulate Matter (AMBIENT INCLUDED MINING ACTIVITY) For PM ₁₀					
S. No.	Activity in the mine	Maximum Baseline Concentration GLCs (µg/m ³) at core area	Calculated GLCs (µg/m ³)	Resultant Concentration (µg/m ³)	Limit (Industrial, Residential, Rural and other area) (µg/m ³)
1.	Overall Activities control RCM	67.15	11.0	78.15	100
2.	Overall Activities uncontrolled RCM		30.0	97.15	
3.	RCM Blasting		1.1	98.25	

12. लोक सुनवाई दिनांक 18/09/2021 प्रातः 12:00 बजे स्थान - ग्राम पंचायत मदन कलकवा, ग्राम-कलकवा, जलसील-बीरगढ़, जिला-राजसमंदमें संवर्ण हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, जलसीलराजसमंद संवर्ण मंडल, मदन कलकवा अटल मदन, जिला-राजपुर के पत्र दिनांक 03/11/2021 द्वारा प्रेषित किया गया है।

18. समुचीकरण के दौरान परिशोधन प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करने वाले कुल 14 खदानें आती हैं, जिसमें से वर्तमान में 11 खदानों द्वारा पर्यावरणीय सर्वेक्षित प्रस्ताव करने हेतु आवेदन किया गया है एवं दोन खदानों को पूर्ण से ही पर्यावरणीय सर्वेक्षित नहीं हो चुकी है। अतः कुल 11 खदानों द्वारा सामुहिक रूप से जनसुनवाई कराया गया है। जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न मुद्दाय/विषय प्रस्तुत किये गये हैं:-

1. पर्यावरण को हानित होने से बचाने के लिए वृक्षारोपण का कार्य अतिविवेक करने की बात करें। जीव सम्पदा होने के बाद खदान को खुला ही छोड़ देने से ही इस खदान के आगे तक नजर आये का पेट किया जाना चाहिए। पूर्ण में खदान में 5-7 जालवार गिर चुके हैं जिसकी मृत्यु हो चुकी है।
2. इसी अवधि में पत्थर के टुकड़ों को खेत में बने जाते हैं एवं अवधि में पूर्ण किसी प्रकार से सुचना नहीं दी जाती है, जिससे खेत में काफी मात्रा में सार्विक क्षति होती है।
3. खदान को खुलने से पूर्ण विविध बांध बनाना हो चुके हैं। जिस कारण खेतों में पानी नहीं पहुँच पाता। गाँव में विवाद हेतु एकमात्र खदान 2 बाँध है। खदान होने से बाँध का पानी नहीं सकता है। पानी बना नहीं है, पानी जो बना हुआ था वो टूट चुका है। दोनों बाँध में पानी है। अतः पानी को बनाने का काम किया जाए।
4. प्रथमिकता के अभाव पर संबंधित घातों को लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए। साथ ही घात के निवासियों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

लोक सुनवाई के दौरान उठाने गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परिशोधन प्रस्तावकों की ओर से संबंधित प्रतिनिधि/कंसल्टेंट का कथन निम्नानुसार है:-

1. प्रस्ताव का मुख्य कारण कुल उत्पन्न है, जिसे रोक्ने के लिए पानी का विज्ञान किया जाएगा। खदान के आगे और तक काफी सतह के सिन्डरे वृक्षारोपण किया जाएगा जिससे पूरा का उत्पन्न रूप हो जाएगा। खदान को घात तक से आतीले घातों से बेट जाएगा जिससे भी उत्पन्न खदान में या गिरे।
 2. अनुभवी कंसल्टर की निगरानी में ही कंट्रोल अवधि में किया जाएगा, अवधि में निम्न स्तर पर किया जाना प्रस्तावित है। अवधि में पूर्ण टूट बजाकर लोगों को सुचना दी जाएगी।
 3. इनके द्वारा महिलाओं का ऑर्गेनाइज किया जाएगा तथा खदान में जो पानी बना हुआ है उसे भी विवादों के लिए खदान करेंगे।
 4. विविध बेरोजगारों को रोजगार के अभाव पर रोजगार हेतु प्रथमिकता दी जायेगी। बाँधों के लिए समय समय पर स्वास्थ्य किराए लगाया जाएगा।
19. कंसल्टर हेतु डॉ. निमन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेंट फंड - परिशोधन प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करने वाले कुल 14 खदानें आती हैं। अतः कंसल्टर ने शामिल खदानों द्वारा डॉ. निमन इन्फ्रास्ट्रक्चर

सेनेजेट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉर्पोरेट इन्फ्रास्ट्रक्चर सेनेजेट प्लान को लागू किया कार्य प्रस्तावित है:-

विवरण		प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
8.7 कि.मी. पट्टी की दोनों तारों (2.407 मग) पुनरोपकरण हेतु	पुनरोपकरण (80 प्रतिशत जीवन वर) हेतु राशि	1,98,292	18,772	18,772	18,772	18,772
	पेरिफिंग हेतु राशि	18,73,600	—	—	—	—
	खार हेतु राशि	18,800	1,880	1,880	1,880	1,880
	सिंकाई एवं खाद-खास हेतु राशि	11,84,000	8,84,000	8,84,000	8,84,000	8,84,000
कुल राशि =		20,11,492	8,84,632	8,84,632	8,84,632	8,84,632

कॉर्पोरेट इन्फ्रास्ट्रक्चर सेनेजेट प्लान में परिवर्धन प्रस्तावक की सहमति प्राप्त निम्नानुसार होगी:-

विवरण		प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
348 मीटर वार्ड की दोनों तारों (231 मग) पुनरोपकरण हेतु	पुनरोपकरण (80 प्रतिशत जीवन वर) हेतु राशि	17,558	1,749	1,749	1,749	1,749
	पेरिफिंग हेतु राशि	1,84,800	—	—	—	—
	खार हेतु राशि	1,740	180	180	180	180
	सिंकाई एवं खाद-खास हेतु राशि	1,27,811	80,811	80,811	80,811	80,811
कुल राशि =		1,47,909	82,540	82,540	82,540	82,540

20. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2008 (एन.ए.ए.ए.ए.) की प्रावधानों एवं माननीय एन.डी.टी. द्वारा जारी आदेशों के अनुसार सम्पूर्ण सलाह हेतु कॉर्पोरेट इन्फ्रास्ट्रक्चर सेनेजेट प्लान तैयार किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि सलाह में शामिल सभी सदस्यों द्वारा अपने-अपने पर्यावरणीय दायित्वों की संरक्षण हेतु सदस्यों की वित्तीय एवं भौतिक सहमति प्राप्त सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि सलाह में जाने वाले सदस्यों की उत्तम प्रतिनिधियों से पर्यावरणीय सदस्यों पर पड़ने वाले दायित्वों की संरक्षण हेतु सलाह में जाने वाली वीए समस्त सदस्यों को शामिल करते हुए, सलाह हेतु कॉर्पोरेट इन्फ्रास्ट्रक्चर सेनेजेट प्लान तैयार करते जाने तथा अर्थात् से किंवदन्ति सत्यता जाने हेतु संचालक, संचालन-सहायक, सीनियर तथा जूनियर, इंटरमीडियट, नया सचिव अदल मगर, जिला - रायपुर (प्रतीक) को सलाह से सम्बन्धित कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

21. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - परिवर्धन प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति को सलाह देना से सभी उपाय निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
54	2%	1.08	Following activities at nearby, Village-Baldeoapur	
			Pavitra Van	12.54
			Nirman	
			Total	12.54

सी.ई.आर. के अंतर्गत "परिष्कृत वन सिस्टम" के तहत (अंशक, 400 बीघर, वीम, आग, जर्जुन, बेल आदि) पुनर्स्थापन हेतु प्रस्तावित प्रस्ताव अनुमान 400 वन बीघरों के लिए वार्षिक 20,400 रुपये, बीसियों के लिए वार्षिक 77,700 रुपये, खार के लिए वार्षिक 3,000 रुपये, सिंचाई तथा पत्र-संचार आदि के लिए वार्षिक 2,68,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल वार्षिक 3,72,100 रुपये तथा आगामी 4 वर्षों में कुल वार्षिक 8,72,360 रुपये हेतु परामर्शक कोष का विभाजन प्रस्तुत किया गया है। परिष्कृत प्रस्तावक द्वारा वन संभारक बलदेवपुर की सहनशीलता का अध्ययन स्थान (समस्त अक्षांश 78°/1, लंबाई 0.25 डीग्री) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

22. क्लेक्टर हेतु वॉलम इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार कर क्लेक्टर खदानों को एक स्थान में प्रदर्शित करके इसे जानकारी प्रस्तुत की गई है। साथ ही क्लेक्टर में जाने वाले सस्ता खदानों द्वारा वॉलम इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के तहत किये जाने वाले कार्यों हेतु अनुबंध करके जानकारी प्रस्तुत किया गया है।
23. क्लेक्टर में जाने वाले क्लेक्टर खदानों के लिए वॉलम वॉलम इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान हेतु सभी खदानों को अंतराल एवं दंडाल सहित नक्शों में दर्शाते हुए पुनर्दर्शित कर प्रस्तुत किया गया है।
24. पर्यावरण अंतराल पुनर्स्थापन नीति के तहत स्थानीय लोगों को योग्यता के अंतराल पर संलग्न में प्रदर्शित करने के लिए जाने हेतु सचिव पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
25. जानकारी के दौरान विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परिष्कृत प्रस्तावक द्वारा प्राचीनों के समक्ष दिखे नये अवसरों को पूरा करने हेतु सचिव पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
26. पर्यावरण अंतराल पुनर्स्थापन के निराकरण हेतु निर्धारित जल विभाजन किये जाने बाबत सचिव पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
27. अंतराल प्रदर्शित का कार्य लिसेंस आइसोस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत सचिव पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
28. वॉलम इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट के तहत लव की गई वार्षिक का उपयोग पर्यावरण को हित में किये जाने बाबत सचिव पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

28. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वॉलिंग करवाने का प्रावधान किया जाने बाबत कार्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
29. काली मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर परिवर्तित कर संभाल रखे जाने हेतु मिट्टी का दुरुपयोग न करने, विखर न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनःप्राप्त में किये जाने बाबत कार्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
30. सी.ई.आर. के तहत राप की नई सड़क का उपयोग गांव को द्वारा ही नई भूमि में वॉलिंग करवाने का प्रावधान किया जाने बाबत कार्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
31. समिति का मत है कि सी.ई.आर., कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर केनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर केनेजमेंट प्लान में परिशोधन प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख-रखाव एवं पुनःप्राप्त कार्य को वॉलिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (ग्रामपंचायत/इतिमिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी, इतिमिधि एवं विद्या प्रशासन या एलीसायड पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी, इतिमिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर., कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर केनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर केनेजमेंट प्लान में परिशोधन प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख-रखाव एवं पुनःप्राप्त का कार्य पूर्ण किये जाने को वारंवार गठित त्रि-पक्षीय समिति से अपेक्षित कराया जाना आवश्यक है।
32. भारतीय एन.डी.टी., विभिन्न क्षेत्र, नई दिल्ली द्वारा सर्वोदय सम्बन्ध विरुद्ध भारत सरकार, पटौवल, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (अतिरिक्त एपिलेशन नं. 188 ऑफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 की तारीख आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है—

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha, EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श करवाते सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पटौवल, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का चलन अधिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. सुमई 2020 से आज दिनांक तक किये गये उत्खनन की वार्षिक मात्रा की आधार जानकारी वार्षिक रिपोर्ट से उपलब्ध कराकर प्रस्तुत किया जाए।
3. Damage Assessment Plan, Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan को शामिल करते हुए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (Environment Compensation) की गणना कर जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. भविष्य में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये बिना उत्खनन नहीं करने एवं उत्खनन क्षमता से अधिक उत्खनन कार्य नहीं किये जाने बाबत कार्य पत्र (undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

6. दिनांक 04/08/2022 से दिनांक 31/08/2022 तक की अवधि का परिवोजना प्रस्तावक द्वारा खदान का सी.ए. से सर्टिफिकेट्ड टर्न-ओवर की प्रति प्रस्तुत की जाये जिससे कि खदान का प्रस्तावीन अवधि में टर्न-ओवर की जानकारी प्राप्त कर नियमानुसार अर्बिटर अधिदेशित किया जा सके।

6. साईन सील लेव के गार्ड जोर 7.5 मीटर चौड़े सेन्टी जॉन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस लेव के उपवर्गी उपवर्गी (Geological Measures) के संकेत में तथा सील लेव के अंदर साईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्खनन प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपवर्गी तथा फुलरीयन आदि के किये समुचित उपवर्गी को क्रियान्वित करने हेतु संघालक, संघालनकार, भीमिडी तथा खणिकर्मी, इटावती मयन, नया रायपुर अटल मयन, जिला - रायपुर (इलाहाबाद) को लेख किया जाए।

7. अधिदेशित 7.5 मीटर चौड़ी सील पट्टी में किये उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परिवोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई किये जाने हेतु संघालक, संघालनकार, भीमिडी तथा खणिकर्मी को एवं पर्यावरण को हानि पहुंचाने हेतु फुलरीयन फुलरीयन संघालन मंडल, नया रायपुर अटल मयन को नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई किये जाने हेतु लेख किया जाए।

परिवोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए। तथा ही एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत बनकर, बरौला, एवं एवं उत्तराखण्ड परिवर्तन संकल्प, नया रायपुर अटल मयन एवं संघालक, संघालनकार, भीमिडी तथा खणिकर्मी, इटावती मयन, नया रायपुर अटल मयन, जिला - रायपुर तथा इलाहाबाद फुलरीयन संकल्प मंडल, नया रायपुर अटल मयन को पत्र लेख किया जाए।

2. मेसर्स इलाहाबाद साईन स्टोन साईन (प्री.- वी. संजय अग्रवाल), राम-इलाहाबाद, लखीम-बलीदाबाजार, जिला-बलीदाबाजार-बाटाघाट (सचिवालय का नम्ब्री क्रमांक 1848)

ऑनलाइन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर-एमआईए /सीसी /एमआईएन / 288392/ 2022, दिनांक 24/08/2022 द्वारा फुलरीयन स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया। परिवोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन में त्रुटियां होने से कारण दिनांक 03/09/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परिवोजना प्रस्तावक द्वारा कठित जानकारी दिनांक 07/09/2022 को ऑनलाइन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्ण वी. संघालित कुल पत्थर (सीन खनिज) खदान है। खदान राम-इलाहाबाद, लखीम-बलीदाबाजार, जिला-बलीदाबाजार-बाटाघाट सिट्ट पॉर्ट ऑफ खदान क्रमांक 184/2, 184/3 एवं 184/4, कुल क्षेत्रफल-0.831 हेक्टेयर में है। खदान की अधिदेशित उत्खनन क्षमता-15,300.23 टन प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परिवोजना प्रस्तावक को एम.ई.ए.सी, फुलरीयन को ज्ञान दिनांक 03/09/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 422वीं बैठक दिनांक 07/09/2022-

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परिवोजना प्रस्तावक को पत्र दिनांक 07/09/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि अतिरिक्त जल्दी से अगले बैठक

में प्रस्तुतीकरण किया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आवेदित बैठक में कार्य प्रदान करने हेतु अनुत्तर दिया गया है।

समिति द्वारा उत्तरमय सर्वसम्मति से निर्णय दिया गया था कि परिषदीय प्रस्तावक को पूर्व में जारी गई अधित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिने जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

उत्तनुसार परिषदीय प्रस्तावक को एल.ई.ए.सी., जलौसगढ़ को ज्ञापन दिनांक 08/01/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ख) समिति की 445वीं बैठक दिनांक 11/01/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परिषदीय प्रस्तावक द्वारा कोई अनुत्तर पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय दिया गया कि परिषदीय प्रस्तावक द्वारा अधित जानकारी एवं अनुत्तर पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परिषदीय प्रस्तावक को उत्तनुसार सूचित किया जाए।

19. **बैठक सनीजरीद लाईन पटोन क्वार्टी माईन (जी.- भीमती ज्वनटी सभ्)**, ग्राम-सनीजरीद, तहसील-सिमना, जिला-बलौदाबाजार-माटाचरा (सचिवालय का कार्यालय क्रमांक 1918)

ऑनलाईन आवेदन - उपरोक्त मांवर - एल.ई.ए./ सीजी/ एन.लाईन/71310/2022, दिनांक 20/01/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है। परिषदीय प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कनिष्ठी होने से ज्ञापन दिनांक 28/01/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट किया गया। परिषदीय प्रस्तावक द्वारा अधित जानकारी दिनांक 25/08/2022 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह सभ्ता विस्तार का प्रस्ताव है। यह पूर्व से संघर्षित युवा सभ्ता (जी. सभ्ता) सभ्ता है। सभ्ता ग्राम-सनीजरीद, तहसील-सिमना, जिला-बलौदाबाजार-माटाचरा, सभ्ता क्रमांक-807, 808, 809/1, 809/2, 809/3, 809/4, 810/1 एवं 810/2, कुल क्षेत्रफल-1.219 हेक्टर में है। सभ्ता की आवेदित प्रस्तावना सभ्ता-28,425 टन प्रतिवर्ष है।

उत्तनुसार परिषदीय प्रस्तावक को एल.ई.ए.सी., जलौसगढ़ को ज्ञापन दिनांक 14/09/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(ख) समिति की 424वीं बैठक दिनांक 28/09/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परिषदीय प्रस्तावक को पत्र दिनांक 20/09/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि आवेदित प्रस्ताव हेतु ऑनलाईन ऑटो टी.ओ.आर. (Auto TOR) जारी हो गया है। साथ ही प्रस्ताव में जाने वाली अन्य सभ्ताओं को लिए बैकलाईन सभ्ता कलेक्टर का कार्य दिनांक 01/08/2022 से 31/08/2022 को कार्य किया गया है। उक्त के संबंध में दिनांक 14/09/2022 को सूचना भी दी गई थी। परिषदीय प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन जारी ऑटो टी.ओ.

आम. (Amo Tar) को मान्य करती हुए ई.आई.ए. निर्देश प्राप्त किए जाने की अनुमति हेतु अनुमोद किया गया है।

समिति द्वारा नोट किया गया कि ऑनलाईन में अटीसी टी.ओ.आर. जारी हो चुका है। चूंकि समिति द्वारा प्रस्ताव या प्रस्तुतीकरण हेतु विचार नहीं किया गया है। अतः समिति द्वारा मन्त्री, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण एवं तत्समक सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्ण में जारी नई वारिंट जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिए जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एम.ई.ए.सी. प्रतीसपत्र की प्रमाण दिनांक 09/01/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 445वीं बैठक दिनांक 11/01/2023

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी परियोजना उपस्थित नहीं हुई। परियोजना प्रस्तावक की पत्र दिनांक 11/01/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि अवशिष्ट मामलों से समिति को समक बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना समय नहीं है। अतः उपरोक्त आवेदित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुमोद किया गया है।

समिति द्वारा विचार विचार उपरोक्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्ण में जारी नई वारिंट जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिए जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

एजेन्डा आइटम क्रमांक-3 परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रेषित वारिंट जानकारी/दस्तावेज प्राप्त प्रकल्पों में अवलोकन पत्रकाय विचार कर पर्यावरणीय सीक्युरिटी / टी.ओ.आर. / अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।

1. मेराल नुक्तिपालना आर्दिन्सी स्टीन कारी (प्ले.- बीमली बीना सिड), पाम-नुक्तिपालना, तहसील-मनेन्द्रपद, जिला-कोरिया (सुविधाजय का नवती क्रमांक 1882)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एम.आई.ए./ सी.सी./ एम.आई.ए./ 200082/ 2022, दिनांक 20/04/2022 द्वारा पर्यावरणीय सीक्युरिटी हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्ण संघारित सडाल पल्ल (सील सुनिज) सडाल है। सडाल डाम-नुक्तिपालना, तहसील-मनेन्द्रपद, जिला-कोरिया स्थित सडाल क्रमांक - 2/1, कुल क्षेत्रफल - 2023 हेक्टर में है। सडाल की आवेदित सडाल पल्ल सडालन सडाल - 12.888 टन प्रतिवर्ष है।

परियोजना प्रस्तावक को एम.ई.ए.सी. प्रतीसपत्र की प्रमाण दिनांक 03/08/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 419वीं बैठक दिनांक 08/08/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु की योजना विद्. अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हूँ। समिति द्वारा नयी, प्रस्तुत जानकारी का अद्यतन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण—

- a. पूर्व में संघालय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 2/1, कुल संख्या — 2020 संख्या, संख्या — 12,034 टन (3,471.85 घनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण संरक्षण निर्देशन अधिकरण, जिला-बरेilly द्वारा दिनांक 10/01/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक से 5 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गई थी।
- b. भवन संरक्षण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संरक्षण, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिनियम दिनांक 18/01/2021 अनुसार—

"8A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 09/01/2023 तक वैध होगी।

- a. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पेशकृत क्षेत्रीय कार्यलय, भवन संरक्षण, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन संरक्षण, संयुक्त से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन परिशेषन द्वारा कम प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- b. निर्धारित सार्वभूत 500 नग क्यूबरीयल किंचत मघ है।
- c. कार्यलय कलेक्टर (अग्नि संरक्षा), जिला-बरेilly के द्वारा अंशक/1048/अग्नि/उ.प./2021 बरेilly, संकुलपुर, दिनांक 14/01/2021 द्वारा विगत वर्ष में किंचे नवे उल्लंघन की जानकारी निम्नप्रकार है—

वर्ष	प्रस्तावन (घनमीटर)
2016	निरक
2017	632
2018	447
2019	390
2020	642

समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा विगत वर्ष 2020 से आठ दिनांक तक किंचे नवे उल्लंघन की वास्तविक जानकारी प्रस्तुत किंचत जन्त आवश्यक है।

2. धाम संरक्षण का अनापत्ति प्रमाण पत्र — उल्लंघन के संघे में धाम संरक्षण सुविधासंस्था का दिनांक 20/10/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किंचत

7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,800 वर्गमीटर है। अल्पतम काल में मेंडो-नॉन-मंडो विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 22 मीटर है, जिसमें से 18 मीटर पहाड़ी क्षेत्र है। सीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 3,325 घनमीटर है। क्षेत्र की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की स्थापित आयु 42 वर्ष है। सीज क्षेत्र में अंतर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है जिसका क्षेत्रफल 1,000 वर्गमीटर होगा। जैक ड्रेयर के डिजाइन एवं कंट्रोल स्थापित किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का सिस्टम स्थापित किया जाता है। अंतर स्थापित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है—

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	12,073
द्वितीय	12,069
तृतीय	12,069
चतुर्थ	12,069
पंचम	12,069

12. जल आपूर्ति - परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति जल संचयन के माध्यम से किया जाता है। इस कार्य प्राप्त संचयन का अनुमानित प्रमाण वर्ष प्रस्तुत किया गया है।

13. कुशाभोग कर्म - सीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,000 वर्ग कुशाभोग किया जाएगा। अंततः प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए प्रति 50,000 रुपये, सीमिन के लिए प्रति 1,41,450 रुपये, खाद के लिए प्रति 10,000 रुपये, रक-रकड़ आदि के लिए प्रति 35,000 रुपये, इस प्रकार कुल प्रति 2,37,450 रुपये प्रथम वर्ष हेतु एवं कुल प्रति 1,44,000 रुपये आगामी चार वर्षों हेतु पर्याप्त खाद का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

14. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन - सीज क्षेत्र की चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

15. सीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 3,325 घनमीटर है। ऊपरी मिट्टी की सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में 1 मीटर ऊंचाई तक पर्याप्त कुशाभोग करने उपरांत क्षेत्र ऊपरी मिट्टी का उपयुक्त इंट निर्माण के लिए किया जाना बलबल गया। इस संबंध में समिति का मत है कि ऊपरी मिट्टी का उपयुक्त इंट निर्माण हेतु नहीं किया जाएगा। अतः ऊपरी मिट्टी के रक-रकड़ के संबंध में उपयुक्त जलकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी ई आर (Corporate Environment Responsibility) का अनुसूचित प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा उत्खनन कार्यसम्पत्ति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था कि—

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का प्रारंभ प्रतिबंध प्राप्त का प्रस्तुत किया जाए।
2. विगत वर्ष 2020 से अब तक किसी नये उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी उपरिष्ठ विभाग से प्राप्तित कनाकर प्रस्तुत किया जाए।

(Handwritten signature)

3. प्रस्ताव की संशोधना हेतु वाम संशोधन का अनुमोदन प्रमाण पत्र प्रस्तुत की जाए।
4. लीज क्षेत्र में वन क्षेत्र की सीमा की लंबाई 50 मीटर में न्यूनतम क्षेत्र घोषणा प्रस्ताव कार्य किया जाए तथा अगामी वर्ष की वसंत ऋतु में वन क्षेत्र हेतु विचार किये जाने वाले न्यूनतम सीमा में 50 मीटर में न्यूनतम क्षेत्र घोषणा अनुमोदन कार्य के संबंध में प्रमाण पत्र (Affidavit) प्रस्तुत किया जाए।
5. काली मिट्टी के सब-खंड हेतु प्रस्ताव संशोधन प्रस्तुत की जाए।
6. सी.ई.आर. की लंबाई सुधार हेतु सीमा का संशोधन सुझा हेतु कठिन कार्य एवं सिंचाई तथा सब-खंड के लिए 5 वर्षों का पर्यवेक्षण एवं का विचार उचित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
7. कंट्रोल बरसिंग का कार्य विस्फोटक न्यूनतम प्रमाण (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने संबंध में प्रमाण पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
8. परियोजना से दिन-दिन बढ़ती से न्यूनतम वसंत ऋतु में वन क्षेत्र पर निर्धारित वन विस्तार की घोषणा किये जाने संबंध में प्रमाण पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
9. न्यूनतम लीज क्षेत्र की लंबाई एवं वसंत ऋतु सुधार हेतु विचार किये जाने एवं सीमा सीमा का संरक्षण एवं रेट (Survival rate) को प्रतिबद्ध सुनिश्चित किये जाने संबंध में प्रमाण पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा विस्तृत अनुमोदन नियम (Minerals Concession Rules) की लंबाई न्यूनतम विस्तार द्वारा संशोधन का कार्य सुनिश्चित किये जाने संबंध में प्रमाण पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लाल, पीला, नहर, नदी, नाला एवं अन्य वन विस्तारों के संरक्षण एवं संरक्षण हेतु प्रस्ताव : वन की सीमा प्रस्तुत किये जाने संबंध में प्रमाण पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आदेश का पालन पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उनका विस्तृत इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायमूर्ति प्रस्ताव को के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में उचित नहीं है।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आदेश का पालन से संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उनका विस्तृत भवन संरक्षण पर्यवेक्षण एवं और अन्य न्यूनतम परियोजना न्यायालय की अधिनियम का कार्य (अनु) दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई पर्यवेक्षण का प्रस्ताव उचित नहीं है।

उपरोक्त उचित जानकारी/प्रस्तावक प्रमाण होने पर्याप्त जानकारी कार्यवाही की जाएगी।

उपरोक्त एस.ई.ए.सी. कार्यवाही के अंतर्गत दिनांक -14/08/2022 के परिपत्र में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 30/11/2022 को जानकारी/प्रस्तावक प्रस्तुत किया गया।

(स) समिति की 445वीं बैठक दिनांक 11/01/2023

समिति द्वारा जारी प्रस्तुत जानकारी का अनुमोदन एवं परियोजना कार्य एवं विचार किये जायेंगे।



1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर में पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त किये जाने हेतु एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर को दिनांक 28/12/2022 को आवेदन किया गया है।
2. विगत वर्ष 2020 से अब तक किये गये उन्मुखन की कार्यात्मक माप की जानकारी खनिज विभाग से प्राप्तित करारना प्रस्तुत नहीं किया गया है।
3. उत्तर की स्थापना हेतु प्राप्त पंचायत सुविधायाचना का दिनांक 17/03/2022 का अन्यायित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
4. लीज क्षेत्र में वन क्षेत्र की सीमा की तल 50 मीटर वर मरुमिण क्षेत्र मोडकन उन्मुखन जारी किये जाने तक अन्यायी वर्षों की वर्षार उन्मुखन योजना हेतु तैयार किये जाने वाले मरुमिण खनिज से 50 मीटर वर मरुमिण क्षेत्र मोडकन अनुमोदित कराये जाने बाबत समय पत्र (Notarized Affidavit) प्रस्तुत किया गया है।
5. लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 3,329 घनमीटर है। ऊपरी मिट्टी को 28" का सतह रखते हुए लीज की 7.5 मीटर चौड़ी लीज पट्टी 4,890 वर्गमीटर क्षेत्र (आवजन के लिए प्रतिबंधित) में फैलाकर फुलारेणन किया जायगा।
6. सी ई.आर. से तहत फुलारेणन का विस्तृत प्रमाण मिली भूमि से किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। सविधि का यह है कि सी ई.आर. के तहत प्राप्त पंचायत की कालगी प्राप्त भूमि में फुलारेणन हेतु पीसी का समय, मुखा हेतु खनिज, खाद एवं मिट्टाई तथा 258-सहाय के लिए 5 वर्षों का फलस्वार तथा का विस्तृत भंडित विस्तृत प्रमाण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
7. मरुमिण अनुमति का कार्य विस्तृत लाईसंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत समय पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
8. परिशोधन से दिन-दिन जारी हो मरुमिणिक तहत उन्मुखन होना, उन जारी पर नियमित जल सिद्धकन की व्यवस्था किये जाने बाबत समय पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
9. मरुमिण लीज क्षेत्र की उत्तर एवं उत्तर सधन फुलारेणन किये जाने एवं वेदित पीसी का लाजाईयाल रेट (Sunval rate) 50 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत समय पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
10. परिशोधन प्रभावक द्वारा विस्तृत उन्मुखन नियम (Minerals Concession Rule) से तहत बाजगुटी विस्तृत द्वारा सीमाजन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत समय पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
11. परिशोधन प्रभावक द्वारा उत्तर, उत्तर, उत्तर, नदी, नाला एवं अन्य जल सिद्धकन की संरक्षण एवं मरुमिण हेतु प्रमाण : यह की सीमा प्रस्तुत किये जाने बाबत समय पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

[Handwritten Signature]

12. परिचोदना प्रस्तावक द्वारा इस अधिनियम का अन्वय पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि तबसे विरुद्ध इस परिचोदना/संशोधन से संबंधित कोई पर्यावरणीय प्रभावना देश को अंतर्गत किसी भी पर्यावरण से अहित नहीं है।
13. परिचोदना प्रस्तावक द्वारा इस अधिनियम का अन्वय पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिनियम क्र. 28/2017, दिनांक 14/05/2017 से अंतर्गत कोई पर्यावरण का प्रभाव अहित नहीं है।

समिति द्वारा विचार किया गया/उपरोक्त संबंधी/समिति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया-

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का प्रारंभ प्रतिक्रिया प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. विगत वर्ष 2020 से अब तक किसी नए परियोजना की आवधिक मांग की जानकारी अधिनियम से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत किया जाए।
3. सी.ई.आर. को तहत प्राप्त प्रभावना से संबंधित प्राप्त भूमि में कुलमूल्य हेतु क्षेत्र का क्षेत्र, सुझा हेतु अधिनियम, कार्य एवं सिद्धांत तथा एक-एक के लिए 3 वर्षों का पर्यावरण अध्ययन का विवरण अहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त अधिनियम/पर्यावरण अधिनियम/उपरोक्त अधिनियम/उपरोक्त अधिनियम की जाएगी।

परिचोदना प्रस्तावक को तदनुसार सुचित किया जाए।

2. मेसर्स लखना सेन्ट्रल माईन (प्रा. - श्री अनिलेश सिंह राठी) द्वारा लखना, ताहसील-अमरपुर, जिला-रायपुर (सचिवालय का पता क्रमांक 15488)

ऑनसाईन आरेखन - पर्यावरण नाम - एलआईए / सीडी / एलआईएन / 202018/2022, दिनांक 24/02/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनसाईन आरेखन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से अधिनियम से संशोधन (गैर अधिनियम) है। यह संशोधन नाम-लखना, ताहसील-अमरपुर, जिला-रायपुर जिला कक्षा क्रमांक 154, कुल क्षेत्रफल - 3 हेक्टेयर में है। लखना माईन से किया जाता है। संशोधन की लक्ष्यता क्रमांक - 52,866 परमिटर इतिहास है।

तदनुसार परिचोदना प्रस्तावक को एलआईए, पर्यावरण की प्रमाण दिनांक 19/05/2022 द्वारा अनुवीक्षण हेतु सुचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 40वीं बैठक दिनांक 25/05/2022

प्रस्तुत/विचार हेतु श्री सुधीर अग्रवाल, अधिवक्ता प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा पेशी, प्रस्तुत जानकारी का पर्यावरण एवं संचालन करने का निर्णय किया जाई।

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण-

1. पूर्व में जारी प्राप्त प्रभावना अधिनियम(अ) को संशोधन अन्वय क्रमांक 154, कुल क्षेत्रफल-3 हेक्टेयर, क्रमांक-52,866 परमिटर अधिनियम हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति किया जाये/उपरोक्त अधिनियम/उपरोक्त अधिनियम

विवरण-सम्पूर्ण द्वारा दिनांक 28/02/2018 को जारी की गई जो जारी दिनांक से 3 वर्ष की अवधि हेतु वैध थी।

- a. एन.ई.-आई.ए.ए. (अतीसमूह) के ज्ञापन दिनांक 12/12/2018 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत कोसियावासी(एन) को जारी पर्यवेक्षण की शर्तों की अनिवार्य विधि तारीख को नाम पर हस्ताक्षर किया गया है।
- b. पूर्व में जारी पर्यवेक्षण की शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी पर्यवेक्षण असाधारण द्वारा प्रस्तुत की गई है। सचिव का मत है कि पूर्व में जारी पर्यवेक्षण की शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की विस्तृत जानकारी एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नया दिल्ली से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाने हेतु निर्दिष्ट किया गया।
- c. निर्दिष्ट सर्वसुचारु कृतबोधन नहीं किया गया है।
- d. कार्यालय कलेक्टर (अग्निज सहाय), जिला-सम्पूर्ण के ज्ञापन क्रमांक 2111/अग्नि/सीन-8/2022 सम्पूर्ण, दिनांक 30/03/2022 द्वारा जिला स्तर में किसे नये कृतबोधन की जानकारी किया/प्रस्तुत है-

वर्ष	कृतबोधन (घनमीटर)
2019-20	1,000
2020-21	12,000
2021-22 (दिनांक 24/02/2022 तक)	13,000

2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - वेत कृतबोधन की संख्या में ग्राम पंचायत कोसियावासी का दिनांक 15/08/2013 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. विन्यासित/सीमांकित - कार्यालय कलेक्टर, अग्निज सहाय से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार वेत कृतबोधन विन्यासित/सीमांकित कर घोषित है।
4. कृतबोधन योजना - विस्तृत नई नियम पालन प्रस्तुत किया गया है, जो सम्पूर्ण-सहायक (अग्नि), सहायक, सीमांकित तथा सचिव, नया दिल्ली असाधारण से पु. ज्ञापन क्रमांक 887/अग्नि 02/02/स.सी.अनु./न.अ. 01/2022 नया सम्पूर्ण, दिनांक 08/02/2022 द्वारा अनुमोदित है।
5. 500 मीटर की परिधि में निम्न कृतबोधन - कार्यालय कलेक्टर (अग्निज सहाय), जिला-सम्पूर्ण से पु. ज्ञापन क्रमांक/1785, दिनांक 23/02/2022 की अनुसार अनापत्ति कृतबोधन से 500 मीटर की सीमा अनापत्ति अन्य वेत कृतबोधनों की संख्या निम्न है।
6. 200 मीटर की परिधि में निम्न सार्वजनिक क्षेत्र/सहायक - कार्यालय कलेक्टर (अग्निज सहाय), जिला-सम्पूर्ण से पु. ज्ञापन क्रमांक/1785, दिनांक 23/02/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार वेत कृतबोधन से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, पुल, बांध, स्कूल, असाधारण सड़क, मस्जिद, मंदिर, नगरपालिका एवं एन.ई.ए.ए. की घोषित क्षेत्र निर्दिष्ट नहीं है।
7. सीमांकित का विवरण - सीमांकित विधि तारीख को नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (अग्निज सहाय), जिला-सम्पूर्ण के ज्ञापन दिनांक



04/01/2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी अंतिम तिथि 04/01/2022 से तिथि 03/01/2022 तक थी, तत्पश्चात् एक ही अंतिम तिथि 04/01/2022 से 03/01/2022 तक की अंतिम हेतु विस्तारित किए गए हैं।

8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2018 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. खादबचत संरचनाओं की दूरी – निम्नलिखित खादबचत संरचनाओं की दूरी: न्यूनतम खादबचत 300 मीटर एवं अत्यधिक खादबचत 47 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय खादबचत 300 कि.मी. एवं खादबचत 340 कि.मी. दूर है। स्वीकृत वेत खादान के 1 कि.मी. की दूरी तक एकीकृत प्रस्तुत किया नहीं है।
10. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता सर्वेक्षणों की दूरी – पारिस्थितिकीय सर्वेक्षण द्वारा 10 कि.मी. की दूरी पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय खादान अत्यधिक अन्वीक्ष्य प्रमुख निम्नलिखित क्षेत्रों द्वारा घोषित जैवविविधता संरक्षित क्षेत्रों पारिस्थितिकीय सर्वेक्षणों की दूरी पर घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होने घोषित किया है।
11. खादान स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई एवं खादान की नदी तट की दूरी – अंतर्गत अनुसंधान खादान स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई – अधिकतम 1.500 मीटर, न्यूनतम 1.000 मीटर तथा खादान स्थल की चौड़ाई – अधिकतम 200 मीटर, न्यूनतम 100 मीटर एवं खादान स्थल की चौड़ाई – अधिकतम 201 मीटर, न्यूनतम 100 मीटर दर्शाई गई है। खादान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 125 मीटर, न्यूनतम 87 मीटर है, जबकि कुल नदी तट से न्यूनतम दूरी 7.6 मीटर तथा नदी के घाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत क्षेत्र अंतर्गत।
12. खादान स्थल पर वेत की चौड़ाई – अंतर्गत अनुसंधान स्थल पर वेत की चौड़ाई – 5.000 मीटर तथा वेत खादान की अंतर्गत चौड़ाई – 2.5 मीटर दर्शाई गई है। अनुसंधान नदियों में खादान स्थल से नदियों के वेत की चौड़ाई – अंतर्गत प्रत्येक है। वेत खादान हेतु अंतर्गत स्थल पर अंतर्गत में अंतर्गत वेत खादान की चौड़ाई खादान के लिए अंतर्गत स्थल पर 3 मीटर (Max) अंतर्गत खादान की चौड़ाई का खादान के अंतर्गत स्थल से अंतर्गत अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। इसके अंतर्गत वेत की अंतर्गत अंतर्गत 5.000 मीटर है। वेत की चौड़ाई हेतु अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है।
13. खादान क्षेत्र में वेत खादान की चौड़ाई – वेत खादान हेतु अंतर्गत खादान पर अंतर्गत स्थल के नदी क्षेत्र में 100 मीटर की दूरी तक 25 मीटर तथा 25 मीटर की दूरी किन्तु वेत की दूरी 24/12/2021 की वेत खादान के अंतर्गत अंतर्गत Levels लेकर, सभी अंतर्गत स्थल से अंतर्गत खादान अंतर्गत अंतर्गत अंतर्गत अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है।
14. जीववैज्ञानिक सर्वेक्षणों का विवरण (C.E.R.) – पारिस्थितिकीय सर्वेक्षण द्वारा अंतर्गत के अंतर्गत स्थल से अंतर्गत अंतर्गत अंतर्गत अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)

111

			Rspees)	
31.5	2%	0.60	Following activities at Nearby Govt. Primary School, Village- Lakhna	
			Drinking water arrangement with filter & its AMC	
			Water tank (1,000 litr)	0.1
			Pump (1HP)	0.1
			Pipeline & Installation	0.1
			UV Water Filter (50 litr)	0.15
			5 Year AMC	0.1
			Running water arrangement in toilet	
			Water tank (500 litr)	0.075
			Pipeline & Installation	0.125
Total			0.75	

15. सी.इ.आर. के तहत प्रस्तावित स्कूल के प्रिन्सिपल (Principal) का सामग्री पर प्रस्ताव किया गया है।

16. **नहर माइनिंग क्षेत्र** - नदी के घाट की चौड़ाई अधिकतम 1500 मीटर, न्यूनतम 1070 मीटर है, जबकि सड़क की नदी घाट से दूरी अधिकतम 135 मीटर, न्यूनतम 67 मीटर है। नदी किनारे निर्देशों के अनुसार नदी घाट से न्यूनतम 7.5 मीटर अथवा नदी के घाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी तक के क्षेत्र में खनन नहीं किया जा सकता। माइनिंग प्लान के अनुसार नदी घाट के किनारे से खनन क्षेत्र की दूरी नदी के घाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत छोड़कर व्यवस्थित किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें 4.750 हेक्टेक्टर में माइनिंग क्षेत्र रखा गया है। अतः इस व्यवस्था का कार्य खदान की अवधि 2.525 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है।

17. पूर्व में जारी पर्यावरणीय सर्वेक्षणों के ताली के अनुसार निर्दिष्ट तालीनुसार कुशासन द्वारा मानचूच में काले हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पीस के नाम का प्रत्येक किया जाकर फोटोग्राफ सहित जानकारी प्रस्तुत किये जाने संबंध सामग्री पर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।

समिति द्वारा तालीनुसार सर्वेक्षणों से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय सर्वेक्षणों के ताली के ताली में की गई कार्यवाही की निम्नानुसार जानकारी एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, नई दिल्ली, तथा राष्ट्रीय से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय सर्वेक्षणों के ताली के अनुसार निर्दिष्ट तालीनुसार कुशासन द्वारा मानचूच में काले हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पीस के नाम का प्रत्येक किया जाकर फोटोग्राफ सहित जानकारी प्रस्तुत किये जाने संबंध सामग्री पर प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त उचित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरान्त आगामी कार्यवाही की जाएगी।

[Handwritten Signature]

तदनुसार एल.ई.ए.सी., पत्नीसमूह की प्रथम दिनांक 11/07/2022 के परिधि में परिचयना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 15/08/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 428वीं बैठक दिनांक 17/10/2022

समिति द्वारा पत्नी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परिशिष्ट बनाने का निर्णय किया जाई गई।

1. पूर्व में जारी पर्यवेक्षण सूचीकृति के तहत के प्रथम में की गई कार्यवाही की विन्दुवार जानकारी एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यवेक्षण एवं एवं जलवायु परिवर्तन, महालय, नया रायपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संदर्भ में एच.ओ.ई.ए.सी. के अधिका संशोधन क्रमांक P No. 143-22/10/2022, 1A, 1B [E 177258], दिनांक 08/08/2022 का उल्लेख करते हुए परिचयना प्रस्तावक का कथन है कि उनका प्रथम पूर्व में जारी पर्यवेक्षण सूचीकृति के तहत आवेदि विस्तार का प्रथम है। अब उक्त प्रथम पर पुन विचार करने हुए पूर्व में जारी पर्यवेक्षण सूचीकृति के तहत के प्रथम में की गई कार्यवाही की विन्दुवार जानकारी एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यवेक्षण एवं एवं जलवायु परिवर्तन, महालय, नया रायपुर से प्राप्त करने एवं जारी निर्देश का निरास कर स्वयंसायित कर प्रस्तुत किन्तु पर पर्यवेक्षण सूचीकृति के तहत के प्रथम में की गई कार्यवाही को संशोधन करते हुए पर्यवेक्षण सूचीकृति प्रथम किया जाने का अनुरोध है।

2. पूर्व में जारी पर्यवेक्षण सूचीकृति के तहत के प्रथम परिशिष्ट सार्वजनिक सूचारीयता इसी मानदून में जारी हुए पीपी में संख्यांक (Numbering) एवं पीपी के नाम का उल्लेख किया जाकर कोटेशनक सहीत जानकारी प्रस्तुत किन्तु उक्त संख्या संभव पर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया था-

1. पूर्व में जारी पर्यवेक्षण सूचीकृति के तहत के प्रथम में की गई कार्यवाही की विन्दुवार जानकारी एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यवेक्षण एवं एवं जलवायु परिवर्तन, महालय, नया रायपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाय।

2. पूर्व में जारी पर्यवेक्षण सूचीकृति के तहत के प्रथम परिशिष्ट सार्वजनिक सूचारीयता इसी मानदून में जारी हुए पीपी में संख्यांक (Numbering) एवं पीपी के नाम का उल्लेख किया जाकर कोटेशनक सहीत जानकारी प्रस्तुत किन्तु उक्त संख्या संभव पर प्रस्तुत किया जाय।

उपरोक्त समिति, जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने पर प्राप्त जानकारी कार्यवाही की जायगी।

तदनुसार एल.ई.ए.सी., पत्नीसमूह की 428वीं बैठक दिनांक 17/10/2022 के परिधि में परिचयना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 08/12/2022 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ग) समिति की 445वीं बैठक दिनांक 11/01/2023

समिति द्वारा पत्नी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परिशिष्ट बनाने का निर्णय किया जाई गई।

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यवेक्षण एवं एवं जलवायु परिवर्तन, महालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यवेक्षण सूचीकृति का प्रथम परिशिष्ट बनाने का निर्णय किया जाय।

का प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में परिषदीय प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का प्रारंभ प्रतिक्रिया प्राप्त करने हेतु एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर में दिनांक 08/12/2022 को तथा क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय, नगर रायपुर में दिनांक 08/12/2022 को जारी किया गया है। साथ ही परिषदीय प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का प्रस्तुत प्रारंभ प्रतिक्रिया प्राप्त होने के उपरांत एस.ई.ए.सी./एस.ई.आई.ए.ए., प्रतीक में प्रस्तुत करने संबंध प्रस्तुत नहीं किया गया है।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुसृत निर्धारित शर्तानुसार (आवक द्वारा मान्यता के शर्तों द्वारा पीछे में संख्यांक (Numbering) एवं पीछे के नाम का उल्लेख किया जाकर प्रतीक में उचित जानकारी प्रस्तुत करने संबंध प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के प्रारंभ में ही गई कार्यवाही की किन्तु उपरोक्त एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नगर रायपुर के द्वारा का प्रस्तुत किया जाए।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुसृत निर्धारित शर्तानुसार (आवक द्वारा मान्यता के शर्तों द्वारा पीछे में संख्यांक (Numbering) एवं पीछे के नाम का उल्लेख किया जाकर प्रतीक में उचित जानकारी प्रस्तुत करने संबंध प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त उचित जानकारी/संशोधन प्राप्त होने उपरांत अपनी कार्यवाही की जाएगी।

परिषदीय प्रस्तावक को तत्पश्चात सूचित किया जाए।

3. मेसर्स अकोलडीह खपारी लाईन स्टोन (जी पीड) कार्बो माइनिंग (प्रा.-सौराष्ट्र अलायंस), राम-अकोलडीह, तहसील-आरण, जिला-रायपुर (संविनालय का पत्ता क्रमांक 1813)

जी-कलाईन आवेदन - प्रयोजन नाम- एस.आई.ए./सी.टी./एस.आई.ए./आवक /2021, दिनांक 08/08/2021 द्वारा टी.जी.आर. हेतु आवेदन किया गया है। परिषदीय प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जी-कलाईन आवेदन में कमिटी होने के कारण दिनांक 23/08/2021 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट किया गया। परिषदीय प्रस्तावक द्वारा उचित जानकारी दिनांक 22/02/2023 को जी-कलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित कुल क्षेत्र (गैंग खनिज) खदान है। खदान राम-अकोलडीह, तहसील-आरण, जिला-रायपुर जिला कार्यालय 427/1-2, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435/1-2, 436, 438, 439, 441, 443, 445, 446 एवं 447 कुल क्षेत्रफल - 409 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित संयोजन क्षमता - 38.8145 टन प्रतिदिन है।

तत्पश्चात परिषदीय प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., प्रतीक के द्वारा दिनांक 18/08/2022 द्वारा प्रस्तुत किया हेतु सूचित किया गया।

ई.आई.ए. कॉमिटरियल क्विज जाने के संका में कॉमिटरियल क्विज एवं अज्ञान की जानकारी कोटेशनस सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

17. लीज क्षेत्र से नाला 60 मीटर दूर है। समिति का का. है कि पर्यावरणीय दृष्टिकोण से नाले की प्रदूषण से बचाने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तात्कालिक सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था—

1. अज्ञान स्थापना एवं पर्यटन के संका में एक पर्यटन का अन्तर्गत प्रस्ताव का (सर्वोच्च) विवरण सहित प्रस्तुत किया जाए।
2. प्रस्तुत सहमति पत्र में सहमति देने वाले से नोटबन्ध अज्ञान एवं अज्ञान एवं तथा सहमति देने वाले से नोटबन्ध अज्ञान का नाम अन्तर्गत है। जबकि अज्ञान नोटबन्ध अज्ञान के नाम पर है। का. प्रस्ताव के संका में सर्वोच्चता के अज्ञान सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए। साथ ही भूमि अज्ञान अज्ञान 448 का भूमि सहायी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
3. लीज क्षेत्र से निकटतम एक क्षेत्र की वास्तविक दूरी सहायी जानकारी हेतु का विवरण से जारी अन्तर्गत प्रस्ताव पत्र की अज्ञान प्रति प्रस्तुत किया जाए।
4. एन.सी.आई की विगत दृष्टि सहायी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
5. ई.आई.ए. कॉमिटरियल क्विज जाने के संका में कॉमिटरियल क्विज एवं अज्ञान की जानकारी कोटेशनस सहित प्रस्तुत किया जाए।
6. जयपुर सिटी की एक-सहाय एवं भावना हेतु विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
7. पर्यावरणीय दृष्टिकोण से नाले की प्रदूषण से बचाने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

पर्यावरण सहित जानकारी/प्रस्ताव अज्ञान की प्रस्ताव अज्ञान सर्वोच्चता की जाएगी।

समाप्त एवं ई.आई.ए. कॉमिटरियल के अज्ञान दिनांक 11/01/2022 के परिधि में पर्यावरण प्रस्ताव द्वारा दिनांक 15/12/2022 की जानकारी/प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 445वीं बैठक दिनांक 11/01/2022

समिति द्वारा नली प्रस्तुत जानकारी का अज्ञान एवं पर्यावरण अज्ञान का विवरण निम्नित गई गई—

1. अज्ञान एवं अज्ञान की स्थापना के संका में एक पर्यटन प्रस्ताव का दिनांक 12/08/2019 का अन्तर्गत प्रस्ताव पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. प्रस्तुत सहमति पत्र अज्ञान सहमति देने वाले नोटबन्ध अज्ञान एवं अज्ञान एवं तथा सहमति देने वाले से नोटबन्ध अज्ञान है। साथ ही भूमि अज्ञान अज्ञान 448 का भूमि सहायी प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।
3. सर्वोच्च पर्यावरणसहित, सहाय अज्ञान विवरण अज्ञान के अज्ञान अज्ञान/वात.अ./वा/2018 सहाय दिनांक 28/11/2022 से जारी अन्तर्गत प्रस्ताव पत्र अज्ञान अज्ञान क्षेत्र एवं क्षेत्र की सीमा से 10 कि.मी की दूरी का है।

4. एन.सी.आई. की किरा कृषि सब्जी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। बुकि एन.सी.आई. की किरा कृषि हेतु असेटिंग किया गया है, जो प्रतियोगी है।
5. ई.आई.ए. कॉमिटीजिन किरा करने के समय में कॉमिटीजिन किरा गये स्थान की जानकारी कोटीदासम सहित प्रस्तुत किया गया है।
6. उपरी मिट्टी की कुल मात्रा 80,980 घनमीटर है तथा लीज बोर्ड की 7.5 मीटर लंबी लीज पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित बोर्ड) का क्षेत्रफल 10,748 वर्गमीटर है। उपरी मिट्टी का लीज की 7.5 मीटर लंबी लीज पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित बोर्ड) में बिलकूल कुआरोवन किरा जाना बताया गया है। इस संबंध में समिति का मत है कि प्रस्तावित स्थल में 28" का स्तरीय लवरी दूर 1 मीटर की ऊंचाई तक उपरी मिट्टी को भण्डारित कर कुआरोवन किरा करने हेतु तथा बीच उपरी मिट्टी का प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
7. लीज बोर्ड की 500 मीटर की लीज बोर्डें मात्र नहीं होना बताया गया है। प्रस्तुत उपरी स्थान अनुसूचन लीज बोर्ड की परिधि दिशा में 80 मीटर दूरी पर जल संबंधी गलत बताया गया है। समिति का मत है कि पर्यावरणीय दृष्टिकोण से गलत को प्रदूषित होने से बचाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही प्रस्तावित परियोजना हेतु जल की आपूर्ति स्वतंत्र एवं अनुपति सब्जी जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार किरा उपरोक्त सर्वोच्चतम से निम्नानुसार निर्णय किया गया

1. भूमि कागत असाक 458 का भूमि सब्जी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
2. एन.सी.आई. की किरा कृषि सब्जी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
3. पर्यावरणीय दृष्टिकोण से गलत को प्रदूषित होने से बचाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
4. प्रस्तावित स्थल में 28" का स्तरीय लवरी दूर 1 मीटर की ऊंचाई तक उपरी मिट्टी को भण्डारित कर कुआरोवन किरा करने हेतु तथा बीच उपरी मिट्टी का प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाए।
5. प्रस्तावित परियोजना हेतु जल की आपूर्ति स्वतंत्र एवं अनुपति सब्जी जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त समिति जानकारी / दस्तावेज प्राप्त होने परनात अगली कार्रवाई की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

4. मेडर्स कमल स्पेज एण्ड स्टील इंडस्ट्री लिमिटेड, बल-बिल्डा एवं मोहनदास, जड़सील-बिल्डा, जिला-बिलासपुर (सचिवालय का नसी असाक 1493)

अनसुद्धन आवेदन- कुं में प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ आईएसी/ 82824 / 2021 दिनांक 10/04/2021 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था।
 कॉन्सेन में प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ आईएसी/ 72128/ 2018 दिनांक 26/07/2022 द्वारा पर्यावरणीय मीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदन ई.आई.ए. मिट्टी प्रस्तुत किया गया।

प्रस्ताव का विवरण - परिषदना प्रस्तावक द्वारा काम-बिन्दा एवं मीठानदर, लखीम-बिन्दा, जिला-बिन्दापुर स्थित खसरा क्रमांक 313/3, 313/4, 313/5, 313/6, 314/1, 314/2, 314/3 एवं 313/7, कुल क्षेत्रफल - 8.5 एकड़ में इन्डस्ट्रियल फर्निश क्षमता - 72,000 टन प्रतिवर्ष एवं रोलिंग मिल क्षमता - 1,05,000 टन प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदन किया गया है। प्रस्तावित कार्यक्षमता उपरोक्त विनिर्देश की कुल लागत 41 करोड़ होगी।

पूर्व में एच.ई.आई.एच. फ़ैक्ट्रीगण्ड के आगम दिनांक 28/08/2021 द्वारा प्रकरण की-1 कीटनरी का होने के कारण भारत सरकार की पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अक्टूबर, 2018 में इस्वीएल स्वीकृति एमर्जेंट लीक रिपोर्ट (टीसीआर) और इंजॉइर/इंजनीरिंग रिपोर्ट और प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायर्स इम्प्लायमेंट कमीशनर अण्डा इंजॉइर नॉटिफिकेशन, 2008 में वर्णित सेरी 3(ए) का स्वीकृति टीसीआर (बिन्दा लोक सुपरवाइ) मेटालर्जिकल इन्डस्ट्रीज (डिस्क एण्ड गैस-कैप) हेतु जारी किया गया है।

उपरोक्त परिषदना प्रस्तावक की एच.ई.आई.एच. फ़ैक्ट्रीगण्ड के आगम दिनांक 18/08/2022 द्वारा अनुमतिपत्र हेतु सुचित किया गया।

बीडकी का विवरण -

(अ) समिति की 40वीं बैठक दिनांक 25/05/2022

अनुमतिपत्र हेतु की विभिन्न अद्यतन डॉक्यूमेंट्स एवं पर्यावरण सहायकता सेरी 1 एनपीआई, इन्वायरी प्रॉजेंट लिमिटेड, हीलाबाद की ओर से की विभिन्न सुधार उपस्थित हुए। समिति द्वारा नयी, अनुमति जानकारी का अपडेटेशन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का विवरण -

- एच.ई.आई.एच. फ़ैक्ट्रीगण्ड के आगम दिनांक 20/11/2012 द्वारा इन्डस्ट्रियल फर्निश क्षमता - 1,44,000 टन प्रतिवर्ष एवं रोलिंग मिल क्षमता - 1,05,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई थी। इंजॉइर/ए.डि.मूवना (एच.एल.एल.) 2008 के प्रावधानों के अनुसार उक्त पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 18/11/2019 तक थी।
- परिषदना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इन्डस्ट्रियल फर्निश क्षमता - 1,44,000 टन प्रतिवर्ष एवं रोलिंग मिल क्षमता - 1,05,000 टन प्रतिवर्ष के लिए जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में से इन्डस्ट्रियल फर्निश क्षमता - 72,000 टन प्रतिवर्ष के संचालन हेतु फ़ैक्ट्रीगण्ड पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर जिले नगर, जिला-रायपुर से उक्त एवं काम उम्मीद प्राप्त की गई है। कि इन्डस्ट्रियल फर्निश एवं रोलिंग मिल की क्षमता का कार्य हो है। उचितता में उद्योग की स्थापना हेतु 50 प्रतिशत से अधिक का निर्यात कार्य किया गया है।
- परिषदना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि परिषदना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिष्ठान प्राप्त कर अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है।

2. जल एवं वायु सम्बन्धि –

- जलसिंचना परियोजना संयोजन संकेत, नया रामपुर अटल नगर में कुम्हारखाना कॉम्प्लेक्स समता – 38,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्बन्धि में पर्यावरण विभाग 08/08/2020 को जमीनी की गई है।
- पूर्व में जारी सम्बन्धि के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

3. निस्स्रावण विस्तार विचारकलाशों संबंधी जानकारी –

- निस्स्रावण जलाशयी विस्तार 1 कि.मी. की दूरी पर किया है। निस्स्रावण लेवेल स्टेशन विस्तार 1 कि.मी. की दूरी पर किया है। विज्ञापन एक्सपोर्ट 4.5 कि.मी. की दूरी पर किया है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 कि.मी. दूर है। परिवहनी नदी 9 कि.मी. दूर है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 डिजिटलेशन की परिधि में अंतरराष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय राजमार्ग, अन्तरराज्य, संघीय प्रमुख निर्देशक बोर्ड द्वारा घोषित डिजिटल सीमा, परिकल्पित सीमा, परिकल्पित सीमा, सीमा क्षेत्र या घोषित क्षेत्र/विस्तार क्षेत्र विस्तार नहीं होना प्रतिक्रिया किया है।

4. क्षेत्र एरिया स्टैटमेंट –

S.No.	Land use	Area (in SQM)	Area (%)
1	Induction Furnace	2,850	10.18
2	Rolling Mill Area	4,555	17.38
3	Finished Good Area	1,543	6.24
4	Raw Material Area	1,800	7.08
5	Parking Area	2,400	9.12
6	Road Area	2,800	9.88
7	Greenbelt	15,558.8	49.14
Total		28,304.8	100

5. रॉ-मटेरियल –

S. No.	Raw Material	Quantity (TPA)		Source	Mode
		Existing	After expansion		
For Induction Furnace					
1	Sponge Iron	63,171.2	1,26,342.4	Local Market	By Road (through covered trucks)
2	Scrap	18,117.6	36,235.2		
3	Ferro Alloys	831.2	1,662.4		
For Rolling mill					
4	Billets	-	1,23,000	In house Billets	Conveyor

6. स्थापित एवं प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी –

S. No.	Name	Existing Installed Capacity	Proposed Capacity	Total Capacity After Expansion
1.	Induction Furnace	72,000 TPA	72,000 TPA	1,44,000 TPA

2	Hot Charged Rolling Mill	-	1,05,000 TPA	1,05,000 TPA
---	--------------------------	---	--------------	--------------

7. वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था - वर्तमान में स्थापित 2 नम इन्फ्रारेड कर्बोस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु कालेजलन ट्यूब को साथ में फिल्टर एवं 1 नम फिल्टर (लंबाई 30 मीटर) स्थापित है। प्रस्तावित कार्यकाल में हेतु 2 नम इन्फ्रारेड कर्बोस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु कालेजलन ट्यूब को साथ में फिल्टर एवं 1 नम फिल्टर (लंबाई 30 मीटर) स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित कार्यकाल के दौरान दोनों फिल्टरों से पार्टिकुलेट मैटर का एंजलीन 30 मिलीग्राम/क्यूबिक फुट से कम रखा जाना प्रस्तावित है। हीट एंडिंग अथॉरिटी वेजिंग मिल में हीटिंग का उपयोग नहीं करने के कारण वेजिंग मिल में वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं फिल्टर की स्थापना किया जाना प्रस्तावित नहीं है। क्वैटिटी कंट्रोल व्यवस्था नियंत्रण हेतु जल फिल्टरिंग किया जाता है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकाल में अपनई जायेगी।

8. परिवहन प्रभावक द्वारा प्रस्तुतियों के दौरान बताया गया कि प्रस्तावित कार्यकाल के दौरान इन्फ्रारेड कर्बोस से उत्पन्न एन.एस. डिस्टेंस को हीट एंडिंग अथॉरिटी वेजिंग मिल को न्यून से रोल्ड प्रोडक्शन का उत्पादन किया जाएगा तथा वेजिंग डिस्टेंस को जल-परा की अन्य इकाईयों में विकसित किया जाएगा। वि-हीटिंग कर्बोस की स्थापना नहीं किया जाएगा। अतः इस संबंध में प्रस्तावित व्यवस्था प्रस्तावित है।

9. कोक अपशिष्ट व्यवस्था व्यवस्था - वर्तमान में इन्फ्रारेड कर्बोस से कोक - 1,100 टन प्रतिदिन कोक अपशिष्ट को कम में उत्पन्न होता है। प्रस्तावित कार्यकाल के दौरान कोक - 14,200 टन प्रतिदिन, मिल सेबल - 5,400 टन प्रतिदिन, फिल्टर डस्ट - 1 टन प्रतिदिन एवं कुल कोक 200 टन कोक अपशिष्ट को कम में उत्पन्न होगा। कोक को सीमेंट/ हीट मिलों इकाईयों को उपलब्ध कराया जाता है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकाल के दौरान भी अपनई जायेगी। कुल कोक को अधिकृत वेजिंग को विकसित किया जाएगा। मिल सेबल एवं फिल्टर डस्ट को साथ में इन्फ्रारेड कर्बोस में पुनः उपयोग किया जाएगा। अतः इस संबंध में प्रस्तावित व्यवस्था प्रस्तावित है।

10. जल प्रबंधन व्यवस्था -

- जल खपत एवं बर्बाद - वर्तमान में परिवहन हेतु कुल 41 घनमीटर प्रतिदिन (कुल हेतु 28 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट संचालन हेतु 8 घनमीटर प्रतिदिन, यहाँ उपयोग हेतु 5 घनमीटर प्रतिदिन एवं वीन सेल हेतु 8 घनमीटर प्रतिदिन) जल का उपयोग किया जा रहा है। प्रस्तावित कार्यकाल के दौरान परिवहन हेतु कुल 83 घनमीटर प्रतिदिन (कुल हेतु 68 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट संचालन हेतु 10 घनमीटर प्रतिदिन, यहाँ उपयोग हेतु 10 घनमीटर प्रतिदिन एवं वीन सेल हेतु 15 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। आवश्यक जल की आपूर्ति न्यू-जल से की जायेगी है। आवश्यक जल की आपूर्ति हेतु सेंट्रल टाउनशिप वॉटर अथॉरिटी से आपूर्ति प्राप्त किया गया है, जो दिनांक 18/12/2023 तक की जायेगी हेतु किया है।

- जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था - औद्योगिक प्रक्रिया से कृषि जल उत्पन्न होता है। वेजिंग मिल से कृषि केन्द्रों द्वारा कृषि जल को ठंड कर पुनः कृषि हेतु उपयोग में लाया जाता है। प्रस्तावित कार्यकाल में औद्योगिक

(Handwritten signature)

प्रक्रिया में उपरोक्त सूचित जल औद्योगिक सूचित जल को उन्हा कर पुनः सूचित हेतु उपयोग किया जाएगा। प्रस्तावित कार्यकालावधि उपरोक्त परिसर सूचित जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी। परियोजना की उपरोक्त सूचित जल की उपयोग हेतु एमपीसीआर तकनीक आधारित सीमेंट ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता 10 घनमीटर प्रतिदिन की स्थापना प्रस्तावित है। सीमेंट ट्रीटमेंट प्लांट की अंतर्गत काम सीमेंट, जीपल एण्ड वीथ ट्रेप, पी-सीकेड कलेक्टर टैंक, एमपीसीआर टैंक, सलाज चम्बर, फिल्टर बेस, इटालियन टैंक, ड्रेजिंग चैम्बर, फिल्टर, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर एवं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अदि स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। सूच्य निस्तारण की स्थिति गयी जादगी।

- **सू-जल उपयोग प्रबंधन** – परियोजना स्थल सीटल प्राकृतिक कालर बोर्ड की अनुमति पत्र जॉन में जाला है। जिसके अनुसार-
 (अ) कुल एवं सख्त उपयोगों की कम से कम 40 प्रतिशत सूचित जल का पुनःचालन एवं पुनःउपयोग किया जाना है।
 (ब) प्राकृतिक कालर रिजर्व हेतु अगसाई नई तकनीक यथा रेनवाटर हार्मिटिंग / ऑटिनिशियल जल रिजर्व की अकार पर सू-जल रिजर्व जाने की अनुमति सीटल प्राकृतिक कालर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। जल उपयोग की रेनवाटर हार्मिटिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्मिटिंग व्यवस्था** – स्थान परिसर में वर्षा की पानी का कुल रकबांक 18,272 घनमीटर है। रेन वॉटर हार्मिटिंग व्यवस्था की अंतर्गत 10 मम रिजर्व पिट (लंबाई 2.5 मीटर, चौड़ाई 2.5 मीटर, गहराई 2.5 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्मिटिंग व्यवस्था प्राकृतिक परिसर की पूर्ण रकबांक को रिजर्व किया जा सकेगा। सभी रिजर्व स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जादगी कि इनमें सख्त मात्रा में वर्षा जल का गला हो सके। समिति का मत है कि यह कार्य अगामी 1 मह में पूर्ण किया जाए।

11. **विद्युत आपूर्ति संबंध** – परियोजना हेतु 4 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होगी। विद्युत की आपूर्ति प्राचीनसख राज्य विद्युत निगम कंपनी लिमिटेड से की जादगी।

12. **सुखांतोषण संबंधी जानकारी** – हरित नदिका के विकास हेतु कुल बीजकाल की 1.08 हेक्टेयर क्षेत्र (कुल बीजकाल का 40.14 प्रतिशत) में 2,850 मम बीजे संचित किया जाना प्रस्तावित है। कुल बीजकाल का 40.14 प्रतिशत में हरित नदिका के विकास किये जाने बाबत सख्त पर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

13. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विरलेक्षण-**

- i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – नॉनितरिंग सर्वे अक्टूबर, 2021 से दिसम्बर, 2021 के सख किया गया है। 12 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिसीवीय वायु गुणवत्ता सख्त, 8 स्थानों पर सू-जल गुणवत्ता सख्त, 8 स्थानों पर ध्वनि सतर सख्त, 3 स्थानों पर सखती जल गुणवत्ता सख्त 8 स्थानों पर मिट्टी के सखुने एवकित कर विरलेक्षण किया गया है।

- ii. **नॉनितरिंग परिस्थानों के अनुसार पीएम, एसजी, एनजी, का सखन्दन लेवल-**

Concentration level ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) of Criteria Pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Maximum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CPCB Standard ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
PM_{10}	17.1	38.2	60
$\text{PM}_{2.5}$	42.8	82.5	100
SO_2	19.2	18.4	80
NO_x	13.0	21.8	80

पीएम₁₀ के इन्टीमेंटल डाटा की जानकारी—

Impact				
Pollutants	Baseline Concentration ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Incremental ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Resultant ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CPCB Norms
PM_{10}	82.5	1.43	83.93	100

iii. परियोजना स्थल के आसपास जल सतहों की गुणवत्ता— ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शाए गये लेवल अनुसार क्लोरिडिल, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स एवं अन्य रासायनिक तत्वों का सामान्य लेवल भवतीय मानक से कम है।

iv. परिवेशीय श्रवण स्तर—

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L_{eq}	55.9	61.4	75
Night L_{eq}	42.8	53.8	70

जो जल श्रेय से निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. पी.सी.यू. की गुणवत्ता— भारी वाहनों / मशीनरियां होती वाहनों को सम्बन्धित करते हुए दैनिक क्रमवन्त रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिससे अनुमान लगाया गे 409 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं की/मी अनुमान (MTC 1980) 0.14 है। प्रस्तावित परियोजना परमंत 7.33 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। सम्प्रत्यत् कुल 400.33 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं की/मी अनुमान (MTC 1980) 0.143 होगी। विस्तार के उपरान्त भी पी-नॉइस / प्रिडिक्टड के परिधान हेतु महक वर्ग की लीव सीटिंग अथवा निर्धारित मानक (Very Good) से नीचा है। यह बताया गया है।

14. कोर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) — परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु लागूक प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

15. अनुवीक्षण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उद्योग के बहुत बार्ग के दोनों तरफ में बुझारोवन किया जाएगा। समिति का मत है कि उद्योग के बहुत बार्ग के दोनों तरफ में 15 मीटर की चौड़ी बट्टी में बुझारोवन को दर्शाते हुए ले-आउट प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. अनुवीक्षण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित परियोजना क्षेत्र से जमी हुई खेत आसपास इकाई है, जो कि आर्सेनिक उद्योग के द्वारा ही स्वामित्व की गई एक पुरक इकाई है। खेत आसपास इकाई एवं प्रस्तावित इन्फ्रस्ट्रक्चर कनेस तथा सीटिंग मिल इकाई की कारणों से होने के कारण दोनों इकाईयों को सीमेंट कवरण्टी के दोनों तरफ कम से कम 10-10

72

मीटर में पुनर्नीयता किया जाना आवश्यक है। यह उच्च पुनर्नीयता को ले-आउट में करता हुए प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

17. प्रस्तावित कार्यकाल पर्याप्त विधियों की कुल लागत का करीब होना बताया गया है, जिसका डेक-अप प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय कार्यवाही की निम्नानुसार निर्णय किया गया था:-

1. पूर्व में जारी जल एवं वायु सम्बन्धी कानूनों के पालन में की गई कार्यवाही की निम्नानुसार जानकारी पर्याप्ततः पर्याप्तता संकलन संकलन, तथा वायुपुर अटल चक्र को प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय नीतियों के कानूनों के पालन में की गई कार्यवाही की निम्नानुसार जानकारी एकीकृत क्षेत्रीय कार्यकाल, भारत सरकार, पर्यावरण, जल एवं जलवायु विभाग, संकलन, तथा वायुपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
3. पूर्व में जारी पर्यावरणीय नीतियों के कानूनों के अनुक्रम विधिवत कार्यवाही पुनर्नीयता (स्थानीय प्रजाति को पीछे) इसी कालखण्ड में करते हुए पीछे में सार्वजनिक (Public) एवं पीछे में नाम का तालिका किया जाना पीछे/आगे सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
4. पर्यावरण विधि में विधियों की कुल लागत का डेक-अप प्रस्तुत किया जाए।
5. पर्यावरण में स्थापित इकाई एवं प्रस्तावित इकाई (जिसका सहित) को ले-आउट में करते हुए ले-आउट जाना डीन केस सहित कोर्ट/दाल कार्यवाही को साथ प्रस्तुत किया जाए।
6. नि-सीटिंग करीब की स्थापना नहीं किने जाने बाबत साथ साथ प्रस्तुत किया जाए।
7. मिल करीब एवं किल्लर करत को साथ ही इन्फ्रस्ट्रक्चर करीब में पुनर्नीयता किने जाने बाबत साथ साथ प्रस्तुत किया जाए।
8. कुल बीजकाल का 40.44 प्रतिशत में करित करिदका को विस्तार किने जाने बाबत साथ साथ प्रस्तुत किया जाए।
9. पर्यावरण इकाई एवं प्रस्तावित इकाई में कार्यवाही भविष्य की संख्या को संकेत में जानकारी (संख्या/वर्ष में) प्रस्तुत किया जाए।
10. पर्यावरण को प्रदूषण करने को पीछे करत में 15 मीटर की पीछे करती में पुनर्नीयता तथा साथ आवरण इकाई एवं प्रस्तावित इन्फ्रस्ट्रक्चर करीब तथा संशोधित मिल इकाई की कार्यवाही करीब होने को कारण पीछे इकाई/पीछे की पर्यावरण कार्यवाही को पीछे करत करत को साथ 10-15 मीटर में पुनर्नीयता को करती हुए ले-आउट जाना प्रस्तुत किया जाए। साथ ही पुनर्नीयता डीन पीछे का समय, कुल डीन संशोधित, साथ एवं मिचरू तथा साथ-साथ को लिए 5 वर्षों का पर्यवेक्षण करत का विवरण सहित प्रस्तुत प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया जाए।
11. ई-एमपी (Environmental management plan) का आवरण करत पुनर्नीयता ई-एमपी प्रस्तुत किया जाए।
12. सीईआर (Corporate Environment Responsibility) डीन उपरुक्त प्रस्ताव पूर्व विवरण को साथ प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त बतौर जानकारी/प्रस्तावक द्वारा होने उपरोक्त जानकारी कार्यवाही की जाएगी।

साधारण एच.ई.ए.सी. प्रतीकण्ड के प्रारम्भ दिनांक 07/07/2022 के परिधि में परिशिष्ट प्रस्तावक द्वारा जानकारी/प्रस्तावक दिनांक 29/07/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ख) समिति की 421वीं बैठक दिनांक 24/08/2022:

समिति द्वारा नती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्नानुसार निष्पत्ति आई गई कि:-

1. परिशिष्ट प्रस्तावक द्वारा परिधान में स्थापित इकाईयों हेतु प्रतीकण्ड पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सन्निधि शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की विन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु प्रतीकण्ड पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सन्निधि शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की विन्दुवार जानकारी प्रतीकण्ड पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
2. परिशिष्ट प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय शीर्षक के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परिशिष्ट प्रस्तावक द्वारा एकीकृत शीर्षक कार्यलय, माउंट रोड, पर्यावरण, एवं एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय शीर्षक के पालन परीक्षण प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
3. पूर्व में जारी पर्यावरणीय शीर्षक के शर्तों के अनुसार निर्धारित सर्वेक्षण 1,200 मग क्लाइडिंग (स्थायी प्रकृति के क्षेत्र) द्वारा नामसूची में काले हुए क्षेत्रों में संख्यांक (Numbering) एवं क्षेत्रों के नाम का उल्लेख करते हुए शीर्षक सही जानकारी प्रस्तुत की गई है।
4. परिधान शीर्षक में विविध की कुल लागत का डेक-अप प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार:-

Particulars	SMB (Lakh)	Rolling Mill (Lakh)	Total (Lakh)
Land & Site Development	20	30	50
Building & Civil Works	400	500	900
Plant & Machinery	1,000	1,500	2,500
Electrical Installation	125	75	200
Preliminary & Pre-operative Expenses	50	50	100
Contingencies	125	75	200
Deposits	30	20	50
Pollution Control Equipment	40	10	50
Other Fixed Assets	20	30	50
Total Investment	1,810	2,295	4,100

5. परिधान में स्थापित इकाई एवं प्रस्तावित इकाई (खसरा सहित) की डे-आउट में वाली हुए डे-आउट प्लान वीन केरट सहित कंप्यूटर साईज के साथ प्लानिंग प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।
6. रि-डिस्ट्रिब्यूशन की स्थापना नहीं किये जाने बावजू एवं जिस स्क्रीन एवं किन्टन डेटा की तथ्यों के इन्टरनेट फर्निस में कुल-उपयोग किये जाने बावजू तथा कुल

संभवतः का 40.14 प्रतिशत में इति निर्दिष्ट के विचार किने जाने बाबत सत्य पर परिशोधन प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में समिति का का है कि उपरोक्त हेतु सत्य पर (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

7. वर्तमान इकाई एवं प्रस्तावित इकाई में कार्यरत अधिकारी की संख्या की संख्या में जानकारी (सामग्रीपत्र में) प्रस्तुत किया गया है।
8. पट्टी के मध्य मार्ग के दोनों तरफ में 15 मीटर की चौड़ी पट्टी में प्लांटेशन तथा स्थल आवरन इकाई एवं प्रस्तावित इकायल परिसर तथा सेलिंग मिल इकाई की बाउण्ड्री करीब होने के कारण दोनों इकाईयों के सीमा बाउण्ड्री के दोनों तरफ कम से कम 10-15 मीटर में प्लांटेशन की दरती हूने ले-आउट भूमि प्रस्तुत किया गया है, जो कि परतीय नहीं है। सत्य ही प्लांटेशन हेतु चौकी का रोपन, जुआ हेतु सीलिंग, खाद एवं पोषाई तथा रक-सहाय के लिए 5 वर्ष का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।
9. ईएमपी (Environmental management plan) का अवलोकन कर पुनर्निर्मित ईएमपी प्रस्तुत किया गया है।
10. सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा कलमन कार्यसम्पति के निम्नानुसार निर्णय किया गया था:-

1. उपरोक्त किन्तु क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5 एवं 10 की संख्या में जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
2. परिशोधन के दिन-दिन सखी में प्रयुजितित इस्त उपसर्जन होना, उन सखी पर नियमित जल सिंचन के व्यवस्था किने जाने बाबत सत्य पर (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
3. परिशोधन प्रस्तावक द्वारा इस आराध का पालन पर प्रस्तुत किया जाए कि इनके विरुद्ध इस परिशोधन में संबंधित कोई न्यायालय प्रकरण देह के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में अहित नहीं है।

उपरोक्त सहित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरंत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

समानुसार एस.ई.ए.सी. समीक्षण के द्वारा दिनांक 07/10/2022 के परिशोधन में परिशोधन प्रस्तावक द्वारा दिनांक 15/12/2022, 16/12/2022 एवं 21/12/2022 की जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(स) समिति की 44वीं बैठक दिनांक 11/01/2023-

समिति द्वारा नली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न निष्पत्ति आई गई:-

1. सीईआर, परतीसंगत परीक्षण संकलन पत्र, विजयपुर के द्वारा दिनांक 07/12/2022 द्वारा जल एवं वायु सम्पत्ति नवीनीकरण के पालन में की गई कार्यवाही की सम्पन्न जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसमें सम्पत्ति नवीनीकरण के सभी सखी का पूर्ण पालन किया जाना बताया गया है।

सेक्टर का 40.14 प्रतिशत में इतिहासिक बिल्डिंग को विचार किया जाने वाला सख्त पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

- a. उद्योग को बहुत बड़े को दोरी ताल में 10 मीटर की चौड़ी घट्टी में कुआरेण ताल संचय आगल इकाई एवं प्रस्तावित इन्फ्रास्ट्रक्चर कनेक्शन तथा सीलिंग मिल इकाई की बचतनी खोलने होने के कारण दोरी इकाईयों को खोल बचतनी के दोरी ताल कम से कम 10-12 मीटर में कुआरेण को बचतनी हुए से-आउट प्लान प्रस्तुत किया गया है। साथ ही कुआरेण हेतु दोरी का सीलिंग, सुरक्षा हेतु खोल, बचत एवं सिंचाई तथा सख-सख के लिए 5 वर्षों के विचार सहित विस्तृत प्रस्ताव अनुसार प्रथम वर्ष में 5 लाख, द्वितीय से चतुर्थ वर्ष में 4 लाख प्रतिवर्ष तथा पंचम वर्ष में 3 लाख बचत किया जाने प्रस्तावित है।
- b. परिशोधन प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विनाशुपर विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है-

Additional Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
4100	2%	82	Under existing CER work total investment Rs. 79.62,111/-	
			Under proposed CER work following activities at nearby, 3 Government schools	
			Plantation with fencing	20.00
			New toilet construction work	
			Water harvesting system	
			Potable drinking water facility	
			Medical camps	2.00
Total	22.00			
Grand Total	101.62			

सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य (1) सामुदायिक प्राथमिक स्कूल बीरगंज, (2) सामुदायिक प्राथमिक स्कूल अमरा एवं (3) सामुदायिक प्राथमिक स्कूल विरगंज में किया जाएगा।

7. सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित स्कूल के प्रिंसिपल (Principal) का सहयोग प्राप्त प्रस्तुत किया गया है।
8. परिशोधन से दिन-दिन बढ़ती हो अनुमानित डाटा प्राप्त होने, उन स्कूलों पर निर्दिष्ट जल सिंचन की व्यवस्था किया जाने वाला सख्त पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
9. परिशोधन प्रस्तावक द्वारा इस अवसर का सख्त पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विस्तृत इस परिशोधन से संबंधित कोई सामुदायिक प्रस्ताव देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

के पत्र दिनांक 07/12/2021 द्वारा द्वारा ई.आई.ए. रिपोर्ट हेतु एकत्रित रेसल्टाईन डाटा पूर्ण रूप से प्राप्त होना एवं एकत्रित रेसल्टाईन डाटा की जांचवाही जैसी हुई कार्य पत्र (undertaking) प्रस्तुत किया गया है। साथ ही मेसर्स इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास एम्प एनलिटिकल द्वारा परिशोधन प्रत्याश्नक द्वारा पर्यावरण सलाहकार (NABET Accredited) को परिशोधन करने हेतु अनारबित सार्वी कार्य पत्र प्रस्तुत किया गया है। परिशोधन प्रत्याश्नक द्वारा मेसर्स एडिक्टिव इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेंट लिमिटेड, उत्तराखण्ड को आगामी कार्यवाही हेतु निशुद्ध किया गया है। उक्त ई.आई.ए. रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण मेसर्स एडिक्टिव इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेंट लिमिटेड द्वारा किया जाना बताया गया।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण— इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
3. प्लान संशोधन का अनारबित प्रमाण पत्र — उत्तराखण्ड के संकट में प्लान संशोधन अनुमोदी का दिनांक 01/10/2019 का अनारबित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
4. परामर्शन सीजन — सार्वी प्लान, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेंट प्लान एम्प सार्वी कलेक्टर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उक्त संशोधक (उ.प्र.) संशोधनपरक सीमितों तथा खनिज, नया रायपुर अटल नगर के पु. आगम क्रमांक 4131/खनि 22/रा.प.अनुमोदन/प.अ.04/2018(1) नया रायपुर, दिनांक 08/10/2020 द्वारा अनुमोदित है।
5. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान — कर्पोरल कलेक्टर (खनिज सार्वी), जिला-रायपुर के आगम क्रमांक 1041/ख.नि./दिन-8/2020 रायपुर, दिनांक 16/10/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की मीटर अवधिगत अन्य 42 खदानें, संकलन 03.353 हेक्टेयर है।
6. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं — कर्पोरल कलेक्टर (खनिज सार्वी), जिला-रायपुर के आगम क्रमांक 1040/ख.नि./दिन-8/2020 रायपुर, दिनांक 16/10/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मठ, अस्पताल, स्कूल, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, पुल, बांध एवं एन.ए.ए. आदि प्रतिक्रियित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
7. भूमि एवं एल.ओ.आई. संबंधी विवरण — भूमि की डिपेंड अडवांस के नाम पर है, जिसमें एल.ओ.आई. कर्पोरल कलेक्टर (खनिज सार्वी), जिला-रायपुर के आगम क्रमांक/क./ख.नि./दिन-8/उ.प./2020/007 रायपुर, दिनांक 19/08/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 1 वर्ष हेतु की गई। उपरसक्त संशोधक, संशोधनपरक सीमितों तथा खनिज, नया रायपुर अटल नगर के पु. आगम क्रमांक 4371/खनि 02/ख.प.-अनुमोदन/प.अ.00/2018(2) नया रायपुर, दिनांक 28/10/2021 द्वारा एल.ओ.आई. में केवल वृद्धि कार्य पत्र जारी किया गया है, जिसकी अवधि 1 वर्ष (अवधि दिनांक 17/08/2022) हेतु की गई है।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट — वर्ष 2018 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. वन विभाग का अनारबित प्रमाण पत्र — कर्पोरल कर्पोरल कलेक्टर, रायपुर कर्पोरल, जिला-रायपुर के आगम क्रमांक/प.अ.क./ख./118 रायपुर, दिनांक



08/04/2023 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसूचित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 200 मीटर से अधिक दूरी पर है।

10. **सहस्रपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी वाले-सामगुली 750 मीटर, स्कूल बंगली 800 मीटर एवं अनायास किया 15 कि.मी. दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 17.8 कि.मी. एवं राजमार्ग 1.3 कि.मी. दूर है। लालक 1.3 कि.मी. एवं बालक नदी 21.8 कि.मी. दूर है।
11. **परिचोदना प्रस्तावक द्वारा 50 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय राजमार्ग, अनायास, सैन्यीय प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्रों द्वारा घोषित इतिहासी पोल्युटेड एरिया, परिचिन्तित क्षेत्र या घोषित क्षेत्रिय क्षेत्र स्थित नहीं होने प्रतिबंधित किया है।**
12. **खान खोदा एवं खान का विवरण** – डिवायोरिजन रिजर्व 14,88,243 टन, माईनेबल रिजर्व 5,75,581 टन एवं रिक्वायर्ड रिजर्व 8,40,800 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 7,324 वर्गमीटर है। खान बालक नदी में खोनाई/उद विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 21 मीटर है। खनी मिट्टी की मात्रा 4,289 घनमीटर एवं मोटाई 0.25 मीटर है, जिसकी सीमा पट्टी (7.5 मीटर उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में पीलाकर कुशायेणन के लिए उपयोग किया जाएगा। बीच की मोटाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की घोषित आयु 10.7 वर्ष है। लीज क्षेत्र में खान स्थानित किया जाया प्रस्तावित है, जिसका क्षेत्रफल 3,077 वर्गमीटर होगा। जीक डेपथ से डिप्लिंग, सीक डेपथ का उपयोग एवं खटोल स्थानित किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु पाल का विकल्प किया जाएगा। वर्षाकर प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	8,693	चतुर्थ	37,584
द्वितीय	14,988	पाचम	37,513
तृतीय	38,012	अठम	38,079
चतुर्थ	37,914	नवम	37,881
पंचम	37,781	दशम	37,855

नोट: तालिका में प्रामाण्य की बाद की जमी की सतम्भकीक किया गया है।

13. **जल आपूर्ति** – परिचोदना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8.28 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति वाले संकायत द्वारा टैकर के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत आम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
14. **कुशायेणन कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में बायी ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,324 वर्ग कुशायेणन किया जाएगा। परिचोदना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र की सीमा परावरणीय प्रखण क्षेत्रों की लक्ष्य निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है:-

विवरण	प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़की/पट्टेय मार्ग से प्रथम दूर परावरणीय के	2,40,000	2,40,000	2,40,000	2,40,000	2,40,000

निर्माण हेतु जल पिचकाव पट्टीय मार्ग की लम्बाई 500 मीटर						
खदान की संख्याएँ एवं पट्टीय मार्ग की दीर्घी लम्बाई (1,824 मीटर)	पूजाशेखर (30 परिचालन क्षेत्र) एवं पट्टीय मार्ग हेतु सड़क आवक हेतु सड़क सिंचाई एवं सब-सबज्य हेतु सड़क	83,850	7,800	7,800	7,800	7,800
एवं एं डीज डीज की सब-सबज्य हेतु		60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
खदान की वैसिमिटर	सिंचाई हेतु	8,45,000	2,45,000	2,45,000	2,45,000	2,45,000
कुल सड़क = 58,53,000		13,37,000	8,39,000	8,39,000	8,39,000	8,39,000

15. खदान की 2.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उपखनन - सीमा क्षेत्र की
बायी ओर 2.5 मीटर की सीमा पट्टी में उपखनन कार्य नहीं किया गया है।

16. ई.आई.ए रिपोर्ट का विश्लेषण-

i. जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी - सीनिटरिंग कार्य
दिनांक 15/10/2020 से 31/01/2021 को संचालित किया गया है। 10
सिनिटरिंग के दौरान 10 स्थलों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8
स्थलों पर पृथक-जल गुणवत्ता मापन, 10 स्थलों पर खनिज खनिज मापन, 8 स्थलों
पर सड़क जल गुणवत्ता तथा 8 स्थलों पर मिट्टी के लहसुने एकरिज का
विश्लेषण किया गया है।

ii. सीनिटरिंग परिवारों के अनुसूचित पीएन, एसजी, एनजी, का सांख्यिक
अंशक-

Concentration level ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) of Criteria Pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Maximum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CPCB Standard ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
PM _{2.5}	33.38	46.57	60
PM ₁₀	68.38	87.5	100
SO ₂	10.12	15.73	80
NO ₂	19.03	31.54	80

iii. परिवेशीय स्तर की जासबास जल स्रोतों की गुणवत्ता- ई.आई.ए. के
Chapter-3 Description of environment में पर्याप्त एवं ठीक अनुसूचित
कॉलोइडल, फ्लोराईड, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स, आर्सेनिक, मंगनी,
कैडमियम एवं अन्य रासायनिक तत्वों का सांख्यिक अंशक भारतीय मानक से
कम है।

iv. परिवेशीय ध्वनि स्तर-

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)

Day L ₅₀	53.8	54.4	75
Night L ₅₀	39.7	43	70

जो ठंडा क्षेत्र के निर्धारित मानक सार से कम है।

५. पीसीयू की संख्या:- भारी घरों / मॉडर्न/हाल हीकी घरों को सम्बंधित करते हुए दैनिक अथवा त्रिमासिक अनुसूची की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में ६.३५२ पीसीयू प्रतिदिन एवं की/सी अनुपात (MPC ratio) ०.००५ है। प्रस्तावित परिवर्धन उपरान्त ३० पीसीयू की वृद्धि होगी। तत्पश्चात् कुल ६.३८२ पीसीयू प्रतिदिन एवं की/सी अनुपात (MPC ratio) ०.००६ होगी। जिसका के उपरान्त पी सी-मेट्रिक्स / प्रोडक्चन के परिवर्धन हेतु सड़क मार्ग की लंबाई सीमा अथवा निर्धारित मानक (Good 0.4 to 0.8) से नीचे है।
12. लोक सुनवाई दिनांक 25/07/2021 कोषार 1200 बजे स्थान - राम चंदायल मकान, राम-बनसुनी, काशील-दिलवा, जिला-रायपुर में आयोज हुई। लोक सुनवाई प्रस्तावित सदस्य सहित, काशीलवाड़ पर्यटन संस्थान मंडल, नया रायपुर इलाहाबाद, जिला-रायपुर के एक दिनांक 18/08/2021 द्वारा उचित किया गया है।
13. जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न मुद्दाएं/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:-

- खदान के आस-पास प्रतिदिन हीकी खनित किया जाता है, जबकि सीमा में पानी आसपास क्षेत्र है, जिसकी आसपास आस-पास के राम तक जाती है। इससे कारण पूर्व में सीमा दुर्घटनाएं भी हो चुकी है। खदान के नियन्त्रणकार कंट्रोल खनित होने चाहिए।
- पर्यटन संस्थान हेतु रासायनिक किया जाना चाहिए एवं खदान से इतना रासायनिक अधिक होता है। खतर की कारण प्रदूषण होता है। खतर से सम्बंधित खतर को कम करने के लिए निर्धारित रूप से पानी का निष्कासन किया जाये।
- पर्यटन संस्थान हेतु सीमा 10-20 मीटर की ही सीमा कार्य किया जाना आवश्यक पूर्ण की जाती है। कृषादीपन कर उससे रासायनिक पर ध्यान दिया जाये एवं अधिक से अधिक कृषादीपन किया जाये।
- प्रत्येकता के अन्तर्गत पर सम्बंधित सभी की सीमा को ही संरक्षण दिया जाना चाहिए। रास के निष्कासन को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करानी जाये। परिवर्धन में शक्ति के लिए मुख्य उपकरण एवं सीमा की सुविधाएं उपलब्ध करानी जाये।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परिवर्धन प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसल्टेंट का कथन निम्नानुसार है:-

- अनुसूचित उपरान्त निर्धारित मानक में वैज्ञानिक विधि से निर्धारित खनित किया जाएगा एवं मुख्य का ध्यान रखा जाएगा। खनित का सार सामान्य रहेगा।
- खतर रासायनिक के नियंत्रण हेतु जल निष्कासन किया जायेगा एवं खदान के पानी तक कृषादीपन का कार्य किया जाएगा। साथ ही खनितों के परिवर्धन

[Handwritten signature]

हेतु उपरोक्त में लाने लाने वाले कार्यों को कार्पोरेटिव को डूब कर ले जाया जायेगा।

- क. लीज क्षेत्र एवं पट्टेय भूमि में सुझा देना सहित पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण के तहत पुनर्निर्माण का कार्य किया जाएगा।
- ख. विभिन्न क्षेत्रों/गांवों को योग्यता के अन्तर्गत नए स्वामीय क्षेत्रों को आवासीय/व्यावसायिक क्षेत्रों में परिवर्तित करे जायेगी एवं उन्हें सुझा देना/पट्टेय क्षेत्रों में शामिल करवाया जायेगा। जिसकी लिए बजट में प्रावधान किया गया है।
18. कलकत्ता हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लान – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवंटित खदान को शामिल करने हेतु कलकत्ता में कुल 43 खदानें हैं। इस कलकत्ता में शामिल खदानों द्वारा कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लान को तहत निम्न कार्य प्रस्तावित है—

विवरण	प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
प्रमुख निवेश हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/पट्टेय भूमि को उपयुक्त बजट प्रावधान के अन्तर्गत हेतु उत्तम सिविल, पट्टेय भूमि को कुल लगभग 5.82 कि.मी.	14,40,000	14,40,000	14,40,000	14,40,000	14,40,000
पट्टेय भूमि के क्षेत्रों/गांवों/सड़कों (2.814 वर्ग मी.)	11,32,800	13,800	13,800	13,800	13,800
पट्टेय भूमि	1,30,700	1,30,700	1,30,700	1,30,700	1,30,700
पुनर्निर्माण हेतु	8,12,500	8,12,500	8,12,500	8,12,500	8,12,500
इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट (Half Yearly)	1,80,000	1,80,000	1,80,000	1,80,000	1,80,000
सड़कों / पट्टेय भूमि के संभरण हेतु	20,00,000	20,00,000	20,00,000	20,00,000	20,00,000
ईलेक्ट्रिकल लाइन्स और सिमेंट	6,00,000	6,00,000	6,00,000	6,00,000	6,00,000
कुल राशि = 2,59,84,000	80,78,000	49,57,000	49,57,000	49,57,000	49,57,000

कीमत इन्फ्रास्ट्रक्चर केनेट्रमेंट प्लान में परिचालन प्रस्ताव की संशोधित विवरणों में होगी-

विवरण	प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
संपूर्ण निवेशन हेतु परिवहन के दौरान कच्ची/चट्टी बर्तन से उत्पन्न भूज परावर्तन के निरोधन हेतु जल विद्यमान	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000
वृक्षारोपण हेतु	44,000	18,000	18,000	18,000	18,000
इन्फ्रास्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन हेतु (Half Yearly)	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
कच्ची / चट्टी बर्तन से संभाला हेतु	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000
होल्ड पैकेजिंग कॉम्प्लेक्स और डिपोजिट	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000
कुल राशि = 8,11,000	1,43,000	1,17,000	1,17,000	1,17,000	1,17,000

20. भारत सरकार, परिवहन एवं और जलवायु परिवर्तन संसोधित नई दिशियों द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2008 (एच.सी.टी.डी.) के प्रावधानों एवं मानकीय एवं जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार संपूर्ण कालांतर हेतु कीमत इन्फ्रास्ट्रक्चर केनेट्रमेंट प्लान तैयार किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि कालांतर में शामिल सभी खर्चों द्वारा उत्पन्न की पर्यावरणीय दुष्प्रभावों की संशोधन हेतु खर्चों की विलीन एवं वार्षिक संशोधनित सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि कालांतर में अपने अपने खर्चों की संशोधन परिधि में पर्यावरणीय घटकों पर अपने अपने दुष्प्रभावों की संशोधन हेतु कालांतर में अपने वार्षिक रूप संशोधन खर्चों की शामिल सभी दुष्, कालांतर हेतु कीमत इन्फ्रास्ट्रक्चर केनेट्रमेंट प्लान तैयार किया जाने तथा कच्ची से क्लिफ्टिंग करने जाने हेतु संभाल, संभालना, वीकली एवं खनिज, इलाकी बर्तन, तथा संपूर्ण अटल नवम् किया - संपूर्ण (संशोधन) के साथ से संपूर्ण कार्यवाही किया जाना शामिल होगा।

21. कीर्तित पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - परिचालन प्रस्ताव द्वारा जी.टी. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समझ विचार में सभी संशोधित विवरणों में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
100.05	2%	2.01	Following activities	

बीमिडी तथा खनिजों, इंधनवादी पदार्थ, तथा रायपुर जटल गण, जिला - रायपुर (अलीसगढ़) के साथ ही उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

1. समिति द्वारा विचार किये गए उपरोक्त सर्वसम्पत्ति से आवेदक - गैरार्थ महालक्ष्मी लाईम स्टोन (प्री- बी डिपेंड अडवाइस, बनसुली लाईम स्टोन लाईन), धाम-बनसुली, महारीज-विन्दा, जिला-रायपुर के खसरा क्रमांक 543/4, 540/5, 543/11 एवं 543/14 में स्थित पुरा पत्थर (पीथ खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-2.813 हेक्टर, क्षमता-38.018 टन प्रतिदिन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुमति की गई।
2. परियोजना हेतु सी.ई.आर. की तहत वार्षिक राशि 5,74,000 रुपये की टूटने परक निर्माण हेतु अलीसगढ़ राज्य वन विकास निगम से प्राप्त किये जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 27/07/2022 की संख्या 125वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा कसौ का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार किये गए उपरोक्त सर्वसम्पत्ति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. समिति की अनुमति की शर्तों का पालन करते हुए आवेदक - गैरार्थ महालक्ष्मी लाईम स्टोन (प्री- बी डिपेंड अडवाइस, बनसुली लाईम स्टोन लाईन), धाम-बनसुली, महारीज-विन्दा, जिला-रायपुर के खसरा क्रमांक 543/4, 540/5, 543/11 एवं 543/14 में स्थित पुरा पत्थर (पीथ खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-2.813 हेक्टर, क्षमता-38.018 टन प्रतिदिन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही समिति द्वारा निर्दिष्ट किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विविध वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।
2. सी.ई.आर. की अंतर्गत "टूटने परक निर्माण" की तहत वार्षिक खर्च की सम्पत्ति अनुमान व्यवस्थापन स्थान (असतदार किराला सहित) की जानकारी/दस्तावेज का प्रत्येक करते हुए सी.ई.आर. की राशि (कुल राशि 5,74,000 रुपये) को अलीसगढ़ राज्य वन विकास निगम (Forest Development Corporation) में प्राप्त किये जाने की सुचना एस.ई.आई.ए.ए., अलीसगढ़ को प्रस्तुत किये जाने की उपरोक्त ही परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए। साथ ही अलीसगढ़ राज्य वन विकास निगम (Forest Development Corporation) को खदान की सम्पत्ति धाम के तालाब के नजदीक आसानीय भूमि में टूटने परक निर्माण हेतु सी.ई.आर. की राशि (कुल राशि 5,74,000 रुपये) को परियोजना प्रस्तावक से प्राप्त कर एस.ई.आई.ए.ए., अलीसगढ़ को सूचित किये जाने हेतु लेख किया जाए।
3. अटॉल्युस एक्सप्लोसिव लाइसेंस धारक (Explosive Licensee Holder) द्वारा कराये जाने वाले कार्य पत्र (Notarized undertaking) प्राप्त किये जाने की उपरोक्त ही परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।
4. अलीसगढ़ अटॉल्युस एक्सप्लोसिव लाइसेंस धारक को दस्तावेज किये जाने हेतु कार्य पत्र (Notarized undertaking) प्राप्त किये जाने की उपरोक्त ही परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

111

5. लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये सख्त मुद्दों के निराकरण हेतु किये जाने वाले कार्य बाबत समय पर (Notarised undertaking) जमा किये जाने के उपरांत ही परिवोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।
6. परिवोजना से दिन-दिन सड़कों से अशुद्धिपूर्ण इस्ट उत्पन्न होकर, इन सड़कों पर निक्षेपित जल सिंचन के कारण किये जाने वाले समय पर (Notarised undertaking) जमा किये जाने के उपरांत ही परिवोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।
7. सर्वेक्षण लीज क्षेत्र को अंदर एवं बाहर समय सुचारु रूप से किये जाने एवं उस क्षेत्रों का 90 प्रतिशत जीवन दर सुनिश्चित किये जाने बाबत समय पर (Notarised undertaking) जमा किये जाने के उपरांत ही परिवोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

एम.ई.आई.ए.ए. अलीशगढ़ के डायन क्रमांक 873, दिनांक 28/08/2022 द्वारा परिवोजना प्रस्तावक को जानकारी/दस्तावेज/समय पर प्रस्तुत किये जाने हेतु पत्र भेजा गया है।

सर्वेक्षण से परिवोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 15/08/2022 के समय से सी.ई.आर. के अंतर्गत "ईको फार्म सिटी" के तहत राम पंचायत के सख्ती अनुसूचित कवचोपस्थ स्थान (खसरा नंबर विवरण संकेत) की जानकारी/दस्तावेज का उपलब्ध कराने हेतु सी.ई.आर. की राशि (कुल राशि 5,74,000 रुपये) को अलीशगढ़ राज्य वन विकास निगम (Forest Development Corporation) में जमा करने के संबंध में समय प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उपरोक्त तथ्य निम्नानुसार है:-

(क) उपरोक्त संबंधित पत्र क्र. 873, दिनांक 28/08/2022 के बिंदु क्रमांक 2 में मुझे कॉपीराइट इन्वॉयर्समेंट रिलीफिबिलिटी के तहत में 5,74,000 रुपये अलीशगढ़ राज्य वन विकास निगम को बैंक खाते में जमा कराने का निर्देश दिया गया है जो मुझे मान्य नहीं है। इस संबंध में दिनांक 18/08/2022 को मेरे एवं अलीशगढ़ सीमा अधिनियम संघ के द्वारा अध्यक्ष, राज्य सार्वजनिक सुनवाई के समक्ष निम्नलिखित तथ्यों को रखा गया:-

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिनियम संख्यांक F. No. 22-63/2017-1A, 28 dated 01/05/2018 के अनुसार परिवोजना प्रस्तावक कॉपीराइट इन्वॉयर्समेंट रिलीफिबिलिटी मद से परिवोजना को जंगल का अधिग्रहण 2 प्रतिशत राशि खर्च करने हेतु सख्त है।
2. एक अधिनियम संशोधन से कॉपीराइट इन्वॉयर्समेंट रिलीफिबिलिटी मद की राशि को जंगल के किरी की खर्च में जमा कराया जाने के तर्जुमे में किरी की खर्च का संबंध निर्देश नहीं है।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिनियम संख्यांक F. No. 22-63/2017-1A, 28 दिनांक 01/05/2018 के अनुसार कॉपीराइट इन्वॉयर्समेंट रिलीफिबिलिटी मद की राशि को पर्यावरण प्रस्तावक योजना के तहत खर्च किए जाने का निर्देश दिया गया है।
4. मेरे प्रकरण में परिवोजना की लागत 100.00 लाख है इसका 2 प्रतिशत 2.01 लाख रुपये होता है। अनुसूचित क्षेत्र के जीवन से द्वारा समिति के तहत 2.01 लाख रुपये की तुलना में 2.08 लाख रुपये कॉपीराइट इन्वॉयर्समेंट रिलीफिबिलिटी के तहत शासकीय प्रशासनिक खर्च अनुसूची में खर्च करने का प्रस्ताव प्रस्तुत



दिया गया था, जिसे अगस्त करती हुए समिति के द्वारा परिशोधन लागत का 5.74 प्रतिशत प्रति के रूप में 5,74,000 रुपये को 5 वर्षों में खर्च करती हुए पान प्रकल्पों में किया जाएगा में कुशलतापूर्वक एवं 5 वर्षों तक देखाया किट जाने का निर्देश दिया गया एवं बाद में कुशलतापूर्वक को एक प्रस्ताव को भी अगस्त करती हुए 5,74,000 रुपये को कुशलतापूर्वक राज्य का विकास निगम को देकर खाते में जमा करने का निर्देश जारी कर दिया गया। यह निर्देश भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार नहीं है। निगम से अधिक जो 5,74,000 रुपये 5 वर्षों में खर्च करना या एकमुष्ट एकाधिक के रूप में जमा करना नहीं सम्भव है।

(ख) एक वर्षों की सुनने की परभाव माननीय अध्यक्ष, राज्य सार्वीय विशेषज्ञ सुनवाई समिति, ज.म. द्वारा निम्नलिखित शैक्षिक सहयोग प्रदान की गई—

1. संशोधित इन्फार्मेट सिटीसिबिलिटी के पालन में 5,74,000 रुपये कुशलतापूर्वक राज्य का विकास निगम को देकर खाते में जमा करने हेतु जारी निर्देश को निरस्त कर दिया जाएगा।
2. संशोधित इन्फार्मेट सिटीसिबिलिटी मद में निम्नानुसार परिशोधन की लागत का 2 प्रतिशत प्रति के अनुसार प्रकल्पों के दौरान पूर्व में प्रस्तावित प्रति 2,08,000 रुपये के अन्तर्गत को खर्च करती हुए पर्यावरण स्वीकृति जारी करने हेतु अनुमति कर दी जाएगी।

(घ) एक सहयोग से निर्देश है कि वे प्रकरण पर पुनः विचार करती हुए एवं वे प्रकरण को संदर्भ में निम्नलिखित बिंदुओं पर निर्णय लेते हुए मुझे पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करती हुए मुझे ग्याव देने की कृपा करें -

1. संशोधित पत्र एल.ई.आई.ए.ए. कुशलतापूर्वक के द्वारा अंशक 813 दिनांक 29/08/2022 के बिन्दु अंशक 2 में जारी निर्देश को निरस्त करने की कृपा करें।
2. मैं सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) मद में निम्नानुसार परिशोधन की लागत का 2 प्रतिशत प्रति अनुसार प्रकल्पों के दौरान पूर्व में प्रस्तावित प्रति 2,08,000 रुपये ही परिशोधन प्रस्ताव को दौरान ही खर्च करने में समर्थ हो पाएगा। वे द्वारा प्रकल्पों के दौरान प्रस्तुत सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत पर्यावरणीय प्रतिक्रिया जाल, पान-पानसुती हेतु प्रस्तुत किने नये प्रस्ताव की प्रति संलग्न है। संलग्न प्रस्ताव को स्वीकार करती हुए मुझे पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।

इसके अतिरिक्त अन्य 5 वर्षों के संघर्ष में निम्न लागत पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किने करे है—

1. अटॉल लाइसेंस का खर्च डिपॉजिट लाइसेंस पत्र (Explosive License Notar) द्वारा करती जाने बाबत लागत पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
2. कुशलतापूर्वक आदेश पुनर्विचार नीति के तहत सार्वीय लोगों को संलग्न किने जाने हेतु लागत पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
3. लोक सुनवाई के दौरान उठाने नये समस्त मुद्दों के निराकरण हेतु किने जाने वाले खर्च बाबत लागत पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

4. परिशोधन के दिन-दिन स्वामी से अनुसूचित शब्द उत्तरार्थ होना, इन स्वामी पर निश्चित जल पिचकाव की व्यवस्था किये जाने बाबत राज्य पर (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
5. साईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर स्थान पुनर्गठन किये जाने एवं लका पीपी का 50 प्रतिशत लीज पर सुनिश्चित किये जाने बाबत राज्य पर (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 28/09/2022 को संख्या 129वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नसी/दस्तावेज का अंशोक्षण किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श समर्पित सर्वसम्मति से उपरोक्त तथ्यों के परिक्षे में परीक्षण उपरोक्त अनुसूचित किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी. प्रतीसमूह के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 429वीं बैठक दिनांक 18/10/2022:

समिति द्वारा नसी, प्रस्तुत जानकारी का अंशोक्षण एवं परीक्षण एवं परिशोधन प्रस्तावक से सी.ई.आर. हेतु नियमानुसार उचित शब्द विसृत प्रतिवेदन संख्या जना उपरोक्त है।

समिति द्वारा उपरोक्त सर्वसम्मति से निर्णय किया गया था कि परिशोधन प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. हेतु नियमानुसार उचित शब्द विसृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करने उपरोक्त आगामी कार्यवाही की जाएगी।

नियमानुसार एस.ई.ए.सी. प्रतीसमूह के द्वारा दिनांक 12/12/2022 को परिक्षे में परिशोधन प्रस्तावक द्वारा दिनांक 20/12/2022 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 445वीं बैठक दिनांक 11/01/2023:

समिति द्वारा नसी, प्रस्तुत जानकारी का अंशोक्षण एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई कि:-

1. परिशोधन प्रस्ताव द्वारा प्रस्तुत अंशोक्षण दिनांक 18/09/2022 में किया गया अंशोक्षण विचार तथा शक्य है। परिशोधन प्रस्तावक द्वारा विसृत सी.ई.आर. प्रस्ताव में समिती की पूर्ति करने से बेदाता सी.ई.आर. की प्रति निश्चित यह प्रतीसमूह राज्य पर विकास निगम को जमा करने का अधिकार कौटिक सम्पत्ति दी गई थी तथा उपरोक्त सम्पत्ति जमा से जमा जमा करने की प्रक्रिया में उपरोक्त का बह-बह का प्रस्ताव दिया था। यथा-यथा परिशोधन प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत एवं उचित जानकारी समिती द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तथा यह माना जाता है कि उसके द्वारा प्रस्तुत जमा उसके ऊपर कोनाकारी होगा। जबकि प्रस्तुत प्रकरण में समिति को ऊपर उल्लेखित कर परिशोधन प्रस्तावक अपने कथन तथा उस में निर्णय करवाना चाहता है इस उद्देश्य से अंशोक्षण में उल्लेख किये गये जमा वास्तविकता से परे है। जहां समिती सर्वसम्मति से इस बाबत का संज्ञान लेते हुए परिशोधन प्रस्ताव को अंशोक्षण का प्रति निरा करता है तथा उपरोक्त प्रकरण को उपरोक्त के सिद्ध प्रकृतित कार्य एवं नियम के अधीन यह वास्तविक सुनिश्चित जानकारी है जिससे उपरोक्त को होने वाले पुनर्गठन से अधिक से अधिक बचाया जा सके।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार संशोधित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
100.05	2%	2.001	Following activities at nearby, Village-Dhansuli	
			Plantation at Village Pond	2.50
			Total	2.50

सी.ई.आर. के अंतर्गत लगभग 200 (आम एवं जलपुत्र) कुआरों/बोरिंग हेतु प्रस्ताव प्रस्ताव अनुसार 40 नए कुएँ के लिए प्रति 5,000 रुपये, सिंचाई के लिए प्रति 10,000 रुपये, खाद के लिए प्रति 2,000 रुपये, सीमेंट तथा लकड़-खोखर आदि के लिए प्रति 30,000 रुपये, इस प्रकार प्रत्येक वर्ष में कुल प्रति 60,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्षों में कुल प्रति 1,20,000 रुपये हेतु परियोजना प्रस्ताव का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा आम विकास धनसूची के अंतर्गत उपरोक्त कुआरों/बोरिंग (अंशक क्रमांक 246) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

3. सी.ई.आर. एवं कुआरों/बोरिंग कार्य के कोनिट्रोल एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (ओवरसाईट/प्रतिनिधि, आम विकास के अधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या पर्यावरण पर्यवेक्षण संस्थान मन्डल के पर्यवेक्षक/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं कुआरों/बोरिंग का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरोक्त गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निर्धारित किया गया कि आवेदन - मेसर्स महासूची लाईम स्टोन (जे- सी लिमिटेड अथवा, धनसूची लाईम स्टोन मईन), आम-धनसूची, लक्ष्मील-विला, जिला-रायपुर के अंशक क्रमांक 543/4, 543/5, 543/11 एवं 543/14 में किया कुल चाल (पीन सविन) खदान, कुल क्षेत्रफल-2.813 हेक्टेयर, अंशक-38.019 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुमति की गई। पूर्व नोट्स में विहित की गई सभी शर्तों पर पूर्ण।

साथ ही पर्यावरण द्वारा आकलन अतिकलन (एन.ई.आर्.ए.ए.), पर्यावरण को उपयुक्त सूचित किया जाए।

4. मेसर्स एस.एस.एस. वाटरवैज इंजीनियरी/कोटेड फाइनेट लिमिटेड, आम-जिलातरा, जिलातरा इन्डस्ट्रीयल एरिया के राष्ट्रीय, लक्ष्मील-धरसीवां, जिला-रायपुर (सविवालव की नसी क्रमांक 2008)

ऑनलाइन आवेदन - पूर्व में प्रस्तुत नम्बर - एन.ई.आर्.ए. / सीपी / एन.ई.आर्.ए. / 57429/2020, दिनांक 13/10/2020 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रस्तुत नम्बर - एन.ई.आर्.ए. / सीपी / एन.ई.आर्.ए. / 14208 / 2020, दिनांक 29/04/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदन (एन.ई.आर्.ए. रिपोर्ट) प्रस्तुत की गई है।

11

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा जगत विस्तार की उद्योग-किल्ला, मिजादा इन्डस्ट्रीयल एरिया के समीप, लहरी-धरनी, जिला-रायपुर जिला कार्यालय अर्थात् 70/1, 70/2 एवं 70/3, कुल क्षेत्रफल – 0.823 हेक्टेयर में Common Bio Medical Waste Treatment Facility (CBMWTF) की अंतर्गत Incinerator क्षमता – 250 कि.घा. प्रतिघंटा से 750 कि.घा. प्रतिघंटा, Auto Clave क्षमता – 175 लीटर प्रतिघंटा से 625 लीटर प्रतिघंटा, Shredder क्षमता – 500 कि.घा. प्रतिघंटा से 1,500 कि.घा. प्रतिघंटा एवं Chemical Disinfection Unit क्षमता – 500 कि.घा. प्रतिघंटा से 2,500 कि.घा. प्रतिघंटा की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का कुल निवेश राय 2.75 करोड़ है।

एच.ई.ए.सी., रा.प. के आदेश अर्थात् 2008 दिनांक 22/02/2021 द्वारा प्रस्ताव की-1 कोटेची का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अक्टूबर, 2018 में प्रकाशित स्टीमडॉक एम्स और निस्तेज (टीसीआर) और ईआईए/इएमपी रिपोर्ट और प्रोजेक्ट/एलटीसीटीए रिजल्टिंग इन्फॉर्मेट क्लीयरेंस अफ्टर ईआईए नोटिफिकेशन, 2008 में जीवन हार्मिक वेस्ट ट्रीटमेंट, स्टोरेज एण्ड डिस्पोजल फैसिलिटी (टीएसडीएफ) [Common hazardous waste treatment, storage and disposal facilities (TSDFs)] हेतु वर्गित केपी 1(डी) का स्टीमडॉक टीसीआर (जोस सुनवाई सहित) Common Bio Medical Waste Treatment Facility (CBMWTF) की अंतर्गत Incinerator क्षमता – 250 कि.घा. प्रतिघंटा से 750 कि.घा. प्रतिघंटा, Auto Clave क्षमता – 175 लीटर प्रतिघंटा से 625 लीटर प्रतिघंटा, Shredder क्षमता – 500 कि.घा. प्रतिघंटा से 1,500 कि.घा. प्रतिघंटा एवं Chemical Disinfection Unit क्षमता – 500 कि.घा. प्रतिघंटा से 2,500 कि.घा. प्रतिघंटा हेतु टीसीआर जारी किया गया।

उपरोक्त परियोजना प्रस्तावक को एच.ई.ए.सी., उत्तीरागढ़ के आदेश दिनांक 18/08/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बीटक का विवरण –

(ब) समिति की 42वीं बैठक दिनांक 23/08/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु की, मिजादा मालवीय, जीएनएल एवं पर्यावरण सलहकार की राय में मैसर्स इन्फो इन्फार्मेटे टेक एण्ड इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड, गुजरात की ओर से की गया टेसाई तथा की व्यवस्थापन कार्यवाही हुई। समिति द्वारा मशीन, प्रस्तुत जानकारी का अद्यतन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई—

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण— जगत इकाई को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. जल एवं वायु सम्पत्ति –

- क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तीरागढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर द्वारा Common Bio Medical Waste Treatment and Disposal facility of capacity 2 Tonne Per Day हेतु जल एवं वायु सम्पत्ति दिनांक 29/01/2018 को जारी की गई है, जिसकी समीक्षा नवीनीकरण केला दिनांक 30/04/2024 तक है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्तमान में स्थापित इकाई को हेतु उत्तीरागढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्पत्ति जारी के फल में की गई कार्यवाही की विनियमन अनुसार प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि वर्तमान में स्थापित इकाई को हेतु उत्तीरागढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा

 _____

जारी सम्मति शर्तों के तालम में की गई कार्यवाही की सिन्दुवार जानकारी क्षेत्रीय कार्यालय, एनटीएमएड कार्यालय संकलन भवन, रायपुर में प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. सवीनका निम्न शिवाकलार्थी संबंधी जानकारी –

- सवीनका अबादी घाम-बरीदा 1.3 कि.मी. एा राने स्टेशन रायपुर 18 कि.मी की दूरी पर शिवा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 234 कि.मी. दूर है। कासन नदी 3.24 कि.मी. दूर है।
- परिवेषण प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतरराष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय राजम, अमरावण, पारिस्थितिकीय संरक्षणक्षेत्र क्षेत्र का संश्लित शिवाकलार्थी क्षेत्र शिवा नहीं होना प्रतिकथित शिवा है।

4. मू-सामागल – मूनि मेसारी एल.एन.एल. वाटरवीस इन्वर्षिवरषेपेक (एन.रि.) की नाम पर है। मूनि संबंधी प्रस्तावक प्रस्तुत शिवाे गये है।

5. शूनिवा स्टेटमेंट –

Description	Total Area (m ²) after proposed expansion	Total Area (%)
Incineration Area	818.44	13.1
Treated Waste Storage Area	172.70	2.8
Sterilization Area	188.58	3.0
Shredder Area	188.58	3.0
KIP Area	88.00	1.4
Inc. Waste Storage Area	88.00	1.4
Vehicle Wash & Parking	184.88	2.9
Yellow/red/Other Waste Storage Area	217.24	3.4
Parking Area	82.30	1.3
Office & Control Room	124.40	2.0
Utility Area	50.00	0.8
Other Area	127.57	2.0
Green Belt Area	2,050	33.0
Road & Open Sky Area	1,178.18	18.8
Total	8,238	100

6. टूकनेट शैनीशिली –

• **Technical Specifications of Proposed Incinerator**

Incinerator	
Type of Incinerator	W.F.A. THERM controlled air Oil Fired Incinerator Model 8884-250
Type of Waste	Biomedical Waste
Burning Capacity	250 kg/hr x 2 Nos. (Proposed additional)
Auxiliary Fuel	Coal
Type of Burner Operation	Monoblock / Split type fully automatic burners
Temperature	
Primary Chamber	800 ± 50 °C
Secondary Chamber	1000 ± 50 °C
Primary Chamber	
Type	Steel Solid Heart
Material of Construction	Mild Steel, 12-16 mm thick
Refractory thickness	300 mm thick
Temperature resistance	1400 °C
Insulation thickness	115 mm thick
Material	Insulation bricks conforming to IS-2542
Waste Charging	Automatic through hydraulic Ram Pusher
Ash Removal	Manual

Secondary Chamber	
Type	Batch Furnace connected to primary furnace
Material of Construction	Mild Steel, 12 mm thick
Refractory Thickness	118 mm Thick insulation brick and 118 mm x 2 layer of fire brick
Material	Refractory bricks conforming to IS-8
Temperature resistance	1200°C
Insulation thickness	118 mm
Material	Insulation bricks conforming to IS-3042
Residence time for the gases	2 seconds

6. **Specifications Of Proposed Autoclave**

Specifications	
Model	Single Hinge Door, Automatic Standard model Vacuum Pump with Condenser, Pressure transmitter along with SS Cartage & Trolley
Capacity	400 L x 2 Nos. (Additional)
Size	500 x 500 x 1000 mm each
Working Parameter	
Chamber Working Pressure	1.05 Kg/Cm ²
Jacket Working Pressure	1.8 Kg/Cm ²
Chamber Working Temperature	121°C
Hydro Test	
Chamber	One & half time the working Pressure
Jacket	Twice the Working Pressure
Chamber and Back plate	The Sterilizing Chamber is fabricated from SS-304 Quality with full argon welding
Jacket	The jacket is fabricated from IS-8 Quality
Insulation	Aspen Bonded Rock wool insulation of 50mm thickness
Sensor	PT 100 sensors are used for PLC and manual control
Manual Backup	The Control System is provided with a manual backup in case of PLC Failure. Here all valves, Pumps, etc. can be operated with individual switches.

7. **Specifications of Proposed Shredder**

Specifications	
No.	4 (Additional)
Capacity	250 Kg/hr
Blades	Combined Hook/shear blades
Safety Features	a. Auto Reverse System b. Interlocks to avoid re-entraining c. Low Noise, Non Ballistic d. Auto Shut-Off

7. **प्रस्तावित एवं अगता विस्तार उपरोक्त उत्पादन संबंधी विवरण:-**

Facility Name	Existing Capacity	Proposed Expansion Capacity	Proposed Capacity After Expansion
Incinerator	1 x 250 Kg/hr	2 x 250 Kg/hr	3 x 250 Kg/hr
Autoclave	1 x 175 Liter/Batch	2 x 450 Liter/Batch	1 x 175 + 2 x 450 Liter/Batch
Shredder	2 x 250 Kg/hr	4 x 250 Kg/hr	6 x 250 Kg/hr
Chemical Disinfection Unit	1 x 500 Kg/hr	1 x 2,000 Kg/hr	1 x 500 + 1 x 2,000 Kg/hr

8. हान्यकारी एवं ठोस अपशिष्ट उपबन्धन व्यवस्था –

Hazardous & Solid Waste Management					
S/N	Type of Hazardous And Other Waste	Source	Total Quantity Generated for Proposed expansion (Kg/Day)		Method of Disposal
			Existing	Proposed	
38.2	Ash	Generator	250	1,300	Sent to CRATISOP site/secure landfills
39.3	ETP Sludge	ETP area	70	200	Sent to CRATISOP site/secure landfills
-	Plastic Waste after Autoclave and shredding	Shredder	800	1,300	Sent to Authorized Recyclers
-	Glass and metallic body implants After Autoclave	Autoclave	400	1,200	Sent to Authorized Recyclers
-	Metal Sharps after Autoclave and Shredding	Shredding	50	150	Sent to foundry for metal recovery / TSP site
5.1	Waste oil	From Plant & Machines	As generated	As generated	Sent to Authorized Recyclers
-	Lead batteries	-	As generated	As generated	Sent to Authorized Recyclers
Non-Hazardous Waste					
-	ETP Sludge	From ETP	As generated	As generated	Reused as manure in gardening

9. जीव अपशिष्ट उपबन्धन –

S.No.	Category	Type of Waste	Collection method
21	Yellow	Human Anatomical Waste Animal Anatomical Waste Solid Waste Expired/ Discarded Medicines Chemical Waste Chemical Liquid waste Discarded linen mattress, Building contaminated with blood or body fluid Microbiology, Biotechnology and other clinical laboratory waste	Yellow coloured non-sterilized plastic bags
22	Red	Contaminated waste (liquids)	Red coloured non-sterilized plastic bags
23	White	Waste Sharps	Puncture proof, leak proof, tamper proof containers
24	Blue	Glass waste, metallic body implants	Cardboard boxes with blue coloured marking

घरेलू कचरे को अपशिष्ट को इन्फिल्ट्रेटर में भेजा जाकर उपचार किया जाता है। उपचार उपरोक्त जल को सीपलाइज्डर को प्रदाय किया जाता है। लान कचरे को अपशिष्ट को ऑटोक्लेव उपरोक्त डीकर में भेजा जाता है। इन्फिल्ट्रेटर में प्रदाय अपशिष्ट को अधिकृत निस्संक्रमण को प्रदाय किया जाता है। जीव कचरे को अपशिष्ट को डिस्ट्रीट में उपचार कर संशुद्धिण इन्फिल्ट्रेटर-सेप्टेजिट में सिस्डन-सेप्टेजिट किया जाता है। सिस्डन-सेप्टेजिट उपरोक्त प्रदाय दूधित जल को

इटीवी में भेजा जाता है। सर्वेड केली को अस्पष्ट को ऑटोस्कोप/स्टेरोस्कोपिक उपकरणों के माध्यम से भेजा जाता है। इटिवि में प्राप्त अस्पष्ट को अतिवृद्ध विनायकलर/मेटल निकलटरी इकाई/टीएससीएक को प्रदाय किया जाता है। यही व्यवस्था अन्ततः विस्तार हेतु भी अपनायी जायगी।

10. जल प्रबंधन व्यवस्था -

• **जल संचयन एवं वृद्धि** - वर्तमान में परिचोजना हेतु कुल 14.8 घनमीटर प्रतिदिन (परेलु उपयोग हेतु 0.5 घनमीटर प्रतिदिन, गार्डनिंग हेतु 0.7 घनमीटर प्रतिदिन एवं औद्योगिक उपयोग हेतु 13.6 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाता है। अन्ततः विस्तार उपरांत परिचोजना हेतु कुल 66.6 घनमीटर प्रतिदिन (परेलु उपयोग हेतु 2 घनमीटर प्रतिदिन, गार्डनिंग हेतु 0.7 घनमीटर प्रतिदिन एवं औद्योगिक उपयोग हेतु 63.9 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। आवश्यक जल की आपूर्ति अतीवन्तः इन्वन्ट बूमि रिजिस्ट्रार के माध्यम से की जायी है। यही व्यवस्था अन्ततः विस्तार हेतु भी अपनायी जायगी।

• **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** - वर्तमान में परिचोजना से औद्योगिक दूषित जल कुल 6.1 घनमीटर प्रतिदिन उत्पन्न होता है। अन्ततः विस्तार उपरांत उत्पन्न परेलु दूषित जल की मात्रा 1 घनमीटर प्रतिदिन एवं औद्योगिक दूषित जल की मात्रा 22.7 घनमीटर प्रतिदिन होगी। वर्तमान में परेलु दूषित जल को उपयोग हेतु सेप्टिक टैंक एवं सीवरिनट निर्माण किया गया है। वर्तमान में औद्योगिक दूषित जल को उपयोग हेतु इन्वन्ट्रिट ट्रीटमेंट प्लांट अन्ततः 20 घनमीटर प्रतिदिन की स्थापना किया गया है। अन्ततः विस्तार उपरांत परेलु दूषित जल को उपयोग हेतु सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट अन्ततः 02 घनमीटर प्रतिदिन एवं औद्योगिक दूषित जल को उपयोग हेतु इन्वन्ट्रिट ट्रीटमेंट प्लांट अन्ततः 25 घनमीटर प्रतिदिन की स्थापना किया किया जाता प्रस्तावित है। परेलु दूषित जल को उपयोग उपरांत जल का उपयोग कूलिंग, वाट मशीन आदि में उपयोग किया जायगा। इन्वन्ट्रिट ट्रीटमेंट प्लांट को अंतर्गत कार्बोनाम, जल एकाग्रताइन्वन्ट्रिट टैंक, क्लीर रिजिनर एवं क्लीयरिफायर, ड्राईनरी सेप्टिज टैंक, एरिएशन टैंक, सेकण्डरी सेप्टिज टैंक, इंटरमिडेट स्टोरेज टैंक, वाट मशीन ड्राईंग बेड, पी.एम.एक. एवं ए.सी.एक. विनट्रिन्वन्ट्रिट सेप्टिजिट्री (सेप्टिजिन हाइपोक्लोराइट का उपयोग विनट्रिन्वन्ट्रिट पीडिज की तरह किया जायगा), ट्रीटमेंट वेस्ट वॉटर टैंक आदि स्थापित है। इन्वन्ट्रिट ट्रीटमेंट प्लांट उपचारित दूषित जल को पुनः सिट्टईकन कर उपयोग किया जाता है। प्रस्तावित कार्बोनाम हेतु भी उपर्युक्त व्यवस्था अपनाई जायगी।

• **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** - उद्योग परिसर में वर्षा जल का कुल स्तरीक 4.666 घनमीटर है। प्रस्तावित कार्बोनाम हेतु रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था को अंतर्गत 3 मग रेक्टैंगुलर आर.सी.सी. टैंक (लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर, गहराई 2.5 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। निर्दिष्ट का मत है कि स्थापित एवं प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था तथा स्थापित सिट्टईकन से परिसर को पूर्ण स्तरीक को सिट्टईकन किया जा सके। सभी सिट्टईकन स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएं कि इनमें अन्ततः मात्रा में वर्षा जल का संचय हो सके। जल स्थापित एवं प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था का स्थापित अन्ततः प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।



11. वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था – स्थापित एवं प्रस्तावित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था संबंधी जानकारी निम्नप्रकार है:-

Facility Name	Pollution Control System		
	Fuel	Equipment	Stack height (in M)
Incinerator Existing (1 x 250 Kg/hr)	Diesel, DO	APC Consisting of Venturi & Packed Bed Scrubber	30
DG Set Existing (1 x 100 KW)	Diesel, DO (30 Liters)	Stack attached to DG set	3
Incinerator Proposed	Diesel, DO	APC Consisting of Gas Quencher Venturi Scrubber, Packed Bed Scrubber along with stack	30
DG Set Proposed (2 x 100 KW)	Diesel, DO (30 Liters)	Stack attached to DG set	3

वर्तमान में पार्टिकुलेट मैटर का प्रसारण 30 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर रहा गया है। प्रस्तावित परियोजना वर्तमान पार्टिकुलेट मैटर का प्रसारण 30 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर, नाइट्रोजन डीऑक्साइड का प्रसारण 400 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर, एच.सी.एस. 50 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम रहा जाएगा। अतिरिक्त किसी भी स्तर पर प्रस्तावित है। क्वांटिटेटिव डेट प्रसारण नियंत्रण हेतु जल सिंक्रलिंग किया जाना प्रस्तावित है।

12. परिवहन व्यवस्था – जेड-विकिरण असीम्बल का संयोजन एवं परिवहन जेड-विकिरण असीम्बल प्रबंधन नियम, 2018 (जमा संबंधित) को प्रत्येक की अनुसार किया जाता है। सभी व्यवस्था समस्त विस्तार उपरंत में अपनाई जाएगी।

13. विद्युत आवरण एवं स्कीट – समस्त विस्तार उपरंत 250 मेगावॉट विद्युत सारत होना प्रस्तावित है, जिसकी आपूर्ति उत्तरीसमग्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। बैकअप व्यवस्था हेतु वर्तमान में 100 केलीए का 1 नम डी.जी. सेट स्थापित है। समस्त विस्तार उपरंत बैकअप व्यवस्था हेतु अतिरिक्त 100 केलीए का 1 नम डी.जी. सेट लगाया जाना प्रस्तावित है।

14. मृदा संरक्षण की स्थिति – कुल क्षेत्रफल में से लगभग 2.098 वर्गमीटर (लगभग 33 प्रतिशत) क्षेत्र में मृदा संरक्षण किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त समीपस्थ स्टाडी एरिया में 437 वर्गमीटर क्षेत्र में मृदा संरक्षण किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार कुल 40 प्रतिशत क्षेत्र में मृदा संरक्षण किया जाएगा। प्लांट की प्रकृति का प्रत्येक स्तरों हुए प्रस्ताव प्रत्येक अनुसार 350 नम पौधों के लिए प्रति 2,50,000 रुपये, स्टाड के लिए प्रति 20,000 रुपये, मिथाई एवं रज-रजाल के लिए प्रति 2,30,000 रुपये इस प्रकार प्रत्येक वर्ष के लिए कुल प्रति 4,00,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्षों के लिए कुल प्रति 11,10,000 रुपये हेतु पर्याप्त मात्रा का वितरण प्रस्ताव किया गया है।

15. ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण :-

1. जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी – वीनोटरीय सर्वे 1 मार्च 2021 से 31 मई 2021 को संचालित किया गया है। 10 किलोमीटर की अंतराल 8 स्थानों पर परिसीध वायु गुणवत्ता मापन, 7 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 7 स्थानों पर सतही जल

सुसज्जित तथा 8 स्तरों का सिटी के नए एअरिड का निर्माण किया गया है।

8. **मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएन, एसओ₂, एसओ_x का मानक लेवल-**

Concentration level ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Maximum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CPCB Standard ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
PM _{2.5}	28	84	80
PM ₁₀	56	168	100
SO ₂	3	17.1	80
NO _x	15.2	24.3	80

9. **परिवोजना लेवल के आसपास जल सरोतों की गुणवत्ता-** ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दार्जिल गवे लेवल अनुसार क्लोरोफिल, फ्लोरोईड, नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बोनेट्स, जेड, आर्सेनिक, बारी, कैडमियम एवं अन्य रासायनिक तत्वों का मानक लेवल भारतीय मानक से कम है।

10. **परिभाषीय ध्वनि स्तर-**

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L _{eq}	43.8	72.3	75
Night L _{eq}	35.7	65.6	70

जो जल क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

16. लोक सुनवाई दिनांक 11/11/2021 द्वारा 10:30 बजे स्थान -बी.एच.आई.डी. की भवन के परिसर, औद्योगिक क्षेत्र, फेरा-8 विजयवा, जिला-रायपुर में आयोजित हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदन स्थित, क्लीकलड सर्विसल संज्ञान मंडल, नया रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर के पत्र दिनांक 18/01/2022 द्वारा प्रेषित किया गया है।

17. उद्योग प्रबंधन द्वारा लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों एवं उनके निराकरण की दिशा में किये जाने वाले उपाय के संबंध में भारतीय प्रबंध प्रणाली (abstract form in english) एवं जन सामान्य के सुविधानुसार भारतीय प्रबंध प्रणाली (abstract form in hindi) में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

18. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** - परिवोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environmental Responsibility) हेतु उपायुक्त विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। समिति का मत है कि "परिचय व निर्माण" के लक्ष्य (अवकाश, बड़ा पैमाने, नीम, आय, आयुर्, बेर आदि) प्राप्त प्रभावों के दायित्व उपायों पर्यावरणीय स्वयं (संरक्षण विचार सहित) में समावेश हेतु पीपी, सीसीए, आरए एवं सिंगल तथा बस-स्थान के लिए 8 वर्षों का घटकवार एवं समन्वय व्यवसाय विचार विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा आवश्यक सर्वोच्चता से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था-

1. परीक्षण में स्वयंसेवक इकाईयों हेतु जलजीवनदा पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्बंधी कर्तव्य के अन्तर्गत ही सभी कार्यवाही की विन्दुवार जानकारी पर्यावरणदा पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. विभिन्न से वाटिकुनेट नेटवर्क का प्रसारण 30 मिनीघण्ट / सप्ताहमा जलपीटर के सम अनुमिष्टित किये जाने बाबत विस्तृत सपना सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए। साथ ही स्वयंसेवक एवं समस्त विस्तार उपरोक्त प्रदूषण भाग में किलनी वृद्धि होनी स्पष्ट रूप से बताया जाए।
3. जैव जलसिष्ट (पिसे सेनी, लाल सेनी, नीले सेनी, लाल सेनी) की प्रतिदिन मात्रा एवं संरक्षण समस्त की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. परीक्षण में एवं समस्त विस्तार उपरोक्त उपरोक्त के विभिन्न इकाईयों एवं की.जी. सेट तथा कुल संरक्षण के 40 प्रतिशत क्षेत्र में कुशलतापूर्वक से उपरोक्त हुए से-आउट प्लान के.एच.एस. प्रदर्शन सहित प्रस्तुत की जाए।
5. लोक सुनवाई में उठाये गये मुद्दों के निराकरण की दिशा में प्रस्तावित कार्यवाही की कार्य योजना सारणीबद्ध प्रारंभ अंग्रेजी (tabular form in English) एवं हिन्दी (tabular form in Hindi) में प्रस्तुत किया जाए। साथ ही लोकसुनवाई के दौरान उठाये गये समस्त मुद्दों के निराकरण हेतु किये जाने वाले कार्य बाबत सप्ताह पत्र (Aftab) प्रस्तुत किया जाए।
6. परियोजना के अन्तर्गत हेतु संबंधित काम संरक्षण का अनुमति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
7. जल की आपूर्ति जलजीवनदा इस्लाम मुनि लिमिटेड के माध्यम से किये जाने हेतु सप्ताह पत्र (Aftab) प्रस्तुत किया जाए।
8. समस्त 8 नगर में उपरोक्त एवं परियोजना के अन्त-धन निराकरण जमीन का एनवाई एवं पैदावर्तिका प्रभाव की स्टडी बनाने हेतु सप्ताह पत्र (Aftab) प्रस्तुत किया जाए।
9. प्रस्तावित परियोजना में कितने व्यक्ति कार्यरत की रूप में कार्य करेंगे एवं उनके सुका हेतु क्या व्यवस्था की जाएगी? के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत किया जाए। स्वयंसेवक जमीनों को प्रोत्साहनपूर्वक संरक्षण देने बाबत सप्ताह पत्र प्रस्तुत किया जाए।
10. प्रस्तावित परियोजना एवं अन्त-धन के क्षेत्र का ऐरो-बैवोलॉजिकल स्टडी (Aero-Biological Study) बनाने हेतु सप्ताह पत्र (Aftab) प्रस्तुत किया जाए।
11. स्वयंसेवक एवं प्रस्तावित रंग कौटन इन्वेस्टिंग व्यवस्था का संस्थापित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
12. स्वयंसेवक एवं समस्त विस्तार उपरोक्त सभी कर्तव्यों / कर्तव्यपालन हेतु कर्तव्यों की समर्पित बनने हेतु ट्रेनिंग प्रमाण किये हेतु प्रस्तुत किया जाए।
13. सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव "श्रीव वन निर्माण" के तहत (अपना, बड़ पीपल, नीम, आम, जर्बुन, केस आदि) राम संरक्षण के सहयोग उपरोक्त पर्यावरण सदन (संरक्षण विभाग सहित) में कुशलतापूर्वक हेतु पीपी, पेंटिंग, लाइट एवं सिंचाई तथा सब-संरक्षण के लिए 5 वर्ष का पर्यवेक्षण एवं समायोजन कार्य का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए।

(Signature)

14. परिचालन प्रस्तावक द्वारा इस आदेश का पालन पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरुद्ध इस परिचालन/आदेश से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण दायर की अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
15. परिचालन प्रस्तावक द्वारा इस आदेश का नीटरी से संचालित समझ पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, सर्वोच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अपील/आदेश दिनांक 14/08/2017 के अंतर्गत कोई प्रकरण दायर प्रकरण लंबित नहीं है।

उपरोक्त उचित जानकारी/प्रस्तावक द्वारा होने उपरोक्त अन्यायी कार्यवाही की जाएगी।

समान्य एच.ई.ए.सी., प्रतीक/आदेश के आदेश दिनांक 28/09/2022 के परिधि में परिचालन प्रस्तावक द्वारा जानकारी/प्रस्तावक दिनांक 07/10/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 428वीं बैठक दिनांक 17/10/2022:

समिति द्वारा नली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न निष्पत्ति आई है—

1. समिति ने स्थापित हुआईवी हेतु प्रतीक/आदेश पर्याप्त संख्या में दायर करी सम्बन्धित नली के पालन में की गई कार्यवाही की विस्तृत जानकारी प्रतीक/आदेश पर्याप्त संख्या में दायर कर प्रस्तुत नहीं किया गया है।
2. समिति ने स्थापित हुआई एवं समता विभाग उपरोक्त प्रकरण भार की समता का जानकारी प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार
 - समिति ने स्थापित हुआई से कुल प्रकरण भार 41.38 किलोघन प्रतिदिन (एच.ई.ए.सी. के आदेश 50 मिलीघन/सामान्य घनमीटर के आदेश पर 4.13 किलोघन प्रतिदिन एच.ई.ए.सी. का आदेश 50 मिलीघन/सामान्य घनमीटर के आदेश पर 4.13 किलोघन प्रतिदिन तथा एन.डी.एम का आदेश 400 मिलीघन/सामान्य घनमीटर के आदेश पर 33.08 किलोघन प्रतिदिन) है।
 - समता विभाग उपरोक्त कुल प्रकरण भार 100.31 किलोघन प्रतिदिन (एच.ई.ए.सी. के आदेश 30 मिलीघन/सामान्य घनमीटर के आदेश पर 8.22 किलोघन प्रतिदिन, एच.ई.ए.सी. का आदेश 50 मिलीघन/सामान्य घनमीटर के आदेश पर 10.48 किलोघन प्रतिदिन तथा एन.डी.एम का आदेश 400 मिलीघन/सामान्य घनमीटर के आदेश पर 83.64 किलोघन प्रतिदिन) होगी।
 - यह उद्योग विधिकारी वी.एच.ए.सी. द्वारा के अंतर्गत आता है। प्रस्तावित कार्यवाही उपरोक्त प्रकरण भार की मात्रा पर्याप्त में स्थापित हुआई हेतु प्रकरण भार की मात्रा के समान या उससे कम होने पर ही विचार किया जाना होगा है। अतः एन.डी.एम की मात्रा में कमी करने हेतु समता विभाग उपरोक्त प्रकरण भार की पुनः समता का संबंधित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।



3. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संश्लेषण दिनांक 31/10/2019 में उल्लिखित तथ्य निम्नानुसार है:-

"Any project or activity specified in Category B1 will be appraised at the Central Level, if located in whole or in part within 5 km from the boundary of Critically Polluted Areas or Severely Polluted Areas. However, Category B2 projects shall be considered at state level stipulating Environmental Clearance conditions as applicable for the Category B1 project/activities."

- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 30/12/2019 को अधिसूचना संश्लेषण जारी किया गया जिसमें उल्लिखित तथ्य निम्नानुसार है:-

"In respect of the cases where partial deliberations or complete deliberations were made by SEAC or UTEAC, as the case may be (Class- II), the deliberation may be completed keeping in view of the additional conditions by the SEAC or UTEAC, as the case may be, and sent to the ministry for comments. If the comments were not received within 15 days from the communication, may be deemed as accepted and disposed based on the recommendations of the SEAC."

"In respect of the cases where applications were received but not yet taken for SEAC/UTEAC (Class-III), may be transferred to Ministry for dealing at Central level as per the OM dated 31st October, 2019."

- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/01/2021 को अधिसूचना संश्लेषण जारी किया गया जिसमें उल्लिखित तथ्य निम्नानुसार है:-

"In view of the orders of the Hon'ble Supreme Court, the two Office Memoranda of even number dated 31st October 2019, and 30th December 2019 are hereby kept in abeyance."

- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 05/07/2022 को "Lifting of abeyance on Ministry's OMs, in pursuance to the Order dated 25/02/2022 of Hon'ble Supreme Court in Civil Appeals Nos. 2218-2219 of 2020 in the matter of Chamber of Small Industry Associations vs Central Pollution Control Board & Others with Civil Appeal Nos. 2220- 2221/2020, 2434/2020, 2462/2020, 3318-3321/2020 & 1656-4658 of 2022 regarding" हेतु अधिसूचना संश्लेषण जारी किया गया है, जिसमें उल्लिखित तथ्य निम्नानुसार है:-

"The Member Secretaries of concerned EACs/SEACs shall ensure that the environmental safeguards prescribed in the above said OMs, shall be explicitly stated in the Environmental Clearance (EC) letters for the project/activities located in CPAs and SPAs."

- अतः उपरोक्त अधिसूचना संश्लेषणों के अन्तर्गत पर्यावरण प्रदूषण को रोकने में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से टिप्पणी (Comment) मांगा जा रहा है।

4. जीव-अपशिष्ट की कुल मात्रा 8 मीट्रिक टन प्रतिदिन होगी, जिसमें से पीले बेली को जीव-अपशिष्ट मात्रा 3.6 मीट्रिक टन प्रतिदिन, लाल बेली को जीव-अपशिष्ट मात्रा 1.8 मीट्रिक टन प्रतिदिन एवं जीव-अपशिष्ट मात्रा 0.6 मीट्रिक टन प्रतिदिन होगी। प्रत्येक बेली को जीव-अपशिष्ट को मजदारा हेतु 112.4 वर्गमीटर रखा जाएगा।
5. वर्गीकरण में एवं क्षमता विस्तार उपरान्त एस्टेम को विभिन्न इकाईयों एवं डी.जी. सेट का प्रस्तुत ले-आउट प्लान सहाय्य नहीं है तथा कुल क्षेत्रफल को 40 प्रतिशत क्षेत्र में कुआरेशन की शर्तों के तहत ले-आउट प्लान को.एम.एल. काईल सहित प्रस्तुत नहीं की गई है।
6. लोक सुनवाई में उठाये गये मुद्दों के निवारण की दिशा में प्रस्तावित कार्यवाही की कार्य योजना सार्वजनिक प्रारंभ अंग्रेजी (Public Work in English) में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें सिर्फ 3 व्यक्तियों द्वारा पूरे गढ़ प्रान्त का ही जालेंडा है एवं हिन्दी (Public Work in Hindi) में प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही साथ ही लोकसुनवाई के दौरान उठाये गये समस्त मुद्दों के निवारण हेतु किये जाने वाले कार्य बाबत समय पत्र (Notice) प्रस्तुत प्रस्तुत नहीं किया गया है।
7. परिवर्तन के स्थापना हेतु सम्बंधित प्लान पत्रावत विस्तार का दिनांक 18/12/2019 का अन्तर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
8. जल की आपूर्ति उपरीक्षण इन्फ्रा बुमि लिमिटेड के माध्यम से किए जाने हेतु समय पत्र (Notice) प्रस्तुत किया गया है।
9. प्रत्येक 8 मार में उद्योग एवं परिवर्तन के आस-पास निवासस्थ लोगों का एलर्जी एवं पैथोलॉजिक प्रभाव की स्टडी कराने हेतु समय पत्र (Notice) प्रस्तुत किया गया है।
10. वर्गीकरण परिवर्तन में 60 व्यक्ति एवं प्रस्तावित परिवर्तन में अतिरिक्त 70 व्यक्ति इस प्रकार कुल 130 व्यक्ति कार्यरत के रूप में कार्य करने एवं उनके सुख हेतु अचानक जाने वाली व्यवस्था की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। स्थानीय बासीनों को पेशवालयवाला राजगार देने बाबत समय पत्र प्रस्तुत किया गया है।
11. प्रस्तावित परिवर्तन एवं आस-पास के क्षेत्र का एंटी-कोरोनाजिक्ल स्टडी (Anti-Coronavirus Study) कराने हेतु समय पत्र (Notice) प्रस्तुत किया गया है।
12. सम्बंधित एवं प्रस्तावित नैन बीटन हाईमिल्टन व्यवस्था का संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।
13. सम्बंधित एवं क्षमता विस्तार उपरान्त नहीं बढ़ाने / सटीकता हेतु बढ़ाने को सम्बंधित करते हुए ट्रेनिंग अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।
14. परिवर्तन प्रस्तावक द्वारा सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु समस्त विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। समिति का मत है कि "नैतिक वन निर्माण" के तहत (अच्छता, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेत आदि) प्लान पत्रावत के तहत ही उपरान्त उद्योगीय स्थान (असमयान विद्यमान सहित) में कुआरेशन हेतु सीई, फेसिंग, खार एवं सिनार्ड तथा एक-एक के लिए 6 वर्षों का पर्यवेक्षण एवं समन्वयन व्यव का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. परिचयना प्रस्तावक द्वारा इस आदेश का समर्थन पर (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनकी विस्तृत इस परिचयना/उपदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रक्रिया देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
16. परिचयना प्रस्तावक द्वारा इस आदेश का लौटती से सम्बंधित समर्थन पर (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनकी विस्तृत भारत सरकार, पर्यटन, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.आ. 804(2), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई प्रस्तुतन का प्रस्तुत लंबित नहीं है।

समिति द्वारा आवश्यक कार्यवाही से निम्नानुसार निर्देश किया गया था:-

1. अंतर्गत से संबंधित कार्रवाई हेतु अतीतगत पर्यटन संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्बंधित कार्य के प्रस्ताव से की गई कार्यवाही की विस्तृत जानकारी अतीतगत अतीतगत पर्यटन संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. पर्यटन की सेवा में कमी करने हुए समस्त विस्तार उपरोक्त प्रस्तुत कर की पुनः मर्यादा कर संबंधित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
3. लोक सुनवाई में उठाये गये मुद्दों के निराकरण की दिशा में प्रस्तावित कार्यवाही की कार्य योजना कार्यालय द्वारा अतीत (Action Plan in English) एवं हिन्दी (Action Plan in Hindi) में प्रस्तुत किया जाए। साथ ही लोकसुनवाई के दौरान उठाये गये समस्त मुद्दों के निराकरण हेतु किये जाने वाले कार्य समय समय (Action) प्रस्तुत किया जाए।
4. प्रस्तावित परिचयना में बन्धनों की सुझा हेतु अपनाई जाने वाली व्यवस्था की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जाए।
5. स्थापित एवं प्रस्तावित रेल वीथी इन्फ्रस्ट्रक्चर व्यवस्था का संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
6. सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव "परिवहन निर्माण" के तहत (अंतर्गत बस वीथी, रेल, आर, अर्जुन, बेल आदि) इस व्यवस्था की सम्बंधित उपरोक्त व्यवस्था स्थान (अंतर्गत विवरण सहित) में सुझाव हेतु वीथी, निर्माण, खाद एवं सिंचाई तथा खाद-पखाव के लिए 5 वर्षों का प्रस्ताव एवं सम्भवतः व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए।
7. भारत सरकार, पर्यटन, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना सं.आ.804(2) के अंतर्गत पर अधिसूचित प्रस्ताव के संबंध में भारत सरकार, पर्यटन, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के दिशानी (Circular) संसाधन जाए।

उपरोक्त संबंधित जानकारी/प्रस्तावक द्वारा होने उपरोक्त अतीत कार्यवाही की जाएगी।

समानुसार एस.ई.सी., अतीतगत की द्वारा दिनांक 09/12/2022 के परिचय से परिचयना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 22/12/2022 के जानकारी/प्रस्तावक प्रस्तुत किया गया।

(स) समिति की 445वीं बैठक दिनांक 11/01/2023

समिति द्वारा जारी, प्रस्तुत जानकारी का अंतर्गत एवं परिचय करने पर दिनांक स्थिति गई गई-

[Handwritten Signature]

1. कॉन्ट्रैक्ट में उल्लिखित इकाईयों हेतु प्रतीकबद्ध पर्यावरण संरक्षण योजना द्वारा जारी समीक्षा ताली के फॉर्म में जो गई कार्यवाही की विस्तृत जानकारी प्रतीकबद्ध पर्यावरण संरक्षण योजना से प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचित संशोधन दिनांक 08/08/2022 अनुसार "Self-certified six monthly Compliance Report for the latest CTO shall be sufficient if the project proponent applies for expansion within a period of one year from the grant/renewal of CTO. If such application is submitted beyond the period of one year from the grant/renewal of CTO, CCR shall be required for the latest CTO." है। इस परियोजना प्रस्तावक द्वारा कॉन्ट्रैक्ट में उल्लिखित इकाईयों हेतु प्रतीकबद्ध पर्यावरण संरक्षण योजना द्वारा जारी समीक्षा ताली के फॉर्म में जो गई कार्यवाही की विस्तृत स्वप्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है।

2. इंधन चार की गणना - कॉन्ट्रैक्ट में प्रतिक्वैट्रेंट मीटर का उपकरण 50 मिलीघाम/सामान्य घनमीटर के अनुसार प्रदूषण भार 4.15 किलोघाम प्रतिदिन, एच.सी.एस. का उपकरण 50 मिलीघाम/सामान्य घनमीटर के अनुसार प्रदूषण भार 4.15 किलोघाम प्रतिदिन तथा एन.सी.एम का उपकरण 500 मिलीघाम/सामान्य घनमीटर के अनुसार प्रदूषण भार 33.09 किलोघाम प्रतिदिन (इस प्रकार कुल 41.39 किलोघाम प्रतिदिन) होता है। समस्त किलोघाम उपरोक्त दोनों विनियमों के प्रतिक्वैट्रेंट मीटर का उपकरण 30 मिलीघाम/सामान्य घनमीटर के अनुसार प्रदूषण भार 4.84 किलोघाम प्रतिदिन, एच.सी.एस. का उपकरण 30 मिलीघाम/सामान्य घनमीटर के अनुसार प्रदूषण भार 4.84 किलोघाम प्रतिदिन तथा एन.सी.एम का उपकरण 200 मिलीघाम/सामान्य घनमीटर के अनुसार प्रदूषण भार 31.52 किलोघाम प्रतिदिन (इस प्रकार कुल 41.39 किलोघाम प्रतिदिन) होता प्रस्तावित है।

3. लोक सुनवाई में उठाये गये मुद्दों के निराकरण की दिशा में प्रस्तावित कार्यवाही की कार्य योजना सरलीकृत प्राथमिक तालिका (tabular form in English) एवं हिन्दी (tabular form in Hindi) में प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न मुद्दा/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:-

1. गांव के विकास कार्य में सहयोग प्रदान करें। साथ ही एक ऐसी समिति बनाई जाए जिसमें जनता या जनप्रतिनिधि के द्वारा गांव के संबंधित मुलभूत आवश्यकताओं से अवगत कराया जा सके।
2. पर्यावरण का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए।
3. आयोजना के अन्तर्गत पर संबंधित प्रायों के लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये निम्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावकों की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसल्टेंट का कथन निम्नानुसार है:-

1. गांव के प्रगति को लिए कार्य किया जाएगा एवं सामयिकीयों को इससे अवगत भी कराया जाएगा।
2. सीई,आर. के माध्यम से आस-पास के गांवों में पर्यावरण विकास हेतु कार्य किया जाएगा।

- iii. विहित श्रेयस्कर्तों को योग्यता के अभाव पर स्थानीय लोगों को आवश्यकानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी।
4. लोकसमुन्वयों के दौरान उत्पन्न गंदे कचरा बुझाई के निष्कलन हेतु किये जाने वाले कार्य वास्तु कार्य पर (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
 5. प्रस्तावित परियोजना में श्रमिकों की सुरक्षा हेतु अपनाई जाने वाली व्यवस्था की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार प्लाट में कार्य के दौरान श्रमिकों को पी.पी.ई. (हेल्मेट, बालक, गॉगल, रोकटी शूज, कवच आदि) उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त निम्न लेख प्रकल्प किया जाएगा। इस कार्य परियोजना प्रस्तावक द्वारा "we will carry out the monthly health check-up for workers of the plant and people of surrounding area of project site to check absence of pathogenesis effect." हेतु कार्य पर (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
 6. स्थापित एवं प्रस्तावित रेन वॉटर हार्बरिंग व्यवस्था का संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार उत्तम बरिसर में वर्षा के पानी का कुल स्तरीक 4,311 घनमीटर है। रेन वॉटर हार्बरिंग व्यवस्था के अंतर्गत चारोंपट्ट वॉटर रिचार्ज टैंक (कुलकुल 18.5 घनमीटर एवं क्षमता 30 घनमीटर) निर्मित किया गया है। स्थापित रेन वॉटर हार्बरिंग व्यवस्था के परिचर के पूर्ण स्तरीक को रिचार्ज किया जा सकेगा। वही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकालम अवधि में अपनाई जाएगी।
 7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
275	2%	5.50	Following activities at nearby Pavitra Van	
			Nirman in Village-Sitara	4.50
			Solar LED Street Lights (50 W)	0.30
			Rain Water Harvesting System at Sitara Gram Panchayat Office	0.60
			Potable Drinking Water Facility at Sitara Vidyalyaya	0.10
			Total	5.50

सी.ई.आर. के अंतर्गत "परिव वन निर्माण" के कार्य (अपना, कटन, बड पीपल, पीपल, आम, आबुन, बेल आदि) कुलस्तरण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 175 नग पौधों के लिए राशि 1,00,000 रुपये, खाद के लिए राशि 10,000 रुपये, सिंचाई

एक 100-रखाव जल के लिए प्रति 1,13,400 रुपये, इस प्रकार कुल धन में कुल प्रति 2,20,800 रुपये एक आगामी 4 वर्ष में कुल प्रति 2,20,040 रुपये हेतु फटाकाल एक का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परिचालन प्रस्तावक द्वारा वाम पंचायत विस्तार के अंशों प्रस्तुत की गई है।

6. एम.ई.ए.सी., जलसंधारण के प्रारण क्रमांक 1838, दिनांक 09/12/2022 द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संशोधनों के अन्तर्गत पर आवंटित प्रकल्प को संबंध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से टिप्पणी (Comments) मांगी जाने बाबत पत्र लेख किया गया है। एक के संख्या में आज दिनांक एक टिप्पणी (Comments) अद्यतन है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 30/12/2019 को जारी अधिसूचना संशोधन में "If the comments were not received within 15 days from the communication, may be deemed as accepted and disposed based on the recommendations of the SEAC." का उल्लेख है। उपरोक्तानुसार एम.ई. ए.सी., जलसंधारण द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्त कार्य के अन्तर्गत समिति द्वारा विश्व विद्यालय परिसर कार्यवाही को केसर् एम.एम.एम. वाटरप्लेन इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड, राम-विस्तार विस्तार इन्फ्रास्ट्रक्चर्स एटिया के राष्ट्रीय, राष्ट्रीय-राज्य, जिला-राजपुर विश्व विद्यालय क्रमांक 70/1, 70/2 एवं 70/3, कुल क्षेत्रफल - 0.823 हेक्टेयर में Common Bio Medical Waste Treatment Facility (CBMWTAF) के अंतर्गत Incinerator क्षमता - 250 कि.ग्र. प्रतिघंटा से 750 कि.ग्र. प्रतिघंटा, Auto Clave क्षमता - 175 लीटर प्रतिघंटा से 825 लीटर प्रतिघंटा, Shredder क्षमता - 500 कि.ग्र. प्रतिघंटा से 1,500 कि.ग्र. प्रतिघंटा एवं Chemical Disinfection Unit क्षमता - 500 कि.ग्र. प्रतिघंटा से 2,500 कि.ग्र. प्रतिघंटा के पर्यावरणीय नवीकृति हेतु प्रतिघंटा-02 में वसित कार्य के अंतर्गत पर्यावरणीय नवीकृति लिए जाने की अनुमति की गई।

राज्य सतीय पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिनियम (एम.ई.आई.ए.ए.) अंतर्गत को तदनुसार सूचित किया जाए।

7. मेसर्स एन.ए.सी. एन.सी. (प्री-बी इन्टरनल प्राइवेट) वाम-बरबसापुर, राष्ट्रीय व जिला-महासमुद्र (संविधान का नवी क्रमांक 1821)

ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एम.आई.ए./ सीसी/ एम.आई.ए./ 87850/2021, दिनांक 24/09/2021।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्ण से संवर्धित कार्य परिसर (ग्रीन एरिया) अद्यतन है। अद्यतन वाम-बरबसापुर, राष्ट्रीय व जिला-महासमुद्र विश्व विद्यालय क्रमांक 208, कुल क्षेत्रफल-0.25 हेक्टेयर में है। अद्यतन की आवंटित प्रकल्प क्षमता-883.75 टन (385.5 टन/घंटा) प्रतिघंटा है।

तदनुसार परिचालन प्रस्तावक को एम.ई.ए.सी., जलसंधारण के प्रारण दिनांक 09/12/2022 द्वारा प्राप्तीकरण हेतु सूचित किया गया।

बीडों का विवरण -

(अ) समिति की 385वीं बैठक दिनांक 14/02/2022

प्रस्तुतकरण हेतु की इच्छासेग भावेक, प्रेमसईकर उपस्थित हए। समिति द्वारा माली, प्रस्तुत जानकारी का अद्यतन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण—

- i. पूर्व में जारी पत्र संख्या खदान क्रमांक 228, कुल क्षेत्रफल— 0.25 हेक्टेयर, क्षमता— 285.5 क्यूमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण संरक्षण विभाग, जिला-महासमुद्र द्वारा दिनांक 18/01/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 18/01/2022 तक की अवधि हेतु जारी की गई थी।
- ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के जारी के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- iii. निर्दिष्ट सर्वेक्षण पूरासेवा नहीं किया गया है।
- iv. कार्यलय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-महासमुद्र के द्वारा दिनांक 28/08/2021 द्वारा विगत वर्ष में किये गये सर्वेक्षण की जानकारी निम्नानुसार है—

दिनांक	क्षमता (क्यूमीटर)
01/01/2017 से 30/08/2017	विशुद्ध
01/07/2017 से 31/12/2017	
01/01/2018 से 30/08/2018	185
01/07/2018 से 31/12/2018	135
01/01/2019 से 30/08/2019	195
01/07/2019 से 31/12/2019	140
01/01/2020 से 30/08/2020	विशुद्ध
01/07/2020 से 31/12/2020	345

2. **खान पंचायत का अनाधिकृत प्रमाण पत्र** — सर्वेक्षण के संबंध में खान पंचायत अध्याय का दिनांक 30/07/2008 का अनाधिकृत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। खान पंचायत को अनाधिकृत प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति कार्यवाही विवरण सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
3. **सर्वेक्षण योजना** — जारी पत्र एसाय किंग जारी कर पत्रान विध इन्हापरसेट केनेजरीट पत्रान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अखिकारी, जिला-महासमुद्र के द्वारा क्रमांक 1748/क/खनि/म.अ./2018 महासमुद्र, दिनांक 01/08/2018 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** — कार्यलय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-महासमुद्र के द्वारा क्रमांक 224/क/खनि/म.अ./2021 महासमुद्र, दिनांक 12/02/2022 को अनुमान आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 88 खदानें, क्षेत्रफल 42.35 हेक्टेयर हैं।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** — कार्यलय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-महासमुद्र के द्वारा क्रमांक 1282/क/खनि/म.अ./2021 महासमुद्र, दिनांक 25/08/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, स्कूल, अस्पताल, पुल, बांध, एनिसाट, राष्ट्रीय राजधार्म, संरचनाएं एवं उच्च क्षमती अति प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

121

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** - यह सार्वजनिक भूमि है। वर्तमान में लीज की इच्छासे माइकेल के नाम पर है। लीज की 10 वर्षी अवधि दिनांक 20/08/2009 से 19/08/2019 तक थी। तत्पश्चात् लीज की 20 वर्षी की, दिनांक 20/08/2019 से 19/08/2039 तक की अवधि वृद्धि की गई है। परियोजना के दौरान परिचालन प्रशासक द्वारा बताया गया कि पूर्व में लीज रिव कृष्ण शर्मा के नाम पर थी। अब लीज इच्छासे के प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
7. **डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट** - वर्ष 2018 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. **वन विभाग का अनाधिकृत प्रमाण पत्र** - कार्यलय राजमन्दासगिरि, सामान्य वनसंरक्ष, जिला-महासमुद्र के द्वारा अनांक/स.पि./समिज/813 महासमुद्र, दिनांक 28/02/2009 से जारी अनाधिकृत प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 12 कि.मी. की दूरी पर है।
9. **महासमुद्र संरक्षणाधीन की दूरी** - निकटतम आवासीय घास-झासपुर 0.57 कि.मी. एवं स्थूल घास-झासपुर 1 कि.मी. एवं अस्पताल किरकोली 2.8 कि.मी. दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 33 कि.मी. एवं राजधानी 13.85 कि.मी. दूर है। महानदी 240 मीटर, तालब 270 मीटर एवं बरसाती नाला 130 मीटर दूर है।
10. **परिस्थितिकीय/जीववैविधता सर्वेक्षणशील क्षेत्र** - परिचालन प्रशासक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अन्त्यालय, सैन्टीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित किरकोली वास्तुशैली सुरिवा, परिस्थितिकीय सर्वेक्षणशील क्षेत्र या घोषित जीववैविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
11. **खदान खनना एवं खदान का विवरण** - अनुवेदित खारी पट्टन अनुसार डिपॉजिटिजकल रिजर्व 32,325 टन (12,800 घनमीटर), साइनेकल रिजर्व 8,875 टन (3,875 घनमीटर) एवं रिजर्वेशनल रिजर्व 7,295 टन (2,800 घनमीटर) है। वर्तमान में डिपॉजिटिजकल रिजर्व 11,500 घनमीटर एवं साइनेकल रिजर्व 2,400 घनमीटर है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा बरती (उत्खनन के लिए प्रतिवेदित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 1,218.87 वर्गमीटर है। अंशान क्वार्ट मैन्सुअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 8 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 2 मीटर है। क्षेत्र की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभवित आयु 10 वर्ष है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का प्रियकरण किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)
2022-23	385.50
2023-24	385.50
2024-25	385.50
2025-26	385.50
2026-27	385.50

12. **जल आपूर्ति** - परिचालन हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3.44 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति टैंकन द्वारा घास संघाघर के सख्खन से किया जाता है।

इस कार्य हम संघगत का अनारगित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

13. कुशादीयन कार्य - परिशोधन प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र की सीमा में खरी और 7.5 मीटर की पट्टी में 200 नम कुशादीयन किया जाएगा।
14. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन - लीज क्षेत्र की खरी और 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
15. प्रस्तुतिकरण की दौरान परिशोधन प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पूर्व में खरी पर्यावरणीय उद्देश्य की खरी को खरीन कुशादीयन कर कार्य हम संघगत द्वारा किये गये विभिन्न क्षेत्र में कुशादीयन किया गया है। समिति को खदान में यह कार्य आज कि परिशोधन प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र की सीमा में खरी और 7.5 मीटर की पट्टी में कुशादीयन का कार्य नहीं किया गया है। इस समिति का मत है कि कुशादीयन कर कार्य पूर्व हर फोटोग्राफ सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
16. प्रस्तुतिकरण की दौरान परिशोधन प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि राम-बलरामपुर, घोड़ा एवं मुईना, तहसील व जिला-महासमुंद क्षेत्र में 86 एकड़ खदानों कुल क्षेत्रफल 58.43 हेक्टेयर अवस्थित है। राम-घोड़ा के खदानों राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्तर दिशा में राम-बलरामपुर एवं घोड़ा क्षेत्र में 70 खदानों क्षेत्रफल 42.80 हेक्टेयर तथा राष्ट्रीय राजमार्ग के दक्षिण दिशा में राम-घोड़ा एवं मुईना क्षेत्र में 26 खदानों क्षेत्रफल 17.83 हेक्टेयर अवस्थित है। दोनों क्षेत्रों के खदानों की दूरी 800 मीटर है। चूंकि ई.आई.ए. स्टाडी की दौरान दोनों क्षेत्रों का खदान जोन एक-दूसरे में जोड़कर लेन हो रहा है। इस परिशोधन प्रस्तावक द्वारा कुल 86 एकड़ खदानों को एक क्लस्टर बनाने एवं आईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार करने हेतु अनुरोध किया गया। जिसकी समिति द्वारा मन्थ किया गया।
17. प्रस्तुतिकरण की दौरान परिशोधन प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि कलक्टर में जाने वाली अन्य खदानों के लिए केसाईन द्वारा क्लेयरान का कार्य दिनांक 01/10/2021 से प्रारंभ किया गया। जल की संख्या में दिनांक 28/08/2021 को सूचना दी गई थी।

समिति द्वारा संरक्षण सर्वेक्षणों में निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. उत्खनन हेतु हम संघगत का अनारगित प्रमाण पत्र की (केवल दिनांक, स्थिति एवं संख्या को हस्ताक्षर सहित) खदान प्रति कार्यवाही विवरण सहित प्रस्तुत किया जाए।
2. लीज हस्तगतता की प्रति प्रस्तुत की जाए।
3. जल आपूर्ति हेतु हम संघगत का अनारगित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
4. लीज क्षेत्र की सीमा में खरी और 7.5 मीटर की पट्टी में कुशादीयन का कार्य पूर्ण कर फोटोग्राफ सहित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
5. लीज बाउन्ड्री माप (boundary poles) जिसमें माप की संख्या इवॉलेंट हो का फोटोग्राफ प्रस्तुत की जाए।
6. वित्तीय आश्वासन (Financial assurance) से संबंधित जानकारी पत्रक दिनांक सहित प्रस्तुत की जाए।

F. उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / बरतानेज प्रस्तुत किये जाने उपरोक्त आगामी कार्यवाही की जाएगी।

कवानुसार एल.ई.ए.सी., पल्लीरायपुर के ज्ञान दिनांक 11/03/2022 की परिधि में परिवर्धन प्रस्तावक द्वारा दिनांक 28/12/2022 को जानकारी/बरतानेज प्रस्तुत किया गया।

(ख) समिति की 445वीं बैठक दिनांक 11/01/2023:

समिति द्वारा जारी, प्रस्तुत जानकारी का अपडेटेशन एवं पंजीयन करने का निम्न स्थिति हुई गई—

1. पाखाना हेतु ग्राम पंचायत की अनारक्षित प्रस्ताव पत्र की (बैठक दिनांक, सविन एवं संशोधन के द्वारा) अपडेटेशन प्रति कार्यवाही विफल सहित प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में परिवर्धन प्रस्तावक का कथन है कि "ग्राम पंचायत की अनारक्षित विशेष जमात एवं विशेष उपदेय के लिए जारी किये जाने के पश्चात् किसी भी विभाग की कार्यवाही हेतु पुनः अपडेटेशन अनारक्षित की आवश्यक नहीं होती है।" साथ ही परिवर्धन प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत की अनारक्षित प्रस्ताव पत्र की मूल प्रति पुनः प्रस्तुत किया गया है।

2. कार्यलय इन्फोस्टार (ऑनिस रास्ता), जिला-बहावलपुर के ज्ञान दिनांक 743/क/प.सि./ग्राम 60/2008 बहावलपुर, दिनांक 06/04/2011 द्वारा लीज डीट भी सिव सुपर चर्चे से की इन्फोस्टार कारोबार के नाम पर इन्फोस्टार की प्रति प्रस्तुत की गई है।

3. जल की आपूर्ति हेतु सेंट्रल वाटरमैट वॉटर सर्विसिटी में अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

4. लीज डीट की सीमा में जारी लीज 7.5 बीटर की बट्टी में किये गये इन्फोस्टार का पंजीयन प्रस्तुत किया गया है।

5. लीज बरगुड़ी सॉल (boundary problem) की पंजीयन प्रस्तुत किया गया है। सभी सॉल की पंजीयन एवं उनकी संख्या प्रदर्शित नहीं हो रही है। इस स्थिति का मत है कि लीज बरगुड़ी की सभी सॉल की पंजीयन एवं उनकी संख्या प्रदर्शित करते हुए जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

6. वित्तीय आश्वासन (Financial assurance) में संबंधित जानकारी हेतु साथ पत्र दिनांक 20/04/2011 का प्रस्तुत किया गया है।

7. सार्वजनिक एन.डी.टी., डिमिशन बंद, नई दिल्ली द्वारा सर्वोच्च पार्षद विभाग द्वारा सार्वजनिक, पंजीयन, जल और जलवायु परिवर्धन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (अपरिचालन एमिशन नं. 188 जीक 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/08/2018 को पत्रित आदेश में मुजब रूप से निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है—

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया—

1. सर्वोच्च कोर्ट (सुप्रीम कोर्ट), विला-महासमुद्र से दूरी 224/क/सि/स.अ./2021 महासमुद्र, दिनांक 10/02/2022 की अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर से नीचे अवस्थित 88 खदानें, क्षेत्रफल 40.28 हेक्टर हैं। आवेदित खदान (ग्राम-बलसमुद्र) का क्षेत्र 0.28 हेक्टर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-बलसमुद्र) को मिजाज कर कुल क्षेत्र 40.56 हेक्टर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संशोधित खदानों का कुल क्षेत्रफल 8 हेक्टर से अधिक का बलसमुद्र निर्मित होने से कारण यह खदान 'सी' श्रेणी की शर्तों पर है।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय सीमांकन का पालन प्रतिवेदन की संख्या में एकीकृत क्षेत्रीय सर्वोच्च पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नया दिल्ली को पत्र भेजा जाय।
3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव 'सी' श्रेणी का होने से कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2018 में प्रकाशित गैर-खन खनन अधिनियम (दो-पैसा) और ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट और प्रोसेसिंग/एकीकृत निष्कासन प्रस्तावों को स्वीकार करके ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2008 में वर्णित श्रेणी (ए) का खनन खनन (खनन सुनवाई सहित) नीचे खनन माइनिंग प्रोसेसिंग हेतु निम्न अधिनियम (दो-पैसा) के साथ जारी होने वाले की अनुमति की गई—

- i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
- ii. Project proponent shall submit compliance report of previous environmental clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.
- iii. Project proponent shall submit production detail from 01/01/2021 to till date from the mining department.
- iv. Project proponent shall submit the latest NOC of Gram Panchayat for mining.
- v. Project proponent shall submit the photographs of all pillars with number all along the lease boundary.
- vi. Project proponent shall submit top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.
- vii. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.
- viii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
- ix. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
- x. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.

M

- xi. Project proponent shall submit a study report regarding impact on Riverine Ecology of the study area including Mahanadi River.
- xii. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- xiii. Project proponent shall submit the copy of panshrama and photographs of every monitoring station.
- xiv. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.
- xv. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xvi. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.
- xvii. Project proponent shall submit the 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.
- xviii. Project proponent shall undertake plantation & incorporate in the EIA report.
- xix. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 80% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.
- xx. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (राज.ई.आई.ए.ए.), जलौलमड को तयनुसार सुचित किया जाए। साथ ही एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, माया सरकार, पर्यावरण, जल एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

8. मेसर्स देवीपुर जार्डिनरी स्टोन क्वारी माईन (प्रौ.- बीमती मजू अडवाल), राय-देवीपुर, तहसील व जिला-शुनजपुर (सकियाजय का पक्की क्रमांक 1742) जॉनलाईन आवेदन - प्रयोजन नम्बर - एलआईए / सीडी / एमआईएन / 120856 / 2021, दिनांक 20/07/2021।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व में संघटित संचालन पत्र (पीन कॉमिन्ट) प्रदान की। प्रदान क्रम-देवीपुर, उत्तरांचल व जिला-सुल्तपुर स्थित खसरा क्रमांक 1529, कुल क्षेत्रफल-0.408 हेक्टर में है। प्रदान की अनुमानित प्रत्यक्ष लागत - 2,108 टन (210 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

समानुसार परिशोधना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., उत्तरांचल के प्रदान एवं ई-वेब दिनांक 28/07/2021 द्वारा अनुमोदित हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 384वीं बैठक दिनांक 02/08/2021:

अनुमोदित हेतु कोई भी प्रतिनिधि विहित आवश्यकता के अनुसार उपस्थित नहीं हुए। परिशोधना प्रस्तावक को ई-वेब दिनांक 02/08/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि अवशिष्ट व्यक्तियों से समिति के समक्ष बैठक में अनुमोदित हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः अधिनियम समझ प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा परिशोधना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा तात्कालिक सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परिशोधना प्रस्तावक द्वारा उचित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

समानुसार एस.ई.ए.सी., उत्तरांचल के 384वीं बैठक दिनांक 02/08/2021 के परिशोधन में परिशोधना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 27/08/2021 को अनुमोदित हेतु जाने हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 385वीं बैठक दिनांक 29/08/2021:

समिति द्वारा जारी / अनुरोध पत्र प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर तथा तात्कालिक सर्वसम्मति से परिशोधना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करती हुए पूर्व में जारी हुई उचित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित अनुमोदित हेतु जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाय।

समानुसार परिशोधना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., उत्तरांचल के प्रदान दिनांक 08/09/2022 द्वारा अनुमोदित हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 386वीं बैठक दिनांक 24/09/2022:

अनुमोदित हेतु की आवश्यक आवश्यकता, उचित प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा जारी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

- a. पूर्व में प्रस्तुत प्रदान खसरा क्रमांक 1529, कुल क्षेत्रफल-0.408 हेक्टर, समस्त-1.047 घनमीटर (2,722.2 टन) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण संचालन विभाग प्रतिकरण, जिला-सुल्तपुर द्वारा दिनांक 13/02/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 3 वर्ष हेतु जारी की गई।
- b. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- c. निर्धारित सार्वजनिक सुनवाई किया गया है।

- क) कार्यालय कार्सेक्टर (खनिज सख्त), जिला-सुरजपुर के डायन क्रमांक 47/खनिज/2020 सुरजपुर, दिनांक 13/08/2020 द्वारा विस्तार कार्य में विरत रहे उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है-

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
दिनांक 13/02/2017 से 31/12/2017 तक	218
2018	378
2019	819

- ख) पूर्व में जारी कार्यवाही नवीकृति जारी दिनांक 13/02/2017 से दिनांक 12/02/2020 (3 वर्ष) हेतु जारी की गई थी। कार्यालय कार्सेक्टर (खनिज सख्त) द्वारा विस्तार कार्य में विरत रहे उत्खनन की जानकारी में दिनांक 31/12/2019 तक परलेख है। अतः दिनांक 12/02/2020 तक विरत रहे उत्खनन की जानकारी प्रस्तुत किया गया जाना आवश्यक है।
1. काम पंचायत का अनामति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में काम पंचायत टीवीपुर का दिनांक 11/10/2008 का अनामति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। काम पंचायत के अनामति प्रमाण पत्र की अवदान प्रति कार्यवाही विवरण सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
 2. उत्खनन योजना - रिपोर्टिंग जारी प्लान इन्वॉल्वमेंट सेलैब्रेट प्लान एण्ड जारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-खनिज को पू. डायन क्रमांक 802/खनिज/खनि.2/2021/खनिज केसुजपुर, दिनांक 21/08/2021 द्वारा अनुमोदित है।
 3. 500 मीटर की परिधि में निश्चित खदान - कार्यालय कार्सेक्टर (खनिज सख्त), जिला-सुरजपुर के डायन क्रमांक 1124/खनिज/2020 सुरजपुर, दिनांक 08/12/2020 के के भीतर अवस्थित 3 खदानों, क्षेत्रफल 3.808 हेक्टेयर क्षेत्र बताया गया है, जिसमें केवल विधायकीय खदान के सीज सीमा से 500 मीटर की परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र में यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर की भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2008 (नया संशोधित) में परिभाषित कलक्टर अनुसूचा "कोई उत्खनन उस समय बनाया जाएगा, जब एक सीज के परिधि के बीच दूरी उस सहाय खनिज क्षेत्र में अन्य खदानों के परिधि से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् कलक्टर हेतु हीनरिजिस्ट्रेशन लिमिटेड क्षेत्र में विधायकीय खदान के सीज सीमा से 500 मीटर की भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए उक्त इस प्रकार शामिल खदानों के सीज सीमा से 500 मीटर की भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को कलक्टर में खदानों को नहीं एक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए।
 4. 200 मीटर की परिधि में निश्चित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कार्सेक्टर (खनिज सख्त), जिला-सुरजपुर के डायन क्रमांक 3384/खनिज/2020 सुरजपुर, दिनांक 30/01/2020 द्वारा जारी डायन पत्र अनुसूचा उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, कब्रिस्तान, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनईएड एवं उक्त आयुर्विधि आदि शामिलित क्षेत्र निर्मित नहीं है।



6. भूमि एवं लीज का विवरण - यह सारकारी भूमि है। लीज बीनारी मंडू अडवाले के नाम पर है। लीज बीज 10 वर्षी अवधि दिनांक 13/02/2009 से 13/02/2019 तक की अवधि हेतु केब सी। संपत्तिका लीज बीज 20 वर्षी अवधि दिनांक 13/02/2019 से 12/02/2039 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. वन विभाग का अनाधिकृत प्रमाण पत्र - कार्यालय वनसंग्रहणिकारी, दक्षिण मध्यका वनसंग्रहण, अम्बिकापुर के द्वारा अनांक/मा.वि./51/2008 अम्बिकापुर, दिनांक 28/01/2009 से जारी अनाधिकृत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
9. महासूच्य संरचनाओं की दूरी - निकटतम आवादी घास-देवीपुर 0.88 कि.मी., मडुल घास-देवीपुर 2.8 कि.मी. एवं अम्बिकापुर सुडजपुर 3.88 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 34 कि.मी. एवं राजमार्ग 18.13 कि.मी. दूर है। तालाब 0.37 कि.मी. की दूरी पर है।
10. पर्यावरणमित्रता/जीवविविधता संबंधित क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतरराष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय राजमार्ग, अम्बिकापुर, कोन्टीस प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पर्यावरणमित्रता संबंधित क्षेत्र या घोषित जीवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होने परिलक्षित किया है।
11. खनन संपदा एवं खनन का विवरण - गियोलॉजिकल रिजर्व 30,500 टन, माईनेबल रिजर्व 21,837 टन एवं निकटस्थ रिजर्व 19,473 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2.110 वर्गमीटर है। खनन कास्ट कोरी मेसोनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 3 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल गांवा 2,697 वर्गमीटर है, जिसमें से 1,515 वर्गमीटर उत्खनन किया जा चुका है, जिसे सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में पीलाकर पुनर्स्थापन के लिए उपयुक्त किया गया है, तथा क्षेत्र ऊपरी मिट्टी 1,182 वर्गमीटर को लीज क्षेत्र के बाहर स्थिति प्राप्त भूमि पर अनाधिकृत कर घोषित करने हेतु स्थान अधिकारी से अनुमति प्राप्त अधिलेखित किया जायेगा। क्षेत्र की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खनन की संस्थित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में खनन स्थिति नहीं है एवं खनन स्थापना का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। जैक डीमर डिजिटल एवं सर्वेस सर्वेक्षण किया जाता है। खनन में संपु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का उपकरण जाता है। सर्वेक्ष प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नांकित है-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	2,108	षष्ठम	1,809
द्वितीय	2,068	सप्तम	1,868
तृतीय	2,083	अष्टम	1,829
चतुर्थ	1,811	नवम	2,001
पंचम	1,842	दशम	1,778

नोट: तालिका में उत्खनन के बाद के अवधि को सम्मिलित किया गया है।

12. जल आपूर्ति – परिवहन हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3.28 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर से माध्यम से की जाती है। इस कार्य ग्राम पंचायत को अनुमति प्रदान कर प्रस्तुत किया गया है।
13. वृक्षा रोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में बायीं ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 420 लक्ष वृक्षा रोपण किया जाएगा।
14. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में परखनन – लीज क्षेत्र के बायीं ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में परखनन कार्य नहीं किया गया है।
15. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परिवहन अनुमति प्राप्त सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के माध्यम से नवीन उपकरण निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
13.08	2%	0.27	Following activities at Government Primary School, Village-Devgur	
			Rain Water Harvesting System	0.45
			Plantation	0.05
			Total	0.50

16. प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का अनुमति एवं प्रस्तुत किया गया है।
17. सी.ई.आर. के माध्यम वृक्षा रोपण हेतु बायीं ओर सीमा, मुख्य हेतु सीमा, बाएं एवं सिमाई तथा दाएं-पट्टा के लिए 5 वर्षों का पर्यवेक्षण एवं कर विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। जो प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा मासमय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था कि:-

1. विस्तृत जमीन में किए गए परखनन की वार्षिक मात्रा की जांचकारी (दिनांक 12/02/2020 तक) समित्त विभाग से प्रमाणित कर कर प्रस्तुत की जाए।
2. परखनन हेतु ग्राम पंचायत को अनुमति प्रदान कर की (दिनांक, सविन एवं सराफ की उपस्थिति सहित) अद्यतन प्रति कार्यालयी विवरण सहित प्रस्तुत किया जाए।
3. प्रस्तुत 500 मीटर की प्रस्ताव पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों की 500 मीटर की सीमा अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2008 (जिस संशोधित) में परिभाषित अनुसार अनुसार "कोई खानदार उस समय बनाया जाएगा, जब तक लीज के परिधीयों के बीच दूरी परत सप्त समित्त क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिधीय से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् खानदार हेतु होमोजिनियस सिमल क्षेत्र में विद्यमान खदान की लीज सीमा से 500 मीटर की सीमा आने वाले सभी खदानों को समित्त बनती हुए तथा इस प्रकार समित्त खदानों की लीज सीमा से 500 मीटर की सीमा आने वाले अन्य सभी खदानों को

[साइट में खदानों की सभी तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो] शामिल किया जाना चाहिए। अतः उपरोक्तानुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

4. सी.ई.आर. को एडव. पुनर्गठन हेतु यहाँ का सेक्टर, सुखा हेतु पेंसिंग, वाट एवं मिथार्ज तथा राब-सखत को सिं. 5 वर्षों का घटकवार आय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
5. उपरोक्त सहित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरान्त आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एम.ई.ए.सी. प्रतीकण्ड को द्वारा दिनांक 23/02/2022 एवं 25/05/2022 के परिपत्र में परिशोधन प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 28/09/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(द) समिति की 431वीं बैठक दिनांक 28/10/2022:

समिति द्वारा जारी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई:-

1. कार्यलय कलेक्टर (खनिज सखत) जिला-सुल्तपुर के द्वारा अनांक 47/खनिज/2020 सुल्तपुर, दिनांक 15/05/2020 द्वारा जिला वर्ग में सिं. 600 मघे उपखनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
दिनांक 12/02/2017 से 31/12/2017 तक	218
2018	378
2019	819

सख ही परिशोधन प्रस्तावक द्वारा खनि निरीक्षण द्वारा जारी एरोलमेंट रिपोर्ट प्रोफार्म- 'D' की प्रति अनुसार दिनांक 01/01/2020 से 30/06/2020 तक की अवधि में कुल 238 घनमीटर उत्पादन की जानकारी प्रस्तुत की गई है। इस संबंध में समिति का मत है कि जिला वर्ग में सिं. 600 मघे उपखनन की वार्षिक मात्रा की जानकारी (दिनांक 12/02/2020 तक) खनिज विभाग से उपनिष्ठ कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। सख ही दिनांक 12/02/2020 के उपरोक्त सिं. 600 मघे उपखनन के संबंध में सशरीकरण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. उपखनन की संबंध में सख संभागा क्षेत्रीय का दिनांक 11/10/2008 का अनुमति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसे दिनांक 23/09/2022 द्वारा नोटवाइज करवाकर संशोधित प्रति प्रस्तुत किया गया है।
3. कार्यलय कलेक्टर (खनिज सखत) जिला-सुल्तपुर के द्वारा अनांक 1124/खनिज/2020 सुल्तपुर, दिनांक 08/12/2020 के नील अवधिगत 3 खदानों, क्षेत्रफल 3.888 हेक्टेयर है, जिसे दिनांक 04/04/2022 द्वारा जारी खनि अधिकारी से सशोधित कराकर प्रति प्रस्तुत किया गया है।
4. परिशोधन प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार संशोधित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
13.08	3%	0.27	Following activities at Government Primary School, Kawampara, Village-Devgar	
			Running Water Facility for Toilets	0.15
			Plantation	0.14
			Total	0.29

6. सीईआर के अंतर्गत स्कूल परिसर की नींव (आवक, बड़ पीछर, पीप, जाम, अरुंग, बेल आदि) कुलमैदान हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 26 मंच पीछी के लिए राशि 260 रुपये, खाद के लिए राशि 825 रुपये, गिरवाई तथा सब-खाद आदि के लिए राशि 10,000 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 10,875 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 42,500 रुपये हेतु बटवकार जमा का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
7. कार्यालय कमेन्टर (कमिज कांस्ट) जिला-सुरजपुर की प्रमाण क्रमांक 843/कमिज/2022 सुरजपुर, दिनांक 10/05/2022 द्वारा "खसरा नंबर 1529/1 तथा 1437 हेक्टेयर में से 0.406 हेक्टेयर क्षेत्र पर घास पंचायत का अनाथानि प्रमाण पत्र, वनसम्पदासिद्धिकारी का अनाथानि प्रमाण पत्र एवं सी-1 पत्रका प्रस्ताव पंचायताना अनुसार 1529/1 में से 0.406 हेक्टेयर क्षेत्र पर सुनिश्चित किया सुरजपुर द्वारा स्वीकृत है। सीधे अनुबंध पर सुनिश्चित किया स्थानीय में 1529 लिखा है उसकी जगह पर 1529/1 पत्रा जारी।" हेतु पत्र जारी किया गया है। अतः समिति द्वारा "खसरा क्रमांक 1529 की स्थान पर खसरा क्रमांक 1529/1" किये जाने हेतु सहमति प्रस्ताव की गई है।
8. कंट्रोल अग्रिम किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
9. जमीन मिट्टी की सब-खाद हेतु जमीन मिट्टी की नक्का एवं प्रयोग नीजता प्रस्तुत किया जाए। सब ही जमीन मिट्टी की सीधे क्षेत्र की बाहर भंडारित कर भंडारित रखे जाने हेतु, मिट्टी का दुसलघोल न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्य में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग सुरजपुर हेतु किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
10. नद्रीनित सीधे क्षेत्र की अंतर कथन कुलमैदान किये जाने एवं सीधे पीछी का सतवाईपल पेट (Survival case) का प्रमाण सुनिश्चित किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
11. परिवेक्षण प्रस्तावक द्वारा मिनेरल कनसेशन नियम (Minerals Concession Rules) की तहत बाउण्ड्री नियमों द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
12. परिवेक्षण प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का सुनिश्चित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, खाद में नहीं किये जाने एवं इसकी संरक्षण किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

12. उत्तीर्णक अवधि पूर्णता नीति के तहत स्वामीय जमीनों को संरक्षण देने वाले हेतु राज्य पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
13. परिशोधन प्रस्तावक द्वारा अंशदंडित (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परिशोधन/अवकाश से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण दायर के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
14. परिशोधन प्रस्तावक द्वारा अंशदंडित (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पश्चिम बंगाल और उत्तरांचल परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना क्र.आ. 834(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई संरक्षण का प्रकरण लंबित नहीं है।

समिति द्वारा उपरोक्त संबंधित नीति विध्यानुसार निर्णय किया गया था कि विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वार्षिक मात्रा की जानकारी (दिनांक 12/02/2020 तक) सशुद्ध विभाग (आर्वायव कलेक्टर, सशुद्ध साखर) से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत किया जाए। साथ ही दिनांक 12/02/2020 के उपरोक्त निर्णय को उत्खनन के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त सशुद्ध जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरोक्त आगामी कार्यवाही की जाएगी।

उपरोक्त एन.डी.टी., उत्तीर्णक के द्वारा दिनांक 09/12/2022 के परिशोधन से परिशोधन प्रस्तावक द्वारा दिनांक 28/12/2022 की जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ड) समिति की 445वीं बैठक दिनांक 11/01/2023:

समिति द्वारा सभी प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई:-

1. आर्वायव कलेक्टर (सशुद्ध साखर), जिला-सुरजपुर के द्वारा क्रमंक 2022/सशुद्ध/2022 सुरजपुर, दिनांक 23/12/2022 द्वारा जारी ज्ञापन पत्र अनुसार दिनांक 01/01/2020 से 12/02/2020 तक कुल 158 घनमीटर उत्खनन किया गया है एवं दिनांक 12/02/2020 के उपरोक्त आर्वायव अधिसूक्ति तयान्त होने के कारण उत्खनन कार्य बंद है।
2. समिति यह पता है कि सी.ई.आर. एवं पुनर्स्थापना कार्य के मॉनिटरिंग एवं सर्वेक्षण हेतु वि-सहकारी समिति (प्रोपराइटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के महापंचायती/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या उत्तीर्णक महापंचायत संस्थान महापंचायती के महापंचायती/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं पुनर्स्थापना इन कार्य पूर्ण करने के उपरोक्त गठित वि-सहकारी समिति से संचालित कराया जाना आवश्यक है।
3. माननीय एन.डी.टी., डिभिजल वेब, नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय पारदर्शिता विरुद्ध भारत सरकार, पश्चिम बंगाल, वन और उत्तरांचल परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (अभिजनन अधिसूचना नं. 188 और 2018 एवं अन्य) से दिनांक 13/09/2018 को जारी आदेशों से मुदाय एवं से विध्यानुसार निर्देशित किया गया है-

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha, falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEMA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease site exceeds 5 ha, EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कॉम्प्लेक्स (समिति भवन), जिला-सुरजपुर के डायन क्रमांक 1124/समिति/2020 सुरजपुर, दिनांक 06/12/2020 के भीतर आवेदन 3 खदानों, कुलफल 3.608 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (घाम-देवीपुर) का क्षेत्रफल 0.408 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (घाम-देवीपुर) का निर्यात कुल फल 4.273 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की दूरी में सीमांत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की शर्तों पर।
2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से आवेदन - मेसर्स देवीपुर जस्टिनरी स्टोन क्वारी आईन (जी- सीमा सीडू अखलाह) को घाम-देवीपुर, तहसील व जिला-सुरजपुर के खसत क्रमांक 1529 में स्थित संधानन खदान (सीमा समिति) खदान, कुल क्षेत्रफल-0.408 हेक्टेयर, क्षमता - 2,100 टन (दैनिक उत्पादन) प्रतिवर्ष हेतु परिसिस्ट-03 में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुमति की गई।

यस पर्यावरण पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रतिवेदन (एन.ई.आई.ए.ए.), पर्यावरण को संतुलित रूप से किया जाय।

8. मेसर्स श्री अटल कुमार गोदकानी (जोरातराई आईन स्टोन क्वारी), घाम-जोरातराई, तहसील व जिला-राजनांदगांव (समितिगत का शर्तों क्रमांक 1842)

अवेदन आवेदन - पूर्ण में प्रयोजन नम्बर - एन.आई.ए./ सीमा/ एन.आई.ए./ 242288/2021, दिनांक 06/12/2021 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जारी किये गये टी.ओ.आर. में पुनर्विचार करते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुमति करने बाबत दिनांक 27/12/2022 को अनुवेद पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित कुल फल (सीमा समिति) खदान है। खदान घाम-जोरातराई, तहसील व जिला-राजनांदगांव स्थित खसत क्रमांक 142(शर्त), 143(शर्त), 144(शर्त), 145(शर्त), 147(शर्त), 148, 149, 150, 153(शर्त) एवं 154(शर्त), कुल क्षेत्रफल-1.58 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित क्षमता क्षमता-20,000 टन प्रतिवर्ष है।

एन.ई.ए.सी., पर्यावरण को डायन क्रमांक 119, दिनांक 28/04/2022 द्वारा प्रकल्प 'सी' कोटेबरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2018 में प्रस्तावित शर्तों पर एन.ई.ओ.ए. (टी.ओ.आर.) और ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट और प्रोजेक्ट्स/एन.ई.ओ.ए. विस्तारित इन्वॉल्वमेंट कमीशन अन्तर्गत ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित शर्तों 1(र) का शर्तों टी.ओ.आर. (सीमा समिति) जारी किया गया है।

वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जारी किये गये टी.ओ.आर. में पुनर्विचार करते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुमति करने बाबत दिनांक 27/12/2022 को अनुवेद पत्र प्रस्तुत किया गया है।

(ख) समिति की 445वीं बैठक दिनांक 11/01/2023

समिति द्वारा मसौदा, प्रस्तुत जानकारी/पत्र का अध्ययन एवं परीक्षण करने पर पता चला कि परिशिष्टना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुरोध पत्र में उल्लिखित तथ्य निम्नानुसार है—

1. सर्वोच्च पगड़े वि. भारत सरकार, पर्यटन, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के व अन्य के प्रकरण में श्री सानवीश एन.जी.टी. ने B2 Category की पगड़नि पट्टी को, जो 500 मीटर की सीमा में आवे हो और जिसका कुल क्षेत्र 5.00 है. से अधिक हो, की-1 करने हेतु निर्दिष्ट किया है. परन्तु तथ्य यह कि भारत सरकार, पर्यटन, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली ने विभिन्न आवेदनों से यह स्पष्ट किया है कि कवरेज की गणना हेतु केवल जमीन आवेदनों को लिया जाना है जो दिनांक 09/09/2013 के बाद स्वीकृत की गई हो। चुकी संदर्भित आवेदित आवेदन हेतु खनिज विभाग द्वारा जारी 500 मीटर कवरेज सिटी के अनुसार इसकी 500 मीटर के दायरे में दिनांक 09/09/2013 के बाद स्वीकृत कोई पगड़नि पट्टी अस्तित्व नहीं है अतः यह पगड़नि पट्टी B2 Category की पगड़ ही विचार किया जाना चाहिए। अतः प्रकरण पर जारी टी.ओ. आर. के स्थान पर पर्यटन वन स्वीकृति जारी करने हेतु पुनर्विचार किये जाने काय्य अनुरोध किया गया है।

2. पूर्व में राज्य स्तर विशेषज्ञ अंजन समिति (एस.ई.ए.सी.), जलसंधारण की 385वीं बैठक दिनांक 31/08/2021 की अनुसूची के अन्तर्गत पर एस.ई.आई.ए.ए., जलसंधारण के प्रमाण क्रमांक 1505/एस.ई.आई.ए.ए.अनं./2021 तथा राज्य स्तर अंजन नगर, दिनांक 28/08/2021 एवं एस.ई.आई.ए.ए., जलसंधारण के प्रमाण क्रमांक 805/एस.ई.आई.ए.ए.अनं./2022 तथा राज्य स्तर अंजन नगर, दिनांक 08/09/2022 द्वारा मार्गदर्शन हेतु भारत सरकार, पर्यटन, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को निम्न सिन्धुओं के संदर्भ में पत्र भेजा गया है—

i. सानवीश नेशनल वीन ट्रिब्यूनल डिजिटल वेब, नई दिल्ली द्वारा दिने नवे आवेदन दिनांक 13/09/2018 के परिचालन हेतु 5 से 25 हेक्टेयर क्षेत्र एवं समूह (कवरेज) स्थिति में क्या 9 सितंबर, 2013 के पूर्व अनुदान खान पट्टी को सूट दी जाती है?

ii. क्या 9 सितंबर, 2013 के पूर्व अनुदान खान पट्टी का खदान अनुसंधान (आइ.सी.सी) को कवरेज की गणना में शामिल करना है अथवा नहीं? तथा उसके लिए इन्फार्मेटिफ इन्फेस्ट ऑपरेटिव (ई.आई.ए.), इन्फार्मेटिव सेक्टर प्रान (ई.ए.पी.) तथा जन सुनवाई अथरिटीक है अथवा नहीं?

iii. क्या 9 सितंबर, 2013 के पूर्व अनुदान खान पट्टी (सी.ए.) का खदान अनुसंधान (आइ.सी.सी) को खनिज इन्फार्मेटिव सेक्टर प्रान (सी.ई.ए.पी.) में शामिल करना है अथवा नहीं?

उपरोक्त सिन्धुओं के परिच्छेद में भारत सरकार, पर्यटन, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से जानकारी आज दिनांक तक अज्ञात है।

समिति द्वारा विचार विमर्त करवाते मार्गदर्शनी को निर्णय किया गया कि सानवीश नेशनल वीन ट्रिब्यूनल डिजिटल वेब, नई दिल्ली द्वारा दिने नवे आवेदन दिनांक 13/09/2018 के अनुसूची की ई.आई.ए./ई.ए.पी. विचार किये जाने हेतु टी.



ओ.आर. (ग्रीक: सुन्वाई सहित) जारी किया गया है। अतः परिशोधन प्रस्तावक को अनुसंधान को अग्रगण्य करने वाले की अनुमति की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रक्रिया (एन.ई.आई.ए.ए.), उत्तीर्णता को तदनुसार सुचित किया जाए।

10. बेसल नव दुर्गा इलाहाबाद प्राइवेट लिमिटेड, सेक्टर-सी, परदा इन्फ्रान्स्ट्रक्चर एनिए, तहसील व जिला-रायपुर (सचिवालय का नक्का क्रमांक 1878)

ऑनलाईन आवेदन - उपरोक्त नक्का - एन.ई.आई.ए./ सीडी/ आईएनटी/ 288080/ 2021 दिनांक 20/12/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - परिशोधन प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकलाप को तहत सेक्टर-सी, परदा इन्फ्रान्स्ट्रक्चर एनिए, तहसील व जिला-रायपुर स्थित परदा क्रमांक 428ए, 429ए, 429, 430, 431 एवं 432, कुल क्षेत्रफल = 1.15 हेक्टेयर में अनाम विस्तार को तहत 2 कुल 10 टीपीएस (1 नव स्थापित एवं 1 नव अनामित) इन्फ्रान्स्ट्रक्चर कनेक्ट (इंफाट्स/विसेट्स) क्षमता - 30,000 टन प्रतिवर्ष से 52,800 टन प्रतिवर्ष एवं सी-डीटिंग कनेक्ट कोड नवीकृत अनामित सीटिंग मिज (सी-सेल्ड प्रोडक्ट्स) क्षमता - 30,000 टन प्रतिवर्ष से 52,800 टन प्रतिवर्ष को लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप से अपेक्षित विनियम की कुल लागत 8.5 करोड़ होगी।

तदनुसार परिशोधन प्रस्तावक को एन.ई.आई.ए., उत्तीर्णता को अग्रगण्य दिनांक 12/04/2022 द्वारा अनुमोदित हेतु सुचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 404वीं बैठक दिनांक 20/04/2022:

प्रस्तुतकरण हेतु की सुवेस मान्य, डीप्लेक्टर परस्थित हुए। समिति द्वारा नक्का, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई:-

1. जल एवं वायु सम्बन्धि -

- क्षेत्रीय आर्वालय, उत्तीर्णता परीक्षण संस्था मंडल, रायपुर द्वारा सी-सेल्ड प्रोडक्ट्स ऑपरेशन/स्टील क्षमता - 30,000 टन प्रतिवर्ष एवं स्टील इंफाट्स क्षमता - 30,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्बन्धि नवीनीकरण दिनांक 04/11/2019 को जारी की गई है, विभागीय दिनांक 30/11/2024 तक की अवधि हेतु है।
- आर्वालय में स्थापित इकाईयों हेतु उत्तीर्णता पर्यावरण संस्था मंडल द्वारा जारी सम्बन्धि शर्तों के मानक में की गई कार्यवाही की विन्दुगत जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

2. निकलान स्थित क्लिफ-लाईन संबंधी जानकारी -

- निकलान आकृति दिनांक 1 कि.मी. एवं तहल रायपुर 3 कि.मी. तथा रेलवे स्टेशन तक कुल 1.8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्वामी निकलानद विधानसभा, मन्दा, रायपुर 18.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2.5 कि.मी. दूर है। आर्वालय नदी 4.4 कि.मी. दूर है।

- परिनियमित/अनियमित सर्वेक्षणों में क्षेत्र - परिनियमित प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की सीमा में अंतरराष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय राजमार्ग, अन्ताराष्ट्रीय परिनियमित/अनियमित क्षेत्र या परिनियमित क्षेत्रों के अंतर्गत क्षेत्रों को शामिल किया है।

3. क्षेत्र एरिया स्टेटमेंट - समस्त विस्तार हेतु अधिनियम भूमि अधिग्रहण किया जाना प्रस्तावित नहीं है। क्षेत्र एरिया स्टेटमेंट निम्नानुसार है:-

Particular	Area (in Sq.m.)	Area (%)
Induction Furnace Area	1,200	10.42
Rolling Mill Area	2,550	22.14
Finished Good Area	700	6.08
Raw material Yard	900	7.81
Parking Area	750	6.51
Road Area	800	6.94
Green Belt Area	4,620	40.10
Total	11,520	100

4. ची-मटेरियल -

For Induction Furnace			
Raw Material	Existing Quantity (TPA)	After Expansion Quantity (TPA)	Mode of Transport
Sponge Iron	24,425	48,500	By Road through covered trucks
Scrap	7,517	15,000	
Ferro Alloys	320	660	
For Rolling Mill			
Billets	30,000	59,500	In house

5. स्थापित एवं प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी -

Particular	Existing	After Expansion
Unit	Induction Furnace (1x10 TPA) Reheating Furnace (1x10 TPA)	Induction Furnace (2x10 TPA) Reheating Furnace (1x10 TPA)
Working Hour	Induction Furnace 24 Hrs Reheating Furnace 10 Hrs	Induction Furnace 24 Hrs Reheating Furnace 24 Hrs
Production	Billet 30,000 TPA Rolled Product 30,000 TPA	Billets 50,000 TPA Rolled Product 59,500 TPA
Coal Requirement	3,000 TPA	3,672 TPA

Note: Existing reheating furnace based rolling mill shall not be changed and capacity expansion shall be achieved by increasing number of working hours of reheating furnace from 10 Hrs per day to 24 Hrs per day.

6. वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था - वर्तमान में डि-डीस्टिग फर्निश कोल मैरीनफाउंडर आधारित सेलिंग मिल एवं इन्वोल्वमेंट फर्निश में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु 30 मीटर ऊंचाई की चिमनी स्थापित है। प्रस्तावित कार्यवाही के अंतर्गत डि-डीस्टिग फर्निश कोल मैरीनफाउंडर आधारित सेलिंग मिल एवं इन्वोल्वमेंट फर्निश में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु 30 मीटर ऊंचाई के 2 सिल्टर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। चिमनी की ऊंचाई 30 मीटर होगी। चिमनी से पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन 50 मिलियन/सालान्य क्यूमीटर से कम कर 30 मिलियन/सालान्य

घनमीटर तक जाना प्रस्तावित है। यन्त्रिकीय अस्त उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल विद्युतगत की व्यवस्था है। उही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकाल हेतु भी अपनाई जाएगी। वर्तमान में सि-वेल्ड प्रोसेसिंग ऑपरल/स्टील को उत्सर्जन हेतु 8.1 टन प्रतिदिन अपघर्ष की आवश्यकता होती है। प्रस्तावित कार्यकाल उपरोक्त सि-वेल्ड को उत्सर्जन हेतु 17.18 टन प्रतिदिन अपघर्ष की आवश्यकता होगी। वर्तमान में सेलिंग मिल सि-हीटिंग फर्नेस को एच.ओ. को उत्सर्जन की मात्रा 25,100 कि.ग्र. प्रतिघंटे होता है। प्रस्तावित कार्यकाल उपरोक्त सि-हीटिंग फर्नेस अस्थावित सेलिंग मिल से एच.ओ. को उत्सर्जन की मात्रा में कमी लाने हेतु सीक इन्फेक्ट को पहले लाईन सेलिंग इकाई स्थापित की जाएगी, जिससे 8,240 कि.ग्र. प्रतिघंटे एच.ओ. उत्सर्जन में कमी होगी। इस व्यवस्था से एच.ओ. को उत्सर्जन की मात्रा 13,860 कि.ग्र. प्रतिघंटे होना संभावित है।

7. **वीस अस्थायित् आवश्यकता** - वर्तमान में इन्फेक्शन फर्नेस एवं सेलिंग मिल से स्लेग-1,148 टन प्रतिघंटे, मिल स्लैग-183 टन प्रतिघंटे, एच.ओ. वॉटिंग-322 टन प्रतिघंटे, वुल्ड अपघल-80 मीटर प्रतिघंटे, किचन वेस्ट 8 कि.ग्र. प्रतिदिन एवं ऐश-1 टन प्रतिदिन अस्थायित् को रूप में उत्सर्जित होता है। प्रस्तावित कार्यकाल उपरोक्त इन्फेक्शन फर्नेस एवं सि-हीटिंग फर्नेस अस्थावित सेलिंग मिल से स्लेग- 2,250 टन प्रतिघंटे, मिल स्लैग- 300 टन प्रतिघंटे, एच.ओ. वॉटिंग-500 टन प्रतिघंटे, वुल्ड अपघल - 180 मीटर प्रतिघंटे एवं ऐश-2 टन प्रतिघंटे अस्थायित् को रूप में उत्सर्जित होगी। स्लेग को स्लैग ड्रॉपरेटिंग इकाई को विकल्प किया जाएगा। मिल स्लैग एवं एच.ओ. वॉटिंग को पुन-ड्रॉपरेटिंग में उपयोग किया जाएगा। वुल्ड अपघल को अतिरिक्त केन्वर को विकल्प किया जाएगा। ऐश को सटीमस इट निर्माण इकाई को विकल्प किया जाएगा।

8. **जल प्रबंधन व्यवस्था -**

• **जल संचयन एवं रक्षित** - वर्तमान में परिवर्धना हेतु कुल 21 घनमीटर प्रतिदिन (औद्योगिक प्रक्रिया हेतु 10 घनमीटर प्रतिदिन, अस्त प्रबंधन हेतु 4 घनमीटर प्रतिदिन, वीन वेस्ट हेतु 2 घनमीटर प्रतिदिन एवं फेसू हेतु 5 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाता है। प्रस्तावित कार्यकाल उपरोक्त परिवर्धना हेतु कुल 32 घनमीटर प्रतिदिन (औद्योगिक प्रक्रिया हेतु 18 घनमीटर प्रतिदिन, अस्त प्रबंधन हेतु 4 घनमीटर प्रतिदिन, वीन वेस्ट हेतु 4 घनमीटर प्रतिदिन तथा फेसू हेतु 8 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। अतएव जल की आपूर्ति सी.एस.आई.डी.सी. से किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में भी उपरोक्त व्यवस्था अपनाई गई है।

• **जल इच्छता नियंत्रण व्यवस्था** - औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्सर्जित होता है। सेलिंग मिल से कुलित उपरोक्त जल दूषित जल को ठंडा कर पुनः कुलित हेतु उपयोग में लाया जाता है। प्रस्तावित कार्यकाल हेतु औद्योगिक प्रक्रिया से उत्सर्जित दूषित जल औद्योगिक दूषित जल को ठंडा कर पुनः कुलित हेतु उपयोग किया जाएगा। प्रस्तावित कार्यकाल उपरोक्त फेसू दूषित जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होगी। परिवर्धना से उत्सर्जित जल को उपचार हेतु एनवीसीआर तकनीक अस्थावित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनवा 8 घनमीटर प्रतिदिन की स्थापना प्रस्तावित है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंतर्गत काच मशीन, ऑयल एवं वीन ट्रेप, सि-सीवेज कलेक्शन टैंक, एनवीसीआर टैंक, फ्लाट चम्पा, फिल्टर ट्रेप, इटानेजिनेट टैंक, वेसल सेलर फिल्टर,

एडिटेड/रेड सर्जन क्वॉटर एवं अटल क्वॉटर/रूम आदि स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। कुछ नियंत्रण की स्थिति लगी जाएगी।

- **न्यू-जल उपयोग प्रबंधन** - उपयोग स्थल सेटुल एलमन्ट वाटर बोर्ड की अनुमत डिस्ट्रिब्यूशन जॉन में आता है। जिसके अनुसार-

(अ) कूलर एवं मध्यम उपयोगों को कम से कम 80 प्रतिशत दूधित जल का पुनःउपयोग एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

(ब) एलमन्ट वाटर निचाले हेतु अपनाई गई तकनीक तथा रेसिड्यूट हाबीटिंग / ऑटोडिस्ट्रिब्यूशन जल निचाले के अभाव पर न्यू-जल निचाले जाने की अनुमति सेटुल एलमन्ट वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रस्तावना का। उपयोग को रेसिड्यूट हाबीटिंग प्रस्तावित किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हाबीटिंग व्यवस्था** - उपयोग परिवार में सभी जल का कुल लक्ष्यिक 7,807 घनमीटर है। वर्तमान में रेन वॉटर हाबीटिंग व्यवस्था के अंतर्गत 3 नम निचाले पिट (लंबाई 2.5 मीटर, चौड़ाई 2.5 मीटर, गहराई 2.5 मीटर) निर्मित किया गया है। प्रस्तावित कार्यकालाव उपरोक्त अतिरिक्त 3 नम निचाले पिट (लंबाई 2.5 मीटर, चौड़ाई 2.5 मीटर, गहराई 2.5 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेन वॉटर हाबीटिंग व्यवस्था परमाणु परिवार के पूर्व रणनीतिक को निचाले किया जा सकेगा। सभी निचाले स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएंगे कि इनमें वायुमय मात्रा में सभी जल का बहाव हो सके।

- 8. **प्रदूषण भार संबंधी जानकारी** - सामग्री प्रथम स्थापित इमारत में उत्पादन की दशा में एवं समस्त विस्तार उपरोक्त उत्पादन की दशा में कुल प्रदूषण भार की मर्यादा कम (जल उपयोग की मात्रा, दूधित जल की मात्रा / गुणवत्ता, प्रदूषकों के उत्सर्जन की मात्रा एवं उत्पन्न ठोस अवशिष्टों की मात्रा) प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार वर्तमान में पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर के अनुसार कुल उत्सर्जन मात्रा 30,287.4 कि.ग्र. प्रतिवर्ष है। प्रस्तावित पीटीएचआई वेग क्वॉटर एवं विन्डी से पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित करने वाले से कूलर उत्सर्जन की मात्रा 24,789.8 कि.ग्र. प्रतिवर्ष होगी। सीक इनलेट के पहले लवईम डोसिंग इकाई स्थापित किया जाएगा, जिसकी एस.ओ. उत्सर्जन की मात्रा 33,100 कि.ग्र. प्रतिवर्ष से कम कम 13,880 कि.ग्र. प्रतिवर्ष होगा। औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूधित जल वाष्पन होगा, अतिरिक्त डोसिंग पिल के कुलित उपरोक्त प्रथम दूधित जल को ठंडा कर पुनः कुलित हेतु उपयोग में आया जाएगा तथा कुछ नियंत्रण की स्थिति लगी जाएगी। वाष्पन सभी ठोस अवशिष्टों का अपघटन परफोमलानुसंग किया जाएगा। इस प्रकार समस्त निचाले उपरोक्त (1) प्रतिवर्ष उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मैटर की मात्रा में कमी, (2) एस.ओ. उत्सर्जन की मात्रा में कमी, (3) उत्पन्न होने वाले ठोस अवशिष्ट की मात्रा में कमी होगी जिसे पुनःउपयोग/विभिन्न कार्यों में उपयोग किया जाएगा तथा (4) जल उत्सर्जन की मात्रा में अतिरिक्त कमी होगी स्थापित है, जिसकी प्रतिवर्ष हेतु उपयोग परिवार में उत्सर्जन की कुल लक्ष्यिक का न्यू-जल में निचाले करना प्रस्तावित है।

- 10. **सुरक्षा के संज्ञान में यह लक्ष्य आता कि परीक्षेयता प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत प्रदूषण भार में वर्तमान में स्थापित इमारत/वाहन चर्निस (1 X 10 TMB) एवं प्रस्तावित कार्यकालाव उपरोक्त इमारत/वाहन चर्निस (2 X 10 TMB) में उत्पन्न प्रथम दश**

4. विनयी के परिशिष्टों में 50 मिलियन/सालाना बजट के रूप में 25 मिलियन/सालाना बजट से कम सुनिश्चित किए जाने बाबत विस्तृत जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
5. कोल मैनीफेस्ट के अन्तर्गत विनयी के अन्तर्गत / विनयन परिशिष्टों में और अन्य अपरिशिष्ट (जैसे एन सीएमएन संशोधन) विनय, 2018 (जो संबंधित) एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कोल मैनीफेस्ट के अन्तर्गत विनयी के अन्तर्गत हेतु यह जानकारी 2017 को जारी एन सीएमएन (Standard Operating Procedure) के अन्तर्गत के तहत प्रस्तुत जानकारी की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
6. कुल क्षेत्रफल का 40.1 प्रतिशत क्षेत्र में कुशलतापूर्वक किए जाने हेतु प्रस्ताव सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए। साथ ही कुली की प्रकृति का एन सीएमएन सभी हुए कुशलतापूर्वक हेतु पीपी का क्षेत्र, मुख्य हेतु सीमित, बाद एन सिंगल तथा एन-एनएन के लिए 5 वर्षों का अवधि पर्यन्त एवं समयावधि तक का विनयन सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
7. वैश्विक प्रकृति हेतु सी.सी. सेट अन्तर्गत के संसाधन में जानकारी प्रस्तुत की जाए।
8. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत परिशिष्टों की कुल विनयन का 2 प्रतिशत तक किया जाए। अतः सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विनयन तथा सी.ई.आर. के तहत कुशलतापूर्वक हेतु पीपी का क्षेत्र, मुख्य हेतु सीमित, बाद एन सिंगल तथा एन-एनएन के लिए 5 वर्षों का अवधि पर्यन्त एवं समयावधि तक का विनयन सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने पर्याप्त जानकारी संबंधित की जाएगी।

अनुसार एन.सी.एम.एन. के अन्तर्गत दिनांक 08/08/2022 के परिशिष्ट में परिशिष्ट प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 28/08/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 417वीं बैठक दिनांक 28/08/2022:

समिति द्वारा जारी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्नानुसार स्थिति आई गई कि:-

1. परिशिष्ट में उल्लिखित प्रस्तावों हेतु अन्तर्गत पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी समिति सती के अन्तर्गत में की गई कार्रवाई की विस्तृत जानकारी परिशिष्टों में प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत की गई है। जबकि अन्तर्गत पर्यावरण संरक्षण मंडल के उल्लिखित प्रस्ताव परिशिष्टों में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
2. अन्तर्गत अधिनियम (संशोधन-2022) अन्तर्गत सती अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अधिनियम (संशोधन-2022) द्वारा जारी प्रस्ताव करने बाबत यह जारी किया गया है।
3. प्रस्तुत प्रदूषण मात्र में परिशिष्ट में उल्लिखित अन्तर्गत करीब (1 X 10 Tons) एवं प्रस्तावित अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत करीब (2 X 10 Tons) में अन्तर्गत प्रस्ताव एवं (Automatic flow chart) प्रस्तावित अन्तर्गत करने के संबंध में उल्लिखित दिष्ट गया कि उल्लिखित विनयी का में परिशिष्ट नहीं किया जा रहा है, प्रदूषण

निर्माण हेतु स्थापित स्तम्भ को स्थान का बेस सिस्टर लगाया जाएगा। इस प्रक्रिया में बचत हेतु आधुनिक प्रवाह दर (volumetric flow rate) लगाया जायेगा। साथ ही डिजाई को पार्टिकुलेट मैटर का एमिशन 50 मिलीग्राम/घण्टा घनमीटर से 25 मिलीग्राम/घण्टा घनमीटर कम करने हेतु उचित काला का बेस सिस्टर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

4. वर्कशॉप में पार्टिकुलेट मैटर एमिशन 50 मिलीग्राम/घण्टा घनमीटर को अनुसार कुल एमिशन मात्रा 22,304.4 कि.ग्रा प्रतिवर्ष है। प्रस्तावित पार्टिकुलेट मैटर एवं डिजाई को पार्टिकुलेट मैटर का एमिशन 25 मिलीग्राम/घण्टा घनमीटर से कम सुनिश्चित करने वाले सेक्टर एमिशन की मात्रा 13,304.8 कि.ग्रा प्रतिवर्ष होगी।
5. अपेक्षित प्रक्रिया में कोल मैनीफेस्टेशन प्रोसेस को सही तरीके से संचालन किया जाएगा। गैस सामान्य 42°C से अधिक नहीं जाएगा। फाईन साईज में एवं मैनीफेस्टेशन में किसी भी प्रकार का धार फैलाना नहीं होगा। इस प्रोसेस में कोल में फिक्क साईज एवं डॉस्टाईल मैटर उपस्थित नहीं है। गैस साईं क्लेस्टिक डेपू में होगी। इस क्लेस्टिक डेपू उपयुक्त नहीं होगा। समिति का मत है कि यदि किसी कारणों (गैस सामान्य में नहीं होने, आकस्मिक रूप से) कोल में फिक्क साईज की स्थिति में इत्यादि) को क्लेस्टिक डेपू उपयुक्त होगा, तो संबंध में क्लेस्टिक डेपू को प्रयोग / निर्यात हेतु प्रस्तावित व्यवस्था की जानकारी भेजाया जाना आवश्यक है।
6. वर्कशॉप में इतित धूलिका के विकास हेतु 538 नम पीछे सेटित किया गया है। प्रस्तावित कार्बोनाइड को सही 0.48 टैम्पेचर (लगभग 40.1 प्रतिशत) से 814 नम पीछे सेटित किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रक्रिया कुल 1,150 नम कार्बोनाइड किया जाएगा। कुल की प्रक्रिया का उपरोक्त करते हुए प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 814 नम पीछे के लिए प्रति 1,22,800 रुपये, पीछे के लिए प्रति 1,84,200 रुपये, साथ एवं विभाई के लिए प्रति 10,74,500 रुपये, इस प्रकार कुल प्रति 13,81,500 रुपये 5 वर्ष हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि को.एच.एल. साईज सहित कार्बोनाइड की जानकारी / प्रस्तावित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
7. वैक्यूम व्यवस्था हेतु सी.सी. गैट स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
8. सी.ई.आर. (Corporate Environmental Responsibility) को सही परिचालन की कुल विनिर्देश (2.5 करोड़) का 2 प्रतिशत 10 लाख रुपये का व्यय प्रस्तावित है। साथ-साथ इसके फार्म डिजाई में किया जाना बताया गया है। परंतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्व विवरण तथा कार्बोनाइड हेतु पीछे का पैमाना, कुल हेतु पीछे, साथ एवं विभाई तथा एक-एक के लिए 5 वर्ष का घटकवार, समकाल व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा कलकत्ता कार्बोनाइड से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था—

1. परिचालन प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त किन्तु अन्तक 1, 5 एवं 8 के संबंध में जानकारी / प्रस्तावित प्रस्तुत किया जाए।
2. को.एच.एल. साईज सहित कार्बोनाइड की जानकारी / प्रस्तावित प्रस्तुत किया जाए।



- परिचालन प्रशासक द्वारा इस आदेश का पालन एवं प्रस्तुत किया जाए कि उनके विषय इस परिचालन/आदेश से संबंधित कोई ग्राहकीय प्रत्यक्ष रोज के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
- परिचालन प्रशासक द्वारा इस आदेश का मोटरी से संबंधित सभी एवं प्रस्तुत किया जाए कि उनके विषय भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रमाण लंबित नहीं है।

उपरोक्त बंदिता जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरोक्त आगामी कार्रवाई की जाएगी।

तदनुसार एम.ई.ए.सी., पर्यावरण के प्रथम दिनांक 08/08/2022 के निर्देश में परिचालन प्रशासक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 14/10/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 429वीं बैठक दिनांक 17/10/2022:

समिति द्वारा सभी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

- पर्यावरण पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय से संबंधित पत्राचार अभिलेख प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं किया गया है। समिति का मत है कि जारी जल एवं वायु समिति के प्रारम्भ में ही नई कार्रवाई की प्रस्तावित जानकारी पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय, नया रावपुर अटक गया से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- कोल वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम का पूर्ण प्लान चार्ट (with drawing and design) प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार प्रस्तावित मैनेजमेंट में हाट वेस्ट कार्यालय तकनीक का उपयोग किया जाएगा एवं मैनेजमेंट से प्रारम्भ वेस्ट का सम्भारण नहीं किया जाएगा, जिससे कोई किन्हीं भी वेस्ट उत्पन्न नहीं होगा। यदि किसी कारण से किन्हीं वेस्ट उत्पन्न होनी तो उसे मैनेजमेंट में पुनः इन्सर्ट (re-insert) किया जाएगा।
- परिचालन प्रशासक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के माध्यम से सभी उपरोक्त निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
500	2%	10	Following activities at nearby Village-Sarera	
			Eco Park Nirman	10.04
			Total	10.04

- सी.ई.आर. के अंतर्गत "ग्रीन पार्क निर्माण" के तहत (आवारा, बड़, पीपल, नीम, आम, जामुन, अमरलास आदि) कुलवैधन हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमान 2,000 म² पौधों के लिए प्रति 80,000 रुपये, बंसिय के लिए प्रति 1,52,500 रुपये, खार के लिए प्रति 12,000 रुपये, सिगाई तथा लक-लक आदि के लिए प्रति

1,30,000 रुपये, इस प्रकार प्रत्येक वर्ष में कुल राशि 5,14,800 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 13,38,400 रुपये हेतु परामर्शक पत्र का निर्माण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम-समीक्षा, तहसील पर्यटन, जिला-रायपुर के पंचायतीय स्थान (अर्थात अर्थांक 408/2, क्षेत्रफल 0.383 हेक्टेयर एवं सतह अर्थांक 285, क्षेत्रफल 0.31 हेक्टेयर, प्लॉट-नम्बरी की मुहैया कराये) को 25 वर्षों हेतु लीज में लिए जाने एवं उक्त भूमि पर सी.ई.आर. के अंतर्गत ईको पार्क निर्माण किये जाने कायदा ताल्लक प्रस्तुत किया गया है।

5. सी.एन.एल. फाईनल अर्हिल प्रस्तावना की जानकारी / परामर्शक प्रस्तुत नहीं किया गया है।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का सप्लय पत्र (Notarized Affidavit) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/प्रस्ताव में संबंधित कोई न्यायालय प्रकरण दंड के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में ललित नहीं है।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी के सप्लयित सप्लय पत्र (Notarized Affidavit) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यटन, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.आ. 804(30), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई परामर्शक का प्रकरण ललित नहीं है।

समिति द्वारा ताल्लमय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया था:-

1. जल जल एवं वायु सम्पत्ति के प्रकरण में की गई कार्यवाही की प्रलपित जानकारी पर्यटन मंत्रालय संलाल मंडल, नया रायपुर अटल नगर से प्राप्त कर प्रस्तुत जाए।
2. सी.एन.एल. फाईनल अर्हिल प्रस्तावना की जानकारी / परामर्शक प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त ललित जानकारी/परामर्शक प्राप्त होने उपरंत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

समानुसार एस.ई.ए.की, पर्यटन मंत्रालय के प्रकरण दिनांक 08/12/2022 के परिषद में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 18/01/2023 को जानकारी/परामर्शक प्रस्तुत किया गया।

(द) समिति की 425वीं बैठक दिनांक 11/01/2023:

समिति द्वारा ललती, प्रस्तुत जानकारी का अलालेखन एवं परीक्षण करने पर निम्न निष्पत्ति लई गई:-

1. पर्यटन मंत्रालय संलाल मंडल, नया रायपुर अटल नगर के प्रकरण दिनांक 10/01/2023 द्वारा जल एवं वायु सम्पत्ति के प्रकरण में की गई कार्यवाही की प्रलपित जानकारी प्रस्तुत की गई है।
2. सी.एन.एल. फाईनल अर्हिल प्रस्तावना की जानकारी / परामर्शक प्रस्तुत किया गया है, विरुद्ध अनुसार इतिहास परिटिकल की विलाला हेतु कुल क्षेत्रफल को 42.01 प्रतिकत क्षेत्र में कुल 814 मग चौड़ा का रोडम किया जलना प्रललित है। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुलालन रीषी के लिए ललति 1,30,000 रुपये, परिटिंग के लिए ललति 1,84,200 रुपये, खार्ड के लिए ललति 18,420 रुपये, सिंघाई एवं रलल-रललाल अर्हिल के लिए ललति 2,47,800 रुपये, इस प्रकार कुल ललति 5,85,800 रुपये प्रलल वर्ष हेतु एवं रलल-रललाल हेतु कुल ललति 7,88,000 रुपये आगामी चार वर्षों हेतु परामर्शक पत्र का निर्माण प्रस्तुत किया गया है।

3. समिति द्वारा यह बात बता कि भगत खजूर, पर्यवेण, वन एवं जलवायु परिवर्तन द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 3050(अ), दिनांक 20/07/2022 को अनुसार "सीड अलेन पी-सेलिंग इकाईयां या सील्ड सेलिंग इकाईयां, जिसकी क्षमता 8,000 टन प्रतिवर्ष से अधिक हो।" को टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया जाना आवश्यक है। उक्त समिति का मत है कि भगत क्षमता विस्तार के तहत 2 युवा 10 टीपीएस (1 नए स्थापित एवं 1 नए प्रस्तावित) इन्फ्रस्ट्रक्चर फनीस (इंफ्रास्ट्र/फिनेंस) क्षमता - 20,000 टन प्रतिवर्ष से 50,000 टन प्रतिवर्ष हेतु विचार किया जाना संभव है। सेलिंग मिल इकाई हेतु युवाक से टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किये जाने के उपरांत ही कार्रवाई किया जाना संभव है।

पर्यवेण लघुओं के अलावा यह समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से मेसर्स नव युवा इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को प्रस्तावित कार्यकाल के तहत सेक्टर-सी, पंचला इन्फ्रस्ट्रक्चर एरिया, तहसील व जिला-रायपुर स्थित प्लॉट क्रमांक 435ए, 435ए, 438, 439, 431 एवं 432, कुल क्षेत्रफल - 1.15 हेक्टेयर में क्षमता विस्तार के तहत 2 युवा 10 टीपीएस (1 नए स्थापित एवं 1 नए प्रस्तावित) इन्फ्रस्ट्रक्चर फनीस (इंफ्रास्ट्र/फिनेंस) क्षमता - 20,000 टन प्रतिवर्ष से 50,000 टन प्रतिवर्ष हेतु परिसिस्ट-04 में वर्णित शर्तों को अंतिम पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुमति की गई।

उक्त स्वीकृत पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रतिवेदन (एन.ई.आई.ए.ए.), जलरीक्षण को तदनुसार सुधारा किया जाए।

11. मेसर्स जगदीश इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, राम-बरीदा, तहसील-परासी, जिला-रायपुर (सचिवालय का नक्का क्रमांक 1822)

ऑनलाईन आवेदन - उपरोक्त नम्बर - एन.ई.आई.ए./ सीडी/ आईएमसी/ 25388/ 2022, दिनांक 28/01/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकाल के तहत राम-बरीदा, तहसील-परासी, जिला-रायपुर स्थित प्लॉट क्रमांक 143 एवं 144, कुल क्षेत्रफल - 1.998 हेक्टेयर में नि-सील्ड ड्रीड्रॉस थ्रू इन्फ्रस्ट्रक्चर फनीस क्षमता - 20,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 50,000 टन प्रतिवर्ष को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है। प्रस्तावित कार्यकाल उपरोक्त परियोजना की विनियोजन कक्ष 25 करोड़ होगी।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एन.ई.आई.ए.सी, जलरीक्षण को अंतिम दिनांक 05/05/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 400वीं बैठक दिनांक 09/05/2022-

प्रस्तुतीकरण हेतु की संजय कुमार सिंह, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नक्का, प्रस्तुत जानकारी का आलोचन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. उक्त एवं वायु सम्मति -

- क्षेत्रीय कार्यलय, जलरीक्षण पर्यावरण संरक्षण मंडल, जिला-रायपुर से मिनेट, एन.एन. नि-सील्ड ड्रीड्रॉस (थ्रू इन्फ्रस्ट्रक्चर फनीस) क्षमता - 20,000 मीट्रिक

एन प्रोसेसिंग हेतु जल एवं वायु सभ्यता नवीनीकरण दिनांक 07/08/2020 को जारी की गई है।

- पूर्व में जारी सभ्यता नवीनीकरण के शर्तों के तालम में की गई कार्रवाही की किन्तुगत जानकारी प्रस्तुत की गई है। सभ्यता का मत है कि जारी जल एवं वायु सभ्यता के तालम में की गई कार्रवाही की जानकारी अतीतमात्र पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –

- निकटतम शहर रायपुर 11 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेलवे स्टेशन मादर 7.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय विद्युतानंद विमानवाहन मार्ग रायपुर 25 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.4 कि.मी. दूर है।
- परिवहन प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिसर में अंतर्राज्यीय सड़क, राष्ट्रीय राजमार्ग, अन्वयान्त्र, क्षेत्रीय प्रमुख निगमन बोर्ड द्वारा घोषित डिस्ट्रिक्ट पोल्सुटेज एरिया, परिशिष्टीय क्षेत्रनर्तीय क्षेत्र या घोषित क्षेत्रीयता क्षेत्र स्थित नहीं होना परीक्षित किया है।

3. जल संयोजन का अनापत्ति प्रमाण पत्र – जल संयोजन शर्तों का दिनांक 21/05/2018 द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

4. मृ-स्वच्छिप्य – नैसर्गिक जलशक्ति इस्पात प्राइवेट लिमिटेड द्वारा की ईंधन का से खपता जनांक 143 एवं 144 कुल राशु 1,822 टैण्टेयर मुनि को ज्ञाप किया गया है। ज्ञाप संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

5. क्षेत्रीय एरिया स्टैटमेंट –

S.No.	Land use	Area (in SQM)	Area (%)
1.	Induction Furnace Area	3,525.15	21.3
2.	Rolling Mill Area	1,324	8.0
3.	Finished Good Area	695.1	4.2
4.	Raw Material Yard Area	761.3	4.6
5.	Parking Area	614.05	3.71
6.	Road Area	761.3	4.6
7.	Greenbelt Area	6,621.65	40.01
8.	Area for Future Expansion	2,247.45	13.56
Total		16,550	100

6. रॉ-मटेरियल –

S. No.	Raw Material	Quantity (TPA)	Source	Mode of Transport
For Induction Furnace				
1.	Sponge Iron	48,500	Open Market	By Road (through covered trucks)
2.	Scrap	15,000		
3.	Alloys	650		
For Rolling Mill (Re-rolled Products)				
1.	Billets	56,500	In house	-

7. स्थापित एवं प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी –

S. No.	Particular	Existing Capacity	Capacity After Expansion
1.	Unit	Induction Furnace and Rolling Mill (ICRM) - 2 x 8 TPH	Induction Furnace and Rolling Mill (ICRM) - 2 x 8 TPH + 1 x 8 TPH
2.	Production	29,500 TPA	58,500 TPA
3.	Working Hours	12	18

8. वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था - वर्तमान में इण्डियन कर्नेल में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु खम्बर एवं 30 मीटर ऊंची विमनी स्थापित किया गया है। प्रस्तावित कार्यकाल के अंतर्गत इण्डियन कर्नेल में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु बंग फिल्टर एवं 30 मीटर ऊंची विमनी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त व्यवस्था की एंटीक्युमेंट मीटर का पालखीन 50 मिमीघाम/सामान्य घनमीटर से कम कर 30 मिमीघाम/सामान्य घनमीटर रखा जाना प्रस्तावित है। क्युडिटीय इस्ट पालखीन नियंत्रण हेतु जल सिंक्रायल किया जाता है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकाल हेतु अपनाई जाएगी।

9. दौलत अर्थात् अफवाहन व्यवस्था - प्रस्तावित कार्यकाल के अंतर्गत इण्डियन कर्नेल को स्लेम - 2,450 टन प्रतिदिन एवं सेलिंग मिल से मूज ऑयल 180 मीटर प्रतिदिन दौलत अर्थात् की कम में उपभोग होना। स्लेम को स्लेम इवॉल्ट इकाईयों को विकस्य किया जाएगा। मूज ऑयल को अर्थात् इकाईयों को विकस्य किया जाएगा। यही व्यवस्था वर्तमान में अपनाई गई है।

10. जल प्रबंधन व्यवस्था -

• जल संचयन एवं कमी - वर्तमान में परिवर्धन हेतु कुल 31 घनमीटर प्रतिदिन (परेलू उपयोग हेतु 5 घनमीटर प्रतिदिन, कुलिंग हेतु 10 घनमीटर प्रतिदिन, इस्ट संचयन हेतु 4 घनमीटर प्रतिदिन एवं डीनोवेल्ट हेतु 2 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाता है। प्रस्तावित कार्यकाल उपरोक्त परिवर्धन हेतु कुल 32 घनमीटर प्रतिदिन (परेलू उपयोग हेतु 8 घनमीटर प्रतिदिन, कुलिंग हेतु 18 घनमीटर प्रतिदिन, इस्ट संचयन हेतु 4 घनमीटर प्रतिदिन एवं डीनोवेल्ट हेतु 4 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। जल की अनुमति मू-जल से की जाती है। जल की अनुमति हेतु सेक्टर प्रारम्भ वीटर अर्थात् नीचे से अनुमति प्राप्त कर प्राप्त किया गया है, जो किनांक 02/01/2024 तक कि है।

• जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था - औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उपभोग होता है। सेलिंग मिल से कुलिंग उपयोग प्राप्त दूषित जल को रोक कर पुनः कुलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। वर्तमान में परेलू दूषित जल की उपचार हेतु बायोफिट एवं सेप्टिक टैंक का निर्माण किया गया है। प्रस्तावित कार्यकाल उपरोक्त परेलू दूषित जल को बाका 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी, जिसकी उपचार हेतु एम्प्लीफायर तकनीक अर्थात् सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता 8 घनमीटर प्रतिदिन की स्थापना प्रस्तावित है। मूज निस्स्रावण की स्थिति रखी जाती है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकाल हेतु अपनाई जाएगी।

• मू-जल उपयोग प्रबंधन - राष्ट्रीय स्वच्छ वीटर प्रारम्भ वीटर नीचे की अनुसार नीचे किटिजल जल से जाता है। विकस्य अनुसार-

- (अ) कुंडल एवं लक्षण उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत सुविधा जल का पुन:चक्रण एवं पुन:उपयोग किया जाना है।
- (ब) प्राथमिक जल निष्काई हेतु अगवाई गई तकनीक तथा रेनवॉटर हार्वीस्टिंग / ऑटोमैटिक जल निष्काई के अभाव पर न्यून-जल निष्काई करने की अनुमति सेटल प्राथमिक जल बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान था। उद्योग को रेनवॉटर हार्वीस्टिंग प्रोत्साहित किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वीस्टिंग व्यवस्था** - उद्योग परिसर में वर्षों की गन्नी का कुल स्तरीक 8.768 घनमीटर है। वर्तमान में रेन वॉटर हार्वीस्टिंग व्यवस्था को अंतर्गत 2 नम निष्काई स्ट्रक्चर (लंबाई 2.5 मीटर, चौड़ाई 2.5 मीटर, गहराई 2.5 मीटर) निर्मित किया गया है। प्रस्तावित कार्यकाल में अंतर्गत रेन वॉटर हार्वीस्टिंग व्यवस्था को अंतर्गत 5 नम निष्काई स्ट्रक्चर (लंबाई 2.5 मीटर, चौड़ाई 2.5 मीटर, गहराई 2.5 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वीस्टिंग व्यवस्था परिसर के पूर्ण स्तरीक को निष्काई किया जा सकेगा। उन्नी निष्काई स्ट्रक्चरों इस प्रकार निर्मित किए जाएंगे कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का संग्रह हो सके।

11. **प्रदूषण भार संबंधी जानकारी** - सम्पत्ति द्वारा स्वयंसेवक क्षमता की उत्पादन की दृष्टि में एक क्षमता विस्तार उपरोक्त उत्पादन की दृष्टि में कुल प्रदूषण भार की गणना कर (जल उपयोग की मात्रा, सुविधा जल की मात्रा / गुणवत्ता, प्रदूषकों के उत्सर्जन की मात्रा एवं उत्पन्न ठोस अपशिष्टों की मात्रा) प्रस्तुत किया गया है। इसके अनुसार वर्तमान में वर्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर के अनुसार कुल उत्सर्जन मात्रा 8,878 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष है। प्रस्तावित सेन विस्तार एवं विन्नी से वर्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाने से ठोस उत्सर्जन की मात्रा 8,532 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष होगी। औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न सुविधा जल उत्पन्न होगा, अम्लित सेलिंग मिल के सुविधा उपरोक्त द्वारा सुविधा जल को संकलन कर पुनः सुविधा हेतु उपयोग में लाया जाएगा तथा शुष्क निस्तारण की शक्ति रखी जाएगी। प्रस्तावित कार्यकाल में परिसर कुल 2,835 टन प्रतिवर्ष ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होगा। उत्पन्न सभी ठोस अपशिष्टों का अपचयन चक्रीकृत/पुनःचक्रण किया जाएगा। इस प्रकार क्षमता विस्तार उपरोक्त (1) प्रतिवर्ष उत्सर्जित होने वाले वर्टिकुलेट मेटर की मात्रा में कमी, (2) उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट की मात्रा में कृत्रिम शक्ति पुन:उपयोग / विभिन्न कर्षों में उपयोग किया जाएगा तथा (3) जल उपयोग की मात्रा में आंशिक कृत्रिम शक्ति होगा संभवित है।

12. **विद्युत आवृत्ति शक्ति** - वर्तमान में परिवर्धन हेतु 4 मेगावाट विद्युत की आवश्यकता होती है। प्रस्तावित कार्यकाल में परिवर्धन हेतु कुल 8.5 मेगावाट विद्युत की आवश्यकता होगी। विद्युत की आवृत्ति उत्तीर्णक राज्य विद्युत निगम कंपनी लिमिटेड से की जाती है। वर्तमान में वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 1 नम 250 की.सी.ए. क्षमता का डी.जी. सेट स्थापित है एवं इसके अतिरिक्त प्रस्तावित कार्यकाल में वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 1 नम 125 की.सी.ए. क्षमता का डी.जी. सेट स्थापित किया जाएगा।

13. **बुझारोपण संबंधी जानकारी** - वर्तमान में क्षमता परिसर के विकास हेतु क्षेत्रफल 8.475 हेक्टेयर (28.72 प्रतिशत) क्षेत्र में 180 नम कीड़े संविदा किया गया है। प्रस्तावित कार्यकाल में कुल क्षेत्रफल 8.882 हेक्टेयर (30.01 प्रतिशत) क्षेत्र

में अतिरिक्त 800 का भी योग दिया जाना प्रस्तावित है। पूराकरण का कार्य आगामी 3 माह में पूर्ण किया जाएगा।

14. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के सलाह विचार से सभी उपरोक्त निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
250	1%	2.5	Following activities at Government Girls High School Village- Charoda	
			Rain water harvesting	1.215
			Water Supply arrangement with 3 year AMC	0.65
			Water tank & pipe line Facility for Toilets	0.45
			Plantation	0.45
Total			2.765	

15. सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहयोग एवं प्रस्तुत किया गया है।
16. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत परियोजना की कुल विनिर्देश का 1 प्रतिशत व्यय का वित्तीय प्रस्ताव पूर्ण विवरण तथा पूराकरण हेतु पीछी का रीजल, सुखा हेतु पंपिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रक्त-सहाय के लिए 5 वर्षों का पर्यवेक्षण, समायोजन व्यय का विवरण सहित वित्तीय प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. जमीन जल एवं वायु समिति के पत्राचार में की गई सर्वसहरी की प्रस्तावित जानकारी अतीरिक्त पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत जाए।
2. रोग अस्पष्ट की माह में वृद्धि एवं जल उपभोग की माह में वृद्धि होने से कारण प्रदूषण स्तर में वृद्धि होना संभावित है। जल पत्रा के माह में स्थापित एवं प्रस्तावित परियोजना हेतु सुव्यवस्था प्रदूषण भार की समीक्षा कर प्रस्तुत की जाए।
3. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत परियोजना की कुल विनिर्देश का 1 प्रतिशत व्यय का वित्तीय प्रस्ताव पूर्ण विवरण तथा पूराकरण हेतु पीछी का रीजल, सुखा हेतु पंपिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रक्त-सहाय के लिए 5 वर्षों का पर्यवेक्षण, समायोजन व्यय का विवरण सहित वित्तीय प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

12

उपरोक्त सारा पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किंसे जाने उपरोक्त आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एम.ई.ए.सी., उत्तीर्णपत्र के ज्ञापन दिनांक 07/07/2022 के परिप्रेक्ष्य में परिषदीयता समायोजक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 13/10/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 428वीं बैठक दिनांक 17/10/2022:

समिति द्वारा नसी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई:-

1. उत्तीर्णपत्र परीक्षण संस्थान मंडल से प्रमाणित वास्तव इतिवृत्त प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं किया गया है। समिति का मत है कि जारी जल एवं वायु सम्पत्ति को वास्तव में की गई कार्यवाही की प्रमाणित जानकारी उत्तीर्णपत्र परीक्षण संस्थान मंडल, नवा रावपुर अटल नगर से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
2. वर्तमान में टीस अवशिष्ट के रूप में खोल- 1,200 मीट्रिक टन इतिवृत्त, मिल स्कैल-150 मीट्रिक टन इतिवृत्त एवं एम्ब कटिंग-800 मीट्रिक टन इतिवृत्त जमित होना है। प्रस्तावित कार्यकालय उपरोक्त टीस अवशिष्ट के रूप में खोल- 1,200 मीट्रिक टन इतिवृत्त, मिल स्कैल-150 मीट्रिक टन इतिवृत्त एवं एम्ब कटिंग-800 मीट्रिक टन इतिवृत्त जमित होना प्रस्तावित है। वर्तमान में खोल को खोल जीवोत्पन्न इकाई को प्रदाय किया जाता है। मिल स्कैल एवं एम्ब कटिंग को पुनः प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है। यही कारणसे प्रस्तावित कार्यकालय उपरोक्त अपनई जाएगी।
3. प्रस्तावित कार्यकालय से जल उपयोग की मात्रा में 11 किलोलीटर प्रतिदिन वृद्धि होगी। उपर्युक्त जीवोत्पन्न वृद्धि जल को कुलित हेतु उपयोग किया जाना एवं परेनु वृद्धि जल को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से उपचार उपरोक्त वृद्धोत्पन्न में उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। सूच्य निष्कर्षण की स्थिति नहीं जाएगी।
4. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत परिषदीयता की कुल विनिर्देश का 1 प्रतिशत व्यय का विस्तृत प्रमाण पूर्ण विवरण सहित प्रस्तुत किया गया है, जिसकी अनुसार 50 नए वृद्धोत्पन्न हेतु प्रस्तुत प्रमाण अनुसार पीसी के लिए प्रति 2,000 रुपये, टी गाई के लिए प्रति 15,000 रुपये, खार के लिए प्रति 375 रुपये, एच-खार के लिए प्रति 22,500 रुपये, इस प्रकार व्यय वर्ष में कुल प्रति 50,375 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल प्रति 1,28,475 रुपये हेतु पर्याप्त व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा उत्तरायन कार्यवाही से निर्णय लिया गया था कि परिषदीयता समायोजक द्वारा जारी जल एवं वायु सम्पत्ति को वास्तव में की गई कार्यवाही की प्रमाणित जानकारी उत्तीर्णपत्र परीक्षण संस्थान मंडल, नवा रावपुर अटल नगर से प्राप्त कर प्रस्तुत किंसे जाने को उपरोक्त आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एम.ई.ए.सी., उत्तीर्णपत्र के ज्ञापन दिनांक 09/12/2022 के परिप्रेक्ष्य में परिषदीयता समायोजक द्वारा दिनांक 18/01/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ग) समिति की 445वीं बैठक दिनांक 11/01/2023:

समिति द्वारा नसी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई गई कि उत्तीर्णपत्र परीक्षण संस्थान मंडल, नवा रावपुर अटल नगर से

ड्राफ्ट दिनांक 10/01/2023 द्वारा राज एवं राघु समिति को राजन में की गई कार्यवाही की उपरिष्ठ जनसंख्ये अनुसूची की गई है, जिसमें समिति द्वारा का पूर्ण रूप से राजन किया जाना उल्लेखित है।

राजदेवा तख्ती की अन्वय पर समिति द्वारा विचार दिनांक उपरिष्ठ सर्वसम्मति से केसों जनसंख्ये इत्यादि डाइजिट रिजिस्टर, डाक-घरों, तहसील-घरों, जिला-राजपुर स्थित खसरा क्रमांक 143 एवं 144, कुल क्षेत्रफल - 1895 हेक्टेयर में नि-रेडक डेवलपमेंट वू इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजना - 29-500 टन प्रतिवर्ष से बढ़कर 50,500 टन प्रतिवर्ष हेतु परिशिष्ट-95 में वर्णित कर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने की अनुमति की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रक्रियामें (एल.ई.आई.ए.ए.) प्रतीकानुसार को तदनुसार सुचित किया जाए।

एजेन्डा आइटम क्रमांक-4 **अन्वय महादेव की अनुमति से अन्य विषय।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एल.ई.ए.सी.), प्रतीकानुसार की 432वीं, 433वीं एवं 434वीं बैठक क्रमांक दिनांक 18/11/2022, 17/11/2022 एवं 18/11/2022 को राजन हुई थी; समिति द्वारा सर्वसम्मति से राजन बैठकों की कार्यवाही विराम का अनुमोदन दिनांक 30/12/2022 द्वारा किया गया।

बैठक सम्पन्न होने से राजन बंद है।

(**श्री. राहुल शर्मा**)

सदस्य सचिव

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
प्रतीकानुसार

(**श्री. पी.पी. सोनवरे**)

अध्यक्ष

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
प्रतीकानुसार

ENVIRONMENTAL CLEARANCE CONDITIONS FOR INDUCTION FURNACE OF CAPACITY- 72,000 TONNES / YEAR, ROLLING MILL OF CAPACITY- 1,08,000 TONNES / YEAR OF M/S MANGAL SPONGE AND STEEL PVT.LTD

I. Statutory Compliance:

- i. The project proponent shall obtain Consent to Establish / Operate under the provisions of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB).
- ii. The project proponent shall obtain all necessary permission from the Central Ground Water Authority, in case of drawl of ground water / from the competent authority concerned in case of drawl of surface water required for the project.
- iii. The project proponent shall obtain authorization under the Hazardous and Other Waste Management Rules, 2016 as amended from time to time.
- iv. Project Proponent shall not install any re-heating furnace based rolling mill, only Hot-Charging rolling mill through induction furnace shall be installed. Induction furnace shall be operated electrically only.

II. Air Quality Monitoring and Preservation

- i. The project proponent shall install 24x7 continuous emission monitoring system at process stacks to monitor stack emission with respect to standards prescribed in Environment (Protection) Rules 1986 vide G.S.R 277(E) dated 31st March 2012 as amended from time to time, and connected to SPCB and CPCB online servers and calibrate these system from time to time according to equipment supplier specification through lab recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories.
- ii. The project proponent shall monitor fugitive emissions in the plant premises at least once in every quarter through laboratories recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories.
- iii. The project proponent shall make provision for carryout Ambient Air Quality monitoring for common / criterion parameters relevant to the main pollutant released (e.g. PM_{10} and $PM_{2.5}$ in reference to PM emission, and SO_2 and NO_2 in reference to SO_2 and NO_2 emissions) within and outside the plant area (at least at four locations one within and three outside the plant area at an angle of 135° each), covering upwind and downwind directions and connected to SPCB and CPCB online server.
- iv. The project proponent shall provide adequate air pollution control arrangements at all point and non point sources. Collecting hoods with Fume Extraction System with bag filters (PTFE) of adequate capacity and high efficiency shall be installed in Induction furnace(s) with minimum 30 meter stack height to ensure that particulate matter emission less than 30 mg/Nm³ all the time. The project proponent shall provide leakage detection and mechanized bag cleaning facilities for better maintenance of bags. Project proponent shall install suitable & effective air pollution control equipments at all transfer points, junction points etc. also. All the conveying system, transfer point, junction point etc. shall be covered. Adequate provision shall be made for sprinkling of water at strategic locations to ensure dust does not get air borne. Proper ventilation shall also be provided in induction furnace plant. All air pollution control systems shall be kept in good running condition all the time and failure (if any), shall be immediately rectified without delay; otherwise, similar alternate arrangement shall be

made. In the event of any failure of any pollution control system adopted by the Project proponent, the respective production unit shall not be restarted until the control measures are rectified to achieve the desired efficiency. As per proposal submitted emission of pollutants from any point source shall not exceed the following limit. -

Particulate Matter in Industrial Furnace	30 mg/m ³ (Thirty Milligram per Normal Cubic Meter)
--	---

Project proponent shall provide proper space provision for further retrofitting of air pollution control systems in case of further stringency of particulate matter emission limit. The height of any other stack(s) shall not be less than 30 meters.

- v. The project proponent shall submit monthly summary report of continuous stack emission and air quality monitoring and results of manual stack monitoring and manual monitoring of air quality / fugitive emissions to Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur, Zonal office of CPCB and Regional Office of Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) along with six-monthly monitoring report.
- vi. Sufficient number of mobile or stationary vacuum cleaners shall be provided to clean plant roads, shop floors, roofs, regularly.
- vii. The project proponent shall use mechanically covered leak proof trucks / dumpers vehicles for transportation of raw materials.
- viii. At entry and exit point of plant, wheel wash system shall be provided to control wheel generated dust.
- ix. Provision for monitoring of vehicles by installation of closed-circuit cameras (CCTV) at suitable locations i.e. entry gate, weigh bridge, internal parking area etc. shall also be made to ensure the incoming and outgoing vehicles are mechanically covered.
- x. The project proponent shall provide covered sheds for raw materials.

III. Water Quality Monitoring and Preservation

- i. The project proponent shall provide adequate facility for proper treatment of industrial effluent and domestic effluent. Project proponent shall provide adequate facility for proper treatment of effluent (neutralization system) if required. The waste water generated during the process shall be reused in cooling purpose. MBBR based sewage treatment arrangement of capacity 70 KLD shall be provided for treatment of domestic effluent to meet the prescribed standards. Treated water shall be utilized in plantation and dust suppression. Project proponent shall ensure the treated effluent quality within standard prescribed by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India under G.S.R 277(E) dated 31st March 2012 as amended from time to time. No effluent shall be discharged out of plant premises under any circumstances. Any liquid effluent what so ever generated shall not be discharged into the river or any surface water bodies under any circumstances, and it shall be reused wholly in the process / plantation within plant area. Adhere to 'Zero Liquid Discharge'.
- ii. The project proponent shall monitor regularly ground water quality at least twice a year (pre and post monsoon) at sufficient numbers of piezometers / sampling wells in the plant and adjacent areas through lab recognized under Environment (Protection) Act, 1986 and NABL accredited laboratories.
- iii. The project proponent shall submit monthly summary report of effluent monitoring and results of manual effluent testing and manual monitoring of

ground water quality to Integrated Regional Office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nava Raipur Atal Nagar, Zonal office of CPCB and Regional Office of Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) along with six-monthly monitoring report.

- iv. Gutter drains and collection pits shall be provided for each stock pile to arrest the run-off in the event of heavy rains and to check the water pollution due to surface run off.
- v. The project proponent shall practice rainwater harvesting to maximum possible extent.
- vi. The project proponent shall make efforts to minimize water consumption in the plant by segregation of used water, practicing cascade use and by recycling treated water.
- vii. The project proponent shall use the maximum surface water.

iv. Noise Monitoring and Prevention

- i. Noise level survey shall be carried as per the prescribed guidelines and report in this regard shall be submitted to Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur as a part of six-monthly compliance report.
- ii. The ambient noise levels should conform to the standards prescribed under Environment (Protection) Rules, 1986 viz. 75 dB (A) during day time and 70 dB (A) during night time.

v. Energy Conservation Measures

- i. Provide solar power generation on roof tops of buildings, for solar light system for all common areas, street lights, parking around project area and maintain the same regularly.
- ii. The project proponent shall ensure use of LED lights in their offices and residential areas.

vi. Waste Management

- i. The project proponent shall take effective steps for safe disposal of solid wastes and sludge. Furnace slag shall be used as sub base material in road construction/ will be given to brick manufacturing units. End cutting shall be used recycled back as raw material in own induction Furnaces. Mill Scales and filter dust shall be reused in own induction Furnaces. Used oil shall be given to authorized recyclers / agencies.
- ii. Used refractories shall be recycled as far as possible.
- iii. Waste oil, grease and other hazardous waste shall be disposed off as per the Hazardous & Other Waste (Management & Transboundary Movement) Rules, 2016.
- iv. The project proponent shall utilize fly ash bricks / blocks etc. in all construction activities.
- v. Kitchen waste (if any) shall be composted or converted to biogas for further use.
- vi. The project proponent shall install filter press for dry disposal of sludge received from ETP (if any) and shall use the waste as manure in plantation.

vii. Green Belt

- i. Green belt shall be developed in an area not less than 40.14% (1.06 Ha) of the total plant area with a native tree species in accordance with CPCB

guidelines. Greenbelt shall inter alia cover the periphery of the plant. As far as possible maximum area of open spaces shall be utilized for plantation purposes. Project proponent shall ensure that plantation will be done within 1 year.

- i. The project proponent shall prepare GHG emissions inventory for the plant and shall submit the programme for reduction of the same including carbon sequestration including plantation.

VIII. Public Hearing & Human health issues

- i. The project proponent shall strictly follow the timeframe so as to cover comply the issue the raised during Public Hearing.
- ii. Emergency preparedness plan based on the Hazard Identification and Risk Assessment (HIRA) and Disaster Management Plan shall be implemented.
- iii. The project proponent shall carry out heat stress analysis for the workmen who work in high temperature work zone and provide Personal Protection Equipment (PPE) as per the norms of Factory Act.
- iv. Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile STP, safe drinking water, medical health care, canteen etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.
- v. Occupational health surveillance of the workers shall be done on a regular basis and records maintained as per the Factories Act.

IX. Corporate Environment Responsibility

- i. Project proponent shall made CER fund as follows -

Additional Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
4100	2%	82	Under existing CER work total investment Rs. 79.62,111/-	
			Under proposed CER work following activities at nearby, 3 Government schools	
			Plantation with fencing	30.00
			New water construction work	
			Water harvesting system	
			Potable drinking water facility	
			Medical camps	2.00
Total	32.00			
Grand Total	101.62			

- ii. The project proponent shall submit the Corporate Environmental Responsibility project work completion report issued by the concerned principal of the respective schools and concerned gram Panchayat.

- iii. The company shall have a well laid down environmental policy duly approved by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions. The company shall have defined system of reporting infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions and / shareholders / stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh as a part of six-monthly report.
- iv. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter level, with qualified personnel shall be set up under the control of Senior Executive, who will directly to the head of the organization.
- v. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur / SEIAA, Chhattisgarh along with the Six Monthly Compliance Report.
- vi. Self environmental audit shall be conducted annually. Every three years third party environmental audit shall be carried out.

X. Additional Conditions

- i. Project proponent shall obtain authorization of Hazardous Waste disposal as per the Hazardous & Other Wastes (Management And Transboundary Movement) Rules, 2016 as amended from time to time.
- ii. Project proponent shall not disturb the livelihood of habitants, depends on forest based products.
- iii. Project proponent shall form a impartial committee (Representative of Industry, Representative of District administration/CECB and Member of Gram panchayat) which will monitor the compliance of Green Belt within the premises, Corporate Environmental Responsibility activities etc.
- iv. This EC shall be granted subject to the conditions that the emission level shall not exceed the prescribed limit notified by Central Pollution Control Board falling which this EC shall deemed to be cancelled.
- v. No additional land shall be acquired for this project.
- vi. Local persons shall be given necessary training and employment during development and operation of the plant. The project proponent shall ensure skill development of local people.
- vii. The project proponent shall make public the environmental clearance granted for their project along with the environmental conditions and safeguards at their cost by prominently advertising it at least in two local newspapers of the District or State, of which one shall be in the vernacular language within seven days and in addition this shall also be displayed in the project proponent's website permanently.
- viii. The copies of the environmental clearance shall be submitted by the project proponents to the Heads of Local Bodies, Panchayats and Municipal Bodies in addition to the relevant offices of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.
- ix. The project proponent shall upload the status of compliance of the stipulated environment clearance conditions, including results of monitored data on their website and update the same on half-yearly basis.

ENVIRONMENTAL CLEARANCE CONDITIONS FOR EXPANSION OF EXISTING COMMON BIO-MEDICAL WASTE TREATMENT FACILITY (INCINERATION CAPACITY - 250 KG/HR TO 750 KG/HR, AUTO CLAVE CAPACITY - 175 LITRES/BATCH TO 625 LITRES/BATCH AND SHREDDER CAPACITY - 500 KG/HR TO 1,500 KG/HR AND CHEMICAL DISINFECTION UNIT CAPACITY - 500 KG/HR TO 1,500 KG/HR) OF M/S SMS WATERLOGE ENVROPROTECT PRIVATE LIMITED AT KHASRA NO. 701, 702 & 705, VILLAGE- SILTARA, NEAR SILTARA INDUSTRIAL AREA, TEHSIL-DHARSIWA & DISTRICT- RAIPUR

I. Statutory Compliance:

- i. The project proponent shall obtain Consent to Establish / Operate under the provisions of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB).
- ii. Transportation and handling of Bio-medical Waste shall be as per the Bio-medical Wastes (Management and Handling) Rules, 2016 including the section 129 to 137 of Central Motor Vehicle Rules, 1989.
- iii. The project proponent shall obtain authorization under the Hazardous and Other Waste Management Rules, 2016 as amended from time to time and also guidelines for Common Hazardous Waste Incineration- 2005, issued by CPCB. Guidelines of CPCB for Bio-medical Waste Common Hazardous Waste Incinerators shall be followed.
- iv. The project proponent shall obtain all necessary permission from the Central Ground Water Authority, in case of draw of ground water / from the competent authority concerned in case of draw of surface water required for the project.
- v. A certificate of adequacy of available power from the agency supplying power to the project along with the load allowed for the project should be obtained.
- vi. All other statutory clearance such as the approvals for the storages of the diesel from Chief Controller of Explosives, Fire Department, Civil Aviation Department shall be obtained, as applicable by the project proponent from the respective competent authorities.
- vii. Project Proponent shall follow all the guidelines issued by MoEF&CC and direction issued by Hon'ble Supreme Court of India/ Hon'ble National Green Tribunal/ Hon'ble High Court of India/ Any Other Court of Law from time to time.
- viii. Project Proponent shall carried out Gap Analysis Study and submit report to SEIAA/SEAC, C. G. and Chhattisgarh Environment Conservation Board.

II. Air Quality Monitoring and Preservation

- i. The project proponent shall install 24x7 continuous emission monitoring system including Dioxin and furans to monitor stack emission with respect to standards prescribed in Environment (Protection) Rules, 1986 and connected to CECB and CPCB online servers and calibrate these system from time to time according to equipment supplier specification through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL, accredited laboratories.
- ii. Periodical Air Quality monitoring in and around the site including VOC, HC shall be carried out.
- iii. The project proponent shall ensure that Aero-Biological study shall be carried out every year.
- iv. Incineration plants shall be operated (combustion chambers) with such temperature, retention time and turbulence, so as to achieve Total Organic

- v. Carbon (TOC) content in the slag and bottom ashes less than 3% or their loss on ignition is less than 3% of the dry weight of the material.
- vi. The project proponent shall provide for proposed activity APC Consisting of Gas Quencher Ventury Scrubber, Packed Bed Scrubber with the incinerator with stack of adequate height (minimum 30 meter) to control particulate emission within $30\text{mg}/\text{Nm}^3$, HCl emission within $30\text{mg}/\text{Nm}^3$ and NO_x emission within $200\text{mg}/\text{Nm}^3$. Pollution load after proposed activity shall not be exceed the existing load for which Consent To Operate has been granted.
- vii. Appropriate Air Pollution Control (APC) system shall be provided for fugitive dust from all vulnerable source, so as to comply prescribed standards. All necessary air pollution control devices (quenching, Ventury-scrubber, mist eliminator) should be provided for competent emission standards.
- viii. Project proponent shall provide proper space provision for further retrofitting of air pollution control systems in case of further stringency of particulate matter emission limit. The height of any other stack(s) shall not be less than 30 meters.
- ix. Masking agent should be used for odour control.
- x. The project proponent shall submit monthly summary report of continuous stack emission and air quality monitoring and results of manual stack monitoring and manual monitoring of air quality / fugitive emissions to Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur, Zonal office of CPCB and Regional Office of Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) along with six-monthly monitoring report.
- xi. Provision for monitoring of vehicles by installation of closed circuit camera (CCTV) at suitable locations i.e. entry gate, weigh bridge, internal parking area etc. shall also be made to ensure the incoming and outgoing vehicles are mechanically covered.

III. Water Quality Monitoring and Preservation

- i. The project proponent shall install effluent monitoring system with respect to standards prescribed in Environment (Protection) Rules, 1986 through lab-recognized under Environment (Protection) Act, 1986 and NABL accredited laboratories.
- ii. The project proponent shall not use ground water without prior permission from Central Ground Water Authority.
- iii. Waste water generated from the facility shall be treated in the ETP and treated waste water shall be reused in the APCD connected to the incinerator.
- iv. The water quality of treated effluent shall meet the norms prescribed by CPCB/CECB. Any liquid effluent what so ever generated shall not be discharged into the river or any surface water bodies under any circumstances, and it shall be reused wholly in the process / plantation within plant area. Adhere to 'Zero Liquid Discharge'.
- v. Process effluent / any waste water should not be allowed to mix with storm water.
- vi. Total fresh water use shall not exceed the proposed requirement as provided in the project details. Prior permission from the competent authority shall be obtained for use of fresh water.
- vii. Sewage Treatment Plant shall be provided for treatment of domestic effluent generated from the project to meet the prescribed standards. Treated water shall be utilized in plantation, Dust suppression etc. Zero discharge condition shall be maintained all the time.
- viii. The leachate from the facility shall be collected and treated to meet the prescribed standards before disposal.
- ix. Magnetic flow meters shall be provided at the inlet and outlet of the ETP & all ground water abstraction points and records for the same shall be maintained regularly.

- iv. Rain water runoff from hazardous waste storage area shall be collected and treated in ETP.
- v. The project proponent shall monitor regularly ground water quality at least twice a year (pre and post monsoon) at sufficient numbers of piezometers / sampling wells in the plant and adjacent areas through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 and NABL accredited laboratories.
- vi. The project proponent shall submit monthly summary report of effluent monitoring and results of manual effluent testing and manual monitoring of ground water quality to Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur, Zonal office of CPCB and Regional Office of Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) along with six-monthly monitoring report.
- vii. Gullard drains and collection pits shall be provided for each stock pile to arrest the run-off in the event of heavy rains and to check the water pollution due to surface run off.
- viii. The project proponent shall practice rainwater harvesting to maximum possible extent.

IV. Noise Monitoring and Prevention

- i. The ambient noise levels should conform to the standards prescribed under Environment (Protection) Rules, 1986 -i.e. 75 dB (A) during day time and 70 dB (A) during night time.

V. Energy Conservation Measures

- i. Provide solar power generation on roof tops of buildings, for solar light system for all common areas, street lights, parking around project area and maintain the same regularly.
- ii. The project proponent shall ensure use of LED lights in their office and residential areas (if any).

VI. Waste Management

- i. Incinerated ash shall be disposed at approved TEDF and MoU made in this regard shall be submitted to Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur / SEIAA, Chhattisgarh prior to the commencement of the project.
- ii. The solid waste shall be segregated as per the norms of the Solid Waste Management Rules, 2016.
- iii. A certificate from the competent authority handling municipal solid waste should be obtained, indicating the existing civic capacities of handling and their adequacy to cater to the municipal solid waste generated from the project.
- iv. Any wastes from construction and demolition activity related thereto shall be managed to strictly conform to the Construction and Demolition Rules, 2016.
- v. No landfill site is allowed within the Common Bio-medical Waste Treatment Facility site.
- vi. The waste oil, grease and other hazardous waste shall be disposed of as per the Hazardous & Other Waste (Management & Transboundary Movement) Rules, 2016. The project proponent shall not store the hazardous waste more than the quantity that has been permitted by the CPCB / CECB.
- vii. The project proponent shall utilize fly ash bricks / blocks etc. in all construction activities.

VII. Green Belt

- Green belt shall be developed in an area equal to 40% of the total plant area with a native tree species in accordance with CPCB guidelines. Greenbelt shall inter alia cover the periphery of the plant. As far as possible maximum area of open spaces shall be utilized for plantation purposes. Project proponent shall ensure that plantation will be done within 1 year.
- The project proponent shall prepare GHG emissions inventory for the plant and shall submit the programme for reduction of the same including carbon sequestration including plantation.

VIII. Public Hearing & Human health issues

- The project proponent shall strictly follow the timeframe so as to clear/ comply the issue the raised during Public Hearing
- Emergency preparedness plan based on the Hazard Identification and Risk Assessment (HIRA) and Disaster Management Plan shall be implemented
- The project proponent shall carry out heat stress analysis for the workmen who work in high temperature work zone and provide Personal Protection Equipment (PPE) as per the norms of Factory Act
- Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile STP, safe drinking water, medical health care, canteen etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.
- Occupational health surveillance of the workers shall be done on a regular basis and records maintained as per the Factories Act

IX. Corporate Environment Responsibility

- Project proponent shall made CER fund as follows:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
275	2%	5.50	Following activities at nearby	
			Paying Van Service in village-Sitara	4.50
			Solar LED Street Lights (50 No)	0.50
			Rain Water Harvesting System at Sitara Gram Panchayat Office	0.50
			Portable Drinking Water Facility at Sitara Villages	0.10
Total			5.50	

- The project proponent shall submit the Corporate Environmental Responsibility project work completion report issued by the concerned principal of the respective schools and concerned gram Panchayat.
- The company shall have a well laid down environmental policy duly approved by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for

standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions. The company shall have defined system of reporting infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions and / shareholders / stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh as a part of six-monthly report.

- iv. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter level, with qualified personnel shall be set up under the control of Senior Executive, who will directly to the head of the organization.
- v. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur / SEIAA, Chhattisgarh along with the Six Monthly Compliance Report.
- vi. Self environmental audit shall be conducted annually. Every three years third party environmental audit shall be carried out.

3. Additional Conditions

- i. Project proponent shall obtain authorization of Hazardous Waste disposal as per the Hazardous & Other Wastes (Management And Transboundary Movement) Rules, 2016 as amended from time to time.
- ii. Project proponent shall not disturb the livelihood of habitats, depends on forest based products.
- iii. Project proponent shall form a tripartite committee (Representative of Industry, Representative of District administration/CECB and Member of Gram panchayat) which will monitor the compliance of Green Belt within the premises, Corporate Environmental Responsibility activities etc.
- iv. The EC shall be granted subject to the conditions that the emission level shall not exceed the prescribed limit notified by Central Pollution Control Board failing which this EC shall deemed to be cancelled.
- v. No additional land shall be acquired for this project.
- vi. Local persons shall be given necessary training and employment during development and operation of the plant. The project proponent shall ensure skill development of local people.
- vii. The project proponent shall make public the environmental clearance granted for their project along with the environmental conditions and safeguards at their cost by prominently advertising it at least in two local newspapers of the District or State, of which one shall be in the vernacular language within seven days and in addition this shall also be displayed in the project proponent's website permanently.
- viii. The copies of the environmental clearance shall be submitted by the project proponents to the Heads of Local Bodies, Panchayats and Municipal bodies in addition to the relevant offices of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.
- ix. The project proponent shall upload the status of compliance of the stipulated environment clearance conditions, including results of monitored data on their website and update the same on half-yearly basis.
- x. The project proponent shall monitor the criteria pollutants level namely, PM10, SO2, NOx (ambient levels as well as stack emissions) or critical seasonal parameters (if any), indicated for the projects and display the same at a convenient location for disclosure to the public and put on the website of the company.

- xi. The project proponent shall submit six-monthly reports on the status of the compliance of the stipulated environmental conditions on the website of the ministry of Environment, Forest and Climate Change at environment clearance portal.
- xii. The project proponent shall submit the environmental statement for each financial year in Form-V to Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as amended subsequently and put on the website of the company. The project proponent shall inform the Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur as well as SEIAA, Chhattisgarh the date of financial closure and final approval of the project by the concerned authorities, commencing the land development work and start of production operation by the project.
- xiii. The project authorities must strictly adhere to the stipulations made by the Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) and the State Government.
- xiv. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA / EMP report and also that during their presentation to the State Expert Appraisal Committee.
- xv. No further expansion or modifications in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh.
- xvi. Concealing factual data or submission of false / fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.
- xvii. SEIAA, Chhattisgarh may revoke or suspend the clearance, if implementation of any of the above conditions is not satisfactory or not fulfilled.
- xviii. SEIAA, Chhattisgarh reserves the right to stipulate additional conditions if found necessary. The Company in a time bound manner shall implement these conditions.
- xix. The Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur shall monitor compliance of the stipulated conditions. The project authorities should extend full cooperation to the officer (s) of the Regional Office by furnishing the requisite data / information / monitoring reports.
- xx. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India / High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.
- xxi. Any appeal against this EC shall lie with the National Green Tribunal, if preferred, within a period of 30 days as prescribed under Section 18 of the National Green Tribunal Act, 2010.
- xxii. Environment clearance will be valid as per the provision of EIA Notification, 2006 (as Amended).


Member Secretary, SEAC


Chairman, SEAC

वेल्थ डेवीपुर अधिगती घाटन क्लासि बाईन (जी - बीनटी मधु अपवात)
की क्लासि इमांक - 1529, कुल जीन क्षेत्र 0.405 हेक्टर, काम-डेवीपुर, तहसील
ब विजा-बुरजपुर में माघारण पखर (बीन खनिज) उत्खनन कुल क्लासि 2,108
टन (810 घनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकांश उत्खनन क्षेत्रफल (जीन क्षेत्र) 0.405 हेक्टर अथवा क्लासिगत शकल, खनिज काठन किंवा द्वारा स्वीकृत जीन क्षेत्र (टीन) में से जो कम हो) हेतु मान्य होना। इसी प्रकार खदान से माघारण पखर का अधिकांश उत्खनन कुल क्लासि 2,108 टन (810 घनमीटर) प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होना। जीन क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन करवाकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
2. यदि खदान खनिज किण्व द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, तो पर्यावरणीय स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
3. परिशोधन प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), को उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए।
4. पर्यावरणीय स्वीकृति की क्लसा भासा करवाकर को पर्यावरण, वन और जलवायु परिशोधन, मंत्रालय द्वारा जारी ईआईए, नोटिफिकेशन, 2006 (पका संशोधित) के उपबन्धों को लागू होगी।
5. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी भी अथवा सारी जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सर्जित नहीं किया जाए, अतिरिक्त इसे प्रक्रिया में अथवा पुनारोपण हेतु पुन:उपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल को उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोलरीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी भी अथवा सारी जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सर्जित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं घरेलू जल का जल अंतराल में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपस्थित दूषित जल को पुनःस्था भासा करवाकर, पर्यावरण, वन और जलवायु परिशोधन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा क्लासिगत पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
6. खनि पदार्थ धारक खान संयंत्र में बंद करने के उपरोक्त (after ceasing mining operations) धारण क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी धारण परिशोधनों के कारण प्रभावित (disturbed due to these mining activities) हुए हैं, उनकी धी-धरिण (re-vegetation) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह धार, वनस्रोतों, जीवों आदि से उपरिष्ठ हेतु उपयुक्त हो। परिशोधन प्रस्तावक द्वारा खान अधिगती से अनुशोधित बाईन क्लोजर पठन एक यह की भीतर प्रस्तुत किया जाए।
7. भू-जल को उपरोक्त (यदि किया जाता हो) हेतु केंद्रीय भू-जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
8. किसी किसी / घाट / प्यारिड सीट से परिसूचित क्षेत्र उत्खनन की मात्रा 50 मिमीघन / सालाना घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। अथवा खनि, ट्रांसफर प्यारिड (यदि कोई हो) में कानु प्रदूषण नियंत्रण हेतु अथवा एकाईकेशन सिस्टम को सख उपय पकता का सेन किस्तर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन परिशोधनों को विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न पर्यावरणीय अथवा उत्खनन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित

- काव से किया जाए। पहलूय मार्ग, रोड, संवहन क्षेत्र, नहरें एवं अन्य सार्वजनिक विद्युती इन्फ्रास्ट्रक्चर काम संचालन निरस्त एवं जल विद्युतकाव की व्यवस्था की जावन इलाका सार्वजनिक / संवहन सुनिश्चित किया जाए। निम्न क्रमिक तौर का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।
9. पहली, सतत एवं अन्य क्रिया से उत्पन्न जल प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1987 के तहत विनियमित मानकों को अनुसरण रखा जाएगा। उल्लंघन क्षेत्र में परिवर्तित जल की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल जल विद्युती संवहन, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
 10. लीज क्षेत्र के सारी तलक छोटी नई 7.5 मीटर की चौड़ी नदरी में कोई नदर का डैम / बाधकरण नहीं किया जाए तथा इन नदरी में 3 परिसरों में पुनरोपण किया जाए एवं संरक्षण किया जाए।
 11. उल्लंघन क्रिया के दौरान हटाई गई कसरी मिट्टी (टॉप सॉइल) का उचित संरक्षण हेतु उचित नै न आने वाली भूमि को पुनः उधार हेतु उचित बाहरी ओवरलैंड को फिर (स्टॉबिलाइज) करने में किया जाए। कसरी मिट्टी (टॉप सॉइल) को लीज क्षेत्र के बाहर पुनः से संचालित करने की अनुमति नहीं होगी।
 12. ओवरलैंड एवं अनुपयोगी / बिजली क्षेत्रों अधिनियम (विस्तार क्षेत्र) को पुनः से पुनः से विनियमित रखल पर संचालित किया जाएगा। इस प्रकार के संचालन स्थलों को उचित प्रकार से सुनिश्चित रखे जाएं ताकि संचालित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विपरीत प्रभाव न डाल सकें। अन्य की ऊंचाई 3 मीटर तथा तलप 20 मिमी से अधिक न हो। ओवरलैंड अन्य का सार्वजनिक हेतु वैज्ञानिक तरीके से पुनरोपण किया जाए।
 13. जहाँ तक संभव हो ओवरलैंड एवं अन्य अनुपयोगी / बिजली क्षेत्रों अधिनियम (विस्तार क्षेत्र) को सार्वजनिक परभाव को नदरों में पुनरोपण (विक विकल्प) हेतु उचित किया जाए, ताकि भूमि का पुनः उपयोग उचित वैज्ञानिक तरीके सुनिश्चित किया जा सकें।
 14. परियोजना प्रभावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि सतत क्रिया से उत्पन्न सिस्ट लीज क्षेत्र के आस-पास के सारी जल स्रोतों में प्रदूषित न हो। इसे रोकने हेतु नई नदर तथा अन्य क्षेत्र में विनियमित क्षेत्र / नालेयक ड्रेन की व्यवस्था आवश्यक काम की जाए।
 15. अधिनियम का परियोजना रोकनेवाली नदरों सतत से किया जाए, ताकि अधिनियम सतत से सार्वजनिक नै न हो। अधिनियम का परियोजना कर रहे पहली को सतत से अधिक नहीं था जावन सुनिश्चित किया जाए।
 16. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्ननुसार प्रभाव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना को अंतर्गत किया जाए—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
13.08	2%	0.27	Following activities at Government Primary School.	

			Kawerghera, Village-Devipar
			Running Water
			Facility for Toilets
			Plantation
			Total
			0.15
			0.54
			0.69

17. सीईओएर को तहसील निर्धारित स्वीचबोर्डों 08 महीने में अधिकाधिक कार्य को पूर्ण किया जाए। सीईओएर को उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों को कार्य पूर्ण उपरोक्त संबंधित स्कूल को प्रचारों से कार्यपूर्ण इतिवृत्त प्रकाश कर अधिकाधिक विवेक से सम्बंधित कार्य हूरे प्रस्तुत किया जाए। सीईओएर कार्य की सम्बन्धित सुनिश्चित करना अवकाश उपरोक्तप्रमाण होगा। कुशलतापूर्वक अवकाश होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जायेगी।
18. सीईओएर को अंतर्गत स्कूल परिसर को नीला (अपला, बड पीपल, नीम, आम, अलुंग, बेल आदि) कुशलतापूर्वक हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 25 नम पीछों को लिए राशि 200 रुपये, लाल को लिए राशि 825 रुपये, सिंघाई तथा राख-सकाव आदि को लिए राशि 10,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 10,825 रुपये तथा आगामी 2 वर्ष में कुल राशि 42,500 रुपये हेतु परतकाल कार्य का विलय अनुसार कार्य पूर्ण करे।
19. सीईओएर एवं कुशलतापूर्वक कार्य को निर्धारित एवं परीक्षण हेतु वि-क्षेत्र समिति (अपलाईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत को परामर्शकारी/प्रतिनिधि एवं विला प्रशासन या अतिरिक्त पर्यावरण संरक्षण मण्डल को परामर्शकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सीईओएर एवं कुशलतापूर्वक का कार्य पूर्ण किये जाने को उपरोक्त गठित वि-क्षेत्र समिति से सम्बंधित कराया जाए।
20. जब भी निश्चित दल/अधिकारी निश्चित हेतु स्कूल पर जाये, तब उन्हें खदान/खोद/भट्टा को निश्चित को साथ-साथ सीईओएर को तहसील अपने द्वारा कार्य पूरे कार्य का निश्चित को अधिकाधिक कार्य को करना अवकाश विवेकानी होगी।
21. प्रखणम हेतु निश्चित क्षेत्र (जहाँ तक 7.5 बीट पर क्षेत्र क्षेत्र, हील क्षेत्र, जीवसर्जन इत्यादि में स्थानीय प्रजाति को 425 कुओं का स्थान कुशलतापूर्वक किया जाए। वरिष्ठ पट्टी का विकास क्षेत्रीय प्रखण निश्चित क्षेत्रों की निर्धारित को अनुसार किया जाए।
22. प्राथमिकता को आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2023-24 में लीज क्षेत्र को अनुसार बड, पीपल, नीम, कर्ज, नीमू, आम, इमली, कर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों को 100 नम पीछों का रोपण (कुल 825 नम पीछों) खदान को खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने को लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (विद्या कॉलेजाल कार को बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा विन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार कुशलतापूर्वक किया जाए। 5 बीट को 5 बीट अर्थात् वाले पीछों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त कुशलतापूर्वक प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। कुशलतापूर्वक नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।
23. रोपित किये जाने वाले पीछों में संख्यांकन (Numbering) एवं पीछों को नाम का उपरोक्त कार्य हूरे विवेकानी (Geotag) परीक्षणता सहित जानकारी प्राप्त इतिवृत्त को तहसील प्रकाश करे।
24. गार्डिंग लीज क्षेत्र को अंतर एवं बाहर स्थान कुशलतापूर्वक किये जाने एवं रोपित पीछों का सफाईकार पेट (Sanitation Pet) 50 अतिरिक्त सुनिश्चित किया जाए। साथ ही कुशलतापूर्वक



का मरु-स्थान जगती 2 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुए कुल पानी को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।

25. किसी नये नुसारण की पुष्टी हेतु डीजीपीएस (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं सर्वेक्षणक अर्थव्यवस्था निर्देश में सम्मति करते हुए जलीमगढ़ सर्वेक्षण संरक्षण समझौते एवं एन.ई.आई.ए.ए. सर्वेक्षणक को उचित किया जाए।
26. परिपोषण प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिमीटर क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य एवं सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य करना नहीं पाये जाने पर सर्वकारीय सी.ई.आर. को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
27. परिपोषण से दिन-दिन लगाते से वसुधैव कुटुम्बक इकाई कार्यालय द्वारा, उन लगतों पर नियमित जल विशुद्धता की जांचका किया जाए।
28. परिपोषण प्रस्तावक द्वारा निगरान्त जगतीम नियम (Minerals Conservation Rule) के तहत कार्यवाही दिल्ली द्वारा सी.ई.आर. का कार्य सुनिश्चित किया जाए।
29. परिपोषण प्रस्तावक द्वारा जल, पौध, मरु, नदी, गड, एवं अन्य जल संचयन के संरक्षण एवं संरक्षण किया जाए।
30. परिपोषण प्रस्तावक द्वारा जल प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक कार्य किया जाए। जल का सार जलक्षण क्षेत्र में दिन के समय 75 DSSM एवं राति के समय 70 DSSM से अधिक नहीं होना चाहिए। सार जल वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इस्त्रा/मक आदि प्रदान किए जाएं एवं समय-समय पर चिकित्साकीय जांच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।
31. सार श्रमिकों / डीजीएमएस से अनुमति प्राप्त विस्फोटक लाइसेंस धरक (Explosive License Holder) द्वारा सुरक्षा एवं नियंत्रित विधि से कंट्रोल सम्मति किया जाए। मरु के छोटे-छोटे दुकानों (खोई रोड) को उठाने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सार व्यवस्था किया जाए। सार स्थिति अथवा सार प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था सम्मति स्थिति किया जाए, जिससे सार का कार्यालय नियंत्रण में रहे।
32. जलक्षण इकाई नू-जल सार के सार उपरुक्त समझ में की जाएगी एवं जलक्षण इकाई नू-जल सार के बीच किसी भी सम्मति में नहीं किया जाए।
33. जलक्षण की इकाई इस प्रकल सुनिश्चित की जाए कि सम्मति एवं जीव-जन्तुओं पर काम से काम दुष्प्रभाव हो।
34. परिपोषण प्रस्तावक द्वारा गीम स्थिति का जलक्षण जलीमगढ़ गीम स्थिति नियम 2018 के प्रकलनी, अनुमति जलक्षण योजना एवं पर्यावरणीय प्रकल योजना के अनुसार किया जाए। सार एन 1982 के प्रकलनी का पालन किया जाए।
35. सार सार पर सार सम्मति कार्य पर लागू करते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास हेतु उचित व्यवस्था परिपोषण प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था आवासीय संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परिपोषण पुष्टी होने के पश्चात् हटाया जा सके।
36. श्रमिकों के लिए जल सार पर सार संरक्षण चिकित्साकीय सुविधा, सार सार सम्मति आदि की व्यवस्था परिपोषण प्रस्तावक द्वारा की जाए।
37. श्रमिकों का समय-समय पर आवश्यकता हेतु सार सार सम्मति करना आवश्यक है।
38. जलक्षण की सार सार कार्य क्षेत्र एवं अनुमति जलक्षण योजना के अनुसार सार सार, जिसमें जलक्षण, स्थिति की सार एवं सम्मति सम्मति है, में किसी भी

प्रकार का परिवर्तन एच.ई.आई.ए.ए. प्रतीसमूह / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

39. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आदेश किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य संस्थान या अधिकार दलाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी संस्थान को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारी के अधिकारण अथवा केंद्र, राज्य एवं स्थानीय स्तरों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
40. एच.ई.आई.ए.ए. प्रतीसमूह पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की समीक्षा से परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के तहत/परत रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा वापस लेना / निरस्त करे मानकों को और कड़ा करने का अधिकार सुरक्षित रहता है।
41. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में जो कि परियोजना क्षेत्र के आम-प्राप्त व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आदेश की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पर की गयीं शर्तियाँ, प्रतीसमूह पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय में उपलब्ध हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका आलोचन वेबसाइट parivash.nic.in पर भी किया जा सकता है।
42. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट प्रतीसमूह पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय प्रतीसमूह पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय, अम्बिकापुर, एच.ई.आई.ए.ए. प्रतीसमूह एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को भेजित किया जाए।
43. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रस्ताव शर्तों के पालन की निगरानी की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए रिपोर्टों एवं आरेखों का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को भेजित किया जाए।
44. एच.ई.आई.ए.ए. प्रतीसमूह, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर / क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / प्रतीसमूह पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय के वेबसाइटों / अधिकारियों की शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली निगरानी हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं करते होने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।
45. परियोजना प्रस्तावक प्रतीसमूह पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अधिसर्त रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण नियंत्रण तथा निबंधन) अधिनियम, 1974 तथा (प्रदूषण नियंत्रण तथा निबंधन) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परियोजनाय और अन्य अधिसूचित (प्रस्ताव एवं सीमाकार संरक्षण) नियम, 2018 तथा लोक दमिल बोध अधिनियम, 1981 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
46. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एच.ई.आई.ए.ए. प्रतीसमूह में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विवरण अथवा परिवर्तन होने की दशा में एच.ई.आई.ए.ए. प्रतीसमूह को पुनः स्थान जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एच.ई.आई.ए.ए. प्रतीसमूह इस पर



विचार कर सभी की उपस्थिति अवकाश नहीं करी निर्दिष्ट करने का मत निर्णय ले लें।
कारण में कोई भी विचार अवकाश सम्मान एस.ई.आई.ए.ए., उत्तीर्ण / परीक्षण,
उन और प्रत्येक परिधान मंचलय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं
किता जाय।

47. उत्तीर्ण परीक्षण संस्था सम्मान परीक्षणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय
कार्यालय, विद्या-प्रचार एवं उद्योग सेवा एवं कलेक्टर/सहायक विद्या-कार्यालय में 30
दिन की अवधि के लिए प्रदर्शित करें।

48. परीक्षणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल वीन ट्रिब्यूनल को समस्त नेशनल वीन
ट्रिब्यूनल एस. 2010 की धारा 18 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय
अवधि में की जा सकेगी।


सचिव, एस.ई.ए.सी.


सचिव, एस.ई.ए.सी.



**ENVIRONMENTAL CLEARANCE CONDITIONS FOR EXPANSION OF
INDUCTION FURNACE (MS BILLETS/INGOTS) OF CAPACITY- 30,000 TONNES /
YEAR TO 72,000 TONNES / YEAR OF M/S NAV DURGA SPAT PRIVATE
LIMITED**

I. Statutory Compliance:

- i. The project proponent shall obtain Consent to Establish / Operate under the provisions of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the Central Environment Conservation Board (CECB).
- ii. The project proponent shall obtain all necessary permission from the Central Ground Water Authority, in case of drawl of ground water / from the competent authority concerned in case of drawl of surface water required for the project.
- iii. The project proponent shall obtain authorization under the Hazardous and Other Waste Management Rules, 2016 as amended from time to time.
- iv. Project Proponent shall not commission any re-heating furnace or hot charging based rolling mill without prior environmental clearance. As per the MoEF&CC Notification S.O. 3056(E), dated 20.07.2022 for standalone re-rolling or cold rolling units with capacities more than 5000 Tonnes per annum, project proponent shall apply online in TOR for preparing of EIA/EEMP report.
- v. Induction furnace shall be operated electrically only.

II. Air Quality Monitoring and Preservation

- i. The project proponent shall install 24x7 continuous emission monitoring system at process stacks to monitor stack emission with respect to standards prescribed in Environment (Protection) Rules 1986 vide G.S.R 277(E) dated 11th March 2012 as amended from time to time; and connected to SPCB and CPCB online servers and calibrate these system from time to time according to equipment supplier specification through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories.
- ii. The project proponent shall monitor fugitive emissions in the plant premises at least once in every quarter through laboratories recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories.
- iii. The project proponent shall make provision for carryout Ambient Air Quality monitoring for common / criterion parameters relevant to the main pollutants released (e.g. PM_{10} and $PM_{2.5}$ in reference to PM emission, and SO_2 and NO_2 in reference to SO_2 and NO_2 emissions) within and outside the plant area (at least at four locations one within and three outside the plant area at an angle of 120° each), covering upwind and downwind directions and connected to SPCB and CPCB online server.
- iv. The project proponent shall provide adequate air pollution control arrangements at all point and non point sources. Collecting hoods with Fume Extraction System with Bag filters (PTFE) of adequate capacity and high efficiency shall be installed in induction furnace(s) with minimum 30 meter stack height to ensure that particulate matter emission less than 30 mg/Nm³ all the time. The project proponent shall provide leakage detection and mechanized bag clearing facilities for better maintenance of bags. Project proponent shall install suitable & effective air pollution control equipments at all transfer points, junction points etc. also. All the conveying system, transfer point, junction point etc. shall be covered. Adequate

provision shall be made for sprinkling of water at strategic locations to ensure dust does not get air borne. Proper ventilation shall also be provided in induction furnace plant. All air pollution control systems shall be kept in good running condition all the time and failure (if any), shall be immediately rectified without delay; otherwise, similar alternate arrangement shall be made. In the event of any failure of any pollution control system adopted by the Project proponent, the respective production unit shall not be restarted until the control measures are rectified to achieve the desired efficiency. As per proposal submitted emission of pollutants from any point source shall not exceed the following limit :-

Particulate Matter in Induction Furnace	50 mg/m ³ (Thirty Milligram per Normal Cubic Meter)
--	---

Project proponent shall provide proper space provision for further retrofitting of air pollution control systems in case of further stringency of particulate matter emission limit. The height of any other stack(s) shall not be less than 30 meters.

- v. The project proponent shall submit monthly summary report of continuous stack emission and air quality monitoring and results of manual stack monitoring and manual monitoring of air quality / fugitive emissions to Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur, Zonal office of CPCB and Regional Office of Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) along with six-monthly monitoring report.
- vi. Sufficient number of mobile or stationary vacuum cleaners shall be provided to clean plant roads, shop floors, roofs, regularly.
- vii. The project proponent shall use mechanically covered test proof trucks / dumpers/vehicles for transportation of raw materials.
- viii. At entry and exit point of plant, wheel wash system shall be provided to control wheel generated dust.
- ix. Provision for monitoring of vehicles by installation of closed-circuit camera (CCTV) at suitable locations i.e. entry gate, weigh bridge, internal parking area etc. shall also be made to ensure the incoming and outgoing vehicles are mechanically covered.
- x. The project proponent shall provide covered sheds for raw materials.

III. Water Quality Monitoring and Preservation

- i. The project proponent shall provide adequate facility for proper treatment of industrial effluent and domestic effluent. Project proponent shall provide adequate facility for proper treatment of effluent (neutralization system) if required. The waste water generated during the process shall be reused in cooling purpose. MSBR based sewage treatment arrangement of capacity 8 KLD shall be provided for treatment of domestic effluent to meet the prescribed standards. Treated water shall be utilized in plantation and dust suppression. Project proponent shall ensure the treated effluent quality within standard prescribed by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India under G.S.R 277(E) dated 31st March 2012 as amended from time to time. No effluent shall be discharged out of plant premises under any circumstances. Any liquid effluent what so ever generated shall not be discharged into the river or any surface water bodies under any circumstances, and it shall be reused wholly in the process / plantation within plant area. Adhere to 'Zero Liquid Discharge'.
- ii. The project proponent shall monitor regularly ground water quality at least twice a year (pre and post monsoon) at sufficient numbers of piezometers / sampling wells in the plant and adjacent areas through labs recognized

under Environment (Protection) Act, 1986 and NABL accredited laboratories.

- ii. The project proponent shall submit monthly summary report of effluent monitoring and results of manual effluent testing and manual monitoring of ground water quality to Integrated Regional Office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Raipur Aul Nagar, Zonal office of CPCB and Regional Office of Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) along with six-monthly monitoring report.
- iii. Gargand drains and collection pits shall be provided for each stock pile to arrest the run-off in the event of heavy rains and to check the water pollution due to surface run off.
- iv. The project proponent shall practice rainwater harvesting to maximum possible extent.
- v. The project proponent shall make efforts to minimize water consumption in the plant by segregation of used water, practicing recycle use and by recycling treated water.
- vi. The project proponent shall used the maximum surface water. Project proponent shall not use ground water without prior permission from the Central Ground Water Authority (CGWA).

IV. Noise Monitoring and Prevention

- i. Noise level survey shall be carried as per the prescribed guidelines and report in this regard shall be submitted to Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur as a part of six-monthly compliance report.
- ii. The ambient noise levels should conform to the standards prescribed under Environment (Protection) Rules, 1986 i.e. 75 dB (A) during day time and 70 dB (A) during night time.

V. Energy Conservation Measures

- i. Provide solar power generation on roof tops of buildings, for solar light system for all common areas, street lights, parking around project area and maintain the same regularly.
- ii. The project proponent shall ensure use of LED lights in their offices and residential areas.

VI. Waste Management

- i. The project proponent shall take effective steps for safe disposal of solid wastes and sludge. Furnace slag shall be used as sub base material in road construction/ will be given to brick manufacture/cement units. Used oil shall be given to authorized recyclers / agencies.
- ii. Used refractories shall be recycled as far as possible.
- iii. Waste oil, grease and other hazardous waste shall be disposed off as per the Hazardous & Other Waste (Management & Transboundary Movement) Rules, 2016.
- iv. The project proponent shall utilize fly ash bricks / blocks etc. in all construction activities.
- v. Kitchen waste (if any) shall be composted or converted to biogas for further use.
- vi. The project proponent shall install filter press for dry disposal of sludge received from ETP (if any) and shall used the waste as manure in plantation.

VII. Green Belt

- i. Green belt shall be developed in an area not less than 40.1% (0.46 Ha) of the total plant area with a native tree species in accordance with CPCB guidelines. Greenbelt shall inter alia cover the periphery of the plant. As far as possible maximum area of open spaces shall be utilized for plantation purposes. Project proponent shall ensure that plantation will be done within 1 year.
- ii. The project proponent shall prepare GHG emissions inventory for the plant and shall submit the programme for reduction of the same including carbon sequestration including plantation.

VIII. Human health issues

- i. Emergency preparedness plan based on the Hazard Identification and Risk Assessment (HIRA) and Disaster Management Plan shall be implemented.
- ii. The project proponent shall carry out heat stress analysis for the workers who work in high temperature work zone and provide Personal Protection Equipment (PPE) as per the norms of Factory Act.
- iii. Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile STP, safe drinking water, medical health care, canteen etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.
- iv. Occupational health surveillance of the workers shall be done on a regular basis and records maintained as per the Factories Act.

IX. Corporate Environmental Responsibility

- i. Project proponent shall make CER fund as follows:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
500	2%	10	Following activities at nearby Village-Sarons	
			Eco Park Nimmur	10.04
			Total	10.04

- ii. The project proponent shall submit the Corporate Environmental Responsibility project work completion report issued by the concerned gram Panchayat.
- iii. The company shall have a well laid down environmental policy duly approved by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions. The company shall have defined system of reporting infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions and / shareholders / stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattoogarh as a part of six monthly report.
- iv. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter level, with qualified personnel shall be set up under the control of Senior Executive, who will directly to the head of the organization.

- e. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur / SEIAA, Chhattisgarh along with the Six Monthly Compliance Report.
- f. Self environmental audit shall be conducted annually. Every three years third party environmental audit shall be carried out.

X. Additional Conditions

- i. If any waste comes under Hazardous category, project proponent shall obtain authorization of Hazardous Waste disposal as per the Hazardous & Other Wastes (Management And Transboundary Movement) Rules, 2016 as amended from time to time.
- ii. Project proponent shall not disturb the livelihood of habitants, depends on forest based products.
- iii. Project proponent shall form a tripartite committee (Representative of Industry, Representative of District administration/CEDB and Member of Gram panchayat) which will monitor the compliance of Green Belt within the premises, Corporate Environmental Responsibility activities etc.
- iv. This EC shall be granted subject to the conditions that the emission level shall not exceed the prescribed limit notified by Central Pollution Control Board failing which this EC shall deemed to be cancelled.
- v. No additional land shall be acquired for this project.
- vi. Local persons shall be given necessary training and employment during development and operation of the plant. The project proponent shall ensure skill development of local people.
- vii. The project proponent shall make public the environmental clearance granted for their project along with the environmental conditions and safeguards at their cost by prominently advertising it at least in two local newspapers of the District or State, of which one shall be in the vernacular language within seven days and in addition this shall also be displayed in the project proponent's website permanently.
- viii. The copies of the environmental clearance shall be submitted by the project proponents to the Heads of Local Bodies, Panchayats and Municipal Bodies in addition to the relevant offices of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.
- ix. The project proponent shall upload the status of compliance of the stipulated environment clearance conditions, including results of monitored data on their website and update the same on half-yearly basis.
- x. The project proponent shall monitor the criteria pollutants level namely, PM_{10} , SO_2 , NO_2 (ambient levels as well as stack emissions) or critical sectoral parameters (if any), indicated for the projects and display the same at a convenient location for disclosure to the public and put on the website of the company.
- xi. The project proponent shall submit six-monthly reports on the status of the compliance of the stipulated environmental conditions on the website of the ministry of Environment, Forest and Climate Change at environment clearance portal.
- xii. The project proponent shall submit the environmental statement for each financial year in Form-V to Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as



**ENVIRONMENTAL CLEARANCE CONDITIONS FOR EXPANSION OF
INDUCTION FURNACE WITH HOT CHARGING ROLLING MILL (RE-ROLLED
PRODUCTS) OF CAPACITY- 28,500 TONNES / YEAR TO 58,500 TONNES /
YEAR OF M/S. JAGDISH ISPAT PRIVATE LIMITED**

I. Statutory Compliance:

- i. The project proponent shall obtain Consent to Establish / Operate under the provisions of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB).
- ii. The project proponent shall obtain all necessary permission from the Central Ground Water Authority, in case of draw of ground water / from the competent authority concerned in case of draw of surface water required for the project.
- iii. The project proponent shall obtain authorization under the Hazardous and Other Waste Management Rules, 2016 as amended from time to time.
- iv. Project Proponent shall not install any re-heating furnace based rolling mill, only Hot-Charging rolling mill through induction furnace shall be installed. Induction furnace shall be operated electrically only.

II. Air Quality Monitoring and Preservation

- i. The project proponent shall install 3x7 continuous emission monitoring system at process stacks to monitor stack emission with respect to standards prescribed in Environment (Protection) Rules 1986 vide G.S.R 271(E) dated 21st March 2012 as amended from time to time, and connected to SPCB and CPCB online servers and calibrate these system from time to time according to equipment supplier specification through lab recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories.
- ii. The project proponent shall monitor fugitive emissions in the plant premises at least once in every quarter through laboratories recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories.
- iii. The project proponent shall make provision for carryout Ambient Air Quality monitoring for common / criterion parameters relevant to the main pollutant released (e.g. PM₁₀ and PM_{2.5} in reference to PM emission, and SO₂ and NO_x in reference to SO₂ and NO_x emissions) within and outside the plant area (at least at four locations one within and three outside the plant area at an angle of 120° each), covering upwind and downwind directions and connected to SPCB and CPCB online server.
- iv. The project proponent shall provide adequate air pollution control arrangements at all point and non point sources. Collecting hoods with Fume Extraction System with bag filters (PTFE) of adequate capacity and high efficiency shall be installed in induction furnace(s) with minimum 30 meter stack height to ensure that particulate matter emission less than 30 mg/Nm³ all the time. The project proponent shall provide leakage detection and mechanized bag cleaning facilities for better maintenance of bags. Project proponent shall install suitable & effective air pollution control equipments at all transfer points, junction points etc. also. All the conveying system, transfer point, junction point etc. shall be covered. Adequate provision shall be made for sprinkling of water at strategic locations to ensure dust does not get air borne. Proper ventilation shall also be provided in induction furnace plant. All air pollution control systems shall be kept in good running condition all the time and failure (if any), shall be immediately

rectified without delay; otherwise, similar alternate arrangement shall be made. In the event of any failure of any pollution control system adopted by the Project proponent, the respective production unit shall not be restarted until the control measures are rectified to achieve the desired efficiency. As per proposal submitted emission of pollutants from any point source shall not exceed the following limit :-

Particulate Matter in Induction Furnace	30 mg/Nm ³ (Thirty Milligram per Normal Cubic Meter)
--	--

Project proponent shall provide proper space provision for further retrofitting of air pollution control systems in case of further stringency of particulate matter emission limit. The height of any other stack(s) shall not be less than 30 meters.

- v. The project proponent shall submit monthly summary report of continuous stack emission and air quality monitoring and results of manual stack monitoring and manual monitoring of air quality / fugitive emissions to Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Rajpur, Zonal office of CPCB and Regional Office of Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) along with six-monthly monitoring report.
- vi. Sufficient number of mobile or stationary vacuum cleaners shall be provided to clean plant roads, shop floors, roofs, regularly.
- vii. The project proponent shall use mechanically covered leak proof trucks / dumpers vehicles for transportation of raw materials.
- viii. At entry and exit point of plant, wheel wash system shall be provided to control wheel generated dust.
- ix. Provision for monitoring of vehicles by installation of closed-circuit cameras (CCTV) at suitable locations i.e. entry gate, weigh bridge, internal parking area etc. shall also be made to ensure the incoming and outgoing vehicles are mechanically covered.
- x. The project proponent shall provide covered sheds for raw materials.

III. Water Quality Monitoring and Preservation

- i. The project proponent shall provide adequate facility for proper treatment of industrial effluent and domestic effluent. Project proponent shall provide adequate facility for proper treatment of effluent (neutralization system) if required. The waste water generated during the process shall be reused in cooling purpose. MBBR based sewage treatment arrangement of capacity 20 FLD shall be provided for treatment of domestic effluent to meet the prescribed standards. Treated water shall be utilized in plantation and dust suppression. Project proponent shall ensure the treated effluent quality within standard prescribed by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India under G.S.R 277(E) dated 31st March 2012 as amended from time to time. No effluent shall be discharged out of plant premises under any circumstances. Any liquid effluent what so ever generated shall not be discharged into the river or any surface water bodies under any circumstances, and it shall be reused wholly in the process / plantation within plant area. Adhere to 'Zero Liquid Discharge'.
- ii. The project proponent shall monitor regularly ground water quality at least twice a year (pre and post monsoon) at sufficient numbers of piezometers / sampling wells in the plant and adjacent areas through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 and NABL accredited laboratories.

- iii. The project proponent shall submit monthly summary report of effluent monitoring and results of manual effluent testing and manual monitoring of ground water quality to Integrated Regional Office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Raipur Abal Nagar, Zonal office of CPCB and Regional Office of Chattisgarh Environment Conservation Board (CECB) along with six-monthly monitoring report.
- iv. Gulland drains and collection pits shall be provided for each stock pile to arrest the run-off in the event of heavy rains and to check the water pollution due to surface run off.
- v. The project proponent shall practice rainwater harvesting to maximum possible extent.
- vi. The project proponent shall make efforts to minimize water consumption in the plant by segregation of used water, practicing cascade use and by recycling treated water.
- vii. The project proponent shall use the maximum surface water. Project proponent shall not use ground water without prior permission from the Central Ground Water Authority (CGWA).

IV. Noise Monitoring and Prevention

- i. Noise level survey shall be carried as per the prescribed guidelines and report in this regard shall be submitted to Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur as a part of six-monthly compliance report.
- ii. The ambient noise levels should conform to the standards prescribed under Environment (Protection) Rules, 1986 i.e. 75 dB (A) during day time and 70 dB (A) during night time.

V. Energy Conservation Measures

- iii. Provide solar power generation on roof tops of buildings, for solar light system for all common areas, street lights, parking around project area and maintain the same regularly.
- iv. The project proponent shall ensure use of LED lights in their offices and residential areas.

VI. Waste Management

- i. The project proponent shall take effective steps for safe disposal of solid wastes and sludge. Furnace slag shall be used as sub base material in road construction will be given to brick manufacturing units. End cutting shall be used recycled back as raw material in own induction Furnaces. Mill Scales and filter dust shall be reused in own induction Furnaces. Used oil shall be given to authorized recyclers / agencies.
- ii. Used refractories shall be recycled as far as possible.
- iii. Waste oil, grease and other hazardous waste shall be disposed off as per the Hazardous & Other Waste (Management & Transboundary Movement) Rules, 2016.
- iv. The project proponent shall utilize fly ash bricks / blocks etc. in all construction activities.
- v. Kitchen waste (if any) shall be composted or converted to biogas for further use.
- vi. The project proponent shall install filter press for dry disposal of sludge received from ETP (if any) and shall use the waste as manure in plantation.

VI. Green Belt

- i. Green belt shall be developed in an area not less than 40.01% (5.662 Hec) of the total plant area with a native tree species in accordance with CPCB guidelines. Greenbelt shall inter alia cover the periphery of the plant. As far as possible maximum area of open spaces shall be utilized for plantation purposes. Project proponent shall ensure that plantation will be done within 1 year.
- ii. The project proponent shall prepare GHG emissions inventory for the plant and shall submit the programme for reduction of the same including carbon sequestration including plantation.

VII. Human health issues

- i. Emergency preparedness plan based on the Hazard Identification and Risk Assessment (HIRA) and Disaster Management Plan shall be implemented.
- ii. The project proponent shall carry out heat stress analysis for the workmen who work in high temperature work zone and provide Personal Protection Equipment (PPE) as per the norms of Factory Act.
- iii. Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile STP, safe drinking water, medical health care, creche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.
- iv. Occupational health surveillance of the workers shall be done on a regular basis and records maintained as per the Factories Act.

IX. Corporate Environment Responsibility

- i. Project proponent shall made CER fund as follows:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
200	1%	2.0	Following activities at Government Girls High School Village- Charada	
			Rain water harvesting	1.218
			Water Supply arrangement with 5 year ARR	0.650
			Water tank & pipe line	0.450
			Facility for Toilets	1.795
			Total	4.123

- i. The project proponent shall submit the Corporate Environmental Responsibility project work completion report issued by the concerned principal of the respective schools.
- ii. The company shall have a well laid down environmental policy duly approved by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions. The company shall have defined system of reporting infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions and / shareholders / stake holders. The

- copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh as a part of six-monthly report.
- iv. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter level, with qualified personnel shall be set up under the control of Senior Executive, who will directly to the head of the organization.
 - v. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur / SEIAA, Chhattisgarh along with the Six Monthly Compliance Report.
 - vi. Self environmental audit shall be conducted annually. Every three years third party environmental audit shall be carried out.

E. Additional Conditions

- i. If any waste comes under Hazardous category, project proponent shall obtain authorization of Hazardous Waste (disposal as per the Hazardous & Other Wastes (Management And Transboundary Movement) Rules, 2016 as amended from time to time.
- ii. Project proponent shall not disturb the livelihood of habitants, depends on forest based products.
- iii. Project proponent shall form a tripartite committee (Representative of Industry, Representative of District administration/DECB and Member of Gram panchayat) which will monitor the compliance of Green Cell within the premises, Corporate Environmental Responsibility activities etc.
- iv. This EC shall be granted subject to the conditions that the emission level shall not exceed the prescribed limit notified by Central Pollution Control Board failing which this EC shall deemed to be cancelled.
- v. No additional land shall be acquired for this project.
- vi. Local persons shall be given necessary training and employment during development and operation of the plant. The project proponent shall ensure skill development of local people.
- vii. The project proponent shall make public the environmental clearance granted for their project along with the environmental conditions and safeguards at their cost by prominently advertising it at least in two local newspapers of the District or State, of which one shall be in the vernacular language within seven days and in addition this shall also be displayed in the project proponent's website permanently.
- viii. The copies of the environmental clearance shall be submitted by the project proponents to the Heads of Local Bodies, Panchayats and Municipal Bodies in addition to the relevant offices of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.
- ix. The project proponent shall upload the status of compliance of the stipulated environment clearance conditions, including results of monitored data on their website and update the same on half-yearly basis.
- x. The project proponent shall monitor the criteria pollutants level namely; PM_{10} , SO_2 , NO_2 , (ambient levels as well as stack emissions) or critical sectoral parameters (if any), indicated for the projects and display the same at a convenient location for disclosure to the public and put on the website of the company.

